राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 3] बारहवीं विधान सभा के तीसरे सत्र का सत्तावनवां दिवस [संख्या : 13

गुरुवार

31 मार्च, 2005

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे विधान सभा भवन,

जयपुर में प्रारम्भ हुई)

(श्रीमती सुमित्रा सिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री जुबेर खान (रामगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सत्र का 23 तारीख को बजट आया है..

एक माननीय सदस्य : 24 को आया है बजट । माननीय सदस्य, बजट 24 को आया है।

श्री जुबेर खान : यह बात नहीं है कि हम सदन को चलने नहीं देना चाहते, हम मान-सम्मान से इस सदन को चलाना चाहते हैं....

श्री अध्यक्ष : अभी प्रश्नकाल है।

श्री जुबेर खान : लेकिन जिस तरह का रवैया 24 तारीख को शुरू हुआ, माननीय प्रतिपक्ष के नेता महोदय को बोलने नहीं दिया, आपने आसन से व्यवस्था दी कि नेता महोदय बोलेंगे लेकिन माननीय संसदीय कार्य मंत्रीजी ने खड़े होकर के व्यवधान डालकर सत्ता पक्ष के लोगों ने जिस तरह से बोलने नहीं दिया उस मुद्दे को लेकर और सत्ता पक्ष यह नहीं चाहता कि इस सदन में सोजत के ऊपर चर्चा हो...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (संसदीय कार्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्नकाल है। प्रश्नकाल में महत्वपूर्ण प्रश्न लगे हैं। आपने इनको बोलने की अनुमति दी है क्या ? इनकी आदत हो गई है आसन की बिना अनुमति के हर समय हर कोई बात कहना प्रारम्भ कर देते हैं। यह क्या है ?..(व्यवधान)

श्री जुबेर खान :.... निर्मम हत्या के खिलाफ चर्चा हो, इसमें सरसों की खरीद पर चर्चा हो, ओलावृष्टि के ऊपर चर्चा हो। (व्यवधान) हत्याओं के

(श्री जुबेर खान)

ऊपर चर्चा हो इसलिए व्यवधान डालकर तरह-तरह के अड़ंगे लगाकर व्यवधान डाला जा रहा है। हमारी आपसे मांग है कि 24 तारीख को जो घटना हुई है.. (व्यवधान)

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, पहली बार यह हो रहा है। प्रश्नकाल पर सरकार का कितना पैसा खर्च होता है। (व्यवधान) प्रश्न लगे हुए हैं। ऐसी परम्परा कभी नहीं रही है। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान : ...जब तक उसके लिए सत्ता पक्ष की तरफ से क्षमायाचना नहीं की जाती, आप द्वारा प्रताड़ना नहीं दी जाती... (व्यवधान) इस तरह सदन नहीं चल सकता। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : माननीय सदस्य, अकाल पर कौन मना कर रहा है? (व्यवधान)

श्री जुबेर खान : तो इस तरह से सदन नहीं चल सकता, नहीं चल सकता। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : ... आज तक प्रतिपक्ष की पार्टी ने नहीं चलने दिया।

एक माननीय सदस्य : माननीय अध्यक्ष महोदय, तीन दिन से प्रतिपक्ष द्वारा प्रश्नकाल नहीं चलवाया जा रहा है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी, माननीय सदस्यगण, यह प्रश्नकाल है, माननीय सदस्य अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं क्योंकि बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। हर माननीय सदस्य चाहता है कि उसके प्रश्नों के उत्तर आये इसलिए आपको कोई बात उठानी है तो आप प्रश्नकाल के बाद उठा लीजियेगा। प्रश्नकाल तो होने दीजिये। (व्यवधान) प्रश्नकाल तो होने दीजिये।

श्री जुबेर खान : माननीय अध्यक्ष महोदय, जब तक इस सदन का गतिरोध दूर नहीं होगा, सदन कैसे चल सकता है? (व्यवधान)

श्री ओम बिरला : इनको राजस्थान की जनता की चिन्ता नहीं है, इनको अहंकार की चिन्ता है । (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, इनका काम गतिरोध पैदा करना है। हम चाहते हैं कि यह प्रश्नकाल चले। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान : सदन में गतिरोध बना हुआ है।

श्री कालूलाल गुर्जर (पंचायती राज मंत्री) : ...माननीय अध्यक्ष महोदय प्रश्नकाल में प्रश्न होने चाहिए। (व्यवधान) प्रश्नकाल का समय है। पहले प्रश्न होते हैं। उन प्रश्नों का उत्तर नहीं आने देना चाहते। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल।

श्री सांवर लाल : .. प्रश्नकाल हमेशा होता है। यहां कितना ही विवाद रहा हो, प्रश्नकाल तो होता ही है। (व्यवधान)

श्री कालूलाल गुर्जर : प्रश्नकाल में लाखों रुपया खर्च होता है। (व्यवधान) यह सरकार की गाढ़ी कमाई का पैसा है, जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा खर्च होता है और उसके बाद भी जान-बूझकर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को नहीं होने देना चाहते। इनकी मंशा स्पष्ट करती है कि लोकतंत्र में भी विश्वास नहीं है और जनता की समस्याओं के प्रति भी इनका कोई विश्वास नहीं है।

श्री अध्यक्ष : श्री हीरालाल (निवाई) –

तारांकित प्रश्नोत्तर

राजस्थान विश्वविद्यालय के शिक्षकों/कर्मचारियों को मानदेय

144. श्री हीरालाल (निवाई) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान विश्वविद्यालय में गत 5 वर्षों में शिक्षकों/कर्मचारियों को मानदेय राशि का भुगतान किया गया? यदि हां, तो कितनी-कितनी राशि का? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त भुगतान को उचित मानती है? यदि हां, तो कैसे व नहीं, तो क्या सरकार मानदेय के भुगतान पर रोक लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा (श्री वासुदेव देवनानी) : (1) राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर में गत पांच वर्ष में शिक्षकों को मानदेय राशि का भुगतान किया गया है। वर्षवार भुगतान की गई राशि का विवरण निम्नानुसार है :-

(श्री वासुदेव देवनानी)

वर्ष	भुगतान की गई राशि
2000	252359.00
2001	188582.00
2002	238150.00
2003	194109.00
2004	285050.00

(2) विश्वविद्यालय द्वारा जब शिक्षकों को अध्यापन व अनुसंधान कार्य के अलावा पुनर्मूल्यांकन के कार्य का उत्तरदायित्व सौंपा जाता है तो उसके लिए विश्वविद्यालय द्वारा उन्हें मानदेय दिया जाता है। यह मानदेय पुनर्मूल्यांकन हेतु प्राप्त होने वाली फीस से दिया जाता है। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : .... जो प्रोटोकाल में मंत्री से ऊपर आता है, आप लीडर आफ अपोजिशन को जब बोलने खड़े हों, तब रोक देते हैं, यह भी सदन की परम्परा नहीं रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह गतिरोध शुरू इसलिए हुआ कि माननीय नेता प्रतिपक्ष सोजत जाकर आये थे, वो सोजत की स्थिति से आपको और सदन को अवगत कराना चाहते थे। अगर आप माननीय नेता प्रतिपक्ष को उनकी बात सदन में रखने का अवसर दे देते और आपने अनुमति दे भी दी थी लेकिन संसदीय कार्य मंत्रीजी ने और दूसरे सत्ता पक्ष के लोगों ने इसका विरोध किया और नेता प्रति पक्ष को बोलने नहीं दिया। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नगर से आने वाले माननीय सदस्य, आप कृपया व्यवधान नहीं डालें। (व्यवधान) आप बोले जा रहे हैं । (व्यवधान)

श्री सी.डी. देवल (रायपुर) : यह जवाब किसको सुना रहे हो? (व्यवधान) शिड्यूल्ड कास्ट पर अत्याचार हो रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : रायपुर से आने वाले माननीय सदस्य, कृपया प्रश्नकाल प्रारम्भ हो चुका है, मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं । (व्यवधान) आप स्थान ग्रहण कीजिये।

श्री सी.डी. देवल : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्नकाल का क्या औचित्य है? आपने स्वयं ने कहा है कि ये तैयार होकर नहीं आते। (व्यवधान) उस प्रश्नकाल का कोई औचित्य नहीं है, अध्यक्ष महोदय। गरीबों पर अत्याचार हो रहे हैं । (व्यवधान)

श्री हीरालाल (निवाई) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं। ये व्यवधान डाल रहे हैं। (व्यवधान)

प्रश्न संख्या 145

श्री अध्यक्ष : श्री रामनारायण मीणा।

(माननीय सदस्य प्रश्न पुकारने के लिए खड़े नहीं हुए : कृपया आगे देखो)

प्रश्न संख्या 146

मोहम्मद माहिर आजाद ।

(माननीय सदस्य प्रश्न पुकारने के लिए खड़े नहीं हुए : कृपया आगे देखो)

श्री धर्मेन्द्र कुमार मोची।

एक माननीय सदस्य : एस.सी., एस.टी. के लोगों को मारा जा रहा है। (व्यवधान) ऐसे बुरे हालात हो रहे हैं और ऐसे हालात की ओर ध्यानाकर्षित करना चाहते हैं तो परमीशन नहीं मिलती । (व्यवधान)

पायलट प्रोजेक्ट के तहत विधान सभा क्षेत्र टीबी की सेम समस्या का निवारण

147. श्री धर्मेन्द्र कुमार मोची (टीबी) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र टीबी के रावतसर क्षेत्र में सेम समस्या के समाधान हेतु क्षेत्रीय विधायक द्वारा माननीय मुख्य मंत्री को पत्र प्रेषित किया गया है? यदि हां, तो उस पर अब तक सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई?

(2) क्या यह सही है कि रावतसर क्षेत्र से सेम निवारण हेतु पायलट

(श्री धर्मेन्द्र कुमार मोची)

प्रोजेक्ट के रूप में केन्द्र सरकार द्वारा राशि स्वीकृत की गई है? यदि हां, तो कब व कितनी तथा उनके तहत कौन-कौन से कार्य करवाये जा चुके हैं?

(3) क्या राज्य सरकार उक्त कार्य हेतु अपने हिस्से की राशि स्वीकृत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(4) क्या राज़्य सरकार उक्त क्षेत्र में सेम नाले की डी-सिल्टिंग एवं सफाई और पम्प हाउस के रख-रखाव हेतु कोई राशि स्वीकृत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और कितनी?

(5) क्या यह सही है कि इन्दिरा गांधी नहर क्षेत्र में भैरूसरी कलाला वाली ढाणी, मोधुनगर, खेदासरी, जाखड़ा वाली एवं उसके आस-पास क्षेत्र में सेम का पानी भरा हुआ है? यदि हां, तो कब से?

(6) क्या सरकार उक्त क्षेत्र में सेम निवारण हेतु कोई योजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

सिंचाई मंत्री (श्री सांवर लाल) : (1) जी हां। पत्र में उल्लिखित सेम समस्या पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) जी हां। भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय भू-संसाधन विभाग के पत्रांक 30.3.2000 द्वारा 460.66 लाख रुपये की स्वीकृति दी है जिसमें केन्द्र सरकार का हिस्सा 304.748 लाख रुपये था।...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (सरकारी मुख्य सचेतक) : अध्यक्ष महोदय, प्रश्नकाल के बाद आपके चैम्बर में प्रतिपक्ष के नेता महोदय...(व्यवधान) आपके कक्ष में प्रतिपक्ष के नेता बैठ जाएं और प्रश्नकाल चलने दें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीज़ी, माननीय मुख्य सचेतक, माननीय सदस्यगण, मैं बहुत नम्र शब्दों में आपसे निवेदन करना चाहूंगी कि प्रश्नकाल होने दें उसके बाद सदन की कार्यवाही कुछ समय के लिए स्थगित करके सदन के नेता विपक्ष के नेता, मेरे चैम्बर में बैठकर के गतिरोध कैसे दूर हो सके, इसका प्रयास करेंगे। (व्यवधान)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन के वैल में व्यवधान)

(श्री अध्यक्ष)

एक-एक करके बोलिये। (व्यवधान) आप क्या कहना चाहते हैं? नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य बोल रहे हैं? (व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया : गतिरोध पहले पैदा ही क्यों किया जो अब दूर करने की बात कर रहे हो?

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी, कृपया स्थान ग्रहण करिये। मैं प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों से फिर निवेदन कर रही हूं कि एक ही सदस्य बोले तो मैं सुन सकूंगी। आप क्या कहना चाहते हैं? (व्यवधान) फिर वही बात। आपके ही सदस्य आपकी नहीं मान रहे हैं तो मैं क्या करूं? इसमें आसन क्या करे (व्यवधान) पहले इनको शांत रखें आप। एक-एक बोलें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, यह परम्परा रही है सदन की, ये अपनी सीटों पर जाकर के बोलें। ये वैल से नहीं बोल सकते, सीट पर जाकर के बोलें, यह परम्परा रही है। (व्यवधान)

श्री वासुदेव देवनानी : पहले सीट पर जायेंगे उसके बाद सुनाई हो। सबसे पहले अपनी सीटों पर जाएं। सभी सदस्य सीटों पर जाएं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय प्रतिपक्ष के सदस्यगण, मैं आपको पूरा मौका दूंगी। (व्यवधान) आप बीच में वैल से नहीं बोल सकते, यह गलत बात है। मैं चाहूंगी कि आप अपनी-अपनी सीट पर जाएं, मैं पूरा मौका दूंगी, जो कुछ आपको कहना है आप कहें, लेकिन एक-एक करके बोलें क्योंकि एक साथ आप बोलते हैं तो मैं नहीं समझ पाती कि आप क्या बोलना चाहते हैं। आप पहले अपने स्थान पर जाएं। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि प्रश्नकाल में महत्वपूर्ण प्रश्न लगे हुए हैं, आप मौका दीजिये प्रश्नकाल के बाद में, आज तक सदन में ऐसी परम्परा नहीं रही है अध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण कर लें, कृपया स्थान ग्रहण कर लें। (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे अलाउ किया है, अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे अलाउ किया है। अध्यक्ष महोदय, यह क्या मतलब है? अभी तो यह कह रहे हैं, फिर दूसरी बात कह रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप अपने स्थान पर जाइये। मंत्रीजी को छोड़िये। आप चुपचाप बैठिये। आप बैठिये चुपचाप। आप लोग भी नहीं बोलेंगे। मैं आप लोगों से भी कह रही हूं। माननीय मंत्रीजी। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज तक सदन में ऐसी परम्परा नहीं रही है। प्रश्नकाल में प्रश्न होते हैं अध्यक्ष महोदय, मैंने जवाब शुरू कर दिया, मेरा जवाब पूरा नहीं हुआ।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : अध्यक्ष महोदय, 24 तारीख़ को हमारी सरकार ने बजट पेश किया। एक घंटा देरी के लिए इन्होंने प्रश्न पूछा.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह आसन का काम है। आप बीच में नहीं बोलें तो उचित रहेगा। नहीं, अभी नहीं। जब ये कुछ कहना चाह रहे हैं तो आप सुन लें इन्हें, उसके बाद जवाब दे दीजिये, क्या दिक्कत है (व्यवधान) नहीं, नहीं सुनिये आप। माननीय सिंचाई मंत्रीजी।

श्री सांवर लाल : अध्यक्ष महोदय, आप लम्बे समय से इस सदन में पधार रही हैं, पहली बार प्रश्नकाल के अन्दर यह विवाद शुरू हो रहा है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण करें, आप स्थान ग्रहण करें। वैल में बैठने वाला कोई भी माननीय सदस्य बोलेगा नहीं। जो बोलना चाहेंगे, अपने स्थान पर जायें और अपने स्थान पर जाकर बोलेंगे। वरना आसन किसी को नहीं सुनेगा। आप अपने स्थान पर बोलिये। मैं सुनूंगी आपको। हां. तो आप बैठ जाइये। आप बैठिये। जिसको बैठना हो बैठिये या स्थान पर बैठिये। या तो वैल में बैठिये या अपने स्थान पर बैठिये। हां, नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य, आपको कोई बात कहनी हो तो आप कहिये। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं.. (व्यवधान) नहीं, नहीं, अध्यक्ष महोदय।

एक माननीय सदस्य : यह क्या तरीका है, हमको आप नियम बता दीजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ये कैसे बोलेंगे?

श्री नन्दलाल बंशीवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं जोशीजी बोलें उससे पहले।

श्री रामनारायण डूडी : अध्यक्ष महोदय, कभी भी विधान सभा के अन्दर जब माननीय सदस्य बैल के अन्दर बैठ जाते हैं, फिर उनको अनुमति दी जाती है अपनी सीट से जाकर बोलने की। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यगण, सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यगण, इनकी तकलीफ तो सही है, आपको क्या तकलीफ हो रही है, जो बोलने खड़े हो जाते हो। शांत रहें। बैठें। अपने स्थान पर बैठें। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हम चाहते हैं कि नियमों के अन्तर्गत हो। हम आसन से प्रार्थना करना चाहते हैं कि नियमों से सदन को चलायें आप, हम आपका सहयोग करना चाहते हैं, आपकी आज्ञा को शिरोधार्य करना चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : अध्यक्ष महोदय, इनको तकलीफ एक ही है इनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। आज राजस्थान की जनता की समस्या उठाने के लिए इनके पास कुछ भी समस्या नहीं है। अकाल पर नहीं बोले, बिजली पर नहीं बोले, घड़साना पर नहीं बोले आप, उसके बाद बजट पर बहस शुरू हो गई है। प्रश्नकाल में आज तक इस तरह की चर्चा नहीं हुई है (व्यवधान)

डा. भंवरलाल राजपुरोहित (मकराना) : हमें तो आप यह बता दो कि नियम क्या है तो हम उस नियम की पालना करेंगे, कौन से नियम के तहत ये बोल रहे हैं? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आसन का यह प्रयत्न है कि सही तरीके से हम इस समस्या को सुलझा सकें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, आसन की व्यवस्था यह हो.. (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : .... और सदन चल सके तो सुन लीजिये उनकी बात, क्या कहना चाहते हैं वे। (व्यवधान)

श्री वासुदेव देवनानी : नहीं अध्यक्ष महोदय, आसन को दबाव में नहीं आना चाहिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नहीं अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह निवेदन कर रहा था कि आसन ने उनका नाम पुकारा, आसन की आज्ञा शिरोधार्य है, पर अध्यक्ष महोदय, आज तक प्रश्नकाल में ऐसा नहीं हुआ।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा) : अध्यक्ष महोदय, दोनों तरफ से ही नहीं मान रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपने प्रश्नकाल में मंत्रीजी का नाम पुकार लिया। मंत्रीजी ने आधा उत्तर दिया है, आधे उत्तर के पहले बीच में बैठा दिया, पहले इनका उत्तर आ जाये। नहीं, आपसे प्रार्थना इतनी है कि इनका पूरा उत्तर आ जाये, माननीय सदस्य अपनी बात पूछना चाहते हैं, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है इसलिए मैं यह निवेदन कर रहा था कि एक बार इनका उत्तर पूरा हो जाये, उसके बाद आप आज्ञा दे दें। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान : और उस दिन अध्यक्ष महोदयजी ने नेता महोदय का नाम पुकार लिया था तो आपको कैसे आपत्ति हो रही थी, आपको ही हुई थी ना आपत्ति। (व्यवधान)

श्री कालूलाल गुर्जर : अध्यक्ष महोदय... तब जाकर के उनके जवाब आते हैं और ये आधा जवाब दे रहे हैं, आधा दिया नहीं, बीच में हो-हल्ला करके माननीय सदस्य की कई प्रकार की जनता की समस्या हैं, उनको उठाने से रोक रहे हैं, क्योंकि उनके पास तो कोई मुद्दा है नहीं अध्यक्ष महोदय, और जो जानकारी सदन में और लोग चाहते हैं उनको देने नहीं देते हैं। यह क्या मखौल बना रखा हुआ है इन्होंने, अपनी मर्जी हो जैसे सदन को चलायेंगे क्या? (व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक : सदन की गरिमा को सीखकर सदन में आओ। (व्यवधान)

श्री नन्दलाल बंशीवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं जोशीजी से पहले (व्यवधान) 24 तारीख को हमारी सरकार ने बजट पेश किया। बुलेटिन के माध्यम से हमें सूचना दिलवा दी, 12 बजे हमने बजट पढ़ा

(श्री नन्दलाल बंशीवाल)

तो जोशीजी ने एतराज किया कि आपने प्रश्नकाल को स्थगित करके बजट पेश किया। उस दिन तो आप बड़े गम्भीर हो रहे थे प्रश्नकाल के लिए....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कोई नहीं बोलेगा।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : और जब तीन दिन से आप प्रश्नकाल नहीं चलने दे रहे हैं, अब गम्भीर क्यों नहीं होते आप । मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप नेता हैं या बी.डी. कल्लाजी नेता हैं? बताइये ना आप हमारे को पहले। आपके नेता कौन हैं, यह तो बताइये आप पहले। बी.डी. कल्लाजी नेता हैं या अशोक गहलोतजी नेता हैं? (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : ये सदन नहीं चल सकता, सदन नियमों में बंधा हुआ है।

श्री अध्यक्ष : दौसा से आने वाले माननीय सदस्य, आसन अपना काम करेगा। आप स्थान ग्रहण करें, स्थान ग्रहण करें।

डा. सी.पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, जो कुछ भी आपके सामने स्थिति बनी हुई है, यही सदन को चलाने की परम्परा है अध्यक्ष महोदय... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नहीं अध्यक्ष महोदय, ऐसे नहीं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : नहीं अध्यक्ष महोदय, पहले आप उत्तर पूरा करने दीजिये, यह क्या बात हुई। मंत्रीजी जवाब दे रहे थे, जवाब पूरा करने दीजिये, यह क्या बात हुई? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नहीं, जवाब तो पूरा कराइये, जवाब तो पूरा कराइये आप।

श्री सांवर लाल : अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, आपके कहने के बाद... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सदन की कार्यवाही दो घंटे के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 11.16 बजे दो घंटे तक के लिए स्थगित हुई)

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया आगे देखें)

(13.16 बजे)

पुनः समवेत होने पर

(श्री रामनारायण विश्नोई, उपाध्यक्ष पदासीन)

श्री उपाध्यक्ष : सदन की कार्यवाही आधा घंटे के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 13.16 बजे आधा घंटे के लिए स्थगित हुई)

(13:47 बजे)

पुनः समवेत होने पर

(श्री रामनारायण विश्नोई, उपाध्यक्ष पदासीन)

श्री उपाध्यक्ष : आधे घंटे के लिए समय और बढ़ाया जाता है। सदन का समय आधे घंटे के लिए बढ़ाया जाता है।

(व्यवधान)

सदन का समय आधे घंटे के लिए स्थगित किया जाता है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही 13.48 बजे आधे घंटे के लिए स्थगित हुई)

(14.18 बजे)

पुनः समवेत होने पर

(श्रीमती सुमित्रा सिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

अनुरोध

सदन में जारी गतिरोध को दूर करने हेतु

ी अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, दो दिन से सदन नहीं चल पा रहा है और उसके लिये सभी माननीय सदस्यों को इस बात का दुःख भी है कि वह अपनी बात सदन में नहीं कह पा रहे हैं, जन समस्याओं को नहीं उठा पा रहे हैं और मुझे भी अफसोस है इस बात का, कि सदन ठीक प्रकार से क्यों नहीं चल पा रहा है। मैंने अपने चैम्बर में मुख्य मंत्रीजी और नेता प्रतिपक्ष दोनों से ही बात की है और मैं चाहती हूं कि सदन ठीक तरीके से चल सके

(श्री अध्यक्ष)

उसके लिये ऐसा वातावरण हम बनायें कि सदन अपना विधायी कार्य पूरा करे और सभी माननीय सदस्यों को, खास तौर से प्रतिपक्ष को अपनी बात कहने का पूरा अवसर मिले और उसके लिये मैं चाहूंगी कि नेता प्रतिपक्ष जो कुछ सदन में दो दिन में हुआ और आसन के प्रति जिस प्रकार से आसन का विरोध या आसन को अपमानित किया गया... उसके लिये नेता प्रतिपक्ष से मैं चाहूंगी कि नेता प्रतिपक्ष इस बारे में कुछ कहें सदन को हम ठीक प्रकार से चलाएं ऐसा मैं चाहूंगी। उनकी क्या पीड़ा है, वह अपनी पीड़ा भी बता दें। इसको हम हल कर सकें, व्यवधान को दूर कर सकें। इस बारे में वह कुछ कहना चाहे तो कहें। मैंने तो कह दिया कि मैं चाहती हूं कि सदन ठीक प्रकार से चले।

मैं माननीय सदस्यों से भी एक निवेदन करना चाहूंगी कि इस सदन का नियम तो है ही, नियम के साथ परम्परा भी रही है कि सदन में जब कभी सदन के नेता और प्रतिपक्ष के नेता, दोनों ही अपनी बात कहने के लिए खड़े हों, उस समय किसी भी सदस्य को न बीच में बोलना चाहिए, न टोकना चाहिए, न खड़े होना चाहिए। इसलिए चाहे सत्ता पक्ष हो, चाहे प्रतिपक्ष हो, इस बात का भविष्य में ध्यान रखेंगे। यह भी मैं सदन के सभी माननीय सदस्यों से बहुत विनम्र शब्दों में अनुरोध कर रही हूं कि यदि आइन्दा ऐसा हुआ तो मुझे कुछ कठोर कार्यवाही भी उस सदस्य के खिलाफ करनी पड़ सकती है, तो मैं समझती हूं कि भविष्य में इसका पूरा ध्यान रखेंगे।

डा. बुलाकीदास कल्ला (नेता, प्रतिपक्ष) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने जो बातें कही हैं मैं समझता हूं कि सदन की परम्पराएं और सदन सर्वोपरि रहा है। आसन का हम हमेशा सम्मान करते आए हैं और करते रहेंगे। आसन के प्रति हमारा दल पूरी आस्था रखता आया है और सदैव हमने आसन का सम्मान किया है।

मैं पूरे सदन को आपके माध्यम से आग्रहपूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि इस सदन में, अध्यक्ष महोदय खड़े हो मंत्री स्तर के लोग बीच में जाते रहे, आप बोल रहे हो और माननीय सदस्य आपके आगे से निकलते रहे, इन संसदीय परम्पराओं का ध्यान हम सबको मिलकर रखना है। आपने स्वयं ने कहा कि सदन के नेता और प्रतिपक्ष के नेता बोले उस वक्त तो कम से कम पूरे सदन को सुनना चाहिए लेकिन मुझे अफसोस है कि कई बार मंत्री स्तर के लोग, संसदीय सचिव और मुख्य सचेतक स्तर के लोग हैं, वह टोका-टोकी

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

करते हैं और खड़े होकर व्यवधान करते हैं, तो यह वास्तव में उचित नहीं है, निन्दनीय है।

मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि हमारा दल हमेशा आसन का आदर करता रहा है, करता रहेगा। फिर भी इन दो दिनों में कोई भी आसन को यदि हमारे कृत्य से ठेस पहुंची है तो मैं आसन के प्रति खेद व्यक्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, ठीक है। सदन की नेता भी कुछ कहना चाहेंगी?

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले कुछ दिनों से इस सदन के अन्दर अकारण गतिरोध हुआ है। हम सब यह मानते हैं कि यह सदन प्रदेश का सर्वोच्च स्थान है, सर्वोच्च सदन है। हम बहुत सारे लोगों का यहां पर प्रतिनिधित्व करते हैं। पांच करोड़ जनता हमारी ओर देखती है। पूरा राजस्थान देखता है कि सदन के अन्दर हम किस तरीके से उनकी बात रखते हैं और उनकी जन-जन से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं, उनको पूरा करने, हटाने के लिए क्या कोशिश करते हैं, उसके ऊपर क्या चर्चा होती है। यह सदन सुचारू रूप से चले यह जिम्मेदारी हम सबकी है। पक्ष की भी और विपक्ष की भी है। यहां की जो परम्पराएं हैं, बहुत ही गौरवशाली परम्पराएं हैं। किसी पर भी व्यक्तिगत तौर से अनर्गल आक्षेप एक-दूसरे के ऊपर लगाना इस हाउस में कभी परम्परा नहीं रही, न मैं समझती हूं कि आगे भी होनी चाहिए।

अध्यक्ष का आसन सबसे ऊंचा है, सर्वोपरि है और इसका सम्मान करना हम सबका कर्तव्य है। मैं सदन के समस्त माननीय सदस्यों से यह प्रार्थना करना चाहूंगी कि आपस के अन्दर आरोप और प्रत्यारोप लगाते रहना यह अच्छा नहीं रहेगा लेकिन सबसे बुरी बात तो यह है कि आसन के ऊपर कोई आरोप लगाए, यह भी नहीं लगाना चाहिए। आसन का पूरा सम्मान करते हुए सदन को सुचारू रूप से और नियम के हिसाब से चलाए, इसके अन्दर हम सबका पूरा योगदान रहे यह मैं विश्वास करती हूं।

श्री अध्यक्ष : गृह मंत्रीजी।

डा. बुलाकीदास कल्ला : आपकी आज्ञा से, दो मिनट में फिनिश कर देता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं सोजत जाकर आया था...

श्री लक्ष्मीनारायण दबे (वन एवं पर्यावरण मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मेरे सोजत विधान सभा...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नहीं मंत्रीजी आप कृपया...(व्यवधान)

श्री लक्ष्मीनारायण दबे : मेरे सोजत विधान सभा क्षेत्र का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी, अभी बात हुई है कि सदन के नेता और प्रतिपक्ष के नेता जब खड़े हो तो इस बात का ध्यान रखें। उसके बाद कहेंगे, मैं आपको मौका दूंगी बाद में। उन्हें कह लेने दें।

अनुरोध एवं मांग

सोजत में हुई साम्प्रदायिक घटना की न्यायिक जांच व पीड़ितों को मुआवजे की मांग

डा. बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, 26 तारीख को सोजत में जो घटना हुई, मुझे जैसे ही सूचना मिली मैं 27 तारीख को वहां पर गया और जाकर मैंने देखा, पौने पांच बजे से लेकर सात बजे के बीच में वहां पर चूंकि काफी गेर वगैरह निकली थी और वहां पर एक सामान्य घटना को लेकर जो घटना वहां घटित हुई, असामाजिक तत्वों ने जिस तरीके से वहां पर 28 दुकानें, 21 मकान और 4 धार्मिक स्थलों को नुकसान पहुंचाया वह निश्चित रूप से हमारे प्रदेश की साम्प्रदायिक सदभावना की जो कल्चर रही है उसके विपरीत यह कृत्य है। इस सम्बन्ध में अभी तक, जो स्थानीय मंत्रीजी है वह तो वहां जरूर मौजूद थे, अभी तक सरकार की तरफ से वहां कोई नहीं गया। माननीय मुख्य मंत्रीजी को, गृह मंत्रीजी को वहां जाना चाहिए। वहां लोगों का काफी नुकसान हुआ है। साम्प्रदायिक सदभावना को चोट पहुंची है।

मैंने सबसे पहले वहां जाकर लोगों से अपील की कि साम्प्रदायिक सदभावना कायम रखी जाए। दोनों ग्रुप के लोगों से बैठकर मैंने बात की कि इस मामले को आगे नहीं बढ़ाया जाए लेकिन लोगों का जो नुकसान हुआ है उसका आंकलन करके उनको पूरा उचित मुआवजा दिया जाए। इस घटना की हाई कोर्ट के सीटिंग जज से इन्क्वायरी कराई जाए ताकि असामाजिक तत्व आइन्दा राजस्थान की शांति को भंग नहीं कर सकें। अकलीयत और अकशीरियत के लोग मिलकर इस प्रदेश में हमेशा रहते आए हैं। आपने भी अभी माही हिन्दुस्तान कार्यक्रम किया था, तो हमारी कथनी और करनी में

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

अन्तर नहीं होना चाहिए। कथनी और करनी में अन्तर हो जाए तब इस प्रकार की बातें होती हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि राजस्थान में सोजत जैसी घटनाएं न हो और जो हमारे अल्पसंख्यक भाई हैं उनको संरक्षण मिले। राजस्थान में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृति न हो इसके लिए हाई कोर्ट के सीटिंग जज से इसकी ज्यूडिशियली इन्क्वायरी की जाए। जिनको जो वास्तविक नुकसान हुआ है उस नुकसान की भरपाई तत्काल की जाए ताकि प्रदेश में सदभाव कायम रहे सके।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, होली के पावन पर्व पर हिन्दुओं के विभिन्न वर्गों द्वारा अन्य कस्बों की भांति सोजत कस्बे में भी भिन्न-भिन्न वर्गों द्वारा अपने-अपने मौहल्ले से निर्धारित रास्तों पर 7-8 गेर हर वर्ष निकलती है। दिनांक 26.3.2005 को कस्बे में निकाली जा रही है 7-8 गेरों के, प्रत्येक के साथ पुलिस जाब्ता लगाया गया था। संवेदनशील स्थानों पर जाब्ता तैनात था। कस्बे में 1 निरीक्षक, 3 सहायक उप निरीक्षक, 6 आरक्षी, 6 हैडकांस्टेबल, 27 कांस्टेबल तथा 30 होमगार्ड, कुल 73 का जाब्ता तैनात था। दिनांक 26.3.2005 को लगभग 5.15 पी.एम. कस्बे के अन्य गेरों की भांति धार वाली गली से भी गांठियों की गेर निकल रही थी जिसमें ढोल ढमालचे बज रहे थे, इसी बीच पीछे से शरीफ मोहम्मद आबाद तथा आसपास के सभी मकानों की छतों से गांठियों की गेर पर पथराव शुरू हो गया। पत्थरबाजी की यह घटना बिना किसी भड़काव के तात्कालिक थी। घटना की सूचना पर अन्य मौहल्लों में चल रहे घेर में सम्मिलित लोग आक्रोशित हो गये तथा धार की गली की दुकानों व मकानों में आगजनी व तोड़फोड़ प्रारम्भ कर दी। श्री नगाराम, थानेदार, पुलिस थाना सोजत सिटी को सूचना दी जो राइफल पार्टी सहित मौके पर पहुंचे। वे धार वाली गली में पहुंचे कि मुसलमानों के मकानों से पथराव हो रहा था, उनके भी पत्थर दाहिनी आंख के ऊपर लगा और उन्हें मोटर साइकिल से अस्पताल ले जाया गया। उक्त सूचना वृत्ताधिकारी, उप खण्ड मजिस्ट्रेट को मिलने पर वे मौके के लिये रवाना हुए और चारभुजा मंदिर पर ही मुश्किल से पहुंचे, उनके साथ अतिरिक्त जाब्ता नहीं था। सम्पूर्ण जाब्ता इधर-उधर बिखरा हुआ था। राइफल और गैस पार्टी दोनों अलग-अलग दिशा में थी। धार वाली गली में एक साथ 11-12

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

मकान मुसलमानों के ही थे जहां पर यह घटना घटित हुई। अन्त में पुलिस जाप्ते ने धार वाली गली और मुख्य बाजार में भागते हुए कुछ लोगों को पकड़ा जिनमें 13 हिन्दू और 6 मुसलमान थे जिन्हें धारा 107 व 151 में गिरफ्तार किया गया। इस घटना की सूचना पर लगभग 6.40 पी.एम. पर पुलिस अधीक्षक व जिला कलक्टर, पाली मौके पर पहुंचे तथा कस्बे में कर्फ्यू की घोषणा की। महा-निरीक्षक पुलिस, जोधपुर और सम्भागीय आयुक्त भी लगभग 7.50 पी.एम. पर अतिरिक्त जाप्ते का बंदोबस्त करते हुए मौके पर पहुंचे। कुछ दुकानों में आगजनी चल रही थी। जिसे फायर बिग्रेड और अन्य कर्मचारियों की मदद से बुझाया गया। इस तोड़फोड़ और आगजनी में 32 दुकानें, 6 मकान और एक मस्जिद को नुकसान पहुंचा। तोड़फोड़ और आगजनी में एक हिन्दू धोबी की दुकान भी जल गयी। दोनों समुदायों में अफवाहें फैल रही थीं। पथराव की घटना की शुरूआत किसी भी प्रकार के भड़काव के बिना अकस्मात हुई। इस घटना में हिन्दू समुदाय के 12 और मुस्लिम समुदाय के 3 व्यक्तियों को चोट लगी जिनके नाम इस प्रकार हैं..... चाहें तो पढ दूं, नहीं तो..... घनश्याम और अब्दुल जब्बार के सिर पर चोट आने के कारण जोधपुर महात्मा गांधी अस्पताल में रैफर किया जहां जैर इलाज और खतरे से बाहर, 3 मजरूम सोजत सिटी अस्पताल में जैर इलाज हैं। थाना अधिकारी सोजत सिटी, श्री नगाराम निरीक्षक, पुलिस तथा मोहन सिंह होम गार्ड को भी चोटें लगीं। सूचना मिलने पर जिला कलक्टर और जिला पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बल लेकर मौके पर पहुंचे। शाम 7.14 पर धारा 144 जाप्ता फौजदारी के तहत समुदायों के प्रतिनिधियों से वार्ता हुई। मौके की सुरक्षा वगैरह की कार्यवाही की। प्रशासन और पुलिस व्यस्त रहे। सम्भागीय आयुक्त और महानिरीक्षक, पुलिस, रेंज जोधपुर सोजत सिटी पहुंचे। शहर में अतिरिक्त पुलिस बल भी सोजत सिटी पहुंचा एवं स्थिति पर नियंत्रण किया। श्री शुक्राधान पुत्र श्री हीराजी घांची निवासी सोजत सिटी के द्वारा सोजत सिटी के द्वारा पेश रिपोर्ट पर अभियोग संख्या 79/5, धारा-147, 149, 323, 336, 295....25 नामजद और अन्य मुस्लिम समुदाय के लोगों के हैं तथा श्री मुश्ताक कुरैशी पुत्र हसनजी, निवासी सोजत सिटी की रिपोर्ट पर अभियोग संख्या 80 धारा 436, 427. 379 23 हिन्दू समुदाय के व्यक्तियों के विरूद्ध दर्ज पुलिस थाना सोजत सिटी किया गया। थानाधिकारी सोजत सिटी पथराव

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

से सम्बन्धित घटना का अभियोग संख्या 82... धारा 147,-48-49, 323 353, 308 सहायक उप निरीक्षक श्री मूलसिंह की रिपोर्ट पर दर्ज किया गया। मुकदमा संख्या 79 में 6 व्यक्ति और 80 में 12 व्यक्ति गिरफ्तार किये गये। 26 की रात को ही दोनों समुदाय के लोगों से शांति बहाली के लिये वार्ता की। 27 को सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर, महानिरीक्षक रेंज जोधपुर तथा जिला कलक्टर द्वारा दोनों समुदायों के व्यक्तियों से शांति बहाली हेतु अलग-अलग वार्ता की गयी तथा कर्फ्यू में एक घंटे की ढील दी गयी। कर्फ्यू के दौरान नागरिकों के लिये आवश्यक वस्तुओं की व्यवस्था की गयी। 28.3.2005 को शीतला माता के पूजन के लिये और विद्यार्थियों को परीक्षा केन्द्र तक पहुंचने के लिये सुबह 5 बजे से लेकर 10 बजे तक कर्फ्यू में ढील दी गयी। पुनः सायंकाल 2 बजे से लेकर 5 बजे तक कर्फ्यू में दोपहर 12 बजे ढील दी गयी। दोनों समुदायों के मुअज्जज व्यक्तियों की शांति समिति बैठक आयोजित की गयी। पुनः शाम 5 बजे बैठक की गयी। बैठक बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई तथा दोनों समुदायों के व्यक्तियों ने शांति व्यवस्था बनाये रखने का आश्वासन दिया तथा कर्फ्यू हटाने का निवेदन किया। इस मामले में जिन व्यक्तियों दुकानों व मकानों का नुकसान हुआ, उनका सर्वे करवाया। नियमानुसार 32 व्यक्तियों को एक लाख 58 हजार रुपये की सहायता प्रदान की गयी। 25 व्यक्तियों की 25 दुकानों के नुकसान हेतु एक लाख 23 हजार, 7 व्यक्तियों के 7 मकानों के नुकसान हेतु 35 हजार रुपये, इन 32 व्यक्तियों को मुख्य मंत्री सहायता कोष से 5-5 हजार रुपये की आर्थिक सहायता अतिरिक्त प्रदान की गयी। अन्य सम्पत्ति, जैसे वाहन आदि को नुकसान के लिये 3 व्यक्तियों को 3 हजार रुपये प्रति वाहन, 9 हजार रुपये की सहायता प्रदान की गयी। घायलों को नियमानुसार प्रत्येक को 2 हजार रुपये, 15 व्यक्तियों को 30 हजार की आर्थिक सहायता दी गयी।

सच तो यह है, प्रतिपक्ष के नेता महोदय, वहां के लोगों ने और प्रशासन ने तुरन्त दोनों समुदायों को, उस दिन, जिस दिन झगड़ा हुआ था उस रात्रि को बैठाया, आपस में दोनों का मेल मिलाप हुआ। उन्होंने, दोनों ने इस बात को स्वीकार किया। लेकिन आप वहां यह कहकर आये कि मैं जाकर विधान सभा में अधिक सहायता दिलावऊंगा, इस एक बात के कारण से वहां दो दिन शांति कायम होने में विलम्ब हो गया। अन्यथा 26 तारीख को, मैं

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

आपको सच कह रहा हूं, 26 तारीख को ही दोनों ने अपनी गलती स्वीकार की, उनके मुआज्जज जितने भी लोग हैं उन्होंने इसको स्वीकार किया और उन्होंने इस सारे झगड़े को जिस प्रकार से भी हो गया, यह बात निश्चित है कि दुकानें जली हैं, हम यह नहीं, और वह भी सूचीबद्ध हैं, आप चाहें तो मेरे पास एक-एक दुकान का नाम और सूची है। कौन लोग घायल हुए हैं उनकी सूची है और किसको हमने क्या सहायता दी, वह है, तीनों एफ.आई.आर. जो उन्होंने दर्ज कराई, वह है, नामजद हैं, वह भी है।

मैं तो आपसे, सदन से और राजस्थान से यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार की कुछ अनहोनी घटनाएं हो जाती हैं, अगर हम सब लोग सामूहिक प्रयास करें तो इसको तुरन्त शांति में बदला जा सकता है। अभी राजस्थान की स्थिति इतनी खतरनाक नहीं है और यह तो वह सोजत है जो आपके टाइम पर 27 दिन तक लगातार बन्द रहा था। तब तो आपमें से किसी को भी कोई चिन्ता नहीं हुई, हमने केवल एक छोटी सी, क्योंकि हमारे पास कोई फोर्स नहीं थी। क्योंकि होली का त्यौहार सब जगह था, सब गांवों में था, हमारे पास जो कुछ उपलब्ध था उसमें 30 तो हमारे होमगार्ड थे, उनसे हम काम चला रहे थे। हमारे पास साधारण-सी पुलिस थी उस शहर में और उसके आधार पर जो कुछ भी उस समय सम्भव हो सका ढाई से तीन हजार के लोगों को कंट्रोल करने के लिए, और थानेदार जिसके पास थोड़ा-बहुत हथियार था उसको चोट लगने के बाद वह भी चला गया। और सारी फोर्स अलग-अलग मौहल्लों में बिखरी हुई थी। चार-चार फोर्स एक-एक जुलूस के साथ चल रही थी। 30-32 लोग तो उसमें चले गये और उसके कारण से उसको रोकना, उस समय की हालत के अन्दर, उन लोगों की क्षमता से बाहर था। फिर भी अगर आपको कहीं से लगता है कि कहीं हमारी प्रशासनिक कमी रही है तो आप हमें बताइये, जो कुछ हमें सम्भव होगा, वह करेंगे। रहा सवाल जहां तक उनको आर्थिक मदद की दृष्टि से, मैं सोचता हूं कि यह भी पहली बार होगा कि जितना नियम में लिखा है उससे भी बढ़कर के मुख्य मंत्री ने अपनी ओर से 5-5 हजार रुपये बिना मांग के स्वतः ही घोषणा करके उन तक पहुंचा दिया। जो कुछ हमारे पास उपलब्ध था, हमने दिया है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, विषय को उलझाने से कोई राजस्थान का भला नहीं होगा। जो कुछ भी जहां-कहीं हमारी कमी है, चाहे प्रशासनिक कमी के कारण से रही हो। 4 आदमी तो उस जुलूस में कुल ही चल रहे थे जो हमारे कांस्टेबल थे दो तो और दो

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

होमगार्ड के लोग थे। अब इन 4 लोगों के आधार पर इस भड़की हुई भीड़ को तुरन्त अपनी लकड़ियों से कंट्रोल करके उसका कुछ कर दें, इनके पास कोई साधन तो नहीं था जिसके कारण से न वहां गोलीबारी की जा सकती थी, न फायरिंग हो सकती थी। इस हालत मैं सोचता हूं कि वहां के संजीदे लोगों ने ही उसको कंट्रोल... और हमारे मंत्री महोदय तो तुरन्त ही वहां पहुंच गये थे उनसे मेरी शायद 6 या सवा 6 बजे तो टेलीफोन से बात हो गयी। मैं सोचता हूं कि वहां के हमारे पाली के विधायक का टेलीफोन मेरे पास आया। मैंने तुरन्त जो कुछ भी वहां आस-पास से जो व्यवस्था सम्भव हो सकी थी वह व्यवस्था करवाने की कोशिश की है। मैं आपको फिर विश्वास दिलाता हूं कि राजस्थान का हमेशा शांति व अमन-चैन से रहने का स्वभाव है। कभी-कभी ऐसी दुर्घटना हो जाती है उसमें अगर आप मदद करेंगे तो हम इस शांति-व्यवस्था को कायम करने में सफल रहेंगे।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (वन एवं पर्यावरण मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : गृह मंत्रीजी बोल चुके हैं। (व्यवधान)

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : मेरे विधान सभा क्षेत्र का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : कोई ऐसी बात है क्या जो उन्होंने कही उसके अलावा भी आपको कुछ कहना है?

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : हां, कुछ संक्षेप में कहूंगा । (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा : जो गृह मंत्रीजी ने बोला अगर आप सहमत नहीं हो तो आप अपनी बात कहो ।(व्यवधान)

श्री सी.डी. देवल : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं निवेदन करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, आप कहें तो बैठ जाऊं? लेकिन मैं सोजत गया हूं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय प्रतिपक्ष के नेता को मौका दे सकती हूं, वे खड़े हैं बाकी आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं क्वेश्चन उनसे। कोई एडिशनल इन्फार्मेशन चाहिए तो वह पूछ सकते हैं, बाकी इस पर भाषण नहीं दिया जाता है। (व्यवधान)

श्री सी.डी. देवल : मैं प्रश्न तो पूछ सकता हूं। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह बहुत नाजुक मामला है, सम्भलकर बोले तो सही रहेगा, मैं तो इतना ही निवेदन करना चाहता हूं।

श्री सी.डी. देवल : आप कहें तो नहीं बोलें, हमें क्या है?

श्री अध्यक्ष : मैंने आपसे कहा है कि भाषण की अनुमति नहीं होगी। कोई क्लेरीफिकेशन चाहिए तो वह आप कर लें।

श्री सी.डी. देवल : बोलें ही नहीं, साहब । आपकी मेहरबानी, बोलें ही नहीं । (व्यवधान) आप कहें तो नहीं बोलें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कोई प्रश्न पूछना हो तो वह पूछ लीजिए। वह इजाजत, मैं अनुमति आपको दे सकती हूं। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : मैं भी प्रश्न पूछ रहा हूं।

डा. बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय गृह मंत्रीजी ने जो वक्तव्य दिया, मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि उस दिन एस.डी.एम. वहां पर हैडक्वार्टर पर थी या नहीं?

दूसरा, मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि मुआवजे के लिए वहां कोई आश्वासन नहीं दिया था। यह भी सही है कि एक-एक व्यक्ति का दो से लेकर तीन-तीन, चार-चार लाख का नुकसान हुआ है और आप पांच-पांच हजार रुपये बांट रहे हैं। मैं समझता हूं कि क्या इस पूरे प्रकरण की आप हाई कोर्ट के सीटिंग जज से जांच कराना चाहते हैं या नहीं चाहते और जितना नुकसान हुआ है, उस नुकसान की आपूर्ति आप करना चाहते हैं या नहीं चाहते? पांच हजार या दस हजार रुपये देने से और जो व्यक्ति आपने यह स्वयं कहा कि दो व्यक्ति मोहम्मद अब्दुल जब्बार और घनश्याम सांखला जो जोधपुर के हास्पिटल में भर्ती हैं, उनकी दवाइयां, उनका इलाज, उसमें कम से कम 25, 50 हजार रुपये चाहिए और आप पांच-पांच हजार रुपये उनको ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर सहायता दे रहे हैं तो क्या जो लोग घायल हुए हैं और सोजत में जो लोग भर्ती हैं, ऐसे लोगों को सहायता बढ़ाने में और जिनका जो नुकसान हुआ है, मकानों का, धार्मिक स्थलों का और जिनकी दुकानें टूटी हैं, जिनका सामान जला है, उनको जितने सामान का नुकसान हुआ है, उसके मुकाबले में आप मुआवजा देने का विचार रखते हैं या नहीं रखते हैं?

मोहम्मद माहिर आजाद : गृह मंत्रीजी, मैं तो सिर्फ सवाल पूछना चाहता हूं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर इसको चर्चा का विषय बनाना चाहते हैं तो आपकी मंशा है, ऐसा कोई बहुत बड़ा काम नहीं जुडिशियली जांच के लिए मैं तो सोचता हूं कि कोई ऐसा कारण नहीं है। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर (गंगानगर) : देश की सीमा पर दुश्मन से लड़ रहे थे इसलिए घायल हो गये ताकि उनको बहुत ज्यादा मुआवजा मिलना चाहिए। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : और जब दोनों ही समुदाय प्रसन्न होकर और आपस में सहमति से शांति समिति में बैठकर, यह दस्तखत है जिसमें 25-25 लोग, एक-एक समुदाय के लोगों ने बैठकर अपनी खुशी-खुशी से उन्होंने अपनी सबकी सहमति देकर इस सारे केस को जब निपटा दिया तो फिर अब हम क्या चाहते हैं? मैं सोचता हूं कि उन्होंने यह सारा कर लिया। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर (गंगानगर) : यह आग में घी डालना चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : नहीं, उन्होंने एक बार नहीं, तीन-तीन सीटिंग में बैठकर सबने मिल-जुलकर इस बात का फैसला किया है और सबके दस्तखत हैं इस समझौते के ऊपर, उसके बाद आप क्या चाहते हैं? मैं यह नहीं समझ पा रहा हूं। और रहा सवाल अगर कोई नुकसान ऐसा हुआ है तो उसको दिखवाएंगे और अगर नियमों में हमें कुछ देने की क्षमता होगी तो हम जरूर मदद करेंगे पर हम उसको दिखवाएंगे और दिखाने के बाद नियम अगर हमको अलाउ करेंगे तो हम करेंगे। मैं सोचता हूं कि मैंने कोई बात टालने की कोशिश नहीं की है और जो वास्तविकता थी वह मैंने आपके सामने रख दी है। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, नहीं, सवाल तो पूछने का मेरा अधिकार है। अध्यक्षजी ने कहा कि आप स्पेसिफिक सवाल पूछ सकते हैं तो मैं क्वेरी करना चाहूंगा तो करूंगा, इसमें क्या बात हुई। (व्यवधान)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :-

(1) श्री बृजकिशोर शर्मा एवं 8 अन्य सदस्यों की ओर से राज्य में गत कुछ महीनों से कानून एवं व्यवस्था की स्थिति ठप्प होने के सम्बन्ध में।

(2) श्री कैलाश त्रिवेदी एवं 11 अन्य सदस्यों की ओर से कृषि यंत्रों, पाइप-लाइन, फव्वारा संयंत्रों आदि का वर्ष 2004-2005 का अनुदान उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त प्रस्ताव इतने गम्भीर प्रकृति के नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाये। वैसे भी माननीय सदस्यों को पुलिस विभाग और कृषि विभाग की अनुदान की मांगों पर चर्चा करने के समय अपने विचार रखने का पर्याप्त अवसर मिलेगा। अतः इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत जो सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, वह पढ़ी हुई मान ली जाएगी।

(नियम 295 के तहत प्राप्त विशे. उल्लेख की सूचनाओं के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

आज मुझे चार पर्चियां प्राप्त हुई हैं, उन पर्चियों पर आज चर्चा नहीं करके, क्योंकि आज आप सामान्य वाद-विवाद करना चाहेंगे बजट पर, इसलिए उन पर कल विचार कर लिया जाएगा और उन्हें कल मौका दे दिया जाएगा और अब मैं सामान्य वाद-विवाद के लिए नाम, नहीं, पहले यह सुनिये, कुछ सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि हैं, पहले वह, श्री लक्ष्मीनारायण दवे। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक-दो सवाल पूछने के लिए आपने कहा था कि इजाजत दूंगी। हम स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछना चाह रहे थे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : उन पर चर्चा समाप्त हो चुकी है। (व्यवधान) आप मांग आये जब पूछ लेना।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

प्रतिवेदन

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, जयपुर का प्रतिवेदन वर्ष 2003-04

श्री लक्ष्मीनारायण दबे (वन एवं पर्यावरण मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से जल अधिनियम, 1974 की धारा 39(2) के अन्तर्गत राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, जयपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2003-2004 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष : समिति के प्रतिवेदनों का उपस्थापन । डा. बुलाकीदास कल्ला।

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि पहले भी स्थगन प्रस्ताव पर दो मिनट बोलने का मौका दिया गया है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नो-नो।

श्री बृजकिशोर शर्मा : राजस्थान में कानून व व्यवस्था इतनी बिगड़ी हुई है और मुझे इस विषय पर बोलने का मौका दिया जाए। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अध्यक्ष की व्यवस्था के विपरीत, जब मैंने व्यवस्था दे दी है तब आपको मैंने कह दिया है कि पुलिस विभाग की जब मांग आएगी तो आपको अपनी बात कहने का पर्याप्त अवसर मिलेगा। (व्यवधान)

श्री बृजकिशोर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, लेकिन राजस्थान में कानून व व्यवस्था इतनी बिगड़ी हुई है, इसके ऊपर मुझे बोलने के लिए आप समय दें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : दो दिन बाद तो आ ही रही है पुलिस की मांग, अब ऐसे कौनसी कानून-व्यवस्था की बात आ गयी, कौनसा क्या हो गया?

एक माननीय सदस्य : कानून-व्यवस्था तो आपने बिगाड़ रखी है दो दिन से।

श्री बृजकिशोर शर्मा : अध्यक्षजी व्यवस्था दे रही हैं, आप नहीं बोले तो ज्यादा ठीक रहेगा । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैं आपको अनुमति देने में असमर्थ हूं। जयपुर ग्रामीण से आने वाले माननीय सदस्य, मैं अब आपको अनुमति देने में असमर्थ हूं। डा. बुलाकीदास कल्ला, सभापति, जन लेखा समिति।

समिति का प्रतिवेदन

जन लेखा समिति, 2004-05 के प्रतिवेदन क्र. सं. 94 से 100

डा. बुलाकीदास कल्ला (सभापति, जनलेखा समिति) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से जल लेखा समिति, 2004-05 के निम्नांकित सात प्रतिवेदन सदन में उपस्थापित करता हूं :-

(1) जन लेखा समिति, 2002-2003 के 183वें प्रतिवेदन (11वीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक समिति का 94वां प्रतिवेदन।

(2) जन लेखा समिति, 2002-2003 के 182वें प्रतिवेदन (11वीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक समिति का 95वां प्रतिवेदन।

(3) जन लेखा समिति, 2002-2003 के 142वें प्रतिवेदन (11वीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक समिति का 96वां प्रतिवेदन।

(4) वर्ष 2000-2001 के लिए भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियां) में समाविष्ट राज्य आबकारी विभाग से सम्बन्धित मामलों पर समिति का 97वां प्रतिवेदन।

(5) वर्ष 2001-2002 के लिए भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियां) में समाविष्ट राज्य आबकारी विभाग से सम्बन्धित मामलों पर समिति का 98वां प्रतिवेदन।

(6) राज्य सरकार द्वारा घोषित आबकारी नीति के अन्तर्गत बन्दोबस्त सम्पादित करवाकर राज्य की आबकारी एवं मद्य संयत नीति का क्रियान्वयन विषयक समिति का 99वां विशेष प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियां)

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

(7) जन लेखा समिति, 1999-2000 (11वीं विधान सभा) के 41वें तथा जन लेखा समिति, 2002-2003 (11वीं विधान सभा) के क्रमशः 190वें एवं 191वें प्रतिवेदनों में समाविष्ट राज्य आबकारी विभाग से सम्बन्धित सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक समिति का 100वां प्रतिवेदन।

श्री अध्यक्ष : डा. एन.एस. गुर्जर।

प्राक्कलन समिति "ख" 2004-05 का प्रथम एवं द्वितीय प्रतिवेदन

डा. एन.एस. गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्राक्कलन समिति "ख", 2004-2005 के निम्नांकित प्रतिवेदनों को उपस्थापित करता हूं :-

(1) गृह (भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो) विभाग से सम्बन्धित समिति का प्रथम प्रतिवेदन, एवं

(2) गृह (भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो) विभाग से सम्बन्धित प्राक्कलन समिति "ख" 2002-2003 के 14वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक समिति का द्वितीय प्रतिवेदन।

श्री अध्यक्ष : श्री हेमाराम चौधरी।

याचिका समिति, 2004-05 का द्वितीय प्रतिवेदन

श्री हेमाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से याचिका समिति 2004-2005 के द्वितीय प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री नन्दलाल मीणा।

अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति, 2004-05 का प्रथम प्रतिवेदन

श्री नन्दलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से वनों का संरक्षण एवं वन सम्पदा से अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों का विकास एवं रोजगार उपलब्ध कराने सम्बन्धी अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति, 2004-05 का प्रथम प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष : डा. सी.पी. जोशी । सामान्य वाद-विवाद पर।

सदस्य का निलम्बन

श्री संयम लोढ़ा, सदस्य के निलम्बन की समाप्ति

श्री महावीर प्रसाद जैन (सरकारी मुख्य सचेतक) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा इस सदन में, सौहार्दपूर्ण वातावरण से सदन चले, माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन के नेता और प्रतिपक्ष के नेता ने जिस प्रकार से तय किया है, बहुत अच्छी परम्परा प्रारम्भ की है। अध्यक्ष महोदय, यह सबके मन में तकलीफ है, माननीय सदस्य बहुत तैयारी करते हैं, 295 में आते हैं, स्थगन प्रस्तावों में आते हैं, क्वेश्चन आवर के माध्यम से आते हैं, पर्चियां लगाते हैं और जन समस्याओं को यहां पर उठाना चाहते हैं लेकिन सदन का वातावरण इस प्रकार का बन नहीं पाता है कि वह जन समस्याओं को रखें। जैसे अभी जयपुर ग्रामीण से आने वाले माननीय सदस्य काफी उद्वेलित थे कि वे लॉ-एण्ड-आर्डर की स्थिति काफी खराब है उनको मौका मिले। अब मौका कैसे मिले? अध्यक्ष महोदय, इस पर हमको गम्भीरता से विचार करना पड़ेगा इसलिए यह जो कुछ वातावरण बना है, अभी यह भी भावनाएं प्रकट की गयीं कि जब सदन के नेता और प्रतिपक्ष के नेता बोलें तो किसी को भी नहीं बोलना चाहिए, यह परम्परा इस सदन की रही है, यही नहीं बल्कि नियमों में भी है कि सदन के नेता या प्रतिपक्ष के नेता ही नहीं बल्कि कोई भी माननीय सदस्य बोलें तो उसके बीच में किसी को भी नहीं बोलना चाहिए। कोई भी अभिविद्रोहात्मक या इस प्रकार की बात नहीं करनी चाहिए जिससे कोई उत्तेजित हो।

कोई इस प्रकार का अपने भाषण का प्रयोग...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अपन स्वयं भी पालन कर लेंगे न? (व्यवधान) अपन स्वयं भी पालन कर लेंगे? (व्यवधान) कोई व्यवधान नहीं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : मैं आपको अपनी ओर से और जिस दिन अध्यक्ष महोदय, आपको लगेगा कि मैं नियमों के विपरीत, परम्पराओं के विपरीत और संसदीय आचरण के विपरीत...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब बीच में नहीं बोलिये आप। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : हम लोगों की पैरवी करने आते हैं। हम यहां अपनी जिद के कारण नहीं आते हैं। दो दिन क्यों नहीं सदन चला? हमारी जिद है। हम जिद के कारण या व्यक्तिगत स्वार्थों के कारण या किसी को संरक्षण देने के कारण यदि बोलेंगे ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब छोड़ो आप, मुद्दे की बात पर आओ। आप मुद्दे की बात पर आओ। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : यदि बालेंगे तो मैं सदन छोड़कर चले जाऊंगा। लेकिन मैं अपने आपको रोक नहीं पाता। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि सदन नियम और पम्पराओं से चले और जिस दिन आपको यह लगे, मैं अतिचार कर रहा हूं या उसमें हस्तक्षेप कर रहा हूं, उस दिन बाहर नहीं निकालें, आप केवल कह देना मुझे अलग से कान में, मैं सदन को छोड़कर चला जाऊंगा। मैं इस सदन को छोड़कर चला जाऊंगा। मैं पहला ऐसा व्यक्ति हूं (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नहीं, यह बहुत गलत बात है। यह बहुत गलत बात है। (व्यवधान) आप इस तरीके से बीच में व्यवधान डालते हैं, बहुत गलत बात है। (व्यवधान) वह नहीं कर रहे हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : नहीं, आप सामूहिक रूप से लिखकर दे दो, मैं चला जाऊंगा। लिखकर दे दो आप। अपने मन की आवाज से लिख दो।

श्री अध्यक्ष : इनके लिखकर देने से क्या, आप तो सत्ता पक्ष के मुख्य सचेतक हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : अध्यक्ष महोदय, नहीं, प्रतिपक्ष के सारे माननीय सदस्य लिख दें, मैं चला जाऊंगा।.....(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : हम तो आपको दिल्ली भेजेंगे। दिल्ली भेजेंगे।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आप लिखकर तो दो, मैं जाता हूं।

श्री हरिमोहन शर्मा : हम तो आपको दिल से चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष : वह लिख देंगे, आप इस झगड़े में मत पड़ो ।(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : मेरा कमिटमेंट है, आप लिखो, अभी लिखो।

मोहम्मद माहिर आजाद : आपको दिल्ली भेजेंगे।

श्री महावीर प्रसाद जैन : मेरा कमिटमेंट है, आप लिखो, मैं जाता हूं।

श्री अध्यक्ष : आप तो बात कहो न अपनी। आप अपनी बात कहो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (संसदीय कार्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मुख्य सचेतकजी, हमारी सम्पदा हैं, यह सम्पत्ति है हमारी। इसको हम इस तरह नहीं जाने देंगे। आपका यह मंसूबा पूरा नहीं होगा।

श्री हरिमोहन शर्मा : यह आपको कभी मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं बनने देंगे। इनके भरोसे मत रहना।

श्री महावीर प्रसाद जैन : मुझे बनना ही नहीं है।

मोहम्मद माहिर आजाद : संसदीय कार्य मंत्रीजी, आप इतने अच्छे आदमी को वस्तु बता रहे हो, कि सम्पदा है। बहुत बढिया बात है। क्या संज्ञा दे रहे हो? यह तो टोंक जनरल सीट हो गयी, यह तो दिल्ली जायेंगे, आपसे भी नहीं रूकेंगे।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आप क्या हो, मैं बताऊं? (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : यह सम्पदा ही नहीं, बौद्धिक सम्पदा है।

श्री अध्यक्ष : व्यक्ति भी सम्पदा होता है। व्यक्ति भी सम्पदा होता है।

श्री जुबेर खान : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मुख्य मंत्रीजी से निवेदन है महावीरजी को मंत्री बना दिया जाये।

श्री सांवर लाल : मुख्य सचेतक की जगह भरने के लिये कोई कोम्पीटेंट नहीं है इनके मुकाबले में हमारे पास।

एक माननीय सदस्य : तो आप हो न।

मोहम्मद माहिर आजाद : अध्यक्ष महोदय, पिछली बार विपक्ष के कहने से रामस्वरूपजी को मंत्री बनाया था, इसलिये आप भी हमारे कहने से महावीरजी को मंत्री बना दो, सदन में अपने आप शांति हो जायेगी।

श्री अध्यक्ष : मंत्री से अधिक वह इस पद के लिये उपयुक्त है

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अब अध्यक्षीय व्यवस्था हो चुकी है, अब कोई व्यवधान नहीं डालेगा ।...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो सदस्य रहना ही ज्यादा उचित मानता हूं।

श्री अध्यक्ष : आप सम्पदा हो इनकी।

श्री महावीर प्रसाद जैन : लेकिन आपकी व्यवस्था को शिरोधार्य करना पड़ेगा। पहले मुख्य मंत्रीजी की व्यवस्था को शिरोधार्य किया है, अब आपकी व्यवस्था को शिरोधार्य करना पड़ेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, नहीं कहना चाहिये लेकिन बहुत संवेदनशील विषय है। अपने यहां यह परम्परा रही है, अभी चुनाव चार साल बाद हैं। अध्यक्ष महोदय, चुनाव चार साल बाद हैं। सत्ता परिवर्तन के लिये किसी समुदाय को राजी-नाराजी करना चाहे, न चाहे या सरकार से उलझना चाहे, आसन से उलझना चाहे, अभी साढ़े तीन-चार साल हैं, बहुत इन्तजार करना है। अभी आप बहुत जल्दी कर रहे हैं। इसको करने की जरूरत नहीं है आपको।

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर : डा. राम मनोहर लोहिया ने कहा है जिंदा दिल कौमे पांच साल तक इन्तजार नहीं किया करतीं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह तरीका नहीं है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : हां, मुद्दे की बात पर आओ आप।

श्री महावीर प्रसाद जैन : इसलिए मैं इतना निवेदन करता हुआ जो प्रस्ताव कल मैंने सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य, श्रीमान्

मोहम्मद माहिर आजाद : परसों, कल नहीं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : हां, परसों। 29 तारीख को जो प्रस्ताव मैंने सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य के विरुद्ध इस सत्रकाल के लिये जो निलम्बन का प्रस्ताव रखा था, उसमें संशोधन करते हुए मैं प्रस्ताव करता हूं, संशोधन मूव करता हूं कि उनको आज अभी तक, आज उनको, उनकी सदस्यता से वापस लिया जाये। उनका निलम्बन निरस्त किया जाये।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि सरकारी मुख्य सचेतक ने श्री संयम लोढ़ा, सदस्य, विधान सभा का निलम्बन समाप्त करने का जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, उसे स्वीकार किया जाये?

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

डा. सी.पी. जोशी, सामान्य वाद-विवाद पर बोलें।

आय-व्ययक पर सामान्य वाद विवाद

डा. सी.पी जोशी (नाथद्वारा) : अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद दूं।

श्री अध्यक्ष : एक निवेदन मैं आपसे कर दूं. आप वोकल पिच और स्पीड धीमी रखें ताकि आपकी वेल्यूएबल बातें सारी की सारी सदन सुन सकें। क्योंकि बहुत अच्छे सजेशंस देते हैं आप । (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे सही बात के लिये इंगित किया। उसके लिये मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका इस बात के लिये भी आभार व्यक्त करता हूं कि आपने अध्यक्ष की हैसियत से हम सब माननीय सदस्यों को बजट के सम्बन्ध में एक वर्कशाप में बुलाया और बजट के वर्कशाप में जाने के बाद मेरे मन में कई प्रश्न खड़े हुए कि सदन के एक सदस्य के रूप में, एक मंत्री के रूप में मैं लम्बे समय से सदन में आता रहा हूं, जो बजट यहां पर प्रस्तुत किया और जो बजट की भाषा उपयोग में ली गयी...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बीच में नहीं बोलें। बीच में नहीं। (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : बजट के सम्बन्ध में जो चर्चाएं आज सारे राजस्थान में हैं। सभी लोग कह रहे हैं बजट अच्छा प्रस्तुत किया गया है। बजट लोक-लुभावना प्रस्तुत किया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सब बात सुनने के बाद आपके द्वारा वर्कशाप अटेण्ड करने के बाद में मेरे मन में आया कि जो वस्तुस्थिति है. उस वस्तुस्थिति के सम्बन्ध में हम सबको चर्चा करने की आवश्यकता है। माननीय मुख्य मंत्रीजी का भाषण है, माननीय अध्यक्ष महोदय, उस भाषण को यदि पिछले भाषण के साथ में हम जोड़कर देखें तो माननीय मुख्य मंत्रीजी जब मंत्री बनीं, उसके बाद उन्होंने "100 डेज"

(डा. सी.पी. जोशी)

"365 डेज, "विजन" और उसके बाद उन्होंने पिछले सत्र में कहा कि मैंने पांच प्राथमिकताएं निर्धारित की हैं– "दरिद्रता, कुपोषण, भूख से मुक्ति, अशक्त और महिलाओं का सम्बल, मानव संसाधन विकास की सामाजिक आधारभूत सुविधाओं में वृद्धि, रोजगार सृजन तथा प्राकृतिक सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण, अच्छा शासन और राजकोषीय सुधार तथा आर्थिक आधारभूत सुविधाओं का विकास" यह मुख्य मुद्दे बनाकर उन्होंने पिछली बार बजट को सदन में रखा। माननीय अध्यक्ष महोदय, उसकी घोषणा करने के बाद उस बजट में जो लक्ष्य लिखे हुए थे, उसके बाद में क्या हुआ? उस पर सदन को चर्चा करने की आवश्यकता है। मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं विनम्र शब्दों, में उस बजट को प्रस्तुत करने के बाद बजट भाषण में महिलाओं के लिये 450 आवासीय ब्रिज कोर्स चलाने, 500 शिशु पालन गृह का निर्माण करने, 10 महिला आवासीय गृह निर्माण करने, 5 नारी निकेतन एवं 5 बालिका गृह खोलने, कथूड़ी जाति के प्रत्येक परिवार के न्यूनतम एक सदस्य को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराने, 30 कस्तूरबा आवासीय विद्यालय खोलने, राष्ट्रीय राजमार्ग पर 6 अस्पतालों में ट्रोमा यूनिट की स्थापना करने, जयपुर में अन्तरराष्ट्रीय स्तर के कन्वेंशन केन्द्र व गोल्फ रिसोर्ट की स्थापना करने की घोषणा बड़े जोर-शोर से की गयी थी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं इन विनम्र शब्दों में कहना चाहता हूं यह घोषणाएं पिछले बजट में कीं। हम सबको बहुत खुशी हुई कि माननीय मुख्य मंत्रीजी आने वाले समय में राजस्थान का विकास इन मुद्दों के आधार पर करेंगी और माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बार के बजट को हम ठीक ढंग से एनालेसिस करें, इसमें मुख्य बातें क्या कहीं हैं। आज आप और हम सब जानते हैं कि किसी भी सरकार का जो बजट है उसमें सबसे बड़ी तकलीफ क्या है? सबसे बड़ी तकलीफ है जो फिजिकल डेफिसिट है, उस फिस्कल डेफिसिट को हम कैसे कम करें? जो राजस्व घाटा है..

श्री अध्यक्ष : संसदीय सचिव, पीठ करके खड़े नहीं हुआ करते हैं स्पीकर की तरफ। आप पीठ करके खड़े हैं। आपको यदि सदस्यों से किसी प्रकार का सम्पर्क करना है तो फिर आप बैठकर बात किया करें। इस तरह से नहीं किया करें।

डा. सी.पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, आप और हम सब जानते हैं कि कितनी ही कितनी घोषणाएं हम कर दें, न केवल राजस्थान, पूरे हिन्दुस्तान के जितने प्रदेश हैं। उन प्रदेश की सारी आर्थिक स्थितियां फिस्कल स्ट्रेस के अन्दर है। अध्यक्ष महोदय, यदि फिस्कल स्ट्रेस के अन्दर हैं तो सबसे बड़ी आवश्यकता इस बात की है, इस बजट के अन्दर जो बातें कही हैं उसमें मुख्य तौर पर यह कहा गया कि राजस्व घाटे को कम किया गया। कोशिश की गयी कि राजस्व घाटे को कम करने के साथ जो राजकोषीय घाटा है, हम राजकोषीय घाटे को भी कम करेंगे। क्यों कम करेंगे, अध्यक्ष महोदय, कम इसलिए करेंगे कि भारत सरकार ने जो नये नियम बनाये हैं उन नियमों के अन्तर्गत जो डिवोल्यूशन आफ फाइनेंशल पावर होना है स्टेट को, उस स्टेट की पावर में भारत सरकार ने कुछ परिवर्तन किया है। एक परिवर्तन यह किया है कि टैक्स का जो एफर्ट कर रहे हैं, टैक्स कलेक्शन के सम्बन्ध में है, 7.5 और 7.5, 15 परसेंट का वेटेज दे दिया है कि आप टैक्स के सम्बन्ध में क्या एफर्ट कर रहे है फिस्कल डिसिप्लिन को मैन्टेन करने के लिए आप क्या कर रहे हैं, 15 परसेंट वेटेज इस पर दिया है। इसके आधार पर राजस्थान सरकार ने इस बात की क्रेडिट ली है कि हमने वित्तीय प्रबन्धन अच्छा किया है, वित्तीय प्रबन्धन अच्छा करने से हमको पैसा ज्यादा मिला है और अगली बार भी हम वित्तीय प्रबन्धन अच्छा करेंगे इसलिए पैसा ज्यादा मिलेगा।

अच्छी बात है, अध्यक्ष महोदय, यह एफर्टस करने चाहिए। इस एफर्टस के किये बगैर जो घोषणाएं हम कर रहे हैं उन घोषणाओं का कोई सार नहीं होता। हम इसको उठा कर देखें, अध्यक्ष महोदय, जो पिछले समय में एफर्टस किये गये हैं उन एफर्टस को करने के सम्बन्ध में क्या हो सकता है, फिस्कल डेफिसिट को कम करना है, राजस्व घाटे को कम करना है तो, अध्यक्ष महोदय, राजस्व घाटा कैसे कम हो सकता है, राजस्व घाटा कम हो सकता है कि हम रेवेन्यू रिसीट को बढ़ायें। रेवेन्यू रिसीट को हम जब तक नहीं बढ़ायेंगे तब तक हम राजस्व घाटे को कम नही कर सकते हैं या हम हमारा नोन प्रोडेक्टिव खर्चा है उसको कम करें। दो ही तरीके हैं। दो ही तरीके के आधार पर हम राजस्व घाटे को कम कर सकते हैं.

मैंने आंकड़े उठा कर देखें हैं, अध्यक्ष महोदय, कि जो राजस्व घाटे को कम करने की हम कोशिश कर रहे हैं उस राजस्व घाटे को कम करने के लिए सरकार जब आयी, इस सरकार ने एक काम किया सब से बड़ा। अध्यक्ष महोदय, सरकार ने यह काम किया कि सरकारी कर्मचारी हैं उनकी उम्र 58

(डा. सी.पी. जोशी)

साल से बढ़ाकर 60 साल कर दी। करनी चाहिए, अध्यक्ष महोदय, क्योंकि हमारी सरकार बनी थी तो उस सरकार ने 60 साल से 58 साल किये गये थे और 60 साल से 58 साल किये तो स्टेट के एक्सचेकर में से 1200 करोड़ रुपये का आउटले हमें दो साल में देना पड़ा केवल मात्र इसलिए कि हमने एज कम की। आपने एज बढ़ा दी, एज बढ़ाने के कारण आपको फायदा क्या मिला, एज बढाने के लिए आपको 1200 करोड़ रुपये का कुशन मिल गया और 1200 करोड़ रुपये रेवेन्यू रिसीट के अन्दर आपको ज्यादा पैसे मिल गये। भारत सरकार ने जो डिवोल्यूशन के नियम और कानून बनाये उसके अन्तर्गत भी राजस्थान सरकार को ज्यादा पैसा मिला। स्वैप के जो नियम और कानून बनाये उससे भी राजस्थान सरकार को पैसा ठीक मिला और ठीक पैसा मिलने के बाद बड़े उत्साह के साथ मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की हम महत्वाकांक्षी योजना बना रहे हैं। महत्वाकांक्षी योजना, पिछली बार लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इसलिये नहीं कर पाये क्योंकि 150 दिन तक आचार संहिता लग गयी। अध्यक्ष महोदय, आचार संहिता लगती है कि नये काम आप हाथ में नहीं ले सकते लेकिन काम आपने हाथ में ले लिये, बजट का प्रोविजन कर दिया तो उन कामों को ठीक ढंग से लागू करने की सरकार छूट देती है आपको, लेकिन हमने यह बजट बनाया था 100 दिन का, 100 दिन की हमने मोनीटरिंग की थी, 365 दिन की हमने मोनीटरिंग की थी और मोनीटरिंग करने के बाद हमने महत्वाकांक्षी योजना, उस साल हम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सके इसलिए लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, अध्यक्ष महोदय, एक तो कैपिटल फोर्मेशन, नया वर्ड है, अभी तक इस वर्ड में विजन नहीं, अध्यक्ष महोदय, एक नया वड्‌र्स आया इसमें कैपिटल फोर्मेशन का काम करेंगे। दूसरा, अध्यक्ष महोदय, काम क्या किया हमने कैपिटल आउटले को डबल कर दिया। इसमें लिखा गया है कि जो कैपिटल आउटले है, उस कैपिटल आउटले को हमने 5160 रुपये कर दिया है जो डबल है अभी तक। कैपिटल आउटले बढ़ा दिये और महत्वाकांक्षी योजना बना दी, रेवेन्यू रिसीट बढ़ाने के लिए भारत सरकार को आपको एडवांटेज मिल रहा है। भारत सरकार ने स्वैप के सम्बन्ध में नियम और कानून बनाये हैं, भारत सरकार ने और भी व्यवस्थाएं की हैं। हैल्थ सैक्टर में, एजूकेशन के सेक्टर में और नोन डवलपमेंट एक्सपेंडीचर को कम करने के लिए जो सरकार एफर्टस करेगी, उसका पैसा भी आपको मिलेगा।

(डा. सी.पी. जोशी)

इसलिए इस सरकार को इस बार पैसा इस हैड में भी मिलेगा, हैल्थ में भी मिलेगा, एजूकेशन में भी मिलेगा और जो नोन प्लान का जो डवलपमेंट एक्सपेंडीचर है उसके अन्दर भी यदि आप ठीक ढंग से व्यवस्था करेंगे तो उसका पैसा मिलेगा। यह तीन हैड आपके पास ज्यादा है, अध्यक्ष महोदय, उसका इसमें रिफलैक्शन है।

आपने 100 करोड़ रुपये की मिड-डे-मील स्कीम का प्रोविजन किया, करना चाहिए था क्योंकि यह पैसा आपको भारत सरकार दे रही है इसलिए स्टेट फंड में से पैसा देना नहीं है। पिछली सरकार को स्टेट फंड मे पैसा देना पड़ा। आपने व्यवस्था की उसके लिए धन्यवाद। पर, अध्यक्ष महोदय, यह कैपिटल आउटले का आपने डबल बढ़ाया उस कैपिटल आउटले को बढ़ाने के बाद आप देखने, मैं आगे जाकर बताऊंगा कि कैपिटल आउटले का डबल करने के बाद। आपने जो नोन प्लान एक्सपेंडीचर है, उस एक्सपेंडीचर को बढ़ाया, आपने सी.एस.एस. के एक्सपेंडीचर मे पैसा कम किया और आपने प्लान में एक्सपेंडीचर में पैसा कम किया है।

अध्यक्ष महोदय, 2003-04 के लेखे आ गये हैं, 2004-05 के लेखे नहीं आये हैं, 2005-06 के लेखे नहीं आये हैं, इनकी बी.ई.यू. उठा कर देख लें, इनकी एम.बी.यू. उठा कर देख लें, इनका जो बजट एस्टीमेट और मोडिफाई एस्टीमेट है उनको उठा कर देख लें, अध्यक्ष महोदय, उन प्रोजेक्शन को यदि हम आधार बनाएं तो कैपिटल आउटले डबल करने के बाद भी राजस्थान सरकार इकोनोमिक सर्विसेज पर कोई पैसा खर्च नहीं कर रही है। राजस्थान सरकार इकोनोमिक सर्विसेज पर जब पैसा नहीं खर्च कर रही है तो राजस्थान सरकार की जी.डी.पी. कैसे बढ़ेगी? जब जी.डी.पी. नहीं बढ़ेगी राजस्थान की तो राजस्थान की बहबूदी की जो कल्पना कर रहे हैं वह बहबूदी की कल्पना कैसे करेंगे? इस सम्बन्ध मे माननीय सदस्यों को, सब को चर्चा करने की आवश्यकता है।

अध्यक्ष महोदय, इसलिए कहना चाहता हूं कि हमारे ट्राइबल साथी आये हुए हैं, महाराष्ट्र पैटर्न की हम बात करते हैं और कहा गया है इसमें, अध्यक्ष महोदय, इस बजट में एक बात तो कही गयी है राजस्व घाटा कम करेंगे, फिजिकल को कम करेंगे और जो टोकन प्रोविजन किया वह टोकन प्रोविजन करके जो लोक लुभावनी बातें कहीं उसमें मैं कई चीजों पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और मै चाहता हूं कि हमारे साथी इन बातों

(डा. सी.पी. जोशी)

पर गम्भीरता से सोचें कि क्या ट्राइबल बच्चियों को 17 हजार साइकिल देकर हम ट्राइबल की वैलफेयर का काम कर लेंगे? एस.सी. की बच्चियों की शादी के लिए पांच हजार रुपये देकर हम एस.सी. का वैलफेयर कर लेंगे? यह जो टोकन प्रोविजन किया गया है एस.सी., एस.टी. का, उसमें से ज्यादा समझने की आवश्कयता है, अध्यक्ष महोदय।

अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र पैटर्न के सम्बन्ध में हमने पिछली बार क्या कहा था, महाराष्ट्र पैटर्न के सम्बन्ध में अभी हमने क्या कहा? इसमें लिखा है कि महाराष्ट्र पैटर्न का पैसा हमने बढ़ा दिया है, अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र पैटर्न किस हैड में आता है? महाराष्ट्र पैटर्न में आता है प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, कृषि उद्यान, भू तथा जल संरक्षण, पशुपालन, मत्स्य, वन तथा वन्यजीव, सहकारिता, लघु सिंचाई, विद्युत विस्तार योजना, पर्यावरण यह आठ विभाग के जो हैड हैं उन आठ विभाग के हैड का आठ प्रतिशत पैसा हम खर्च करते हैं महाराष्ट्र पैटर्न पर। कटारियाजी बैठे हुए हैं, आठ परसेंट पैसा खर्च करेंगे, आठ परसेंट जो पैसा हमने 2003-04 में खर्च किया है कभी हमने उसका मूल्यांकन किया है, हमने महाराष्ट्र पैटर्न पर 2004-05 में जो प्रोविजन किया उसका मूल्याकंन किया है? क्या हमने सोचा है कि हम गरीब आदमी के लिए वैलफेयर की जो बातें कर रहे हैं इन आठ विभाग के अन्दर जो खर्चा है, अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं तकलीफ से, कि हमारी सरकार ने भी नहीं किया। हमारी सरकार ने भी जो करना चाहिए था उतना नहीं किया लेकिन हम आदिवासी भाइयों को यह कहना चाहते हैं कि आपके जीवन में परिवर्तन करने के लिए हम महाराष्ट्र पैटर्न ला रहे हैं। हम पूरा महाराष्ट्र पैटर्न नहीं लाये हैं लेकिन आठ विभाग का जो खर्चा है, अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूं। पहले तो मैं बताना चाहता हूं कि अभी जो सरकार है उस सरकार ने क्या किया। अध्यक्ष महोदय, 2002-03 में इन आठ विभाग का पैसा बनता है। 1259.94 करोड़ रुपये, उस करोड़ रुपये के अन्तर्गत केवल मात्र ट्राइबल सब-प्लान के अन्दर खर्चा हुआ 31.79 करोड़। यह एक्चुअल एस्टीमेट बता रहा हूं मैं। प्रोविजन रखा है, महाराष्ट्र पैटर्न, गरीब आदमी का भला कर रहे हैं, उनके जीवन में परिवर्तन कर देंगे. उनके जीवन में बहबूदी आ जायेगी और महाराष्ट्र पैटर्न का पैसा है लगभग 1259

(डा. सी.पी. जोशी)

करोड़ रुपये उसमें से हमने खर्च किया केवल मात्र 31.79 करोड़ रुपये, विच इज ओनली 2.52 परसेंट। कांग्रेस की सरकार ने काम नहीं किया, कांग्रेस की सरकार तो आदिवासी के खिलाफ है, आदिवासी का भला नहीं कर सकती है, आदिवासी के विकास की कल्पना नहीं कर सकती है पर, अध्यक्ष महोदय, मैंने नहीं कहा है कि हम पूरा कर पाये हैं लेकिन मैं कहना चाहता हूं 2001-02 में हमारा जो पैसा बनता था, वह था 1405 करोड़ रुपये, उस 1405 करोड़ रुपये में से हमने खर्च किया, उसके बराबर नहीं किया पर हमने किया लगभग 67.51 करोड़ रुपये विच इज रफली 4.80 परसेंट। 4.80 परसेंट कांग्रेस सरकार ने काम किया, आदिवासी नाराज हो गया, आदिवासी के खिलाफ हो गया, आदिवासी का सारा बहुमत भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मिल गया और सत्ता में आने के बाद गांव के गरीब आदमी की बात करें, भैरोंसिंहजी शेखावत, कहते थे कि गरीब को गणेश मान कर मैं पूजा करता हूं, यह सरकार गरीब को गणेश मान कर पूजा कर रही है? पूजा करने के बाद में इन्होंने एलोकेशन का केवल मात्र 2.52 परसेंट खर्च किया। अध्यक्ष महोदय, उसके बाद आर.ई. बनायी 2003-04 की, 2003-04 की आर.ई. में प्रोविजन किया 1702 करोड़ रुपये और खर्चा किया 63.55 करोड़ रुपीज, केवल मात्र 3.73 परसेंट है यह।

अध्यक्ष महोदय, अब हम महत्वकांक्षी योजना बना रहे हैं, अब हमारे पास कोई इलेक्शन नहीं है, अब हम बहुत काम करेंगे। गरीब का भला करेंगे

(समय : 15.09 बजे)

(श्री रामनारायण विश्नोई, उपाध्यक्ष पदासीन)

और गरीब का भला करके गरीब के जीवन में इतना परिवर्तन कर देंगे, 17 हजार साइकिल देंगे, बच्चियां पढ़ जायेंगी, इरिगेशन का काम हो जायेगा, यह काम हो जायेगा और, अध्यक्ष महोदय, अब जो पैसा बनता है वह 2291.37 करोड़ बनता है और उसमें से ट्राइबल प्लान का आठ परसेंट के हिसाब से पैसा बनता है 70.05, अब आपका इस 70.05 करोड़ के अगेंस्ट में कितना प्रतिशत हुआ, यह हुआ केवल मात्र 3.06 परसेंट। कटारिया साहब बैठे हुए हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, ट्राइबल वैलफेयर की बात है, ट्राइबल वैल्ट का भला हो जायेगा, कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया गया, ट्राइबल के वैलफेयर के लिए यह सरकार कमिटेड है, अध्यक्ष महोदय, इतना भला कर देगी कि यह कांग्रेस सरकार नहीं

(डा. सी.पी. जोशी)

कर पायी जितना भला कर देंगे और खर्चे का प्रोविजन किया केवल मात्र... (व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र मीणा (वित्त राज्य मंत्री) : माननीय जोशीजी, ट्राइबल डवलपमेंट की आपको बताना चाहूंगा।

डा. सी.पी. जोशी : आप मुझे सुन लें, आप बोल देना मौका मिले जब। बैठिये आप।

श्री वीरेन्द्र मीणा : एक दफे मेरी बात सुन लें। ट्राइबल डवलपमेंट के लिए पांच करोड़ से बढ़ा कर तीस करोड़ हमने गये बजट में किया और तीस करोड़ से बढ़ाकर के 75 करोड़ इस बजट में किया, इस साल का प्रोविजन है यह। तो आज तक किसी सरकार ने नहीं किया, मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता रहा हूं।

डा. सी.पी. जोशी : माननीय मंत्रीजी, विराजो, मुझे जानकारी है तब ही बोल रहा हूं मैं। (व्यवधान)

श्री हेमराज मीणा : आज तक किसी सरकार ने नहीं किया (व्यवधान) सहरियाओं को कभी दो रुपये किलो गेहूं नहीं मिलता था अब दो रुपए किलो गेहूं आज मिल रहा है, सौ दिन की मजदूरी मिल रही है और आप उसको मान नहीं रहे हैं।

डा. सी.पी. जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, अभी फैसला किया था कि डिसिप्लीन रखेंगे।

श्री वीरेन्द्र मीणा : इसी की वजह से ट्राइबल भारतीय जनता पार्टी की ओर....

डा. सी.पी. जोशी : अच्छा अच्छा, रखो अपने। माननीय मंत्री महोदय, मुझे आश्चर्य होता है यह तो सरकार का कैबिनेट का फैसला है। महाराष्ट्र पैटर्न के अन्तर्गत यह आठ विभाग हैं उन आठ विभाग का हम इतना पैसा देंगे उसका प्रोविजन बताया है मैंने। पचास करोड़, साठ करोड़, मर्जी नहीं है आपकी। इनका जो पैसा बनता है वह 2291 करोड़ में सत्तर करोड़ .05, आपने क्या दिया है 50 करोड़ बढ़ा दिया, 30 करोड़ बढ़ा दिया. यह प्रोविजन है केवल मात्र 3.6 इसलिए माननीय मंत्रीजी बोलने से पहले समझो। यह प्रोवीजन करने

(डा. सी.पी. जोशी)

का मतलब नहीं होता है। प्रोवीजन तो पिछली बार भी किए थे। प्रोवीजन के बाद खर्चा कितना हुआ पता है कि नहीं। ट्राइबल प्लान में हमने खर्चा किया वह भी बता दूं, मंत्रीजी बहुत बोल रहे हैं। शिक्षा पर बहुत बड़ा खर्चा किया है याद है आपको कितना खर्चा किया है, बताऊं मैं आपको, आपने खर्चा किया उपाध्यक्ष महोदय, उसमें प्रोविजन था 279.29 करोड़ रुपए एजूकेशन में, उसमें ट्राइबल सब प्लान में इनका पैसा बनता है 24.98 कितना खर्चा किया अपनने है फिगर अपने पास, चैक कर लें, मैंने बताया ना, तीन पाइंट बताया जो प्रोवीजन खर्चा किया है आपने।

उपाध्यक्ष महोदय, भाषण देकर, अच्छी बातें कहकर गांव के गरीब आदमी के विश्वास को जीतकर सत्ता में आ सकते हैं लेकिन काम करने के लिए वित्तीय संसाधन हैं, इनकी बात को समझना पड़ेगा। वित्तीय संसाधन बढ़ाने के लिए हमने काम किया, गांव के गरीब आदमी को बढ़ाने के लिए, उपाध्यक्ष महोदय, अब मुझे बात कह देनी चाहिए जो नहीं कहनी चाहिए थी मैंने अभी तक सुना था कि ब्रांड का जो प्रोजेक्ट है वह कैसे बिकता है। मार्केटिंग का नया सिस्टम आ गया, ग्लोबलाइजेशन आ गया। उपाध्यक्ष महोदय, बीकानेर के भुजिए बनते थे, यह गांव का गरीब आदमी बीकानेर से खरीदता था और कहता था बीकानेर के भुजिए बड़े अच्छे होते हैं। पर उससे बनाने वाले आदमी की हैसियत नहीं बढ़ रही थी। उपाध्यक्ष महोदय, लेकिन ग्लोबलाइजेशन के बाद यह जो हल्दीराम है उसको समझ में आ गया कि यदि बीकानेर के भुजियों को ठीक ढंग से पैक करके जो दुनियां में बेचूं तो मैं पैसे कमा सकता हूं। और कमाया। आज हल्दीराम का नाम है। दुनिया के किसी कोने में चले जाओ, बीकानेर के हल्दीराम का नाम है पर ब्रांड को बेचने की कला उस गांव के गरीब आदमी में नहीं थी, पर हल्दीराम में थी इसलिए हल्दीराम ने उस भुजिए को दुनिया में बेचकर पैसा कमाया और हल्दीराम अमीर बन गया।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारी मुख्य मंत्री तो ब्रांड एम्बेसेडर हैं, ब्रांड को बेचना चाहती हैं। ब्रांड कौनसा, भारतीय जनता पार्टी का स्वदेशी का, ज्ञान, चरित्र, एकता का सबको देखा हमको देखो। सत्ता में आए, ब्रांड बेची और ब्रांड बेचने के बाद, उपाध्यक्ष महोदय, उस गांव के गरीब आदमी के विकास के लिए ट्राइबल सब प्लान का जितना पैसा बचना चाहिए था उसकी व्यवस्था नहीं की।

(डा. सी.पी. जोशी)

शिडयूल्ड कास्ट के बच्चों के भविष्य के लिए जितनी व्यवस्था करनी चाहिए थी उतनी व्यवस्था का काम नहीं किया केवल टोकन प्रोविजन किया है कि बच्चों की शादी करने में इतना पैसा देंगे। बच्चे पढ़ेंगे तो यह काम कर देंगे, उनको आर.ए.एस की ट्रेनिंग के लिए यह काम करेंगे, ट्रेनिंग करने के लिए कितना प्रोवीजन किया है इसमें व्यवस्था नहीं कर रखी है। शादी करने के लिए उसकी उम्र कितनी होगी उसकी व्यवस्था नहीं की। पांच हजार रुपए में शादी की व्यवस्था कर देंगे। उसकी उम्र 18 साल होनी चाहिए 19 साल होनी चाहिए, छोटी बच्ची होगी बड़ी होगी इसकी व्यवस्था नहीं है। आप उठाकर देख लो इसमें कहीं मेंशन नहीं कर रखा। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, एक काम बड़ा जोरदार किया (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बीच में नहीं।

श्री जोगेश्वर गर्ग : नाबालिग की शादी के लिए सरकारी पैसा कैसे मिल जाएगा, यह तो अन्डरस्टुड बात है, कामनसैंस की बात है।

डा. सी.पी. जोशी : बहुत अच्छा है यह कामनसैंस मेरे में नहीं था आप मंत्रीजी को बताते।

श्री सुरेश मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, एस.सी.एस.टी. की जो बात करते हैं ना उनकी चिन्ता किसी को भी नहीं है चाहे इधर बैठे हों या उधर बैठे हों केवल बात करते हैं (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप सुनिए। माननीय सदस्य, शांत रहें।

डा. सी.पी. जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं जानता था कि मैं एस.सी.एस.टी. की बात करूंगा तो एस.टी. एस.सी. के आदमी बहुत जीतकर आए हैं भारतीय जनता पार्टी मे उनको अपना अधिकार बनाना है, उनको मुख्य मंत्रीजी को इम्प्रेस करना है, उनको बोलना चाहिए, निश्चित तौर पर बोलना चाहिए उनमें से कुछ लोगों को अवसर मिलेगा।

पर, उपाध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूं. मैंने ब्रांड का नाम लिया है, मैं यह कहना चाहता हूं जहां एस.टी.एस.सी. में जो प्रोविजन किया है वहां दूसरी तरफ जो प्रोवीजन किया है वह भी बताना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, आपने मनोरंजन कर और विलासिता कर के बारे में सुना है, कितना पैसा

(डा. सी.पी. जोशी)

इकट्ठा होता है राजस्थान में, अब कितना इकट्ठा हो रहा है इसलिए सरकार की मंशा क्या है वह भी सुन लें आप को पता पड़ेगा कि सरकार कहां जा रही है। केवल मात्र ताली बजाने से, एस.टी., एस.सी. की बात करने से, मुख्य मंत्री का समर्थन करने से हम अपनी पोलिटिकल फिलोसोफी को लागू नहीं कर सकते। यह आंकड़े बताते हैं इस बात को। उपाध्यक्ष महोदय, आप जानकर आश्चर्य करेंगे कि 2003-04 में 35.35 करोड़ रुपए का प्रोवीजन था मनोरंजन कर का अब 2004-05 में कितना कर दिया, लक्ष्य इन्होंने 18 करोड़ रुपए। मनोरंजन कर तो माफ करना जरूरी है। उपाध्यक्ष महोदय, यह गांव का गरीब आदमी मनोरंजन क्या समझता है, मनोरंजन तो यह सरकार समझती है इसलिए मनोरंजन कर को माफ करके लोगों के विकास की कल्पना करना चाहते हैं इसलिए इसको प्रारम्भ किया है।

उपाध्यक्ष महोदय, विलासिता कर, आप जानकर आश्चर्य करेंगे कि 2003-04 तक 36.50 करोड़ रुपए राजस्थान के खजाने में आए हैं और अब प्रोविजन किया है केवल मात्र सोलह करोड़ रुपए का। उपाध्यक्ष महोदय, विलासिता कर, विलासिता कर तो इस सरकार को घटाना बहुत जरूरी है सरकार की कमिटमैंट है, गांव के गरीब आदमी का विकास करना है। भैंरोसिंह जी गरीब को गणेश मानकर पूजा करते थे, यह सरकार पूजा करना चाहती है विलासिता को हटाकर पूजा करना चाहती है, मनोरंजन को हटाकर पूजा करना चाहती है। यह रिफ्लेक्ट करता है इस बात... (व्यवधान)

श्री कालीचरण सर्राफ : माननीय सदस्य, महोदय, मेरी बात सुनो।

डा. सी.पी. जोशी : प्लीज आप बैठें, आप बोल लेना।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

श्री कालीचरण सर्राफ : टैक्स कम करने के बाद भी पन्द्रह पर्सेन्ट रेवेन्यू बढ़ी है, यह कह रहा हूं मैं। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : यह जयपुर शहर की बात नहीं है यह गांव की बात है।

डा. सी.पी. जोशी : कोई बात नहीं कालीचरणजी सर्राफ साहब, हम कल अखबार में और टी.वी. में देख रहे थे राजस्थान सप्ताह मनाने के लिए

(डा. सी.पी. जोशी)

इसमें एक बर्ड है इसमें, पढ़ा है आपने बजट भाषण को इस बजट भाषण में एक भी शब्द राजस्थान दिवस के सम्बन्ध में नहीं है। पर्यटन को अट्रेक्ट कर रहे हैं, तीन करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं, किन-किन आदमियों को बुलाया है, इस बजट में एक शब्द राजस्थान दिवस के सम्बन्ध में नहीं है। जिनको बुलाया मुझे उनसे कोई तकलीफ नहीं पर मैं कहना चाहता हूं यह ब्रांड जो नम्बर है यह ब्रांड बेचने की जो कला है उपाध्यक्ष महोदय, यह राजस्थान को आगे नहीं बढ़ा पाएगी।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह बताना चाहता हूं आप जानकर आश्चर्य करेंगे कि अभी-अभी जो बजट दिया है 2005-06 का प्लान का आउट ले,

श्री सांगसिंह भाटी : आप अध्यक्ष बोल रहे हैं।

डा. सी.पी. जोशी : हां कर लेंगे वह मेरे अध्यक्ष ही हैं आपके लिए उपाध्यक्ष होंगे। उपाध्यक्ष महोदय, प्लान का आउट-ले 2005 और 2006 में क्या अन्तर है यह समझने की आवश्यकता है। आप जानकर आश्यर्च करेंगे जब पिछली बार 2004-05 का प्लान 7031.44 करोड़ का था और अब राजस्थान के प्लान की साइज बढ़ा दी, बहुत बढा दी, प्लान की साइज बढ़ाई है। साइज बढ़ाना जरूरी हैं। प्लान की साइज के बिना राजस्थान का विकास नहीं होता। हमने प्लान की साइज बढ़ाई है पिछली सरकार साइज नहीं बढ़ा पाई और साइज बढ़ाने के बाद, उपाध्यक्ष महोदय, आप जानकर आश्यर्च करेंगे इंडस्ट्री और मिनरल में जो आउट-ले है वह है केवल मात्र 1.27 और पिछली सरकार का था 1.18 यह टोटल प्लान का आउट-ले बढ़ा हुआ है।

इकोनोमिक सर्विसेज, उपाध्यक्ष महोदय, किसी भी सरकार की जी.डी.पी. बढ़ाने के लिए सबसे बड़ी आवश्यक होती है। इकनोमिक सर्विसेज का पिछली बार आउट-ले था 3.72 और अब आउटले है 3.77, एक हजार करोड़ रुपए बढ़ाए हैं हमने, प्लान की साइज बढ़ाई है, इकोनोमिक सर्विसेज में हमने आउट-ले बढ़ाया है .05 पर्सेन्ट।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि एग्रीकल्चर और एलाइड सर्विसेज बहुत आवश्यक हैं। माननीय मुख्य मंत्रीजी, मैं आगे बताऊंगा स्वामीनाथन ने जो भाषण दिया है, स्वामीनाथन ने जो रिपोर्ट दी है उसको आधार बनाकर राजस्थान में एग्रीकल्चर के सम्बन्ध में काम किया मैं उसके

(डा. सी.पी. जोशी)

लिए धन्यवाद देता हूं। राजस्थान में पहली बार मुख्य मंत्रीजी ने कोशिश की एग्रीकल्चर और एनीमल हस्बेण्ड्री हमारे राजस्थान की बैक वोन बननी चाहिए। यह रिपोर्ट स्वामीनाथन ने पेश की लेकिन इसके टोकन प्रोविजन करने के बाद उपाध्यक्ष महोदय, आप जानकर आश्चर्य करेंगे पहले प्रोवीजन था 2.02 और अब प्रोविजन 2.19, अब 2.19 .17 पर्सेंट हम बढ़ाना चाहते हैं और हम एग्रीकल्चर में एलाइड सर्विसेज में इतनी क्रांति कर देंगे कि गांव का गरीब आदमी, किसान आदमी...(व्यवधान)

डा. एन.एस. गुर्जर : यह जरा ईयर और बताते जाइये ताकि हमको आसानी रहेगी बोलने में।

डा. सी.पी. जोशी : 2004-05, 2005-06, यह सरकारी आंकड़े बता रहे हैं।

डा. एन.एस. गुर्जर : मैं सन पूछ रहा हूं आपसे।

डा. सी.पी. जोशी : यह प्लान का आउट-ले बता रहा हूं।

डा. एन.एस. गुर्जर : हमारा ही ना?

डा. सी.पी. जोशी : हां जी।

डा. एन.एस. गुर्जर : हमारी सरकार की ही कर रहे हो ना?

डा. सी.पी. जोशी : और किसकी करूंगा, मेरी सरकार तो चली गई है। आपकी सरकार ही है दो साल से तो मैं मेरी सरकार की थोड़े ही करूंगा।

डा. एन.एस. गुर्जर : हां, हां, बोलो बोलो। कन्फर्म करना चाहता था मैं आपसे।

डा. सी.पी. जोशी : बहुत अच्छा, बहुत-बहुत धन्यवाद। उपाध्यक्ष महोदय, एनर्जी तो हमारी प्राथमिकता है, एनर्जी से हमारे राजस्थान का विकास करेंगे, एग्रीकल्चर में कहेंगे हमने कनेक्शन दे दिए, एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन करेंगे। मैं कहना नहीं चाहता पिछली बार के बजट में जो बातें कही हैं, एग्रीकल्चर के लाइन लोसेज कितने हैं, 25 पर्सेंट लाइन लोसेज हैं आज राजस्थान में माननीय मुख्य मंत्रीजी, मैं सदन को कहना चाहता हूं आज लाइन लोसेज पचास पर्सेंट हैं, पच्चीस पर्सेंट लाइन लोसेज डेढ़ साल में सरकार ने बढ़ाए हैं। इस पच्चीस पर्सेंट लाइन लोसेज का क्या है, उपाध्यक्ष महोदय, मैं

(डा. सी.पी. जोशी)

कहना नहीं चाहता। मैं यह कहना चाहता हूं सरकार का कमिटमेंट है एनर्जी का पिछली बार आउट-ले था 2004-05 में, इसमें एनर्जी आउटले था 30.85 पर्सेंट और अब आउट-ले कितना है? आपने प्लान की साइज बढ़ाई है और एनर्जी का आउट-ले है 26.25 पर्सेंट। यह प्रोग्रेसिव है या नेगेटिव है 30.85, यह गवर्नमेंट का डाकूमेंट है और यह नया है 26.25 पर्सेंट एनर्जी का आउट-ले, उपाध्यक्ष महोदय, सरकार की प्राथमिकता है।

रोजगार बनेंगे, कल कारखाने लगेंगे, लोगों के रोजगार की व्यवस्था करेंगे। इंडस्ट्री में पचास हजार लोगों की पहले व्यवस्था की है, अब पचास हजार आदमियों को रोजगार देंगें और आउट-ले हम कम करेंगे। कैसे हम इस राजस्थान में इन बातों की कल्पना करके करना चाहते हैं कि आने वाले समय में राजस्थान की सरकार किस तरह से आगे बढ़ेगी।

हमें यह भी समझने की आवश्यकता है कि पैसा आता कहां है और पैसा जाता कहां है। उपाध्यक्ष महोदय, यह सरकार के आंकड़े हैं, इस सरकार ने बहुत अच्छा काम किया...(व्यवधान) माननीय राठौड़ साहब, यह कागज मेरे नहीं हैं, यह फोटो और कागज आप ही के हैं...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : इस कागज के आधार पर ही कह रहा हूं। आप देख लो।

डा. सी.पी. जोशी : आप तो पढ़े-लिखे आदमी हो, राजेन्द्र राठौड़ साहब। कम से कम मेहरबानी करके ऐसी राय मुख्य मंत्री...(व्यवधान) मैंने परसेंटेज कहा है I am not saying absolutely. हमेशा ध्यान रखें एबसोल्यूट फिगर में पैसा बढ़ा है और वसूली में भी बढ़ा है। आठ हजार का परसेंटेज कितना है, सात हजार का कितना है; आप ध्यान रखेंगे...(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : यह कला इन्होंने पकड़ ली आपकी।

डा. सी.पी. जोशी : घनश्यामजी, यह कला जितनी पकड़ी उतनी ठीक है। यह मैं परसेंटेज में बता रहा हूं आपको...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपको एक्चुअल्स पर बोलना चाहिये। वास्तविक पर बोलो ना आप। परसेंटेज...(व्यवधान)

डा. एन.एस. गुर्जर : आपको परसेंटेज में...(व्यवधान) माननीय सी.पी. जोशी साहब आप...(व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : माननीय राठौड़ साहब, आप ऐसा करके मुख्यमंत्री को इम्प्रेस नहीं कर सकते। फैक्ट हैं वह तो फैक्ट ही रहेंगे। आपको कोई मुख्य मंत्री (व्यवधान) मुख्य मंत्री ने तो मंत्री बनाया है उसके लिये। कहीं फैक्ट में प्राब्लम हो तो उसका ध्यान रखना आप...(व्यवधान)

श्री शांतिलाल चपलोत : 25 परसेंट हो तो ज्यादा ...(व्यवधान)

डा. एन.एस. गुर्जर : जोशी साहब, आपकी परमीशन से आप जो आंकड़े कोट कर रहे हैं...

डा. सी.पी. जोशी : मेहरबानी करके आप बोल लें मैं बाद में बोलूंगा फिर।

डा. एन.एस. गुर्जर : यह इकोनोमिक सर्विसेज में 19.7 परसेंट बढ़ा है। इस साल के आंकड़ों हैं जो आप दे रहे हो..(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री वीरेन्द्र मीणा : माननीय जोशीजी, इस साल का आप ग्रोथ रेट देख लें। आपकी सरकार ने टाइम जितने दिन ओवर ड्राफ्ट रहा उसको देख लें आप। यह सारी चीजें सोचें आप एक दफा, फिर बोलें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : तैयारी नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, कल बोल लेना आप।

डा. सी.पी. जोशी : कल नहीं बोलेंगे, सुनना पड़ेगा। यह चमचागिरी की लिमिट होती है, सुनो आराम से..

एक माननीय सदस्य : हम कोई चमचागिरी नहीं कर रहे, हम तो बता रहे हैं आपको वास्तविकता।

डा. सी.पी. जोशी : मंत्रीजी, पढ़कर आया करो, क्यों बहस कर रहे हो।

Overdraft cannot be a yardstick for this. ओवर ड्राफ्ट एक तरीका है जिसका आपका मेनेजमेंट ठीक है। Overdraft is not only the criteria.

अब आगे बोलूंगा। सुनना अभी, आगे बताता हूं मैं। क्या व्यवस्था की, बताता हूं मैं आपको। उपाध्यक्ष महोदय, मैं नहीं चाहता कि मेरा सीक्वेंस बदले

(डा. सी.पी. जोशी)

लेकिन मंत्रीजी बहुत विद्वान हैं इसलिये बताना जरूरी है मेरे को। बहुत मंत्रीजी विद्वान हैं उपाध्यक्ष महोदय।

उपाध्यक्ष महोदय, आप जानकर आश्चर्य करेंगे, पर मंत्रीजी बहुत विद्वान हैं, ज्योग्राफी में एम.ए. किया है, इकोनोमिक्स की बात करना चाहते हैं इसलिये मैं चाहता हूं कि इनका ज्ञान बढ़ जाय। यह 6.90 जो आया है वित्तीय घाटा, यह कैसे आया है? बता दें मंत्रीजी। आपको मालूम है पिछली बार भी वित्तीय घाटा कितना था? 2003-04 में वित्तीय घाटा था 55.08 परसेंट और उस समय यह घाटा आया जो 6.9 कैसे आया, मालूम है आपको। मालूम है तो बता दें। मैं बोलूंगा फिर आगे। आप बता दें तो ठीक रहेगा। आप बोल लें कैसे बढ़ा? मालूम ही नहीं है, आप बोलते हैं ऐसे। बोलेंगे क्या आपको मालूम ही नहीं है कैसे बढ़ेगा...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बीच में नहीं बतायेंगे।

डा. सी.पी. जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, यह मैं इसलिये कहना चाहता हूं कि बहुत अच्छे ढंग से मेनिपुलेट किया गया।

लोक ऋण से प्राप्ति। लोक ऋण से प्राप्ति 2004-05 में बी.ई. में बतायी थी। 16645.04 करोड़ रुपये। उसको मोडीफाइड 2004-05 में बतायी है। 17361.45, मंत्रीजी नोट कर लें अगर ध्यान नहीं हो तो। मोडीफाइड आर.ई. जो 2005 की है उसमें बतायी 12567.41 और उपाध्यक्ष महोदय, लोक ऋण में भुगतान, लोक ऋण में भुगतान मंत्रीजी समझ लीजिये इसी से आता है वह घाटा। लोक ऋण में भुगतान 2003-04 में खर्च किया था 12779.39 करोड़ रुपये । बी.ई. में प्रपोज किया 12119.61 परसेंट। बी.ई. मोडीफाइड में प्रपोज किया था 12400.46 और मोडीफाइड में क्या किया, मंत्रीजी पता है आपको? इसमें केवल मात्र किया है 6787.69, 6000 करोड़ रुपये कम ऋण भुगतान करेंगे। यह प्रपोज किया है आपने। इस कारण आपका घाटा 6.9 आया है और यह 6900 कम करने के लिये आपने दस हजार करोड़ रुपये लोन लिये। लोन लेकर 152.85 करोड़ रुपये हम ज्यादा ब्याज चुकायेंगे। यह मालूम है मंत्रीजी? बतायें अब। यह ओवर ड्राफ्ट है, ओवर ड्राफ्ट की डेट नहीं है...(व्यवधान)

श्री शांतिलाल चपलोत : यह इसलिये भी आया है...(व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : दो सौ करोड़ रुपये है। किसको बोल रहे हैं यह 6000 करोड़ रुपये है...(व्यवधान)

श्री शांतिलाल चपलोत : चलो-चलो, बोलो, बोलो...(व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : यह ऐसे नहीं आया। समझना पड़ेगा। यह इसलिये आया है कि सरकारी कर्मचारियों की जो आपने एज बढ़ायी, उस एज बढ़ाने से आपके पास उनका जो पैसा पी.एफ का है वह पैसा बच गया, यह बात है। इनको मालूम नहीं है। पर यह राजस्व घाटा कम नहीं करें तो भारत सरकार से पैसा नहीं मिल सकता है। पैसा नहीं मिल सकता है तो वित्तीय संसाधन का उपयोग नहीं मिल सकता है। हम तो इसलिये नहीं बोलना चाहते हैं कि राजस्थान सरकार यह फायदा उठाये। लेकिन मन में हैं। मैं कहना चाहता हूं मैं भी मंत्री रहा हूं...(व्यवधान) मदनजी, बैठो आप। बिराजो। मेरे भी बस का नहीं है। बीस साल निकाले हैं मैंने। बीस साल मैंने भी निकाले, बस का रोग नहीं है। अभी यह समझना पड़ेगा...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बिराजो।

डा. सी.पी. जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, यह राजस्व घाटा कम इसलिये किया गया कि भारत सरकार से हमने क्लेम लिया। यह टोटल मैनिपुलेशन है। यह मैनिपुलेशन की कोस्ट क्या है, यह बताना चाहता हूं मैं। आपने रेवेन्यू रिसीप्ट नहीं बढ़ायी है। आप रेवेन्यू रिसीप्ट बढ़ाकर काम करते, समझ में आता। सीधे –सीधे दस हजार करोड़ रुपये ज्यादा आपने पैसे लिये। उस पर ज्यादा ब्याज देना पड़ेगा। उपाध्यक्ष महोदय, आप जानकर आश्चर्य करेंगे कि आपकी ब्याज की अदायगी 2003-2004 में 4777.15 और यह आप जो 6.9 का राजस्व घाटा लाये हैं, उसके बाद आपको पैसा देना पड़ेगा 51.81.0 पैसे ब्याज के। आपने यह जो 2005-06 की जो योजना बनायी, उसके बाद आपको पैसा देना पड़ेगा 5181 करोड़ रुपये ब्याज के खाली। यह राजस्थान का भला किया? राजस्थान का विकास किया? आपने जो यह एक हजार करोड़ से ज्यादा पैसा बढ़ा दिया ब्याज का और आप कहना चाहते हैं हम राजस्थान का विकास करना चाहते हैं।

केपिटल आउटले बताना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, केपिटल आउटले

(डा. सी.पी. जोशी)

किया है इन्होंने और डबल कैपिटल आउटले कर दिया हमने। डबल कैपिटल आउटले करना बहुत जरूरी है। हमने प्लान बनाया। खर्चा किसमें बढ़ा है? खर्चा बढ़ा है नोन प्लान में। नोन प्लान का खर्चा भी बताना चाहता हूं, मंत्रीजी को ध्यान रहेगा वह जवाब देंगे जब। आपके नोटिस में रहे। आपने 2003-2004 का जो प्रोजेक्टेड किया है टोटल एक्सपेंडीचर सोशल एंड इकोनोमिक सर्विसेज में, वह आपने बताया नोन प्लान में हम खर्चा करेंगे 16002.13 करोड़ रुपये और 2003-04 के एक्चुअल्स में खर्च हुए केवल मात्र 16676.06 करोड़, मतलब नोन प्लान में जो आप बी.ई. रखते हो एक्चुअल में उससे ज्यादा पैसा, खर्च होता है और 2002-2003 में खर्च हुआ लगभग, यह पैसा उपाध्यक्ष महोदय, खर्च हुआ है 600 करोड़ रुपये 2003-2004 में अब यही ट्रेंड आगे जायेगा। अब 2004-2005 में आपने नोन प्लान में खर्चा रखा है 17130 और 2005-2006 में आपने खर्चा रखा है 18333, मैं कहना चाहता हूं उपाध्यक्ष महोदय, यह रिकार्ड में रखा जाये कि 2004-2005 के जब एक्चुअल्स आयेंगे तब 2004-2005 के एक्चुअल्स में यह नोन प्लान का खर्चा टच करेगा लगभग 18,000 करोड़ रुपये। 2005-06 के जब एक्चुअल्स आयेंगे जब नोन प्लान का खर्चा होगा लगभग 19,000 करोड़ रुपये। 19,000 करोड़ रुपये, नोन प्लान का खर्च ज्यादा कर रहे हैं, प्लान के खर्चे में कमी की है। उपाध्यक्ष महोदय, प्लान के खर्चे में आप जानकर आश्चर्य करेंगे इन्होंने प्लान के खर्चे में जब प्रपोज किया था...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बीच में नहीं। बीच में नहीं, यह आपके बस की नहीं।

श्री मदन राठौड़ : कूलिंग। माननीय जोशीजी के भाषण से ठंडक बढ़ रही है, थोडी कूलिंग कम करवाओ।

श्री उपाध्यक्ष : अभी आपके बस की बात नहीं है।

डा. सी.पी. जोशी : माननीय उपाध्यक्ष 2000-2005 में जो प्रोविजन किया था प्लान का। उस प्लान से पैसा मोडीफाइड में उस पैसे की ओर बढ़ाया। पर आप 2003-04 के एक्चुअल्स भी देखें। 2003-04 के बी.ई. में 4768.90 करोड़ रुपये प्रोवीजन था प्लान एक्सपेंडीचर का सोशल सर्विसेज पर, इकोनोमिक सर्विसेज पर और जनरल सर्विसेज में और जो एक्चुअल खर्च हुए

(डा. सी.पी. जोशी)

उपाध्यक्ष महोदय, वह खर्चा हुआ केवल मात्र 4437 करोड़ रुपये, करीबन 400 करोड़ रुपये कम। यह जो आप प्रांजक्शन कर रहे हो 2004-2005 और 2005-06 में, 7422.30 करोड़ रुपया खर्च करेंगे। यह रिकार्ड लिख दिया जाये। यह खर्चा आयेगा छह हजार करोड़ रुपये। यह प्लान का एक्सपेंडीचर भी आप कैपिटल आउट-ले को डबल करने के बाद भी नोन प्लान के खर्च को कम नहीं कर पा रहे हैं। प्लान के खर्च को कर नहीं पा रहे हैं और आप यह सी.एस.एस के पैसे का खर्चा नहीं कर पा रहे, केवल मात्र नोन प्लान का पैसा हम बढ़ा रहे हैं। आप मुझे कटारिया साहब बतायें। मैंने लीडर आफ अपोजिशन का भाषण सुना है। कैपिटल आउटले डबल किया है आपने, रेवेन्यू रिसीप्ट आपने बढ़ायी नहीं, रेवेन्यू रिसीप्ट आप कम कर रहे हैं, आप रिलेक्सेशन दे रहे हैं, सिम्पलीफिकेशन कर रहे हैं, वैट लागू नहीं करेंगे, आप मुझे बताएं कि रेवेन्यू रिसीप्ट जब आप नहीं बढ़ा रहे हैं तब आपके पास क्या तरीका है कि जो इतने बड़े प्लान को पूरा करने के लिये जिस प्लान के लिये आप आशा कर रहे हैं कि आपकी राजस्व प्राप्तियां होंगी 20538.33 करोड़ रुपये। यह प्रोजक्शन है उपाध्यक्ष महोदय, कि राजस्व प्राप्तियां हमारी इतनी होंगी और राजस्व व्यय कितना होगा? 22061 करोड़ रुपये होगा। यह जो पिछले आंकड़ें बता रहे हैं, मैं 2003-04 के आंकड़े भी बताना चाहूंगा। 2003-04 में एक्चुअल खर्चा हुआ है। 15423 की राजस्व प्राप्ति के अगेनस्ट में 18848.29 राजस्व व्यय। राजस्व व्यय राजस्व जो हमारी आय है उसका लगभग तीन हजार करोड़ रुपये कम है, 2003-04 में है। अब आप यह 20,000 का जब प्रोजक्शन कर रहे है 2005-06 में, इसका 20,000 का लगभग 23,000 के ऊपर 24,000 के लगभग आपका रेवेन्यू रहेगा, एक्सपेंडीचर होगा। जब रेवेन्यू एक्सपेंडीचर आपका इतना होगा तो उपाध्यक्ष महोदय, चार हजार करोड़ रुपये की जो कमी है वह चार हजार करोड़ रुपये की कमी को यह कैसे पूरा करेंगे, उपाध्यक्ष महोदय।

आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इतना होगा तो 4 हजार करोड़ रुपये की जो कमी है उस कमी को यह कैसे पूरा करेंगे। यह भी समझने की आवश्यकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, 2005-2006 में फिस्कल डेफिसिट 69,56.61 करोड़ रुपये और उसमें से रेवेन्यू डेफिसिट हैं 1523 करोड़ रुपये और कैपिटल एक्सपेंडिचर है. जो पैसे ले रहे हैं, उधार ले रहे हैं वह है 5160.92 करोड़ रुपये

(डा. सी.पी. जोशी)

और नेट बैलेंस है लोन्स और एडवांस का 282.69 करोड़ रुपये, यह आपका प्रोजेक्शन है, एक्चुअल्स हैं। यह मैं आपको बता रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं कहना चाहता हूं कि आपका रेवेन्यू डेफिसिट बढ़ेगा, तो यह जो 1523 का फीगर है, यह फीगर जायेगा करीब 1700, अगर यह 1700 करोड़ रेवेन्यू डेफिसिट जायेगा तो इसका नेट असर पड़ेगा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर आपका कम होगा। जब कैपिटल एक्सपेंडिचर कम होगा तो इकोनोमिक सर्विसेज जो आप जनरेट करना चाहते हैं जिसका आउट-ले आपने कम किया, उस पर आप खर्चा कम करेंगे। आपका कैपिटस आउट-ले पर खर्चा कम करेंगे, बोराइंग मनी ज्यादा लेंगे, ब्याज ज्यादा देंगे तो कैसे फिस्कल डेफिसिट करना चाहते हैं।

राजस्थान सरकार केवल मात्र भारत सरकार से फिस्कल डेफिसिट को ठीक करके पैसे लेने के नाम पर राजस्थान की जनता पर इस तरह से बोरोइंग कर दें, राजस्थान की जनता को 6000 करोड़ रुपया पर एनम केवल लोन देना पड़ेगा तो काहे का प्लान बना रहे हैं, Cut your coat according to your clothe.

किसने कहा था कि प्लान की साइज बढ़ायें। क्यों वाहवाही लेना चाहते हैं प्लान के साइज़ बढ़ाने की, क्या जरूरत थी कि हम प्लान की साइज बढ़ायें। एक्चुअल में हमारी जितनी स्थिति थी उतनी व्यवस्था क्यों नहीं करते। जब सबको मालूम है कि प्लान केवम मात्र बोरोइंग मनी पर चल रहा है तो इस मनी को कम करने की व्यवस्था करनी चाहिए। 80 से लेकर के 90 के दशक में रेवेन्यू डेफिसिट के आधार पर लोगों ने बजट बनाये हैं और आज के दिन हम कैपिटल आउट-ले को आधार बनाकर के बजट बनाना चाहते हैं। केवल हम भारत सरकार से अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिये पैसे ले सकें और राजस्थान की बहबूदी की जो कल्पना हम कर रहे हैं उसको हम साकार नहीं कर सकेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि यह जो बजट बनाया गया है उसको हमें गम्भीरता से देखने की आवश्यकता है। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि हम राजस्व कर बढ़ायेंगे राजस्व कर बढ़ना चाहिए। राजस्व कर किस-किस में बढ़ा रहे हैं। हैड कौनसे हैं। राजस्व कर में प्रोजेक्ट किया है कि हमारे पास मैन रिसोर्स है स्टॉम्प एवं पंजीकरण, दूसरा हमारे पास है राज्य उत्पादन शुल्क, तीसरा है हमारा बिक्री कर, चौथा है विद्युत कर।

(डा. सी.पी. जोशी)

उपाध्यक्ष महोदय, आजकल टैक्स लगाने का कोई मतलब नहीं है, 50 करोड़ रुपये के टैक्स माफ करके मुख्य मंत्रीजी ने वाहवाही ले ली। लेकिन विद्युत कर जो हर कंजूमर पर है, गरीब आदमी पर है, काश्तकार पर है। उस विद्युत कर को बढ़ा दिया। विद्युत कर में 2003-2004 में एक्चुअल्स इकट्ठा हुए 280.29 करोड़ रुपये और इतने काश्तकार बैठे हुए हैं, 280.29 करोड़ रुपये थे 2003-2004 में, अब होंगे 543.24 करोड़ रुपए, लगभग 300 करोड़ रुपये और केवल मात्र विद्युत कर से आप इकट्ठा करेंगे। उसमें कोई किसान नहीं हैं, गरीब आदमी नहीं हैं, भला कर रहे हैं हम। किसान का भला कर रहे हैं, आबयाना माफ कर लिया तो हमने यह व्यवस्था कर दी। केवल मात्र किसान से हम 543.24 करोड़ रुपये विद्युत कर के नाम से इकट्ठा करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, आपके एक्चुअल्स हैं, राज्य उत्पादन कर में पैसे मिले हैं 1163.15 करोड़ रुपये, और एक एक्साइज पॉलिसी से, हम अपोजिट कर रहे हैं कि हमारा बी.ई. में था 1300 करोड़ रुपये और 1508 करोड़ रुपये हम राज्य उत्पादन शुल्क में वसूल करेंगे। करेंगे आप? एक्साइज पालिसी बना दी। एक्साइज पालिसी बनकर के आ गयी। उसका बंदोबस्त करने के लिए हमारी पुलिस ठीक नहीं है। बंदोबस्त करने के लिए हमें और व्यवस्था करनी पडेगी। बंदोबस्त करने के लिए आपको भर्ती करनी पड़ेगी। अगर भर्ती करनी पडेगी तो रकर्टिंग एक्सपेंडिचर है, यह कितना आयेगा। आज प्रोजेक्टेड एक्सपेंडिचर 50 करोड़ रुपये होगा। आने वाले समय में एक्सपेंडिचर कितना बढ़ेगा? उनका डी.ए. बढ़ेगा, गवर्नमेंट के हिसाब से कितना बढ़ेगा? यह पैसा आपका बढ़ता जायेगा। बिक्री कर का आपका जो प्रोजेक्शन 1508 करोड़ है वह जो एक्चुअल्स आयेगा वह 1300-1400 करोड़ से आगे नहीं आ सकता। हमने एक्साइज पॉलिसी भी बनायी। जिस पॉलिसी के आधार पर लोगों को वाहवाही लूटने के लिए काम कराये जाते हैं और जब एक्चुअल्स आयेंगे तो यह 1300 करोड़ रुपया भी इकट्ठा नहीं होगा। 2003-2004 में आपका प्रोजेक्टेड डेटा था। 1240 करोड़ रुपये और आपका एक्चुअल्स केवल मात्र हुए हैं 1163 करोड़ रुपये।

उपाध्यक्ष महोयदय, 2001-2002 में एक्चुअल्स हुए हैं 1110 करोड़ रुपये और 2001 में हुए हैं 1118 करोड़ रुपये, यह एक्ससाइज पालिसी में 100-150 करोड़ रुपये से ज्यादा पैसा नहीं बढ़ा है। यह कौनसा जादू है कि 400-

(डा. सी.पी. जोशी)

500 करोड़ रुपया बढा देंगे। केवल मात्र बिक्री कर को आधार बनाकर के रेवेन्यू इतनी बढायेंगे, एक तो आंकड़ा यह बतायेंगे। दूसरा आंकड़ा बताया कि बिक्री कर के अंदर आज एक्चुअल्स हैं 3985.43 करोड़ और बिक्री कर का प्रोजेक्शन किया है 5425 करोड़ रुपये। आप बतायें कि कौनसा जादू है जिसके अन्तर्गत यह इतना इकट्ठा कर लेंगे। 1500 करोड़ रुपया और ज्यादा बढ़ाकर के बिक्री कर में छूट दी गयी है। छूट देने के बाद सरलीकरण कर रहे हैं। किसान को उसमें नेट से निकाल रहे हैं। हम बहुत काम कर रहे हैं। सेल्स टैक्स में इतने अच्छे ईमानदार अफसर आ गये, डेढ़ साल में ही, वह 25 साल तक जो काम कर रहे थे वह तो बेईमान थे। आज डेढ़ साल में इतने ईमानदार आदमी इकट्ठा हो गये कि हमारा जो बिक्री कर है वह इतना इकट्ठा हो जायेगा कि हम अपने प्रोजेक्ट को 1500 करोड़ रुपया ऊंचा कर लेंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप 2004-2005 के बिक्री कर को भी कोट करें।

डा. सी.पी. जोशी : मैंने कोट किया है, आपने पढ़ा नहीं है। यह एक्चुअल्स नहीं हैं यहां।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : कहां कोट किया? यह 4720 करोड़ रुपया पिछली बार हुआ...(व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : आप बताना, बाद में बताना।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप 2003-2004 के एकाउंटस को ले रहे हैं और सीधे उस पर आ रहे हैं, तुलना करें, लेकिन तुलना ठीक से करें ना।

डा. सी.पी. जोशी : फिर आप बिराजें। जल्दी करने की जरूरत नहीं है। हम तो खाली पोलिटिकल साइंस पढ़े हुए हैं ना। आप सुनिये आराम से, अब भैरोंसिंहजी नहीं हैं जो पढ़ाकर भेज दें और अपन बोल जायें।

श्री वीरेन्द्र मीणा : इसमें पोलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी की बात नहीं है। इसके अंदर आपकी साइक्लोजी...(व्यवधान)

डा. एन.एस. गुर्जर : मैं बताऊं आंकड़े कितने हैं?...(व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : आप बता देना मंत्रीजी। (व्यवधान)

श्री वीरेन्द मीणा : सेल्स टैक्स में हमने 30 प्रतिशत ग्रोथ हासिल की है इस साल।

डा. सी.पी. जोशी : आपको पूरा मौका मिलेगा ना...(व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र मीणा : 30 प्रतिशत ग्रोथ हासिल की है। आज तक नहीं कर पाये हैं आप लोग।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सी.पी. जोशी, साहब, आप बहुत ज्ञानी हैं। आप आंकड़े तो सही रखो। आपके ज्ञान के बारे में कोई कुछ नहीं कह रहा है।

डा. सी.पी. जोशी : क्या आंकड़े हैं। बोलिये, बतायें, ठीक कर दें। बोलिये आप, आंकड़े बोलें...(व्यवधान) आप आंकड़े बोलिये क्या ठीक करने हैं। (व्यवधान) आप बोलिये, एक मिनट, हां बोलिये...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह बिक्री कर की बात आपने की, बिक्री कर के अन्दर 2003-2004.....(व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : महावीरजी आपने रखा है अभी, अपन खुद ही वह काम कर रहे हैं, आप बिराजें...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : मैं तो आपकी बुद्धिमता का कह रहा हूं। अपने अनुभव की बात कर रहे हैं, 4000 की बजाय 3500 ही आये, उनका अनुभव ऐसा ही है...(व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : हां, आप बोलिये राठौड़ साहब, ठीक कर लूंगा बोलिये (व्यवधान) आप तो बोलिये...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : उपाध्यक्ष महोदय, यह क्या हो रहा है, बतायें आप (व्यवधान) यह डिसक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है? (व्यवधान) इनको अपनी बात कहने दें, इनके मुंह में शब्द थोड़े डाल सकते हो आप। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : 3985 करोड़ रूपये था। (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : हां, यही बोला है...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आपसी सहमति है...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उसके बाद आपने यह नहीं देखा कि 2004-2005 में आर.ई. के अन्दर यह बढ़कर हो गया 4720 करोड़ और यह हमारी सरकार ने बढ़ाया।

डा. सी.पी. जोशी : अब आप सुनिये...(व्यवधान) बिराजें आप।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मेरा निवेदन सुनिये...(व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : आप बिराजें। यह एक्चुअल्स हैं...(व्यवधान) I am not concerned about it.

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह तो आर.ई. में आया है...(व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : आर.ई. का कोई मतलब नहीं है।... (व्यवधान) आर.ई. का कोई मतलब नहीं है। आर.ई. आपकी इच्छा है। कैसी बात कर रहे हैं, मंत्री हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह बढ़ा हुआ है, हमारे समय में बिक्री कर बढ़ा है...(व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : बिराजिये... (व्यवधान) यह आर.ई. प्रोजेक्टेड है, एक्चुल्स आयेंगे तब पता पड़ेगा कि आर.ई. सही है कि नहीं है These are not actual (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : एक्चुअल्स इस वर्ष के अभी आ जायेंगे... (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : आप बिराजिये...(व्यवधान) 2003-2004 के बाद एक्चुअल्स ही नहीं आये हैं। आप क्या बात कर रहे हैं, एक्चुअल्स इनके पास नहीं हैं। दो साल के प्रोजेक्टेड डेटा के आधार पर कह रहे हैं...(व्यवधान) वही रिलीज अमाउंट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह है ना, 2003-2004 में एक्चुअल्स के आधार पर तो आप बोल रहे हैं...(व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : श्रीमान आप दोबारा सुन लें ठंडे दिमाग से।

मोहम्मद माहिर आजाद : आप रिलीज को अमाउंट कहते हो.... (व्यवधान) कि हमने नागौर में कर दिया, इतना कर दिया...(व्यवधान) खर्च कितना हुआ है (व्यवधान) एक्सपेंशन एक्चुअल फीगर पर हो ना बात.. (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : आप बोलिये, मेरा भी नम्बर आयेगा। आप ही बोलेंगे फिर, मैं भी बोलूंगा...(व्यवधान) बिराजें फिर आराम से....(व्यवधान)

डा. एन.एस. गुर्जर : हां, बोलें आप बोलें...(व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी का फिर ठीक कर देता हूं। मैं बता रहा हूं कि आपके बिक्री कर के आंकड़े...(व्यवधान)

डा. एन.एस. गुर्जर : आप अपने आंकड़े बतायें।

डा. सी.पी. जोशी : इनके आंकड़े बता देता हूं मुझे क्या तकलीफ है। मैं यह कह रहा हूं कि राजस्थान सरकार के वह काम 2003-2004 के एक्चुअल्स हैं, बाकी जितने भी हैं वह प्रोजेक्टेड हैं। मैं जो थ्योरी बता रहा हूं माननीय राजेन्द्र राठौड़ साहब चैक कर लें, मैं बिक्री कर का फिर स्टार्ट करता हूं। 1998-99 में बिक्री कर में 2058.67 करोड़ रुपये हुआ, 1999 में 2424 करोड़ रुपये, 2000-2001 में 2821 करोड़ रुपये, 2002 में बी.ई. में 3525 करोड़ रुपये के अगेंस्ट में एक्चुअल्स हुए वह मात्र 3069, फिर आ गये यह 2002-2003 में बी.ई. में प्रोजेक्शन था 4000 करोड़ रुपये और एक्चुअल हुआ है केवल 3437 करोड़ रुपये, अब आपकी सरकार आ गयी है नये आदमी लग गये हों, हां, आप सब राठौड़ भर्ती कर लें। जो इकट्ठे कर लेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, 2003-2004 में प्रोजेक्ट किया है 3970 करोड़ रूपया, फिर आपने आर.ई. में 4200 करोड़ रुपया किया, फिर बी.ई. में नीचे क्यों आ गये, ऊपर जाते न। 3985 ही आ गये। एक्चुअल आये हैं 3945 करोड़ रुपये, आपके बी.ई. में थे 3970 करोड़ रुपये, आगे सुनिये और आर.ई. में थे 4200 और एक्चुअल्स में केवल मात्र 3985, कहने का मतलब यह है कि इस हैड में ऊपर जाते तो जितना आपने बी.ई. के फीगर दिये हैं वह टच ही नहीं हुए हैं। आपके पास्ट में टच नहीं हुए तो ऐसा कौनसा है मैजिक आप लेकर आ गये हैं कि आप जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं 5425 करोड़ रुपया हम इकट्ठा करेंगे यह इकट्ठा हो जायेगा, यह क्या व्यवस्था करेंगे? केवल मात्र यह कहने के लिए कि हमने ऐसा कर दिया तो एक्चुअल तो आपने 2003-2004 के हैं जहां केवल मात्र हैड में आपके 3985 करोड़ इकट्ठे हुए और उसी में बता रहा हूं, आपका 100-150 करोड़ रुपये से ज्यादा नहीं बढा है। तो आप एकदम सडनली 3985 करोड़ रुपए से 5425 करोड़ रुपए पर ला रहे हो और कह रहे हो कि हमारा बिक्री कर बढ़ जायेगा। बहुत अच्छा है आईविश, मुंगेरीलाल के सपने और हसीन क्यों न हो, जब बनाना था तो पूरा बनाना

(डा. सी.पी. जोशी)

चाहिए, हमें क्या तकलीफ है। जब बजट ही बनाना है और अच्छा बनाना है तो उसमें 5 हजार क्या 6 हजार करोड़ होना चाहिए था, हमें क्या तकलीफ थी?

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ठीक इसी प्रकार एक में सरकार सफल रही है, दैट इज स्टॉम्प एण्ड रजिस्ट्रेशन. स्टॉम्प एण्ड रजिस्ट्रेशन में आपका जो टार्गेट था उस टार्गेट को निश्चित रूप से हमने प्राप्त किया है, जहां प्रोजेक्टड था आर.ई. 700 करोड़ रुपए 2003-04 में वहां आपने 611.77 करोड़ रुपए इकट्ठे किए हैं फिर भी मैं कह रहा हूं कि इसमें आप टार्गेट पूरे करेंगे क्योंकि जिस तरह का आपने कम्प्यूटराइजेशन किया है, जिस तरह की व्यवस्था की है लेकिन यहां पर भी आपने प्रोजेक्टेड किया है कि हम 960 करोड़ रुपए इकट्ठे करेंगे, उपाध्यक्ष महोदय, इतनी हाई साइड में 960 करोड़ रुपए यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रोम स्टाम्प एण्ड रजिस्ट्रेशन।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मनोरंजन कर में कमी हो रही है, विलासिता कर में कमी हो रही है, वाहन कर में कमी हो रही है, आप नोट कर लें, वाहन कर में एक्चुअल 2003-04 में 904.30 करोड़ हुए थे, उसको आपने आर.ई. में लाकर 2004-05 में ला दिया 785 करोड़ रुपए, एक्चुअल आपके 900 करोड़ रुपए हो गए और आर.ई. में 2004-05 में आप ले आए 785 करोड़ रुपए और अब प्रोजेक्ट कर रहे हो 860 करोड़ रुपए, विच इज लैस दैन 2003-04, इसका मतलब है आप उसको इकट्ठा नहीं कर सकते। इसलिए वाहन कर में आपके पास अब मैक्सिमम पैसा नहीं आ सकता वहां आपका डिक्लाइन शुरू हो गया।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि आप इनके आंकड़े उठा कर देख लें, इनके लक्ष्य उठा कर देख लें, राजस्व करों में 9598.52 करोड़ रुपए इकट्ठे करेंगे, वह भी हाइएस्ट साइड है। इतना पैसा इकट्ठा करने में यह सफल नहीं हो पाएंगे, आई विश यह सफल हों, मुझे इसमें कोई तकलीफ नहीं है पर मैं समझता हूं कि यह कौनसा जादू का डण्डा लेकर आ रहे हैं जिससे यह व्यवस्था कर पाएंगे, यह तो इस बात का द्योतक है कि ये इस बात को नहीं कर पाएंगे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री) : वह डण्डा दिखाएंगे आपको।

डा. सी.पी. जोशी : वह देख रहे हैं। एक डेढ़ साल से और बाकी बचे में वह भी देख लेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं कैपिटल एक्सपेंडीचर के बारे में कहना चाहता हूं। कैपिटल एक्सपेंडीचर की इन्होंने जो व्यवस्था की, आप उसका पर्सेंटेज देख लें पर्सेंटेज आफ टोटल एक्सपेंडीचर आन सोशल, इकोनोमिक सर्विसेज, जनरल सर्विसेज, राठौड़ साहब, यह भी देख लें, 2003-04 के एक्चुअल एक्सपेंडीचर सोशल सर्विसेज पर 38.49, नोट कर लें आप इकोनोमिक सर्विसेज पर खर्चा हुआ 23.46 और जनरल सर्विसेज पर खर्चा हुआ 38.05 ।

उपाध्यक्ष महोदय, प्लान साइज बढ़ा दी आपने, प्लान की साइज बढ़ाने के बाद क्या हो रहा है? दुबारा 2004-05 में भी यह 38.49 है और 2005-06 में भी 38.49 है सोशल सर्विसेज और इकोनोमिक सर्विसेज में, 23.46 है, 2003-04 में भी यही है, 2004-2005 में भी यही है और 2005-06 में भी यही है, जनरल सर्विसेज में भी यही फीगर है 38.05 अब आप मुझे बताइए राठौड़ साहब कि प्लान की साइज बढाई है आपने तो कैपिटल आउट-ले बढ़ाया फिर इकोनोमिक सर्विसेज में भी बढ़ाना चाहिए था, किसी एक सर्विसेज में कम होना चाहिए था, यह कम हो रहा है क्या?

आप और हम विधान सभा के जितने सदस्य बैठे हुए हैं वह बजट के सम्बन्ध में पोलिटिकल इग्नोरेंट आदमी हैं, बजट बनाने का काम मुख्य मंत्रीजी करते हैं, बजट बनाने का काम फाइनेंस मिनस्टिर करते हैं, बजट बनाने का काम फाइनेंस डिपार्टमेंट करता है, बजट बनाने में ये तीन आदमी बहुत इम्पोर्टेण्ट होते हैं जिनसे सरकार की नीति रिफ्लेक्ट होती है। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि 2 साल होने को आए, कटारियाजी के भी साइन हैं, घनश्यामजी के भी साइन हैं, अंधियारे से उजियारे की तरफ, आ गए हम? उपाध्यक्ष महोदय, दो साल में तो बढ़ गए, पहले तो चुनाव थें, अब तो आपका यह सैकण्ड ईयर है, तीन बजट और आप लाएंगे, तीन बजट लाने के बाद हमारी क्या-क्य प्राथमिकता थी वह तो जनता पूछेगी ही। आपने जो प्राथमिकताएं निर्धारित कीं, उसके सम्बन्ध में आपने बजट में क्या प्रावीजन किया। आपकी कौन-कौनसी प्राथिमकताएं थीं वह भी बताना जरूरी है

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय जोशीजी, समाप्त कीजिए। अब आप बहुत डिटेल में कह रहे हैं, थोड़ी जल्दी कीजिए।

डा. सी.पी. जोशी : आप कहें तो मैं बिलकुल बैठ जाऊंगा। राज इन्हीं को करना है, मेरा तो ध्यान आकर्षित करने का काम है उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : बैठने को नहीं कहूंगा।

डा. सी.पी. जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा मानता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने अपनी प्राथमिकताओं के बारे में कहा है। जब सरकार बनी थी, बनने के पहले इन्होंने जनता से प्रॉमिस किया था कि 175 करोड़ रुपए के किसान कल्याण कोष की स्थापना, बीमारी के इलाज के लिए 25 करोड़ रुपए के किसान जीवन कल्याण कोष की स्थापना, बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए 100 करोड़ रुपए के रोजगार कोष की स्थापना, 2007 तक विद्युत उत्पादन में आत्मनिर्भरता, शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में प्रतिवर्ष 50-50 हजार सस्ते मकानों की उपलब्धता, 250 करोड़ रूपए के अकाल प्रबन्ध कोष की स्थापना, गृह कर समाप्ति, फिर दोहरा रहा हूं गृह कर समाप्ति, 140 म्युनिसिपैलिटीज के चुनाव बाकी हैं, वहां हमने कहा कि गृह कर समाप्त, ढांचागत विकास के लिए 250 करोड़ रुपए के कोष की स्थापना, वृद्धावस्था पेंशन चालू करना, उपाध्यक्ष महोदय, ये मुख्य बातें बता रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे खुशी होती कि आप इस बजट में इनके लिए कहीं प्रोवीजन बताते। एक साल बाद आप नियमों में परिवर्तन कर रहे हैं। हमने विशेषज्ञों की टीम बनाई है, बड़े-बड़े विशेषज्ञों की सेवाओं का उपयोग लेंगे, लेना चाहिए और टोकन प्रोवीजन किया है 15 करोड़ रुपए का, 15 करोड़ रूपए में हम इनोवेटिव चीजें करेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, ये मुंगेरीलाल के हसीन सपने, यह जो ब्रांड बेचने का तरीका है, मैं कहना चाहता हूं कि हम पोलिटिकल पार्टीज के वर्कर हैं, हमारे को खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग सरकार में हैं. भारतीय जनता पार्टी जिन मूल्यों पर, भारतीय जनता पार्टी जिन सिद्धान्तों पर, भारतीय जनता पार्टी जो बातें जनता के बीच में कहकर सत्ता में आई है उसका एक प्रतिशत भी परिलक्षण इस बजट में नहीं है। यह बजट न गरीब के पक्ष का है और न गरीब को गणेश मानकर यह बजट बनाया है, न यह बजट गांव के गरीब आदमी को ध्यान में रखकर जो

(डा. सी.पी. जोशी)

शिडयूल्ड ट्राइब्स का है, जहां पर ड्राप आउट सबसे ज्यादा है, जहां बच्चों की एजूकेशन नहीं है, उन बच्चों को एजूकेशन के लिए 17 हजार स्कूलों के आधार पर बच्चों को एजूकेट करना चाहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि यहां पर ट्राइबल इलाके के लिए एक हजार करोड़ रुपए का प्रोविजन किया है बिजली में, उसका जीरो प्रतिशत पैंसा खर्च कर रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, यह बजट केवल मात्र उन चंद लोगों के लिए बनाया गया है जिन लोगों की अपनी पोलिटिकल कोंनसेंर्स है, होनी चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, कल आपने देखा कि राजस्थान दिवस मनाया गया। जनपथ पर मनाया गया। जनपथ के लिए मुख्य अतिथि थे माननीय भैंरोसिंहजी शेखावत, उपराष्ट्रपति, डिजर्व करते हैं, होने चाहिए थे, पर वहां पर मूर्ति लगी थी महाराजा की, उसमें भैंरोसिंहजी नहीं जा सकते, भैरोसिंहजी क्वालीफाई नहीं है, उसमें जाने के लिए, राजा-महाराजा होना चाहिए, जरूरी है, राजा-महाराजा ही उसमें मुख्य अतिथि होंगे और गांव का गरीब आदमी, साधारण आदमी, जनता का आदमी संघर्ष करके ऊपर पहुंचेगा, वह वहां पर नहीं जा सकता। यह परिलक्षित करता है कि हमारी प्रायोरिटी क्या है, यह परिलक्षित करता है कि हमारी मानसिकता क्या है?

श्री अर्जुन सिंह देवड़ा (रानीवाड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, वहां पर मुख्य अतिथि मुख्य मंत्रीजी थीं, राजा-महाराजा नहीं।

डा. सी.पी. जोशी : मुझे मालूम है, हमें खुशी है कि मुख्य मंत्रीजी मुख्य अतिथि थी, पर वहां ऑडिएंस में सबसे पहले जिस आदमी ने साधारण राजपूत के घर में पैदा होकर उच्च पद प्राप्त किया, उसको मुख्य अतिथि बनाना चाहिए था तब गरिमा बढ़ती उस पद की, उसमें गरिमा नहीं बढ़ती थी? वहां पर एक पोलिटिकल कोंनसेंसी की नीडस को इकट्ठा करना था, यह जो हवेलियां बनाई जा रही हैं, यह जो व्यवस्था की जा रही है हैरिटेज की, यह हैरिटेज को छूट दी जा रही है, उपाध्यक्ष महोदय, क्या व्यवस्था की, इसमें प्रोविजन किया है कि अब जो नई हवेलियां हैरिटेज होटल हैं उसके अंदर हम विलासिता कर में छूट देंगे और पुरानी को भी देंगे छूट, पुरानी को छूट देने की क्या जरूरत पड़ गई? लेकिन हमारी एक पोलिटिकल कोंनसेंसी है उसको नरिश करना बहुत जरूरी है इसलिए भारतीय जनता पार्टी मजबूत होगी।

(डा. सी.पी. जोशी)

कटारियाजी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, मैं आपका प्रशंसक हूं, आदमी विचारों के आधार पर, रीति के आधार पर, नीति के आधार पर जनता का विश्वास जीतकर आता है, जनता की सेवा, उसके सुख-दुःख में भागीदारी निभाए तब पार्टी मजबूत हो तो अच्छा लगता है लेकिन पार्टी के छदम रीति-नीति के आधार पर चलाना चाहते हैं तो जनता आपको माफ नहीं करेगी। मैं बहुत विनम्र शब्दों में कहना चाहता हूं कि यह जो बजट आपने रखा है वह भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में जो बातें लिखी हैं, जिनके आधार पर लोगों ने आपको वोट दिया, उसका उसमें कोई परिलक्षण नहीं होता है।

यह बजट जिसमें आपने आंकड़े बताएं हैं उनमें आपने कैपिटल आउट-ले को डबल किया है, कैपिटल आउट-ले का खर्चा नोन प्लान एक्सपेंडीचर में हो रहा है। इकोनोमिक सर्विसेज के आधार पर नहीं हो रही है। रोजगार के साधन उपलब्ध नहीं होंगे। रेवेन्यू एक्सपेंडीचर आप बढ़ा रहे हैं, रेवेन्यू रिसीट बढ़ाने का काम आप कर नहीं रहे हैं। केवल मात्र आप यह व्यवस्था करना चाह रहे हैं इससे राजस्थान का भला नहीं होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, अंत में मैं कहना चाहता हूं कि वैट लागू नहीं करेंगे। मैं दो दिन से माननीय मंत्रीजी के अखबारों में स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं। मुझे आश्चर्य होता है कि सरकार के मुख्य मंत्रीजी कह रहे हैं कि वैट लागू नहीं होना चाहिए और मंत्रीजी के अखबारों में आर्टिकल आ रहे हैं वैट लागू करने के क्या फायदे हैं? और क्या नुकसान हैं। कौनसी सरकार है? सरकार का क्या धर्म बनता है? एक मंत्री अखबारों में इस तरह का स्टेटमेंट दे, सरकार ने एक पोलिटिकल निर्णय लिया, कैबिनेट ने फैसला किया, कैबिनेट के फैसले के बाद भी उपाध्यक्ष महोदय, यदि मंत्रीजी लिखते हैं तो मुझे कोई तकलीफ नहीं लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि भारत सरकार ने एक रोड मैप दिया है। भारत सरकार ने कहा है कि 100 प्रतिशत, 75 प्रतिशत, 50 प्रतिशत, हम तीन साल में कम करेंगे।

श्री वीरेन्द्र मीणा (राज्य मंत्री, वित्त) : जोशीजी, कोई रोड मैप नहीं दिया। जो वहां पर व्हाइट पेपर दिया गया था, उस व्हाइट पेपर में साफ लिखा है, C.S.T. will be phased out in the coming years. आपको व्हाइट पेपर लाकर बता देंगे।

डा. सी.पी. जोशी : मुझे पता है, आप जाकर कल परसों आब्जेक्ट करना। नया रोड मैप दिया है उसमें कहा गया है 3 साल में हम सी.एस.टी. भी कम करेंगे, सी.एस.टी. 4 प्रतिशत, 2 प्रतिशत, 0 प्रतिशत।

वीरेन्द्र मीणाजी, मंत्रीजी यही सरकार वैट को बजट में लाकर पास करेगी, वैट का वेट कर रही है। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे आगे और कुछ नहीं कहना। भारतीय जनता पार्टी के वित्त मंत्री जसवन्तसिंहजी ने भारत सरकार के मंत्री के रूप में, हमने वैट को प्रारम्भ करने की बात की थी। हमारी सरकार थी , हमने वैट को इनीशिएट करने का काम किया। आज क्या स्थिति बन गई कि उस वैट के सम्बन्ध में, मुझे और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। एक पोलिटिकल पार्टी की जिसकी दिल्ली में सरकार हो, वैल थोट स्ट्रेटिजी बनाकर वैट लागू करें और उसी पार्टी की राज्य में सरकार बन जाए, राजस्थान में सरकार वैट लागू नहीं करे, यह पोलिटिकल कम्पलशन होना चाहिए। भारत सरकार का पोलिटिकल कम्पलशन होना चाहिए, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, वैट को यदि हम लागू नहीं करेंगे तो राजस्थान के रेवेन्यू पर असर पड़ेगा, यह तो मानते हैं न वित्त मंत्रीजी, आपकी रेवेन्यू पर असर पड़ेगा तो रेवेन्यू रिसीप्ट कम होगी, रेवेन्यू एक्सपेंडीचर कम होगा तो एक्सपेंडीचर घटेगा या बढ़ेगा? तो आपका राजस्व घाटा बढ़ेगा, टोटल तो आपका घाटा बढ़ेगा तो फिर भारत सरकार से आप क्या व्यवस्था करेंगे?

उपाध्यक्ष महोदय, मैं विनम्र शब्दों में कहना चाहता हूं कि हम जितने भी विधायक हैं उन्हें गम्भीरता से इस बजट के सम्बन्ध में सोचने की आवश्यकता है। इस बजट के जो फाइनेंशल कोंसट्रेंट होंगे, किसी भी सरकार में हो बी.जे.पी. की सरकार हो या कांग्रेस की, यह फाइनेंशल कोंसट्रेंट में बहुत कम पैसा हमको मिलता है कि हम बजट में ठीक ढंग से काम कर सकें।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक साल में इस सरकार के बजट के सम्बन्ध में आखिरी बात कहकर समाप्त करूंगा। पिछले साल 2004-2005 में 35 पैसा खर्च कर रहे थे आंतरिक भुगतान के ऊपर। अब, उपाध्यक्ष महोदय, पैसा कम किया, 41 पैसा खर्च करेंगे, हम नान प्लान एक्सपेंडीचर पर, पहले 32 पैसा खर्च हो रहा था अब खर्चा हो रहा है 41 पैसा। नान प्लान एक्सपेंडीचर पर आप 32 पैसे की जगह 41 पैसे खर्च कर रहे हो तो इसका सीधा मतलब यह

(डा. सी.पी. जोशी)

है कि आंतरिक लोन देने की व्यवस्था कर रहे हो। इसका सीधा भार नान प्लान पर आ रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, यह भी कहना चाहता हूं कि आपने 2004-2005 में यह प्रोजेक्ट किया कि हम 16 पैसे की जगह प्लान का 23 पैसा खर्च करेंगे। एक्चुअल में यह 23 पैसा नहीं कर पाएंगे और उपाध्यक्ष महोदय इंट्रेस्ट पेमेंट है वह भी तो हम कर रहे हैं 14 पैसे और राठौड़ साहब, आप इस कागज को ध्यान से देख लें इसमें खर्च करना पड़ेगा 17 पैसे। इसका मतलब हमने यह बजट बनाया है यह टोटल बजट बोरोव्ड बजट है, इस बजट पर हमें राजस्थान की जनता को ज्यादा ब्याज देना पड़ेगा, इस बजट से हम कैपिटल आउटले की जो बातें कर रहे हैं उस कैपिटल आउटले का कोई भी इकोनोमिक सर्विसेज में व्यवस्था नहीं होगी और बाकी जो व्यवस्था की है, प्रोविजन किए हैं चाहे हमने न्यूट्रिशन के सम्बन्ध में बात की है, चाहे दूसरे सम्बन्ध में बाकी की है वो टोकन प्रोविजन हैं।

मैं बाकी तो कहना ही नहीं चाहता, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के सम्बन्ध में जरूर कहना चाहता हूं। बिजली और इर्रिगेशन के सम्बन्ध में जितना आपको एक्सपेंडीचर करना चाहिए था उतना एक्सपेंडीचर आपने नहीं किया है। उस एक्सपेंडिचर को बढ़ाएं जिससे आने वाले समय में आपका जी.डी.पी. बढ़े।

मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने टयूरिज्म के सम्बन्ध में काम किया, क्योंकि राजस्थान का पोटेंशियल यह है। आने वाले समय में इसको हार्नेस करें। मुख्य मंत्रीजी की इंटेंशन के सम्बन्ध में मुझे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन मुख्य मंत्रीजी जो फाइनेंशियल कांस्ट्रेंट है उसको जनता के सामने न रखकर यदि यह बातें करना चाहें कि हम यह काम कर लेंगे तो वे अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पायेंगे। राजस्थान सरकार को भी भारत सरकार की तरह भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री अटलबिहारी वाजपेयी के समय में एक ए.टी.आर. का कांसेप्ट दिया था, एक्शन टेकन रिपोर्ट। जब बजट रखेंगे उसके बाद एक्शन टेकन रिपोर्ट देंगे। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से चाहता हूं जैसा फिस्कल रेस्पोंसेबल एक्ट ला रहे हैं ठीक उसी तरह आप ए.टी.आर. भी लाएं। ए.टी.आर. से एक्शन टेकन रिपोर्ट में मालूम पड़े कि 2005-06 में जो प्रोविजन किये उस प्रोविजन का

(डा. सी.पी. जोशी)

आपने एक्चुअल कितना खर्च किया, किस-किस हैड में कितना खर्चा हुआ जिससे हम बैठकर चर्चा कर सकें कि जो बातें हमने कही हैं, जिन बातों के सम्बन्ध में हम लोगों की वाहवाही लेना चाहते हैं उसका एक्चुअल खर्चा हो रहा है या नहीं हो रहा है, यदि यह सरकार ए.टी.आर. का प्रोविजन भी कर देगी तो मैं समझता हूं राजस्थान की जनता के साथ बहुत भला करेगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अंत में यह कहना चाहता हूं कि हर सरकार का धर्म बनता है कि राजस्थान की बहबूदी के लिए काम करे। यह सरकार भी प्रयास कर रही है मैं उसको मना नहीं करता, लेकिन प्रयास करने में जो उनकी पोलिटिकल फिलोसाफी है वह रिफ्लेक्ट नहीं होती। जो फाइनेंस की व्यवस्था है वह रिफ्लेक्ट नहीं होती ऐसे कांस्ट्रेंट में हम केवल मात्र जनता से लोक-लुभावन बातें करने के लिए बजट पास करना चाहते हैं तो करें, लेकिन हम अपनी जिम्मेदारी का ठीक निर्वहन नहीं कर सकते। इसलिए मैं चाहता हूं जब माननीय मुख्य मंत्रीजी जवाब दें तब जरूर बताएं कि कैपिटल आउट-ले डबल करने का क्या फायदा हुआ, रेवेन्यू रिसीप्टस आप कैसे बढाएंगे, राजस्थान की जी.डी.पी. बढ़ाने के सम्बन्ध में आप क्या काम करेंगे क्योंकि जो भी दो बजट आये वो केवल मात्र प्रोवेबल आंकड़ों पर आये, एक्चुअल्स में नहीं आये और एक्चुअल्स पास्ट बताता है कि एक्चुअल्स जितने भी होते हैं वे हरदम नान प्लान हैड में ज्यादा खर्चा हो रहा है, प्लान में खर्चा कम हो रहा है। इसी आधार पर हम बजट की कल्पना कर रहे हैं यह साकार नहीं हो पाएगी। यही बात मुझे आप सबसे कहनी है। उपाध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : धन्यवाद । श्री एन.एस. गुर्जर।

डा. एन.एस. गुर्जर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, होली के बाद दो-तीन दिन से सदन में बहुत उत्तेजना हो रही थी, बहुत टकराव का माहौल था (व्यवधान) मैं स्वागत करता हूं आ गये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अब संयमित होकर आये हैं या असंयमित ही रहोगे?

श्री उपाध्यक्ष : संयम तो संयम ही रहेंगे।

डा. एन.एस. गुर्जर : मैं बजट पर अपना भाषण शुरू करूं उससे पहले मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदन की नेता, माननीय प्रतिपक्ष के नेता इन सबको बहुत ही धन्यवाद देना चाहता हूं कि होली के अवसर पर जो आपस में प्रेम का वातावरण होना चाहिए था उसकी जगह जो टेंशन पैदा हो गई उसको समाप्त किया, इसके लिए मैं इनको धन्यवाद देना चाहता हूं और दो पंक्तियों से मैं आप सबका आह्वान करना चाहता हूं, "यह टेंशन समाप्त होकर होली के रंग में फिर से हम घुल मिल जाएं, घृणा तो घटती रहे, बढ़ता जाए प्यार, सुख बरसाए आप पर होली का त्यौहार"। मैंने दो पंक्तियां आप सबके लिए कहीं हैं

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ये पंक्तियां किसकी हैं यह भी बता दें आप।

डा. एन.एस. गुर्जर : मेरी ही हैं। राजेन्द्रजी, मैं दूसरों की पंक्तियां न तो पढ़ता हूं न दूसरों की नकल करता हूं। कई लोग नकल करके पास होते हैं, कई लोग स्वयं पढ़कर अपनी बुद्धि से पास होते हैं। उसी तरह से मैं अपनी ही राइटिंड्स को करता हूं, मैं दूसरे किसी भी कवि की पंक्तियों को उद्धत नहीं करता हूं और करता हूं तो उस कवि का नाम लेता हूं। इसलिए मेरी पंक्तियां हैं और मैंने अभी लिखी हैं।

श्री संयम लोढ़ा : आप राठौड़ साहब के बारे में कह रहे हो कि नकल करके पास हुए हैं।

डा. एन.एस. गुर्जर : नहीं, इनके लिए नहीं कह रहा हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने अपना श्रीमुख खोला है।

डा. एन.एस. गुर्जर : मैंने किसी के लिए नहीं कहा, मैंने जनरल उदाहरण दिया है। ये हमेशा पर्सनलाइज ले जाते हैं, मैं किसी की पर्सनल बात नहीं करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी जी 2005-2006 का बजट प्रस्तुत किया है वह सामयिक तो है ही राजस्थान की सामाजिक, आर्थिक भौगोलिक परिस्थितियों एवं विरासत को देखकर समाज के सभी वर्गों को राहत प्रदान करते हुए उनको एक साथ प्रगति के पथ पर अग्रसर करने की दिशा में कदम बढ़ाने का एक अनूठा प्रयास किया है। इस बजट में नयी ऊर्जा है, स्फूर्ति

(डा. एन.एस. गुर्जर)

है, नयी सोच है, नयी कल्पना है, नया स्वप्न है, नये इरादे हैं, नई बुलंदियां है, नये कीर्तिमान बनाने के सुदृढ़ संकल्प हैं। मैं दुष्यंत कुमार की पंक्तियां कोट करना चाहता हूं, मेरी नहीं है इसलिए मैंने कोट कर लिया। दुष्यंत कुमार की पंक्तियां को हूबहू वसुंधराजी ने इस बजट में समेटा है-"कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो।" यह पत्थर वसुंधरा जी ने आसमां पर फेंका है और उसके परिणाम दो साल से आने प्रारम्भ हो गये हैं। (व्यवधान) जो नहीं समझेगा उसका सर फूटेगा, जो समझेगा उसका नहीं फूटेगा। (व्यवधान) इसलिए मैं इस बजट का पुरजोर समर्थन करता हूं। इस बजट की सबसे बड़ी सफलता इस बात की है कि इस बजट पर अभी नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य बोल रहे थे, बाकी नेताओं ने प्रतिक्रिया व्यक्त की, इस बजट की सबसे बड़ी सफलता यह है कि माननीय सदस्यों ने एक भी नया सुझाव, पुराने सुझाव तो हो सकते हैं, नया सुझाव इस बजट के बारे में कोई भी नहीं दिया है, केवल आलोचना करें, कभी यह किया वो नहीं किया, यह तो फरमाते रहे, पर हुनर की तारीफ करने में शर्माते हैं। यह किया, वो नहीं किया, जो हुनर किया है, जो बजट बनाने में हुनर दिखाया है उसकी तारीफ करने में आपको शर्म आती है।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा : लगता है माहिर आजादजी आपकी शेरो-शायरी का जवाब देने के लिए चले गये हैं।

डा. एन.एस. गुर्जर : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने इसलिए कहा है, यह मैं नहीं कह रहा हूं मैं बजट की तारीफ नहीं कर रहा हूं, अर्थशास्त्रियों ने इस बजट की प्रतिक्रिया में क्या कहा वह कह रहा हूं। आर्थिक विशेषज्ञों की नजर में राज्य का बजट समय एवं परिस्थितियों के अनुरूप है। एक आर्थिक विशेषज्ञ कोठयारी जी है उनका मानना है कि बजट समय एवं परिस्थितयों के अनुरूप बेहतर हैं। डा. सुभाष गंगवाल, आर्थिक विश्ले.क, उनकी राय में यह बजट विकास के साथ रोजगार सृजन की दिशा में सकारात्मक प्रयास है। सामाजिक आधारभूत प्रोजेक्टों के निर्माण की घोषणाएं की हैं, योजनागत खर्च में बढ़ोतरी की है जिससे पूंजी निर्माण में वृद्धि होगी। यह मैं नहीं कह रहा हूं आर्थिक विशेषज्ञ कह रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, नाथूरामकाजी बहुत प्रसिद्ध अथशास्त्री हैं। उन्होंने कहा है-

(डा. एन.एस. गुर्जर)

"In the long budget speech for 2005-06 presented in the Assembly on Thursday the Chief Minister Vashundhara Raje has covered development and welfare programmes both practically all sections of the society and all sectors of the economy."

यह मैं नहीं कह रहा हूं नाथूरामका जी कह रहे हैं कि सभी वर्गों के लिए और सभी सेक्टर्स में यह प्रावधान किया है, डवलपमेंट किया है। More funds have been earmarked for the socio-economic development of Scheduled Tribes.

जिसकी अभी बात कर रहे थे, अब वे चले गये हैं, वे होते तो उनको मैं बताता। यह मैं नहीं कह रहा हूं बहुत प्रसिद्ध अर्थशास्त्री कह रहे हैं मैं उनकी पंक्तियां कोट कर रहा हूं।

"...socio-economic development of scheduled tribes women literacy, girl education, Rural housing, cattle development, cultural and religious tourism, information technology, kachchi bastis, irrigation, industrial development particularly for the household and small scale and power development.."

यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह प्रसिद्ध अर्थशास्त्री नाथूरामकाजी बोल रहे हैं। (व्यवधान) यह एल.एन. नाथूरामका जी नाम है, अब आपमें से कई जानते होंगे, कई नहीं जानते होंगे, जो अर्थशास्त्र के विद्यार्थी हैं, वह जानते होंगे बाकी का तो मैं क्या कह सकता हूं। अपने यहां कई विद्वान हैं, अपने महिपाल जी यादव की तरफ से वह जानते होंगे, बहुत विद्वान हैं, एक और अर्थशास्त्री हैं (व्यवधान) वो कल मैं बात करूंगा, आज तो मैं बजट पर बोल रहा हूं, कल आपसे चर्चा करूंगा आप कितने विद्वान हैं, आपकी तारीफ करूंगा, कल मैं विद्वता बताऊंगा। उपाध्यक्ष महोदय, प्रोफेसर ओमप्रकाश शर्मा, उन्होंने इसे संतुलित एवं वृद्धिकारक बजट बताया है। (व्यवधान) नहीं, ओमप्रकाश शर्मा, अखबार में जो आया है, वह मैं बता रहा हूं, मुझे मालूम नहीं कौन हैं लेकिन उन्होंने जो लिखा है वह मैं बता रहा हूं जो विभिन्न अखबारों में उनकी प्रतिक्रिया आई है, मैं उनको कोट कर रहा हूं। (व्यवधान) प्रोफेसर तगाराम जी का भी थोड़ी देर बाद बताऊंगा। उनका सब्जेक्ट आने पर बताऊंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, यह इकोनोमिस्ट ने ही नहीं कहा, इकोनोमिस्ट कहते तो समझ में आता था लेकिन जो जरनलिस्ट हैं, जो विधान सभा की

(डा. एन.एस. गुर्जर)

कार्यवाही देखते हैं, जिन्होंने बजट को सुना है, एक जरनलिस्ट हैं उन्होंने एक अखबार के अन्दर लिखा है, कमाल वित्तीय प्रबंधन का। मैं वित्तीय प्रबंधन पर भी आऊंगा लेकिन मैं पहले उनको कोट करना चाहता हूं, ऑल सैक्शंस ऑफ द सोसायटी, जिसमें मैनली हम जब बजट पर चर्चा करते हैं तो हम प्रमुख अर्थशास्त्रियों की तरफ देखते हैं कि इनकी प्रतिक्रिया क्या है और उसके बाद जिन लोगों पर इसका प्रभाव पड़ेगा उनकी प्रतिक्रिया क्या है, ये दो प्रतिक्रियाएं और फिर जरनलिस्ट जो समाज के भीतर घूमते हैं। उनकी प्रतिक्रिया क्या है और यहां भी सुनते हैं। ये तीन महत्वूपर्ण सैक्शंस हैं आपके और हमारी जो बजट पर प्रतिक्रियाएं हैं वह तो बंधी हुई हैं, हम हमारे दल से बंधे हुए हैं, आप आपके दल से बंधे हुए हैं इसलिए प्रतिक्रियाएं भी उसी तरह की आएंगी। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसमें कोई छिपा नहीं रहा हूं इस तथ्य को, लेकिन जो प्रमुख अर्थशास्त्री हैं जिनका किसी दल विशेष से सम्बन्ध नहीं है, जो आम आदमी हैं, जो जरनलिस्ट हैं, पत्रकार हैं, उनका किसी से सम्बन्ध नहीं है, वह क्या प्रतिक्रिया देते हैं, that is very important and I quote, मैं जो बता रहा हूं, इन्होंने कहा है बहुत वर्षों के बाद इस बार किसी सरकार ने सरप्लस दिखाने वाला बजट पेश किया है, अधिकांश इसे बेहतर वित्तीय प्रबंधन का कमाल ही कहेंगे, कुछ थोड़े से ही आंकड़ों का मायाजाल है या भूलभुलैया कहने से गुरेज नहीं करने की बात कह सकते हैं, संभवतया इस सरकार के विरोधियों को भी इस तरह के बजट की उम्मीद नहीं थी, लग रहा था कि वर्षों से घाटे का पेश किये जाने वाला परम्परागत बजट होगा लेकिन उसके बाद इन्होंने बहुत लम्बी-चौड़ी तारीफ की है इस बजट की, वह मैं पढ़कर सदन का समय अब व्यर्थ नहीं करना चाहता, आ चुका, आपने पढ़ा होगा, विभिन्न समाचार पत्रों में, इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, यह मेरी प्रतिक्रिया नहीं है, अर्थशास्त्री, अखबार वाले और आम जनता को मैंने टेलीफान किये, लोगों की प्रतिक्रियाएं जानी, व्यापारी वर्ग के लोग मजदूर वर्ग के, किसान वर्ग, उनमें लगभग 85 परसेंट ने कहा कि बहुत अच्छा बजट है और उनमें केवल 85 के बाद मुश्किल से 12 परसेंट ने कहा कि कुछ और होता तो बहुत अच्छा था, तीन परसेंट लोग थे जो कहते थे कि हां, साहब वैसे तो ठीक है मगर थोड़ा, मतलब यह मैं समझता हूं कि शायद इनके साथी होंगे, इतने तो होंगे ही होंगे प्रतिक्रिया देने वाले आम

(डा. एन.एस. गुर्जर)

सभी वर्गो में, उन्होंने यह प्रतिक्रिया दी इसलिए मैं कहना चाहता हूं, नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य चले गये, मैं ज्यादा इस पर निवेदन करना चाहता हूं रेवेन्यू रिसीट कितनी बढ़ी है। अभी आंकड़े दे रहे थे, मेरे पास भी पूरे आंकड़े हैं, मेरे पास 2004-05 के भी आंकड़े हैं लेकिन मैं उनके शासन से तुलना करना चाहता हूं, वह हमारे शासन से अभी तुलना कर रह थे वह भी मेरे पास हैं, वह भी बढ़े हैं लेकिन मैं उनके शासन से तुलना करना चाहता था। 2003-2004 में 15423.85 करोड़ रूपये की रेवेन्यु रिसीट थी जो 2005-06 में बढ़कर 20538.35 करोड़ हो गई यानी 5114.48 हो गई, यह बढ़ी है, 33 परसेंट रेवेन्यु रिसीट बढ गई दो साल के अन्दर-अन्दर, यह रेवेन्यु रिसीट बढ़ी है। मैं इनको आंकड़ों के आधार पर यह जिसमें चाहें, जो आंकड़े चाहें मैं प्रस्तुत करना चाहता हूं, सरकारी आंकड़े इनके दिए हुए भी हैं, हमारे भी हैं, उनमें यह जो अभी पढ़ रहे थे आंकड़े उन्हीं में से मैं उठाकर इनको बता सकता हूं। इसी तरह से रेवेन्यु एक्सीपेंडीचर 2003-04 में 18848.28 करोड़ था, यह 2005-06 एक्सपेंडीचर बढ़कर के हो गया 22061.33 करोड़, यह बढ़ गया, 3213.05 करोड़ इसमें वृद्धि हुई है, रेवेन्यु एक्सपेंडीचर में 17.05 परसेंट वृद्धि हुई है। अब यह मना कैसे करेंगे? यह आंकड़ों के अन्दर दिया हुआ है इसलिए अगर पिछले साल के आंकड़े भी यह देखना चाहें तो रेवेन्यू एक्सपेंडीचर में यह बहुत बता रहे थे। अब मैं सारे अगर देने लग जाऊगा तो समय लग जाएगा, उपाध्यक्ष महोदय, फिर आप मुझे कहेंगे। ये पिछली साल के 23 परसेंट ज्यादा हैं। (व्यवधान) वह सब मैं बता रहा हूं। अब मैं इसमें एक-एक चीज पर आता हूं।

रेवेन्यु एक्सपेंडीचर और यह रेवेन्यु पूंजीगत व्यय यह 23 परसेंट ज्यादा है इसलिए ये जो कह रहे हैं और राजस्व घाटा, रेवेन्यु डेफिसिट यह 30.9 परसेंट घटा, है रेवेन्यु डेफिसिट इसलिए माइनस 30 में गया पिछले साल की तुलना में । यह मैं आंकड़ें नहीं देना चाहता हूं लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस रेवेन्यु एक्सपेंडीचर में डवलपमेंट एण्ड नान डवलपमेंट की बात कर रहे थे डवलपमेंट एक्सपेंडीचर व नान डवलपमेंट एक्सीपेंडीचर अगर आप देखें तो 2001-02 के आंकड़े भी मेरे पास हैं, 2003-04 के भी हैं लेकिन मैं 2001 से लेकर अब तक के आंकड़े मैं सारे कोट नहीं करना चाहूंगा, मैं सिर्फ सदन का ध्यान केवल 2003-04 के आकड़ों की तरफ

(डा. एन.एस. गुर्जर)

दिलाना चाहूंगा, 10399.56 करोड़ था रेवेन्यु एक्सपेंडीचर बढ़कर 2005-06 में यह हो गया 13136.82 करोड़ इंक्रीज हुआ, डवलपमेंट एक्सपेंडीचर 2737.26 करोड़ यह बढ़ा है। इसका मतलब यह हुआ है कि 2003-04 में जो डवलपमेंट एक्सपेंडीचर था उससे बढ़कर यह 2005-06 में यह बढ़ गया 59.55 परसेंट इतना परसेंट बढ़ा है।

डा. श्रीगोपाल बाहेती : उपाध्यक्ष महोदय, एक शेर मुझे याद आ रहा है इनकी बात के ऊपर कि उनकी महफिल इस सच से कांप जाती है कि जो घर को फूंक कर दुनिया में नाम रोशन करते हैं। इसका ध्यान रखिए आप।

श्री उपाध्यक्ष : यह बीच में क्या है?

डा. श्रीगोपाल बाहेती : इसका मतलब वह समझ गये।

डा. एन.एस. गुर्जर : उपाध्यक्ष महोदय, यह डवलपमेंट एक्सपेंडीचर, नान डवलपमेंट एक्सपेंडीचर 2003-04 का मैं कोट करके फिर कम्पेयर करता हूं कि आपके शासन से, जिसमें तीन महीने हमारे भी थे, उसमें कुछ बढ़ गया है, अब टोटल हमारा शासन है उस दोनों में 2005-06 का जो बजट प्रस्तुत हुआ उनकी दोनों की तुलना करना चाहता हूं मैं, आंकड़े भी लम्बे-चौड़े हैं मेरे पास लेकिन अभी सदन का समय बरबाद नहीं करना चाहता, 8448.72 करोड़ नान डवलपमेंट एक्सपेंडीचर यह कम हुआ है, डवलपमेंट एक्सपेंडीचर बढ़ा है हमारा और नान डवलपमेंट एक्सपेंडीचर कम हुआ है। 2005-06 में इससे घटकर हो गया 8924.51 करोड़, इसका मतलब यह हुआ कि जो 2003-04 में 44.82 परसेंट था वह 2005-06 में घटकर 40.45 परसेंट हो गया यह नान डवलपमेंट एक्सपेंडीचर हमने घटाया, इसका मतलब क्या हुआ? डवलपमेंट एक्सपेंडीचर बढ़ रहा है, नान डवलपमेंट एक्सपेंडीचर कम हो रहा है। इसका मतलब राजस्थान प्रगति की ओर बढ़ रहा है। आगे मैं निवेदन करना चाहता हूं अगर टोटेलिटी को आप देखेंगे, उपाध्यक्ष महोदय, टोटल रेवेन्यु एक्सपेंडीचर जो मैंने अभी आपको ऊपर बता दिया यह पांच साल के अन्दर-अन्दर इनके शासन के अन्दर लगातार डवलपमेंट एक्सपेंडीचर तो घटा। और नान डवलपमेंट एक्सपेंडीचर बढ़ा। हमारा शासन आने के बाद पिछले दो साल में लगातार डवलपमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है और नान डवलपमेंट एक्सपेंडीचर कम हो रहा है। यह इस शासन की उपलब्धि है। इसके बाद भी मैंने कहा कि आप तारीफ करने से शरमाते हो, तारीफ नहीं कर रहे हो इसकी आप।

(डा. एन.एस. गुर्जर)

इसी तरह से पर-कैपिटा प्लान एकसपेंडीचर, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि 2002-03 में 753 करोड़ रूपये था, वह 2003-04 में 1027 करोड़ हुआ और 2004-05 में ज्यों ही हम आये वह 1318 करोड़ हो गया। सॉरी 1318 रूपये। सब्जैक्ट टू करेक्शन, मैं करोड़ों में बोल रहा था इसलिए करोड़ आ गया, रूपये हैं। 753 रूपये 2002-03 में पर कैपिटा एक्सपेंडीचर था 2003-04 में 1027 रूपये हुआ और 2004-05 में बढ़कर के 1318 रूपये हो गया। यह पर कैपिटा प्लान एक्सपेंडीचर बता रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, सोशल सर्विसेज की जो अभी ये बात कर रहे थे, सोशल सर्विसेज में मैं एक्सपेंडीचर साइड बता रहा हूं, हमारी एक्सपेंडिचर साइड बहुत अच्छी है। प्लान रेवेन्यु एक्सपेंडीचर इन्क्रीज हुआ वह बहुत अच्छा है और सोशल सर्विसेज में भी इन्क्रीज हुआ है यह भी बहुत अच्छा है। यह 578.75 करोड़ से 12088.21 करोड़ 2005-06 में हो गया यह भी बहुत अच्छा है। इकोनॉमिक सर्विसेज में भी जहां 2003-04 में 1130.89 करोड़ था, 2005-06 में बढ़कर 1720.32 करोड़ कर दिया गया, यह भी बहुत अच्छा है। इसलिए यह सब इंडिकेट करता है हमारे वित्तीय प्रबन्धन को। नान प्लान भी बता रहा हूं। मैं इसलिए बता रहा हूं कि यह सारा का सारा किस दिशा की ओर इंगित करता है कि हमारी सरकार ने वितीय प्रबन्धन बहुत अच्छा किया जिसके कारण राजस्थान प्रगति की ओर जायेगा। इसी तरह से कैपिटल एक्सपेंडीचर की बात अभी आ रही थी, 2003-04 में 3176.30 करोड़, 2005-06 में 5160.9 करोड़ बढकर हो गया। 2003-04 की तुलना में 2005-06 से की है। 1984.62 करोड़ रूपये बढ़ गया। पर्सेंटेज में देखें तो यह 62.48 यानि लगभग साढे 62 प्रतिशत कैपिटल एक्सपेंडीर बढ़ गया। कैपिटल एक्सपेंडीचर जो सीधा-सीधा विकास की तरफ ले जाता है इसलिए मैं यह आंकड़े बता रहा हूं जो अभी बात कर रहे थे।

इसी तरह से रेवेन्यू डेफिसिट, अब रेवेन्यु डेफिसिट में 12वें वित्त आयोग ने बात की है कि रेवेन्यू डेफिसिट सरकारें कम करे और उन्होंने कहा कि 2008-09 तक इसको जीरो प्रतिशत तक ले जाएं। यह बात उन्होंने कही है और उन्होंने यह कहा कि जो फिस्कल डेफिसिट 2004-05 का है उसको रोकें तो राजस्थान सरकार ने उसको रोका है। यह मैं आंकडे देना चाहता हूं रेवेन्यू डेफिसिट के, कि हमारा किस तरीके से यह रिडयूस हुआ है। 2002-03 के अन्दर जो

(डा. एन.एस. गुर्जर)

रेवेन्यू डेफिसिट 30 प्रतिशत था, यह मैं करोड़ों में आंकड़े नहीं दे रहा हूं क्योंकि समय ज्यादा लगेगा इसलिए पर्सेंटेज में बताना चाहता हूं कि 2002-03 के अन्दर 30 प्रतिशत था, 2003-04 में 22 प्रतिशत था, 2004-05 में 15 प्रतिशत था और 2005-06 में आते-आते केवल 7.5 प्रतिशत हो गया। जो रेवेन्यु आय थी, रेवेन्यु रिसीट थी उसका केवल साढ़े सात प्रतिशत हो गया और इसके कारण हमने 2003-04 के अन्दर जो हमने रिडयूस किया वह टोटल रिड्यूस 2003-04 की तुलना में 2005-06 में रिड्यूस किया है वह 1901.44 करोड़ रिडयूस किया है जो कि 55.53 प्रतिशत होता है इन कम्पेरिजन टू 2003-04 इसलिए रेवेन्यू डेफिसिट को हमने घटाया जिसके कारण केन्द्र सरकार ने और आप देखिये उसके बाद यह करोड़ में रेवेन्यु डेफिसिट घटता गया और यह तीन साल के अन्दर-अन्दर रेवेन्यु डेफिसिट को हमने इम्प्रूव किया और इसमें 5 प्रतिशत एवरी ईयर इम्पूवमेंट के लिए उन्होंने बात कही है। 12वें वित्त आयोग ने कि यह करेंगे तो हमने जो इम्पूवमेंट किया उसके कारण उन्होंने हमको 59.77 करोड़ फिस्कल रिफोर्म्स फैसेलिटी के तहत केन्द्र सरकार ने इंसेंटिव के रूप में राजस्थान सरकार को पैसा दिया। केन्द्र सरकार में आपकी सरकार बैठी है, उसने यह पैसा दिया है। किसके तहत? हमने हमारा वित्तीय प्रबन्धन ठीक किया इसके तहत हमको राजस्थान सरकार को इंसेटिव दिया है। यह इंसेटिव देने का मतलब आपकी केन्द्र सरकार ने बी.जे.पी. की वसुंधरा राजे की राजस्थान सरकार को एक सर्टिफिकेट दिया है कि आपका वित्तीय प्रबन्धन बहुत अच्छा है दूसरे राज्यों की तुलना में। यह सर्टिफिकेट है। यह सर्टिफिकेट एक साल के लिए नहीं है। अगली साल के लिए भी हमने यह तय किया, आपके जो 2001-02, 2002-03 के जो साल थे उनमें रेवेन्यु डेफिसिट में बिल्कुल भी इम्पूवमेंट नहीं था इसलिए आपको कोई इंसेटिव नहीं मिला, कोई शाबाशी नहीं मिली लेकिन हमने यह इंसेंटिव लिया और यह 2004-05 के रिवाइज एस्टिमेटस आयेंगे उसके अनुसार भी हमको इंसेंटिव मिलेगा। हमारा जो रेवेन्यु डेफिसिट में सुधार होता जा रहा है। उसके कारण हमको 2004-05 में जो सुधार होगा. उसके कारण से हमको इंसेंटिव 60.61 करोड़ रूपये का फिर मिलने वाला है भारत सरकार से। इसलिए फिर प्रमाण पत्र मिलने वाला हैं राजस्थान की सरकार को कि आपका वित्तीय प्रबन्धन अच्छा है। अभी बात कर

(डा. एन.एस. गुर्जर)

रहे थे वित्तीय प्रबन्धन की, यह मैं आपकी केन्द्र की सरकार को कोट करके बता रहा हूं। (व्यवधान) वो चले गये तो चले गये मैं क्या करूं।

डा. चन्द्रशेखर बैद : ....दोनों में क्या कमेंट किया वह भी पढ़ लेना आप। (व्यवधान)

डा. एन.एस. गुर्जर : वो भी मैं बता दूंगा आपको, मुझे मालूम है। मैं तारीफ करना चाहूंगा माननीय चन्दन मलजी बैद, इस समय वो सदन में नहीं हैं, वो होते सदन में तो इस बजट का विश्लेषण वो अपने तरीके से करते और हमको भी सुनकर मजा आता लेकिन सामने तो धनुष उठाने वाला ही नजर नहीं आ रहा है। इस बजट के ऊपर हमसे बहस करने वाला कोई है ही नहीं। आप उठे हो, आप उनके सुपुत्र हैं, थोड़े बहुत टिप्स उन्होंने दे दिये होंगे इसलिए आप खड़े होने की हिम्मत कर रहे हो उनसे पूछकर, अपने आप जरा पढ़कर आते और खड़े होते तो समझ में आता। इसलिए यह चन्दन मल जी की मेहरबानी समझो जो आपको टिप्स देकर के भेज दिये और आप मेरे सामने खड़े हो रहे हो।

श्री उपाध्यक्ष : ये कमी पूरी करेंगे।

डा. एन.एस. गुर्जर : उपाध्यक्ष महोदय, मैं तारीफ कर रहा हूं उनकी। उनकी जबरदस्त पकड़ थी। आपको यह गर्व होना चाहिए कि आप उनके सुपुत्र हो और आपको इस बजट में मास्टरी करके आनी चाहिए, ऐसा भाषण देना चाहिएं कि कोई भी सदस्य इस सदन में बजट पर आप जैसा भाषण नहीं दे लेकिन मुझें लगता नहीं कि इतना अच्छा भाषण आप दे पायेंगे। अभी समय लगेगा, उसमें आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। थोड़ी संगत का असर गडबड़ है, संगत का असर गडबड़ है। घर में तो ठीक है, यहां गडबड़ है।

श्री मदन राठौड़ : घर का आपको कैसे मालूम कि घर में ठीक है?

डा. एन.एस. गुर्जर : घर में इसलिए ठीक है कि वहां चंदन मलजी बैद हैं इसलिए अच्छा है। उपाध्यक्ष महोदय, फिस्कल हमने घटाया। यस, आई एम जस्ट गोइंग टू गिव दा डाटाज, स्टेटिस्क्सि दे रहा हूं मैं आपको। ईयर 2002-2003 इसके अन्दर जो फिस्कल डेफिसिट था वह 6114.02 करोड़ था. इट वाज 7.15 पर्सेंट। अब 2003-04 में कितना था? 7.05 पर्सेंट। 2004-05 में ज्यों ही हम आये, वह घटकर 6.48 प्रतिशत हो गया और 2005-06 के अन्दर

(डा. एन.एस. गुर्जर)

तो यह 7.15 पर्सेंट से घटकर के 5.77 प्रतिशत हो गया। वह फिस्कल डेफिसिट है। यह आंकड़े हैं, आप देख सकते हैं कहीं भी। यह आंकड़े आप जिसमें चाहेंगे मैं आपको बता दूंगा। अगर आप मुझे गलत साबित कर देंगे तो मैं आपसे क्षमायाचना कर लूंगा लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये आंकड़े बिलकुल सही हैं।

आंकड़ों में कोई गडबड़ नहीं है। मैं सदन में जिम्मेदारी से बोल रहा हूं। मैं स्वागत करता हूं कि पक्ष और विपक्ष के कोई भी माननीय सदस्य करेक्ट करेंगे तो मैं संघर्ष उसको सुधार करूंगा और मैं क्षमायाचना करूंगा। मैं आंकड़े दे रहा हूं और जिम्मेदारी से दे रहा हूं और डाकुमेंट के आधार पर दे रहा हूं। यह बजट स्टडी और है। उपाध्यक्ष महोदय, इसके कारण क्या हुआ, हमारी प्लान साइज हमने बढ़ाई। दो साल के अन्दर-अन्दर हमने...(व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया : थोड़ी अंग्रेजी कम बोला करो, हमको भी कुछ समझ में आ जाये, हिन्दी में बोला करो, बाकी तो आपका भाषण कमाल का है।

डा. एन.एस. गुर्जर : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा दुर्भाग्य यह है कि मैं साइंस का विद्यार्थी रहा तो वहां इंग्लिश में साइंस पढ़नी पड़ी मुझे, उस समय हिन्दी में साइंस नहीं पढ़ाई जाती थी और उसके बाद...

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, वे सब समझते हैं, यूं ही कह रहे हैं वे।

श्री रामप्रताप कासनिया : मेरा दुर्गाग्य यह है कि मैं पढ़ा-लिखा पूरा नहीं हूं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हमने सुना है कि आप संस्कृत में फिल्म कर रहे हो तो वह आप कैसे बोलेगें?

डा. एन.एस. गुर्जर : मैंने थोड़ी-बहुत संस्कृत भी पहले पढ़ी थी। उपाध्यक्ष महोदय, फिर मैंने ला किया, एल.एल.एम. किया। वह भी इंग्लिश में किया और उसके बाद, इकोनोमिक्स, ला, साइंस, ये ऐसे सब्जैक्टस हैं जिनमें इंग्लिश में ही ज्यादा मसाला-मैटर मिलता है बाहर का, इसलिए मैं माफी चाहता हूं क्योंकि इसमें हिन्दी में क्लिष्ट शब्द हैं जो मुझे अभी याद नहीं हो पाये हैं, मैं क्षमा चाहूंगा और मैं ट्रांसलेट करूंगा तो ज्यादा समय लगेगा उसमें इसलिए माफी चाहता हूं। (व्यवधान)

(डा. एन.एस. गुर्जर)

उपाध्यक्ष महोदय, इसका परिणाम यह हुआ कि हमारी प्लान साइज को केवल दो साल के अन्दर-अन्दर उसको डबल कर दिया। यह पूरे देश के इतिहास में एक बहुत बड़ी बात है कि प्लान साइज को एकदम डबल करना और यह प्लान साइज के आंकड़े मैं दे रहा हूं। हमारा आठवां प्लान, जो हमारे समय में था 1992 से 1997 तक, उसको हमने पास कराया। 11998.97 करोड़ रूपये का पांच वर्ष का कराया और उस पर खर्च हुआ..(व्यवधान) खर्च किया 12051.57 करोड़ रूपये और करीब 400 प्रतिशत ज्यादा हमने खर्च किया... (व्यवधान) यस, यस, एक मिनट, ऐसा नहीं है, एक मिनट बैठिये, 400 करोड़ रूपये, मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जो योजना बनाई है क्योंकि मुझे हाथों-हाथ केलकुलेट करने में थोड़ा समय लग रहा है और उपाध्यक्ष महोदय बार-बार मेरी तरफ देख रहे हैं इसलिए मैं थोड़ा जल्दी चल रहा हूं। उपाध्यक्ष महोदय...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं आपको इंटरप्ट नहीं करना चाहता, इन्होंने जो प्लान की दुर्गति की है, वह बता दो इनको। आप इनकी पूरी पोल खोल दो आज। (व्यवधान)

डा. एन.एस. गुर्जर : एक मिनट, एक मिनट 1997 से 2002 का नाइंथ प्लान 27650 करोड़ रूपये का बनाया, उस समय हम थे जब बनाया था, इनक आते-आते इन्होंने क्या किया कि उसकी दुर्गति की, 19566 करोड़ रूपये पर लाकर टिका दिया, 19566 करोड़ रूपये पर लाकर टिका दिया। इसी तरह से वार्षिक योजना की इन्होंने दुर्गति की, दुर्दशा की। वर्ष 2001-2002 में इन्होंने 36.97 करोड़ की वृद्धि, 2001-2002 में 4219 करोड़ रूपये किया, 2002-2003 में 4931 करोड़ रूपये किया तो यह 2001-2002 में जो वृद्धि थी 522 करोड़ रूपये की, फिर 2002-2003 में वृद्धि की 212 करोड़ की और हमने 2003-2004, जब हमारा राज आया, जिसमें हमारे तीन महीने थे, आते ही इसको सीधा-सादा खर्च किया 6044 करोड़ रूपये, एकदम से 1600 करोड़ की वृद्धि की उसके बाद 2004-2005 में हमने 6797 करोड़ पर ले गये, 750 करोड़ की वृद्धि की और इस 2005-2006 के अन्दर हम करीब-करीब 8400 करोड़ के पास ले जायेंगे। फिर 1600 करोड़ रूपये की वृद्धि हम लोग इसमें कर रहे हैं। (व्यवधान) 8700 के आसपास ले जायेंगे लेकिन जो हमने अब तक प्लान साइज पास कराया है, मैं उसकी बात करके रहा हूं, इसलिए यह

(डा. एन.एस. गुर्जर)

प्लान साइज को किया और यह प्लान साइज में क्यों वृद्धि की, यह प्लानिंग कमीशन की मेरे पास प्रोसीडिंग्स हैं, यह मैं पढ़कर सदन का समय जाया नहीं करना चाहूंगा। इसमें इन्होंने राजस्थान सरकार की तारीफ की है कई चीजों में और जिसके कारण इन्होंने, राजस्थान की प्लान साइज जो हमने मांगी थी, हमने 7800 करोड रूपये के आसपास कहा था और इन्होंने बढ़ाकर हमको 8650 करोड़ रूपये की। हमने मांगी थी उससे ज्यादा दी क्योंकि प्लानिंग कमीशन ने हमारी तारीफ की है और उसमें पावर्टी एलिवेशन है, उसमें एजुकेशन हैं, दूसरे प्रोग्राम्स हैं। इसमें लिखा है इसलिए मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, आप मुझे फिर रोकेंगे इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, इसके कारण क्या हुआ, इसके कारण यह हुआ कि हमारा ओवरड्राफ्ट प्लानिंग की साइज बढ़ी यह, वित्तीय प्रबन्धन हमने अच्छा किया, हमारी सरकार ने, वसुन्धराजी की सरकार ने, उसके कारण क्या हुआ कि हमारा जो ओवरड्राफ्ट था, इनके समय में, 1998 से लेकर 4 दिसम्बर, 2003 तक 704 दिन तक ओवरड्राफ्ट की स्थिति रही और हमारे 13 वर्षों में 1993-94 के बाद से, 1993-94 में हमारी सरकार उस समय थी, उसके बाद उपाध्यक्ष महोदय, यह पहला वर्ष है वसुन्धरा सरकार का, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, इस पूरे वर्ष में एक दिन भी ओवरड्राफ्ट में सरकार नहीं रहीं। इससे अच्छा वित्तीय प्रबन्धन क्या होगा।

अब ये बातें कर रहे थे ऋण की, कि ऋण भार बढ़ गया, इंट्रेस्ट का इतना पेमेंट कर रहे हैं। मैं इनको आंकड़े देकर के याद दिलाना चाहूंगा, ये ऋण की बात कर रहे हैं। मैं इनको याद दिलाना चाहता हूं कि यह ऋण हमने 1998-में 23-24 हजार करोड़ का ऋण छोड़कर गये थे 23000 करोड़ समथिंग वह क्यों छोड़कर गये थे कि जब ये 1990 में गये थे तो 8000 करोड़ का ऋण छोड़कर गये थे हमारी सरकार को, अब 8000 करोड़ का इन्होंने छोड़ा, हमने बढ़ाकर उसको 23000 करोड़ का कर दिया....(व्यवधान) उसमें हमने 18500 करोड़ की परिसम्पत्तियां क्रिएट की। 23500 करोड़ का ऋण तो छोड़ा लेकिन 18500 करोड़ की परिसम्पतियां क्रिएट कीं। मेरे पास ये आंकडे हैं कितनी-कितनी परिसम्पतियां हमने क्रिएट कीं और कितने-कितने यह ऋण जो हमने हर साल लिया, इसके सारे आंकड़े मेरे पास पड़े हैं, ईयरवाइज में आपको आंकड़े दे सकता हूं, लेकिन मैं पर्सेन्टेज के आधार पर निवेदन करना चाहूंगा

(डा. एन.एस. गुर्जर)

क्योंकि समय नहीं है 2003 के अन्दर आप 55000 करोड़ का कर्जा छोड़कर गये और 2005-2006 में जैसा कि माथुर साहब कह रहे थे कि यह 67000 करोड़ का कर्जा हो जाएगा लेकिन इसको देखिये आप एनुअल एवरेज इन इन्क्रीज इन डेट वाज, इनके समय में कितना था, 18.5 पर्सेन्ट आपके समय में था, उसको हम घटाकर जो ऋण पर पर्सेन्टेज बढ़ रहा था, वह 18.5 प्रतिशत बढ़ रहा था, उसको हमने कम करके केवल 12.8 प्रतिशत तक लाकर खड़ा कर दिया। यह हमने ऋण में कमी की, उसके पर्सेन्टेज को कम किया और उसके बाद अलग-अलग तरीके से किया है। इसका असर यह हो गया, इनकी जो असैटस थी, पर्सेन्टेज के आधार पर अगर आप देखें तो 2001-2002 में 30 प्रतिशत की असैटस थी टोटल ऋण की, 2004-2005 में रिवाइज एस्टीमेट के हिसाब से 57 पर्सेन्ट असैटस क्रिएट की। यह 2001-2002 का समय इनका था, 2004-2005 में तीन महीने हमारे थे, उसमें सीधा हमने 57 पर्सेन्ट पर पहुंचाया असैटस क्रिएट करने में और 2005-2006 तक आते-आते हम इसको 57 से बढ़ाकर 65 पर्सेन्ट पर लेकर गये हैं असैटस में, इसलिए जो ऋण की असैटस हैं, ऋण ले नहीं रहे हैं हम असैटस भी क्रिएट कर रहे हैं। जितनी मात्रा में ऋण ले रहे हैं, उसी हिसाब से, उसी तेज गति से ज्यादा हम क्रिएट कर रहे हैं.....

श्री शान्तिलाल चपलोत : आप ऋण लेकर घी नहीं पी रहे हैं।

डा. एन.एस. गुर्जर : हां, कर्जा करके घी नहीं पी रहे हैं, हम प्रदेश की जनता के विकास में पैसा खर्च कर रहे हैं इस ऋण को लेकर के और जो ऋण का री-पेमेंट था, 2001-2002 में जो री-पेमेंट था इस केपिटल आउटले का, इस डेट के ऊपर ऋण का, यह साढे चार गुना केपिटल आउटले री-पेमेंट हुआ था। उसको 2004-2005 में आते-आते हमने केवल दुगुना लाकर के रख दिया, ढाई गुना उसको कम कर दिया इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, और यह जो ऋण के ऊपर इंट्रेस्ट पे करते हैं, उसमें 2001-2002 में हम 32 प्रतिशत टोटल ऋण था उसके ऊपर इंट्रेस्ट पे करते थे 32 पर्सेन्ट, उसको 2005-2006 में कम करके हमने केवल 26 पर्सेन्ट पर लाकर खड़ा कर दिया तो यह कितना वित्तीय प्रबंधन है। इसके बाद आप क्या चाहते हैं, इस बजट के अन्दर कोई जादुई छड़ी चाहते हैं कि इस बजट के अन्दर हम क्या करेंगे। यह सारे के सारे मेरे पास आंकड़े हैं। अगर आप चाहें 1998 से लेकर के इन्टरेस्ट पेमेंट के, इन्टरेस्ट पेड आन रिसीटस, यह सारे आंकड़े मेरे ईयरवाइज हैं, माननीय

(डा. एन.एस. गुर्जर)

जोशीजी गये, यह सारे आंकड़े मेरे पास हैं, मैं इनमें सदन का समय जाया नहीं करना चाहता इसलिए यह इनकी बात करना चाहता हूं।

प्लान साइज की मैंने बात कर दी कि प्लान साइज हमने कितना बढ़ा करके क्या-क्या किया, जिसका आउटपुट क्या रहा। उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ-साथ टैक्स की बात कर रहे थे अभी। इसके विपरीत हमने टैक्स रेवेन्यु बढ़ाया और यह टैक्स रेवेन्यु कैसे बढ़ाया, एक प्रिंसीपल है उपाध्यक्ष महोदय। माननीय सदस्य जो अर्थशास्त्र के विद्वान हैं, मैं अर्थशास्त्र का विद्यार्थी नहीं रहा हूं, लेकिन फिर भी जो अर्थशास्त्र के विद्वान हैं, वह जानते होंगे। मैं उदाहरण देना चाहूंगा, प्रिंसीप्लस। एक है लाफ्टर्स कर्व प्रिंसीपल, टैक्स के मामले में। लाफ्टर्स कर्व प्रिंसीपल। इसका जो फार्मूला है वह यह है कि आप इन्टरेस्ट रेट को कम करो, लेस इन्टरेस्ट रेट रखो, इसको सुसंगत बनाओ, इसको सिम्पलीफाई करो, अगर यह तीन काम कर दिये और रिबेट दीजिये तो आपकी टैक्स कलेक्शन ज्यादा होगा। कलेक्शन टैक्स का, रेवेन्यू का, वह ज्यादा होगा। वेदा के अंदर, वेद में भी, यह तो लेटेस्ट प्रिंसीपल है, माडर्न प्रिंसीपल है लाफ्टर्स कर्व प्रिंसीपल, लेकिन वेदों के अंदर भी हमारा एक प्रिंसीपल था। पुराने जमाने में हमारे लोग जब पेड़ की टहनी काटते थे तो पहले उसको नमस्कार करते थे और कहते थे कि हे पेड़, मैं पूरे को नहीं काट रहा हूं, जितनी मुझे आवश्यकता है उसको ही ले रहा हूं। मेरी इच्छा है कि मेरी भी आवश्यकता पूर्ण हो और तू और फले-फूले ताकि तेरे से लेकर मैं फिर मेरी आवश्यकताओं की पूर्ति करूं। वह पूरे पेड़ को नहीं काटते थे, इन्होंने पूरा पेड़ काटने की कोशिश की। अभी माननीय जोशीजी उदाहरण दे रहे थे विलासिता कर कम कर दिया...

श्री रामप्रताप कासनिया : सफाया ही कर दिया पेड़ों का तो, नहर पर से और सारे ही कटा दिये अपने शासन में, पर्यावरण को तो दूषित करके छोड़ दिया।

डा. एन.एस. गुर्जर : हां, वह बिलकुल सही है, वह पर्यावरण पर आउगा तब बोलूंगा आपकी बात, अभी मैं बजट पर बोल रहा हूं। उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए वह जो उसम समय भी, इन्होंने मनोरंजन कर, हमने सब चीजों पर किया है, यह बाकी चीजें क्यों नहीं बताई इन्होंने कि किस चीज पर टैक्स हमने कम किया है। विलासिता कर का बता दिया, इसमें बता दिया,

(डा. एन.एस. गुर्जर)

उसमें बता दिया, हमने सब चीजों पर टैक्स कम किया है। यह टैक्स की छूट इस पूरे बजट भाषण के अंदर दी हुई है कि हमने किस-किस पर कितनी-कितनी छूट दी है, मैं एक-एक चीज बता करके सदन का समय, आपने पढ़ लिया, अखबारों में भी आ गया, बरबाद नहीं करना चाहता। कितनी टैक्स रिबेट दी है, उसको क्यों नहीं आपने कोट दिया, केवल मनोरंजन को ही आपने कोट कर दिया। उसका कारण क्या है, मनोरंजन कर में भी चोरी होती थी, इसलिए हमने कहा कि चोरी रूके, ज्यादा टैक्स आये और टैक्स कलेक्शन बढ़ा है। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, जहां पर 01-02 में सात प्रतिशत टैक्स रेवेन्यु बढ़ा, टैक्स कलेक्शन बढ़ा, 03-04 में यह बढ़ करके 15.88 प्रतिशत हो गया और 04-05 में 15 प्रतिशत बढ़ गया। एक्चुअल रिपोर्टस, यह तो जो इनक्रीज हुआ 03-04 और 05-06 में, जो एक्चुअल रिपोटर्स है, एक्चुअल, वह तो करीब सैंतीस परसेंट टोटल कलेक्शन, मैं टोटल की बात कर रहा हूं, वह करीब-करीब सैंतीस के पास जो आंकड़े बता रहे हैं उसके हिसाब से है, मैं सब्जैक्ट टू करेक्शन, क्योंकि इसमें मैं देखना चाहूंगा, लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, जो टैक्स समाप्त किये हमने, टर्न ओवर टैक्स समाप्त किया, सरचार्ज खतम कर दिया। प्रोफेशन टैक्स समाप्त किया, टैक्स रेटस को रिडयूस किया स्टाम्प डयूटी को रिडयूस किया, विलासिता टैक्स को रिडयूस किया है, एन्टरटेनमेंट को रिडयूस किया है, मैं स्वीकार कर रहा हूं लास्ट ईयर, उसके कारण और इस साल भी टोटल दो लाख पांच हजार लोग टैक्सपेयर हैं, 75 हजार लोगों को एक स्कीम है जिसका लाभ होगा और डेढ़ पर्सन्स की जो डिमाण्ड निकलती थी, इसके दस ईयर से ज्यादा के जो थे, बीस हजार लोगों को फायदा हुआ, उसको राइट आफ किया। इसके कारण पचास हजार परसन्स को बेनिफिट होगा। छह-सात करोड़ का इसमें रिलीफ दिया है। स्लेब्स को पन्द्रह से घटाकर ग्यारह किया है, टोटल टैक्स रिलीफ जो दी है वह तीस कमोडिटीज से ऊपर दी है और जो भी अभी यह कह रहे थे कि टैक्स कलेक्शन कितना हुआ और कितना नहीं हुआ, यह मैं बताना चाहता हूं आपको। 2004-05 में रिवाइज एस्टीमेट 4720 करोड़ का टैक्स, सेल्स टैक्स था जो अभी जोशीजी आंकड़े दे रहे थे, मैं बताना चाहता हूं, वह 05-06 में बढ़ करके 5425 करोड़ का टैक्स कलेक्शन हो जायेगा। यह आंकड़े हैं, जो कम बता रहे थे और यह आंकड़े इस बजट स्टडी के अंदर भी हैं और, और में भी हैं और यह 03-04 में जहां 16.5...

श्री उपाध्यक्ष : कन्क्लुड कीजिये, बहुत आ गया। कुछ बाकी नहीं छोड़ा आपने।

डा. एन.एस. गुर्जर : प्लीज । मैं बाकी पर अभी आ रहा हूं। मैं आ रहा हूं उपाध्यक्ष महोदय, बहुत इम्पोर्टेण्ट चीजें हैं अभी, मैं केवल टैक्नीकलिटीज के बारे में बोल रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : हां. कह दें।

डा. एन.एस. गुर्जर : 03-04 में 16.5 परसेंट टैक्स ज्यादा कलेक्शन हुआ जो पिछले चार साल में, 03-04 में तीन महीने हमारे थे, 16.5 परसेंट टैक्स ज्यादा कलेक्शन हुआ जो पिछले चार साल का एक रिकार्ड टैक्स कलेक्शन था, चार साल से और यह 05-06 में और 04-05 के अंदर जो रिवाइज्ड एस्टीमेट हैं, यह 03-04 का था और 04-05 में यह बढ़कर के जो यह 22.5 परसेंट ज्यादा टैक्स वसूल हुआ है और यह क्यों हुआ है, यह इसीलिए हुआ उपाध्यक्ष महोदय, और 04-05 से 05-06 के अन्दर जो इनक्रीज होगा यह नान टैक्स रेवेन्यू, यह नान टैक्स रेवेन्यू भी इनक्रीज होगा और यह 04-05 में जहां 4846 करोड़ था, यह 05-06 में बढ़ करके 5609 करोड़ हो जायेगा, यह 18 प्रतिशत बढ़ेगा। यह क्यों पढ़ा कि she trusted people वसुंधराजी ने जनता पर विश्वास किया, टैक्सपेयर पर विश्वास किया। And they trusted her. जनता ने उन पर विश्वास किया। विश्वास पैदा हुआ आपस में जिसके कारण टैक्स बढ़ा है। इसलिए यह जो टैक्स बढ़ा है, कह रहे हैं कि टैक्स नहीं बढ़ा उपाध्यक्ष महोदय, इनकी सही बात नहीं है। टैक्स में भी हमने रिलीफ दी है और टैक्स, मैं तो यह कहना चाहता हूं कि टैक्स के अलावा भी जो इकोनोमिक सेक्टर की बात कर रहे थे, उन्होंने एग्रीकल्चर, रूरल डवलपमेंट, सिंचाई, आज गांव का विकास कैसे होगा, उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले हमको खेती को देखना पड़ेगा और खेती किस-किस चीज पर निर्भर है, खेती खाद-बीज पर निर्भर है, खेती पानी पर निर्भर है और किसान पशुपालन पर। किसानों की यह केवल बात करते थे, बिजली के ऊपर निर्भर है, मैं बताऊंगा बिजली का भी और यह जो पानी है, सिंचाई उस पर निर्भर है, पशुपालन पर किसान निर्भर है, उनके ऊपर भी एक-एक चीज में अगर देखें, खेती का मुझे दुःख है, आपने चालीस साल राज किया, खेती का जो टोटल

(डा. एन.एस. गुर्जर)

डी.जी.पी. का जो परसेंटेज है उसमें जो हम प्लान का वह देते हैं, तीस परसेंट एग्रीकच्लर का उसमें भाग है, उसके ऊपर टोटल डी.जी.पी. का खर्च होता है केवल एक परसेंट से भी, रेवेन्यु रिसीट का एक परसेंट से भी कम, एक परसेंट समथिंग है कुछ, इतना सा प्रतिशत खर्च करते हैं। इस बार हमने इसमें भी बढ़ाया। यह 2002-03 और 05-06 की तुलना करें तो 53 प्रतिशत हमने बढ़ाया है। रूरल डवलपमेंट से ऊपर 03-04 और 05-06 की तुलना करें तो सौ प्रतिशत बढ़ाया। इरिगेशन में 13 प्रतिशत बढ़ाया, ट्रांसपोर्ट में 53 प्रतिशत बढ़ाया और एग्रीकल्चर एलाइड सर्विसेज में 137 था उससे इनक्रीज हुआ 88 करोड़, यह 184.18 प्रतिशत बढ़ाया, एग्रीकल्चर एण्ड एलाइड में टोटल, इसलिए हम सीधे-सीधे 48 करोड़ से 137 करोड़ पर ले गये। यह कृषि पर आप खर्च करते थे 48 करोड़ और कहां 137 करोड। इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, यह एग्रीकल्चर की बात करते हैं एलाइड सर्विसेज में, यह ईयरवाइज आंकड़े हैं। 2000-01 में 150 करोड़, 01-02 में 114 करोड़, 2003 में 73 करोड़, एकदम ही कम ले गये। 03-04 में 90 करोड़, तीन महीने हमारे भी थे, 04-05 में हम ले गये सीधा इसको 142 करोड़ और टोटल प्लान का 05-06 में 276, इसी तरह से पशुपालन में पांच वर्षों में आज आंकड़े आये हैं, अखबारों में मैं पढ़ रहा था, 04-05 के अन्दर जहां पर हमने खर्च किया, 7.21 करोड़ का प्रोवीजन रखा, उसको एकदम बढ़ाया, हमने 05-06 में 20 करोड़ रूपये कर दिया, तीन गुना बढ़ा दिया। पिछले पांच वर्षों में जब 98 से 03 तक यह थे तो राजस्थान के अंदर 1997 की जनगणना के हिसाब से, नहीं, यह 2001 की जनगणना थी या कितने की थी, एक मिनट रुको, मैं बता रहा हूं इसको।

उपाध्यक्ष महोदय, यह पशु जनगणना 1997 में हुई थी उसमें 1.31 करोड़ गायें थीं। 2003 में फिर जनगणना हुई उसमें घट कर 1.085 करोड़ हो गयी पशुधन की, 13 लाख गायें राजस्थान में कम हो गयी। यह किसके राज में हुआ। यह इनके राज में हुआ। 15 लाख गायें राजस्थान में पशुधन कम हो गया। यह पशुपालन की स्थिति है। ये किसानों की बात करते थे कि हम किसानों को यह दे रहे हैं किसानों को वो दे रहे हैं, किसानों ने इनको निपटा दिया।

(डा. एन.एस. गुर्जर)

इसी तरह से उपाध्यक्ष महोदय, किसानों के लिए हमने बहुत सारी योजनाएं जिनको मैं कहना नहीं चाहता पशु नस्ल में सुधार किया, भेड़पालक निष्क्रमण के हमने एक लाख लोगों को लाभ दिया। उन मंडी, गौ सेवा आयोग मैट्रो डेयरी परियोजना, सिंचाई के 27 विकल्प हमने दिये। कृषि जी.डी.पी. में योगदान बढ़ाया। पशुधन में तीन गुना वृद्धि की। स्पेशल मंडियां हमने क्रिएट कीं, जोधपुर में खोली, पाली में खोली जहां-जहां जैसी पैदावार होती है वहां हमने स्पेशल मण्डियां तैयार कीं, गुण नियंत्रण प्रयोगशालाएं हमने तैयार कीं। अमूल्य नीर योजना हमने चलायी। कृषि बीमा योजना पर सौ करोड़ रूपयों का प्रावधान किया और सारी फसलों के ऊपर प्रावधान किया। आपके शासन में 21 राज्यों में फसल बीमा योजना लागू की थी लेकिन राजस्थान उससे वंचित था एक भी फसल पर फसल बीमा योजना लागू नहीं की। हमारी सरकार ने आते ही सारी फसलों के ऊपर फसल बीमा योजना लागू कर दी और इसके लिए सौ करोड़ का प्रावधान डाल दिया। सहकारिता के ऋण वितरण 2240 करोड़ का हमने लक्ष्य रखा है इसलिए ये सारी चीजें किसानों के लिए हमने की हैं। आप केवल किसानों के लिए आंसू बहाते रहे। उपाध्यक्ष महोदय, सिंचाई के मामले में हमने 736 करोड़ रूपये जब हम सरकार में आये थे 2003-04 में सिंचाई के ऊपर केवल 431 करोड़ रूपये का खर्चा होता था। हमने आते ही 731 करोड़ रूपये खर्च किये 2003-04 में, 2004-05 में फिर 731 करोड़ रूपये खर्च किये और फिर हमने 2005-06 में भी जो व्यवस्था की है वो 736.57 करोड़ रूपये की व्यवस्था की है। हमने फिर सिंचाई के अन्दर व्यवस्था की है और इसके अन्दर सौ करोड़ रूपये हमने नहरों पर खर्च कर दिये, पिछले साल में हमने 350 करोड़ रूपये हमने नर्मदा के लिए खर्च किये। सौ किलोमीटर की नहरें गुजरात में पूरी हो गयीं जिससे 2006 तक इसका पानी आ जाएगा और इस बार नर्मदा परियोजना पर दो सौ करोड़ रूपये हम खर्च कर रहे हैं तो 2006 तक राजस्थान में नर्मदा का पानी आ जाएगा। उपाध्यक्ष महोदय, पहली बार चाहे कोटा में हो, माही डेम हो, चाहे इन्दिरा गांधी कैनाल हो, ये नहरें टूटी रहती थी मैंने सदन में देखा, नहरों का पानी वेस्ट जाता है, किसान वंचित होता है, फसलें कम पैदा होती हैं, नहरों की मरम्मत के लिए प्रावधान करो, लेकिन अभी किसी सरकार ने प्रावधान नहीं किया। यह सरकार है जिसने आते ही नहरों पर, चम्बल की नहरों पर 7 करोड़, माही नहरों पर 5 करोड़ रूपये,

(डा. एन.एस. गुर्जर)

इन्दिरा गांधी कैनाल की नहरों पर 5 करोड़ लगाए। ये सब करते-करते जो नहरों का जीणोद्धार है उसमें 30 करोड़, ये इस तरह से करते-करते हमने....।

श्री जीतमल खांट : 5 करोड़ रूपये माही पर जो हैं वो स्टाफ का खर्चा है।

डा. एन.एस. गुर्जर : हां वो किसका है बता रहा हूं न आपको। स्टाफ का नहीं है नहरों के लिए रखा है, नहरों की मरम्मत के लिए रखा है। यही तो कहता हूं आप जरा पता करें और इसके लिए हमने वाटर हारवेस्ट स्कीम, वाटर हारवेस्ट स्ट्रक्चर को डवलप करने के लिए 150 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।

उपाध्यक्ष महोदय, इससे किसानों को लाभ होगा और सिंचाई बढ़ेगी। इसी तरह से हमने सौ करोड़ रूपये गंग कैनाल को दिये लास्ट ईयर। इस बार 60 करोड़ रूपये दे रहे हैं। इस तरह से हमने 650 सिंचाई के पटवारियों को इन्होंने हटा दिया था इनकी सरकार ने हमने उनको वापस लिया। पाकिस्तान में पानी जा रहा था, हरिका गेट का जो लीकेज का पानी था वो पाकिस्तान जा रहा था उसको हमने 60 करोड़ रूपये खर्च करके रोका है अप्रैल के अन्त तक वो पानी रूक जाएगा और पाकिस्तान में नहीं जाएगा और भारत में वो पानी काम आएगा इसलिए उपाध्यक्ष महोदय...

श्री उपाध्यक्ष : कनक्लूड कीजिये। कुछ कासनियाजी के लिए छोड़ दो आप। नहर वाला मामला कासनियाजी के लिए छोड़ दो।

डा. एन.एस. गुर्जर : हां छोड़ दिया। हां कासनियाजी के लिए छोड़ दिया। मैं दूसरी बात पर आ रहा हूं। ये बिजली की बात कर रहे थे। लिग्नाइट परियोजना जो केन्द्र सरकार अपने हाथ में लेना चाहती है हमारी सरकार ने प्रयास किया, ये बिजली की बात कर रहे हैं, बिजली में हमने 2005-06 में दो हजार करोड़, रूपये बढ़ाये। ये गिराल विद्युत परियोजनाएं दो इकाइयों से ढाई सौ मेगावाट बिजली पैदा होगी, धौलपुर गैस आधारित 140 करोड़ का प्रावधान इससे 3030 मेगावाट बिजली, काल सेन्टर हर जिला मुख्यालय पर बना दिया। कस्टमर केयर सेन्टर संभाग मुख्यालय पर बना दिया और इसके अलावा लिग्नाइट...।

श्री उपाध्यक्ष : इसको गुंजल साहब संभाल लेंगे। अब आप कनक्लूड कीजिये।

डा. एन.एस. गुर्जर : मैं कर रहा हूं। रुकिये आप। मैं आ रहा हूं उपाध्यक्ष महोदय, लिग्नाइट में 70 हजार वर्ग किलोमीटर में लिग्नाइट के भण्डार हैं और 34 हजार मिलियन टन लिग्नाइट के भण्डार भरे पड़े हैं। ये 25 से 30 वर्ष तक पर्याप्त हैं। अभी केन्द्र सरकार ने एक इसका कानून बना कर कोशिश की है।

उपाध्यक्ष महोदय, खान एवं खनिज विकास एवं नियंत्रण कानून 1957 के तहत और कोयला राष्ट्रीकरण कानून 1973 में संशोधन करके ये लिग्नाइट को अपने कब्जे में लेना चाहती है राजस्थान के। मैं राजस्थान सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार ने लिग्नाइट नीति बनाने की तैयारी शुरू कर ली है और ये लिग्नाइट हम भारत सरकार के कब्जे में जाने नहीं देंगे राजस्थान की सरकार के कब्जे में रहेगा और उससे राजस्थान का विकास होगा बिजली का उत्पादन बढ़ेगा और इससे राजस्थान के किसान लाभान्वित होंगे। उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरह से सड़कों का निर्माण, माननीय सड़क मंत्रीजी बैठे थे अभी यहां। हमने स्टेट रोडस फंडस का गठन किया है। इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनी आफ राजस्थान का हमने उसके लिए चार स्टेट हाइवे 1019 किलोमीटर के जो 12 जिलों में गुजरेंगे और ये अन्तरराष्ट्रीय स्तर की सड़कें होगी। ये प्रावधान पहली बार हमने किया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में पिछली सरकार ने तीन सालों में केवल 918 गांव सड़कों से जोड़े थे। आपकी सरकार ने तीन साल में केवल 918 गांव और हमारी सरकार केवल एक साल में ही 1725 गांवों को सड़कों से जोड़ा। इसी तरह से।

श्री रघुवीर सिंह मीणा : प्रति दिन सात गांवों को जोड़ रहे थे.....। (व्यवधान)

डा. एन.एस. गुर्जर : आगे सुनिये ना। इस बार हमने पांच सौ करोड़ रूपये का प्रावधान किया है। 35 सौ किलोमीटर सड़कों का निर्माण करके 1100 गांवों को सड़कों से जोड़ेंगे इसके लिए पांच सौ करोड़ रूपयों का प्रावधान किया है। राजस्थान शहरी आधारभूत विकास योजना में 405 करोड़ रूपये का प्रोविजन किया है। राजस्थान इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस डवलपमेंट कारपोरेशन को पांच करोड़ रूपये दिये हैं। इस तरह से हमने सड़कों का भी विस्तार किया है। उद्योग और लघु उद्योगों में हमने दोनों को मिला करके सरकारी नौकरियां

(डा. एन.एस. गुर्जर)

उद्योग, ये मिला करके लगभग दो लाख लोगों को नौकरियां एक लाख तो केवल उद्योग में दी हैं। 38 हजार अध्यापक उसके अलावा 87 हजार और ये सब मिलाकर के अलग-अलग पद हैं मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं समय का अभाव है। 87 हजार लोगों को हम रोजगार देंगे तो इस तरह से मिला करके हम करीब सवा दो ढाई लाख लोगों को सरकारी और गैर सरकारी चीजों के अन्दर रोजगार हमने दिया कुछ को दिया है और देने जा रहे हैं। यह एक बहुत बड़ा तोहफा युवाओं को इस सरकार ने दिया है।

श्री जुबेर खान : माननीय सदस्य, उद्योग कहां हैं जहां आपने एक लाख लोगों को रोजगार दिया है। उद्योग तो बता दीजिये।

डा. एन.एस. गुर्जर : मैं बता रहा हूं। विराज जाएं। अलग-अलग का नहीं बताना चाहता हूं मैं। देखिए मैंने कहा था कि नया स्वप्न है। नया स्वप्न है मैंने यों ही नहीं कहा था उसके लिए नालेज कारीडोर और नालेज पार्क बनाने के लिए अजमेर रोड़, दिल्ली रोड पर सरकार ने प्रोविजन किया है। मैं इसका स्वागत करता हूं। हैरीटेज सिटी जयपुर को डवलप करने का राजस्थान सरकार ने तय किया है और इसलिए स्टोन पार्क सिकन्दरा में, एग्रो फूड पार्क कोटा में, जोधपुर में उसका विस्तार, माननीय जुबेर खानजी नया फूड पार्क अलवर, सिरेमेकी सेन्टर बीकानेर, रुग्ण इकाइयों के पुनर्जीवन के लिए पैकेज की घोषणा। कैप्टिव पावर प्लांट लघु एवं कुटीर उद्योगों को विद्युत कर से मुक्ति ये ऐसे हैं, ये ऐसी चीजें हैं जिसमें आप कह रहे हो कि उद्योग कहां लगेंगे, यह सरकार की नयी सोच है नया संकल्प है और नये स्वप्न की दिशा तय कर रही हैं ये चीजें। ये नयी दिशा तय कर रही हैं रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए औद्योगिक रूप से तो उपाध्यक्ष महोदय....।

श्री जुबेर खान : माननीय सदस्य, मेरा तो इतना ही निवेदन है कि आज का भाषण याद रखना और अगली बार देख कर बता देना कि ये फूड पार्क कहां बनेगा। आज की बात याद रख लेना और अगले बजट में जब आप बोलो तो हमें पता जरूर बता देना कि अलवर में फूड पार्क कहां बना है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अगले बजट में ऐसे नहीं बोलेंगे, इस जगह से बोलेंगे।

डा. एन.एस. गुर्जर : ठीक है। उपाध्यक्ष महोदय, करों में जो छूट दी

(डा. एन.एस. गुर्जर)

है, कच्चे माल पर, रेडीमेड गारमेंट होजरी पर, माचिस, बरतन, धागा, साइकिल, पाइंटेड पेन, महिला उद्यमी, कोटा स्टोन, मार्बल निर्माण कार्यों के ऊपर ये अलग-अलग....।

श्री हरिमोहन शर्मा : आप कैसे बना रहे हो इनको मंत्री, आपको ही उन्होंने बनाया है आप इनको मंत्री बना रहे हो।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मैं खाली कर रहा हूं इनके लिये। (व्यवधान)

डा. एन.एस. गुर्जर : उपाध्यक्ष महोदय, आज विकास के लिये किसकी जरूरत पड़ेगी। किसान को मजबूत बनाना पडेगा, युवाओं को रोजगार देना पड़ेगा, गांवों का विकास करना पड़ेगा, सिंचाई योजनाओं को सुधारना पड़ेगा, एग्रीकल्चर पर ध्यान देना पड़ेगा। यह मैंने इकोनामिक सैक्टर के बारे में बताया है कि इसमें कितने प्रतिशत इन्क्रीज हुआ, मैं उन आंकड़ों में जाना नहीं चाहता। इसी तरह से ग्रामीण विकास की गति चलती रही तो अभी दो साल हुए हैं, पांच साल में क्या स्थिति होगी। मैं फिर चार लाइनें कहना चाहता हूं कि

"जन जन की आंखों के सपनों को सच में बदल कर रख देंगी,
गांव, गरीब और किसान की तकदीर बदल कर रख देंगी,
और इस बजट को देख कर मुझे ऐसा लगा कि वसुन्धराजी
राजस्थान की तस्वीर बदल कर रख देंगी।"

इसलिए गांव की तस्वीर बदलने का सपना...

श्री उपाध्यक्ष : बस धन्यवाद । अब शेर के बाद क्या रह गया?

डा. एन.एस. गुर्जर : सिर्फ पांच मिनट, सिर्फ पांच मिनट।

श्री जुबेर खान : अब लग रहा है कि यह अगली बार यहां आ जायेंगे।

श्री हरिमोहन शर्मा : जब फर्स्ट कमेंट बजट पर हुआ और आपका कमेंट ई टी.वी. पर लिया गया तब तो आपने यह श्लोक नहीं बोला। यह तो आफटर थोट है। यह सब बातें तो उसी दिन बोलनी चाहिये। वसुन्धरा जी की तारीफ उस दिन करते, यह तो सब बाद की बाते हैं।

डा. एन.एस. गुर्जर : उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा मंत्रीजी बैठे हैं, मैं इनको बधाई देना चाहूंगा कि हमारी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि केन्द्र में इनकी सरकार है और पूरे देश के शिक्षा मंत्रियों की मीटिंग हुई और उस मीटिंग में एक कमेटी बनी उस कमेटी का अध्यक्ष किसी कांग्रेस के शिक्षा मंत्री को नहीं बनाया गया राजस्थान की शिक्षा व्यवस्था को देखकर घनश्यामजी तिवाड़ी को उसका चेयरमैन बनाया गया। (व्यवधान) आपकी मजबूरी थी..

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल : माननीय सदस्य, यह सर्टिफिकेट नहीं है, सुधार की सबसे ज्यादा जरूरत यहां है इसलिए बनाया गया अध्यक्ष।

डा. एन.एस. गुर्जर : उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा के क्षेत्र में हमने 89.25 परसेंट पैसा बढ़ाया है। रेवेन्यु एक्सपेंडीचर और कैपिटल एक्सपेंडीचर को अगर देखें तो यह कुल मिलाकर 89.25 परसेंट की बढ़ोतरी हमने शिक्षा में की है। यह कम है शिक्षा में? 1951 में लिट्रेसी रेट केवल 8.9 परसेंट थी। 1961 में 15 प्रतिशत हुई, फिर 19 प्रतिशत, 25 प्रतिशत, 5-5 परसेंट का इन्क्रीज होता गया लेकिन ज्यों ही हमारी सरकार आई 1990-2000 के बीच, 1990 में हमारा शासन आया 1998-99 में हम चले गये। आउट फाल जो उसका आया और 1991 की जनगणना हुई 38 परसेंट जो यहां की एवरेज लिट्रेसी रेट थी, वह बढ़कर हो गई मेल में 74 परसेंट और फीमेल में 44 परसेंट। यह एक रिकार्ड पूरे देश में। जिसमें हम पुरुषों की साक्षरता में तो एक परसेंट नेशनल एवरेज से ज्यादा हैं और महिलाओं में अभी तक 10 परसेंट कम हैं। नेशनल एवरेज 54 परसेंट है, हम केवल इतना है। यानि हमने मेल एजुकेशन में आंध्र प्रदेश की बराबरी कर ली है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं और मुझे विश्वास है यह जो 10 परसेंट की महिला लिट्रेसी में कमी रही है उसको बढ़ाने के लिये इस बार जो स्कूलें खुलेंगी उनमें 30 परसेंट स्कूल गर्ल्स स्कूल के लिये व्यवस्था कर दी इससे लिट्रेसी रेट बढेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, मेडिकल एण्ड हैल्थ में तो कमाल हो गया। रेवेन्यु एक्सपेंडीचर और कैपिटल एक्सपेंडीचर में दोनों मिलाकर 297.5 परसेंट की वृद्धि हुई है। इसी तरह वैलफेयर आफ एस.सी., एस.टी. एण्ड ओ.बी.सी पर जो खर्चा हुआ आर.ई. यह 2003-04 में 138.69 था इसको बढ़ाकर 2005-06 में

(डा. एन.एस. गुर्जर)

216.9 करोड़ कर दिया। कहां 138 करोड़ और कहां 216 करोड़। यह तो मैं 2003-04 की बता रहा हूं पहले से तो और भी कम है। यह जो 84 करोड़ की हमने बढ़त की है। वाटर सप्लाई, हाउसिंग अरबन डवलपमेंट में 74 परसेंट की बढोत्तरी की है। सोशियल सैक्टर में कुल मिलाकर 8479 करोड़ था उसको हमने बढ़ाकर 2005-06 में 10921 करोड़ कर दिया। लगभग ढाई हजार करोड़ रूपये हमने सामाजिक सेवाओं में बढ़ाया है, यह करीब 29 प्रतिशत बढ़ाया है।

श्री उपाध्यक्ष : डाक्टर साहब अब आप कनक्लूड कीजिए, कुछ बातें अन्य माननीय सदस्यों के लिए भी छोड़ें।

डा. एन.एस. गुर्जर : केवल दो मिनट और लूंगा

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महावीर प्रसाद जैन (सरकारी मुख्य सचेतक) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय दो घंटे बढ़ाया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि सदन का समय दो घंटे बढ़ाया जाये?

(स्वीकृत)

सदन का समय दो घंटे बढ़ाया जाता है। अब आप कनक्लूड कीजिए।

आय-व्ययक पर सामान्य वाद विवाद

डा. एन.एस. गुर्जर : 2-4 मिनट में बात समाप्त कर रहा हूं। उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा में 9 हजार नये प्राथमिक विद्यालय, 1600 उच्च प्राथमिक विद्यालय क्रमोन्नत करेंगे। 500 माध्यमिक विद्यालय, 250 उच्च माध्यमिक विद्यालय इनमें 209 करोड़ रूपया खर्च होगा। यूनिवर्सिटी एण्ड मेडिकल कालेज, नये आई.टी.आई. के लिये 5-5 करोड़ की व्यवस्था की है। टैक्निकल एजुकेशन के लिये कुल 45 करोड की व्यवस्था की है। पोलो टैक्निकल में 5 करोड़, इनके आधुनिकीकरण में 15 करोड़ और महिलाओं के ऊपर भी बाल रसोई योजना, पूरक पोषाहार योजना, महिला साक्षरता में आवासीय विद्यालय यह सब हमने क्रियेट किये हैं। इस तरह से रोजागर में मैंने आपको बता दिया। इसी तरह स्वास्थ्य सेवाओं में इन्होंने दाइयों, वैद जी यहां बैठे है इन्होंने

(डा. एन.एस. गुर्जर)

पिछली बार मातृ शिशु की मृत्यु दर के बारे में बहुत चर्चा की थी, उसमें हमने सुधार किया है। मोटे-मोटे तौर पर उसमें मैंने बता दिया। अब एस.सी., एस.टी., किसान यूथ, रोजगार सबके व्यापारी को टैक्स में छूट दी है।

श्री उपाध्यक्ष : कुछ बातें दूसरे सदस्यों के लिये भी छोड़ दो

डा. एन.एस. गुर्जर : मैं अंत में ही चल रहा हूं। हमने एस.सी. बालिकाओं के लिये पांच हजार की अनुग्रह राशि, सहायता राशि, छात्रावासों का निर्माण किया है। 17300 छात्राओं को साइकिल बांटेंगे, 'दुलारी योजना', किसानों की सब्सिडी और ऋण की घोषणाएं की हैं। महिला शिक्षा के लिये 500 आवासीय विद्यालय, ब्रिज कोर्स, माहिला साक्षरता के लिये 13 करोड़, 'बालिका दुलारी योजना', स्वास्थ्य पोषण, जीवन कौशल की शिक्षा, 1200 महिला कांस्टेबल नियुक्त होंगी। माइक्रो फाइनेंस में 9 लाख महिलाएं जुट चुकी हैं। 2000 नये समूह बनायेंगे, जिसमें 2 लाख को और जोड़ा जायेगा। महिलाओं का कल्याण कोष यह विधवा और विकलांगों के लिये बना रहे हैं। पेंशन के साथ-साथ 10 किलो ग्राम गेहूं देने की व्यवस्था कर रहे हैं और इसमें भ्रष्टाचार नहीं हो, इसके लिये जेंडर आडिट की व्यवस्था की है। सैनिक विधवाओं की पेंशन 300 से बढ़ाकर 600 की है।

मैं ज्यादा नहीं कहते हुए अंत में यही कहना चाहूंगा...

श्री उपाध्यक्ष : अब बहुत हो गया। अब मैं नाम पुकार रहा हूं।

डा. एन.एस. गुर्जर : मैं एक मिनट में कनक्लूड कर रहा हूं। मैं एक निवेदन करना चाहता हूं सरकार से कि हमारी जो इन्कम सोर्सेज हैं वह एग्रीकल्चर है इसमें आपने बढ़ा दिया। माइनिंग और फॉरेस्ट पर ध्यान दिया जाये। सरकार ने अच्छा काम किया कि इन दोनों के डिमार्केशन के लिये आपने कदम उठाये हैं। इसकी रक्षा करेंगे तो आपकी स्टेट की रेवेन्यू बढ़ेगी। पर्यटन के लिये आपने जो व्यवस्थाएं की है इससे भी बढ़ेगी और उपाध्यक्ष महोदय, रिफाइनरी के लिये अगेन मैं मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा तीन कम्पनियां सामने आ गई जिसमें एक कम्पनी ने तो 4 हजार करोड़ रूपये खर्च करने का आफर भी दे दिया। इस रिफाइनरी को राजस्थान से भटिंडा ले जाने की केन्द्र सरकार बात कर रही थी, इनके ही मंत्री जी बात कर रहे थे, अब उनके मंसूब पूरे नहीं होंगे और राजस्थान में आयल रिफाइनरी बनकर रहेगी, वसुन्धरा सरकार यह काम कर के रहेगी।

(डा. एन.एस. गुर्जर)

मैं फिर कहना चाहूंगा रोजगार देने के लिये फिल्म डवलपमेंट बोर्ड की यहां स्थापना करनी चाहिये ताकि लोगों को रोजागर मिले। लोकेशन से हमको मिलेगा। राजस्थान में हमारे इतनी लोकेशंस है पूरे देश में कहीं नहीं है। इसलिए फिल्म विकास बोर्ड का गठन किया जाना चाहिये और जिन-जिन एरियाज में सरकार की परफोरमेंस कमजोर है उन एरियाज को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कंसेप्ट के तहत लाकर उनमें यह व्यवस्था लागू करें।

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने यह इंटेंशन दिखा दिया था बजट में राशि का प्रावधान कर दिया अब यह सब चीजें जो माननीय प्रतिपक्ष के नेता कह रहे हैं...

उनसे मैं एक बात पर सहमत हूं, चार लाइन कह रहा हूं...

श्री हरिमोहन शर्मा : हमको तो पहले ही पता था लेकिन आप इनकी योग्यता का उपयोग कहां कर रहे हो। (व्यवधान)

डा. एन.एस. गुर्जर : उपाध्यक्ष महोदय, जब तब इनका एक्जीक्यूशन ठीक नहीं होगा इसके लिए सरकारी मशीनरी को सजग करना पड़ेगा। मैंने कहा प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप स्कीम को लागू करना पड़ेगा, तो यह अगर हम कर दें और एक्जीक्यूशन पर ध्यान दें तो हमको बहुत वांछित परिणाम आएंगे। राजस्थान 17वें स्थान पर था और माननीय भैरोसिंहजी शेखावत ने विकास की दृष्टि से पांचवे स्थान पर लाकर खड़ा कर दिया था, इन्होंने उसको ले जाकर 13वें स्थान पर, इसके शासन में खड़ा कर दिया। उसके दो साल बाद वापिस हमने नवें स्थान पर, हम विकास की दृष्टि से लाये हैं और हमें विश्वास है कि अब यह जो प्रयास चल रहा है इससे राजस्थान वापस नवें स्थान से, राजस्थान विकास की दृष्टि से पहले नम्बर पर आकर खड़ा होगा।

नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य वसुन्धरा जी को ब्रांड एम्बेसेडर की पदवी दे रहे थे, मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि उन दिनों आपने मुख्य मंत्रीजी ने क्या किया? अशोकारिष्ट चूर्ण खाइये, जैसे कि झण्डू च्यवनप्राश खाइये सेहत बनाइये, इन्होंने कहा अशोकारिष्ट खाइये, सेहत बनाइये। वह अशोकरिट तो हमारे पास नहीं है। लेकिन हमारे बजट में जो व्यवस्थायें की गई हैं वह हमारे पास जरुर हैं। मुख्य मंत्रीजी ने आपका जो सहयोग मांगा है विकास

(डा. एन.एस. गुर्जर)

में और कदम से कदम मिलाकर बात कही है, मैं मुख्य मंत्रीजी की ओर से और मेरी ओर से इस सदन का भी आहवान करना चाहता हूं, सदन का भी आवहान करना चाहता हूं और जनता का भी आवहान करना चाहता हूं और आपका भी आवहान करना चाहता हूं केवल चार पंक्तियां कहकर। आपने मुझे बोलने का समय दिया उसके लिए मैं उपाध्यक्ष महोदय आपका बहुत आभारी हूं। चार पंक्तियों से मेरी बात समाप्त करना चाहता हूं । यह राजेन्द्रजी मेरी ही लिखित, स्वःरचित है, दूसरे की लिखी हुई नहीं है। इसलिए मैं चार पंक्तियां...

"सफर में कदम से कदम मिलाकर चलने की बात करो,

सफर में कदम से कदम मिलाकर चलने की बात करो,

जितने चाहे उतने ही अनसुलझे सवालात करो।"

सवाल कितने ही कर लो, हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं है।

"सफर में कदम से कदम मिलाकर चलने की बात करो,

जितने चाहो उतने ही अनसुलझे सवालात करो,

बस यूं ही तूफान खड़ा करने वालों पर बेवजह ही तूफान खड़ा करने वालों अब अंधेरों की नहीं उजालों की बात करो,

अब तो अंधेरों की नहीं उजालों की बात करो"।

धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : धन्यवाद। माननीय सदस्य, धन्यवाद। राव राजेन्द्र सिंहजी।

श्री महीपाल सिंह यादव : यह सरकार का उजाला, आठ बजे बाद सरकार ही नहीं मिलेगी प्रदेश में। (व्यवधान)

डा. एन.एस. गुर्जर : आपका उजाला तो मैं कल दिखाऊंगा, आज तो बजट भाषण पर बोल रहा था। मैं कल दिखाऊंगा आपको। आपकी आंखें कितनी तीव्र हैं, भव्य हैं, आपके चक्षु कितने भव्य हैं...(व्यवधान)

श्री महीपाल सिंह यादव : अभी तैयार हूं ।

डा. एन.एस. गुर्जर : आप महाभारत के संजय हैं महाराज, आपके चक्षुओं की तारीफ मैं कल करूंगा।

श्री महीपाल सिंह यादव : अभी तैयार हूं।

डा. एन.एस. गुर्जर : कि आप किस चीज को किस तरह देखते हैं।

श्री महीपाल सिंह यादव : अभी तैयार हूं। (व्यवधान)

डा. एन.एस. गुर्जर : आप धृतराष्ट्र के दूत हैं संजय, आप धृतराष्ट्र के दूत हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

डा. एन.एस. गुर्जर : कल देखूंगा, कल बात करूंगा इस सब्जेक्ट पर।

श्री महीपाल सिंह यादव : इतिहास ढूंढना, कहीं मिल जाए तो इतिहास।

डा. एन.एस. गुर्जर : इतिहास भी पढ़ाऊंगा, अर्थशास्त्र भी पढ़ाऊंगा, विज्ञान भी पढ़ाउंगा, और क्या-क्या पढ़ना चाहते हो, समाजशास्त्र भी पढ़ा दूंगा लेकिन कल पढ़ाऊंगा।

श्री उपाध्यक्ष : राव साहब।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (बैराठ) : उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि प्रजातंत्र के अन्दर अध्ययन और अध्यापकों के बीच में, स्कूल और कालेजों के माध्यम से सीखने और समझने को मिला प्रजातंत्र का सही मायना, किसी समझदार व्यक्ति ने अपने दो शब्दों में एक बात कही कि प्रत्येक को वोट, यह राजनीतिक प्रजातंत्र का निष्कर्ष है और प्रत्येक को काम यह आर्थिक प्रजातंत्र का मापदण्ड है।

हर वर्ष एक दस्तावेज जिसको बजट के स्वरूप में हम स्वीकार करते हैं, परिचर्चा और चर्चा के माध्यम से उस पर टिप्पणियां, उसकी व्याख्या, उसकी खूबियां और उसकी कमियां सदन में उपस्थित सदस्य अपने-अपने तरीके से रखते हैं।

(समय : 17.05 बजे)

(श्री सुरेन्द्र गोयल, सभापति, पदासीन)

आदरणीय सभापति महोदय, 1951 से जब पहली बार फर्स्ट फाइनेंस

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

कमीशन ने अपना प्रतिवेदन दिया और उसके बाद में जब से हिन्दुस्तान आजाद हुआ और भिन्न समय पर जो बजट आए, कहीं न कहीं उन बजट के प्रस्तुत करने पर कोई न कोई सोच की झलक जरूर दिखी। स्वतंत्रता के बाद जब बजट आया तो गांधीवादी विचाराधारा की झलक हमको उस बजट में देखने को मिली। समय बदला, गांधीवाद की जगह समाजवाद ने ले ली। 70 के दशक में जब बजट आया चाहे वह केन्द्र का हो चाहे प्रदेश का, समाजवाद की झलक हमको देखने को मिली। बीच में कहीं सुखद अहसास हुआ। चाहे कुछ समय का हो, राष्ट्रवाद के बजट की भी झलक हमको देखने को मिली। पिछले कुछ समय से उदारवादी बजट की झलक हमको देखने को मिली। जब बजट सदन में प्रस्तुत किया जाता है तब-तब यह बात बताना नितान्त आवश्यक हो जाता है कि आखिर यह बजट किसके लिए प्रस्तुत किया गया और इसका क्या सार है और क्या अभिप्राय है।

इस देश को गुलामी की बेडियों से आजाद कराने में आदरणीय गांधीजी की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही इसलिए गांधीवादी बजट का होना अत्यन्त आवश्यक था लेनिक गांधीवादी विचाराधारा के बजट से उदारवादी विचाराधारा तक जितने बजट आए उसमें एक चीज की कमी थी, जिस चीज की कमी थी वह यह आज का बजट पूरी करता है।

कोई यह बात पूछे कि यह आज का बजट जो आज की वर्तमान सरकार ने आज रखा है, आज से 12 महीने पहले भी इसी सरकार ने एक बजट रखा था क्या उस बजट में वह कमी पूरी हुई? बजट में वह कमी पूरी नहीं हो सकी थी क्योंकि सरकार का प्रथम बजट था। जिन सरकारों की हम बातें कर रहे हैं अनेक बजट प्रस्तुत कर चुकी थी। इस बार उस बजट की कमी पूरी हुई है। यह उदारवादी बजट नहीं है उत्तरदायित्व वादी बजट है। पहली बार अगर किसी बजट के अन्दर कोई झलक देखने को मिलती है उत्तरदायित्व का निभाना, कि परिस्थितियों में है। बहुत सरल सी बात अगर हम आपको बता दें जैसे प्रत्येक चीज के साथ, प्रत्येक वस्तु के साथ में आज की तारीख में होड़ लग गई है, छोटी से छोटी चीज आप खरीदें, बड़ी से बड़ी वस्तु खरीदें, एक वारंटी कार्ड साथ मिलता है, यह बजट विद वारंटी है। इट इज गारंटी कि जो कुछ लिखा गया है शत-प्रतिशत इसकी पूर्ति होगी और इस वारंटी के आधार पर ही इस सरकार का निर्वाचन हुआ है।

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

12 महीने की यह सरकार, पिछले 12 महीनों में यह ख्याति प्राप्त कर चुकी है इसीलिए जनता की विश्वास की सरकार है और उस विश्वास के नाम पर उसके कदम पर चलते हुए आज हम इस बात को कहते हैं इटस ए बजट विद कमिटमेंट, उन बजटों में और इस बजट में इतना फर्क है।

चाहे कोई भी समय हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो जब यह दस्तावेज सदन की मेज पर रखा जाता है, तो यह सिर्फ किसी एक महाजन की बहीखाता का सिर्फ आय और व्यय का मसौदा नहीं होता यह उन भावनाओं का प्रतीक भी होता है। यह उन सारी शैलियों का प्रतीक भी होता है जो सरकार और संस्कृति से पैदा होकर हमारे आज के यहां चरित्र है, उसको प्रदर्शित करता है।

नेतृत्व की उस शक्ति को प्रदर्शित करता है जो आकड़ों में नहीं लिखी जा सकती है, जो स्याही से पंजीकृत नहीं की जा सकती है लेकिन व्यक्तिशः भावनाओं को महसूस किया जा सकता है और यह भावनाओं को महसूस कराने वाला हमारा बजट है और हम गर्व के साथ कहते हैं कि हमारी मुख्य मंत्रीजी ने यह जो बजट रखा है उसके अन्दर आज के हिन्दुस्तान की संस्कृति की और मातृ-शक्ति की वह भावना है, जिसका समावेश आज से पहले के कोई बजट में नहीं रहा।

आदरणीय सभापति महोदय, क्योंकि बहुत-सी चीजें ऐसी हैं जो कि परम्परा से बंधी हुई हैं। अगर बजट में जी.डी.पी. की बात न हो तो लोग-बाग यह समझने लग जाते हैं कि बजट के सम्बन्ध में और बजट के इकोनोमिक स्टेटस के बारे में और इकोनोमिक एनालिसिस के बारे में अगले को कुछ जानकारी नहीं है। यह मापदण्ड आपने कहां से अख्तियार किये। यह उस सोच का प्रतिशत है कि कुछ विकसित देशों ने यह बात कह दी कि इतने देश तो विकसित हैं, इतने देश अविकसित हैं और कुछ ऐसे देश हैं जो डवपलपिंग स्टेज पर हैं और हमने उसको स्वीकार कर लिया। यह बात सही है कि अन्तरराष्ट्रीय मापदण्डों के आधार पर अगर हमारी इकोनोमिक हालत के बारे में बात की जाए तो जी.डी.पी. के बारे में बात जरूर होगी और जब प्रदेश का मामला है तो एस.जी.डी.पी. के बारे में बात होगी और एस.जी.डी.पी. को अचीव करने पर हम इस बात का सफल परिणाम घोषित कर देते हैं कि हमने कितनी सफलता और कितनी प्रगति की है। लेकिन कहीं इसका भी कोई मापदण्ड है कि अगर हमने जी.डी.पी. का एक मापदण्ड हासिल कर लिया तो उस जी.डी.पी. को

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

हासिल करने के अन्दर हमने क्या कीमत चुकाई। इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलप किया, सड़क बनायी, मकान बनाये, ऊर्जा पैदा की, लेकिन किस कीमत पर की। जिस संस्कृति, जिस धर्म, जिन संस्कारों से हम पल्लवित हैं उसमें एक और बात है कि जी.डी.पी. को हासिल करने के लिये हमने क्या कुछ खोया, कितने जंगल काटे, कितने पहाड़ों को खानों के स्वरूप में हमने कन्वर्ट कर दिया, कितने ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज हैं जिनको डिस्टर्ब करके हम आज के इन्फ्रास्ट्रक्चर को डवलप कर पाये हैं। पहली बार कहीं न कहीं इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि हम अगर आर्थिक प्रगति पर अग्रसर हों तो जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो हमारे नेचुरल इन्फ्रास्ट्रक्चर हैं उनको भी हम सुरक्षित रखें। पर्यावरण हो, वाइल्ड-लाइफ हो, मिनरल्स हों, इनका अगर दोहन किया जाए, इनका अगर उपयोग किया जाए तो उस तरह से किया जाए कि यह जो हमारे नेचुरल असेट्स हैं इनके अस्तित्व पर कोई कुठाराघात न हो।

आदरणीय सभापति महोदय, एक निवेदन करना चाहूंगा, इस बजट में सारी बातें डिस्कस होंगी। जो हमसे बहुत ज्यादा तजुर्बा रखते हैं, जिनको इकोनोमिक्स के बारे में और अर्थशास्त्र के बारे में हमसे बहुत ज्यादा समझ है, वे आंकड़ों के माध्यम से पक्ष और प्रतिपक्ष, दोनों अपने-अपने तरीके से, यह ग्लास आधा भरा हुआ है या आधा खाली है, किसी न किसी तरीके से परिभाषित करके इस बात को समझाने की कोशिश करेंगे कि कौन कितना अच्छा है और दूसरा पुरजोर कोशिश करेगा कि इनमें कितनी कमजोरी है। लेकिन एक बात मैं आपसे अर्ज करना चाहूंगा कहीं न कहीं इन दोनों के बीच में एक और भी बात बहुत महत्त्वपूर्ण है। 1948 में हिन्दुस्तान के प्रथम प्रधान मंत्री का अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 24 जनवरी को एक भाषण था। आजादी के सिर्फ एक साल बाद । और मैं यह बात इसलिये कह रहा हूं कि कहीं प्रतिपक्ष से एक टिप्पणी आयी, टिप्पणी आयीं कल के समारोह पर। उस समारोह में क्या दिखाया गया, सुबह के एक समारोह में क्या दिखाया गया, शाम के एक समारोह में क्या दिखाया गया, कौन कहां मुख्य अतिथि था और कौन वहां कोई दूसरा मुख्य अतिथि था। तो जवाहरलाल नेहरू के अपने शब्द कि "I am proud. We have to be proud of our inheritence, of our ancestor who have given us the intellectual and cultural eminence to this country called India."

इतिहास से हटा दीजिए, रजवाड़ों को हटा दीजिए, रजवाड़ों के जमाने को हटा दीजिए, हिन्दुस्तान की संस्कृति के अन्दर, हिन्दुस्तान के इतिहास के अन्दर कहीं न कहीं इनका योगदान है। अगर आपकी इच्छा हो तो उनको सामंत कह लीजिए, अगर

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

आपकी इच्छा हो तो उनको शासक कह लीजिए। आपकी इच्छा हो तो उनको जो आपके शब्द में और आपकी शब्दावली में उचित लगे, वह कह लीजिए। लेकिन इस हिन्दुस्तान और राजस्थान के इतिहास को आपके शब्दों के माध्यम से लक्षित और परिलक्षित होने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि राजस्थान के इतिहास में जो भी व्यवस्था रही हो, यहां के नागरिक का सम्पूर्ण योगदान रहा है। इस नागरिक ने जब सहर्ष स्वीकार किया वह व्यवस्था इस भू-भाग पर रही। आज प्रजातंत्र को स्वीकार किया है, वह व्यवस्था इस भू-भाग की है। तो कहां रह गया, जिस जमाने में भूतपूर्व प्रधान मंत्री राजीव गांधी के जमाने में जब फेस्टीवल्स आफ इण्डिया हुआ करते थे तो यह तो राजस्थान प्रदेश का राजस्थान के अन्दर एक कल्चरल शो था। आप तो देश और प्रदेशों में ले-जाकर कोच क्या पहनता था, कैसे रहता था, कैसे खाता था वह प्रदर्शित करते थे। यहां से आप अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर ले जाते थे और आज भी अगर आप अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर कोई चीज बेचते हैं, कोई चीज दिखाते हैं, किसी चीज को लुभाते हैं तो वह सारी की सारी परम्परायें हैं जिसमें राजस्थान अग्रणी स्थान रखता है। इसलिये किसी पर यह टिप्पणी करना कि सिर्फ एक वर्ग या एक समुदाय का यह आधिपत्य है यह अपने आप में संकीर्ण मानसिकता का एक प्रतीक होता है। एक काश्तकार जब अपने सिर पर साफा बांधता है तो पहनने वाला उसको पगड़ी भी कहता है। दूसरा कहने वाला उसको साफा कहता है। कोई और उपनाम से जानता हो। लेकिन हिन्दुस्तान और राजस्थान की संस्कृति इस पगड़ी को एक और दृष्टिकोण से देखती है, नाम चाहे आप उसको कुछ भी दे दें लेकिन वह उसकी साख और इज्जत का प्रतीक होती है। इसलिये इस सदन में बैठकर हम सिर्फ अपने मतभेदों के लिये आलोचना और प्रलोचनाओं में राजस्थान के नागरिक की पगड़ी न उछालें, इसके लिये हमें कटिबद्ध होना पड़ेगा। राजस्थान की अर्थ-व्यवस्था के बारे में आप और हम चर्चा कर रहे हैं लेकिन अर्थ-व्यवस्था के बारे में चर्चा करने से पहले हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि जिस अर्थ-व्यवस्था की हम आज की तारीख में चर्चा कर रहे हैं उस अर्थ-व्यवस्था को लागू किया जाता है इस प्रदेश की जनता पर और प्रदेश की जनता कोई कुर्सी और टेबल नहीं है, भावनाओं से ओत-प्रोत, आखिर हमारे और आपके इस प्रजातंत्र की सबसे ज्यादा महती धरोहर है और जनता और जनार्दन के स्वरूप में जो कुछ भी कहा जाता है और उसके लिये जो कुछ भी किया जाता है उसमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हमें और आपको किस चीज का समावेश करना

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

पड़ता है। मैं यह मानता हूं कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था को विकसित करने के अन्दर आज की सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। लेकिन राजस्थान को कल विकसित करके खड़ा कर दिया जाए, ऐसा अगर कोई मानता है तो या तो वह अपने आपको झुठला रहा है और अगर विपक्ष इस बात को स्वीकार करता है कि 24 महीने में या 12 महीने में आमूलचूल परिवर्तन करके राजस्थान को विकसित प्रदेश के नाम पर बैठाया जा सकता है तो हम भी यह प्रश्न पूछना चाहते हैं कि 40 वर्ष तक बार-बार राज करते रहे, 40 वर्ष में तो राजस्थान को विकसित प्रदेश का दर्जा नहीं दे सके तो आपको क्या अधिकार भी होता है कि 12 महीने में इस सरकार को यह पूछें कि यह विकसित कब होगा और विकास हमें कब दिखेगा। हम आज की तारीख में उन सत्य आंकड़ों को साथ में लेकर चलना चाहते हैं, हमें यह विश्वास है कि अगर हमारे मन में सत्य की कल्पना है, सत्य को हासिल करने का अगर हमारा हौसला है तो एक दिन राजस्थान को विकसित प्रदेशों के दर्जे में लाकर खड़ा कर देंगे और आज हम इस बात को फर्क के साथ कहते हैं कि चाहे कितने ही प्रश्न चिन्ह लगा दो, चाहे कितनी ही चरित्र पर आप टिप्पणी कर दें एक बात निश्चित है कि आगामी चार वर्ष के अन्दर राजस्थान की औसत आय और इसका आर्थिक संतुलन इसी ढंग से अगर होता रहा तो विकसित प्रदेश के लिए हम कहीं न कहीं प्रामाणिक घोषणा कर देंगे।

सभापति महोदय, एक बात मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं, क्योंकि अर्थव्यवस्था का सवाल है और यह भी कहना हमारे लिए स्वाभाविक हो जाता है और यह बात भी सत्य है कि जो कुछ भी आज इस बजट में कहने और सुनने और बोलने लायक है तो उसमें वे सारी बातें हैं जो अर्थशास्त्रियों ने इसमें देखी। यह बात भी मैं कहूंगा कि किसी को, जब तक हम उस लक्ष्य पर नहीं पहुंच जाते, आज उस बारे में चर्चा करके और वाहवाही लेने में कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। जिस दिन उस लक्ष्य पर पहुंचेंगे, उस दिन अगर कोई हमारी पीठ थपथपाएगा तो वह वास्तविकता में हमारा परिणाम होगा लेकिन फिर भी यह बात अर्ज करना चाहूंगा कि जितनी इस बजट के माध्यम से रोजगार के संसाधनों को एकत्रिक करके और रोजगार दिलाने की जो बातें कही गयी हैं, उसमें कहीं न कहीं सत्यता जरूर है। सम्पूर्णत: हमें इस बात का विश्वास है कि हम इस लक्ष्य को हासिल कर लेंगे लेकिन जब तक उस लक्ष्य को हासिल नहीं कर लें, प्रतिपक्ष यह बात कहता रहेगा कि हम वहां तक नहीं पहुंचेंगे और जब वे लक्ष्य हासिल हो जाएंगे तब हम जाकर कहेंगे कि हम पहुंच गये हैं और आगे हम यह करने वाले हैं। लेकिन हम एक बात स्वीकार करते हैं कि उस लक्ष्य तक जरूर

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

पहुंचेंगे। उस लक्ष्य तक पहुंचने के वे सारे संसाधन हमारे पास में हैं और उन सारे संसाधनों के लिए जो कुछ वित्तीय आवश्यकता है, वह पूरी कर दी गयी है।

सभापति महोदय, एक बात मैं आपको जरूर निवेदन करना चाहूंगा कि सारे बजट के अन्दर हर चीज की चर्चा हो लेकिन एक बात की चर्चा नहीं हो, जो सरकार भी करना चाहती है, सरकार की नीति और रीति भी उसको लागू करना चाहती है लेकिन बार-बार एक सवाल उठता है, सब कुछ होते हुए भी हम वहां तक नहीं पहुंच पाते। हर बजट में एक सबसे बड़ी बात जिसकी पिछले कई वर्षों से लगातार चर्चा करते आये हैं, एक बात पर कभी भी गौर नहीं किया गया कि कितने हमारे डिपार्टमेंट्स, जिनको यह बजट दिया जाता है, जिन पर यह उत्तरदायित्व होता है कि इन बजट के लक्ष्यों को हासिल करें। जो कुछ सरकार की नीति है, उसको हासिल करें और अगर वहां किसी न किसी वजह से वह चीज एक अफसर या ब्यूरोक्रेटिक रेडटेपिज्म की वजह से नहीं मिलती तो उस पर कहीं न कहीं कोई मापदण्ड नहीं है। हम डिस्कस करेंगे लासेज को, हम डिस्कस करेंगे प्रोफिट्स को, हम डिस्कस करेंगे प्लेन साइज्स को लेकिन हम कभी भी डिस्कस नहीं करेंगे कि एनएफिशिएंसी आफ द ब्यूरोक्रेट क्या है? सी.ए.जी. की रिपोर्ट देख लीजिए आप। इन्स्पैक्शन रिपोर्टस और इन्टरनल आडिट्स, कई-कई डिपार्टमेंट्स में तो 12-12 साल से नहीं हुई है। तो फिर फिस्कल मेनेजमेंट कैसे होगा? फिस्कल मेनेजमेंट की बात हो रही है। फिस्कल रिफोर्मस की बात हो रही है। आज से पहले कभी इस बात पर ध्यान नहीं दिया गया। चाहे यह 12वें वित्त आयोग की सिफारिश का मामला हो या और कहीं से हम लोग देखें लेकिन यह बात इस सरकार को महसूस हुई कि फिस्कल रिफोर्मस के अन्दर, फिस्कल मैनेजमेंट के अन्दर और फिस्कल मेनेजमेंट के साथ-साथ फिस्कल रेस्पांसिबिलिटी को फिक्स करने का जो बिल लाया गया है, वरना सी.ए.जी. के पैराग्राफ्स यूं के यूं खड़े रह जाएंगे। आपके 12-12 साल से, 5-5 साल से अनेक विभागों के अन्दर इन्स्पैक्शन रिपोर्टस नहीं हैं। इण्टरनल आडिट्स नहीं हुई है और आज भी हम यह पूछ रहे हैं कि आखिर जब सरकार ने पैसा दिया था तो आपने यह पैसा कहां खर्च किया और अगर नहीं खर्च किया तो क्यों नहीं खर्च किया और अगर किया तो उसके हिसाब क्या है?

सभापति महोदय, यह सरकार उत्तरदायित्व रखती है। जिसकी भी सरकार आएगी, जनता के प्रति उसका उत्तरदायित्व है लेकिन जो कुछ इस दस्तावेज में है, जो कुछ भी यह दस्तावेज के स्वरूप में यह सदन स्वीकार करेगा और आगे भेजेगा, इन सारी बातों के अन्दर कहीं इस बात की जवाबदेही आज से पहले नहीं थी कि जो कुछ

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

इसमें इसको पूरी नहीं करने के अन्दर कमी-खामी रखता है, चाहे वह सरकर का नुमाइंदा हो, सरकार का नौकर हो, सरकार का ब्यूरोक्रेट हो, चाहे कोई भी हो, उसका उत्तरदायित्व भी फिक्स किया जाएगा। यह जो फिस्कल रिफोर्मस बिल है, वह इस बात को परिलक्षित करता है।

सभापति महोदय, हमें पूरा विश्वास है कि उस मुकाम तक पहुंचने के अन्दर यह जो भावना है कि हर चीज का उत्तरदायित्व महसूस किया जाए और फिक्स किया जाए, रेस्पांसिबिलिटी, आखिर यह किसकी रेस्पांसिबिलिटी है, अगर अमुक काम दिया गया था तो वह उस मुकाम तक पहुंचा या नहीं पहुंचा तो सभापति महोदय, मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए सिर्फ इतनी-सी बात निवेदन करना चाहूंगा कि अगर दो

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

के अन्दर मैं इस बात को और कह दूं कि जो आम आदमी महसूस करता है, वह ही उस बजट की सफलता और विफलता का प्रतीक है। आंकड़े के अन्दर मैं दस हजार करोड़ कह दूं, बारह हजार करोड़ कह दूं और बाइस हजार करोड़ कह दूं लेकिन जब तक यह पांच करोड़ की जनता यह महसूस नहीं करे कि यह जो कुछ कह रहा है यह वाकई में, वह भी महसूस करते हैं या नहीं करते हैं? इस बार के बजट के सम्बन्ध में और कुछ भी नहीं इतना जरूर कहूंगा कि बिजली मिल रही है या नहीं मिल रही है? विवाद हो सकता है लेकिन 88 और 86 के काश्तकार को नये बिजली के कनेक्शन मिल रहे हैं। वे यह बात महसूस करते हैं और मैं इसी बात के लिए आपको इंगित करना चाहता हूं। कितनी बिजली मिलेगी, कितने घंटे मिलेगी वह तो बाद की बात है। जिनको एक भी बिजली का कनेक्शन पिछले 15 वर्षों में नहीं मिला था उसको 90 तक से ऊपर तक की लिस्ट में आज कनेक्शन मिल रहा है, यह इस बजट के प्रस्ताव का प्रतीक है। जिसको पानी नहीं मिल रहा था, उसके घर तक अगर पानी पहुंच रहा है तो यह इस बजट की सफलता का प्रतीक है। मैं आशा करता हूं कि जिस भावना के साथ में पिछले 12 महीने पहले आये हुए बजट को इस जनता ने स्वीकार करके पुनः मुख्य मंत्रीजी की संवेदनशीलता पर मोहर लगायी है, मैं इस बात का पूरा विश्वास रखता हूं कि आगामी 12 महीने में कुछ और नये आयाम देखने को मिलेंगे। इल्जाम हम पर बहुत लगते हैं लेकिन एक बात जरूर अपनी पूरी करने के लिए कहूंगा। कुछ लोगों को अपने-अपने कहने का तरीका होता है। अंग्रेजी में यह बड़ी कहावत है-

"Glass half full of water or half empty."

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

लेकिन किसी ने भी एक बात कही है कि-

"मेरे हिस्से की जमीन बंजर थी, मुझे मालूम नहीं था;
यह सब मैं इल्जाम देता रहा बरसात को।"

तो यहां तो बरसात होती है पर जिनकी जमीन अगर बंजर है वे बरसात को अगर इल्जाम दें तो उसका तो हम क्या कह सकते हैं। प्रतिपक्ष को कम से कम यह बात तो सोचनी पड़ेगी। धन्यवाद।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली) : माननीय सभापति महोदय, बजट भाषण पर गम्भीरता से चर्चा की जा रही है। माननीय वित्त मंत्रीजी और मुख्य मंत्रीजी यहां पर नहीं बिराजें, यह तो समझ में आता है लेकिन वित्त राज्य मंत्रीजी भी इस समय सदन में मौजूद नहीं हैं। शाहपुरा से आने वाले माननीय सदस्य ने...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं लिख रहा हूं।

श्री हरिमोहन शर्मा : एक भी मंत्रिमण्डल का सदस्य एक भी बात को, शाहपुरा से आने वाले माननीय सदस्य की एक भी बात को एक भी मंत्रिमण्डल के सदस्य ने नोट नहीं किया। एक ने भी नहीं किया। यह सरकार की गम्भीरता है। यह सरकार की गम्भीरता है कि उनके ही दल के जो माननीय सदस्य बोल रहे हैं और जो बजट पर अपना दृष्टिकोण रख रहे हैं, एक आदमी नहीं है। न वित्त मंत्रीजी हैं, न वित्त राज्य मंत्रीजी हैं और बाकी मंत्रिमण्डल के सदस्य अपने-अपने ढंग से अपनी अपनी बात कर रहे हैं, एक ने भी नोट नहीं किया, यह इनकी गम्भीरता है।

श्री सभापति : माननीय शर्मा साहब, चार-चार, पांच-पांच केबिनेट मंत्री बैठे हुए हैं। माननीय श्री खुशवीर सिंहजी।

श्री हरिमोहन शर्मा : बात रहने का सवाल नहीं है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि नहीं बैठे हैं। नहीं तो मैं ही कह देता कि नहीं बैठे। बैठे हैं लेकिन बिना काम बैठे हैं। आप वित्त मंत्रीजी को या मुख्य मंत्रीजी को किसी को तो बुलाओ ताकि इस बजट भा .ण की गम्भीरता बनी रहे।

श्री सभापति : आपकी आवाज पहुंच रही है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, यह आवश्यक नहीं है कि मुख्य मंत्रीजी पूरे बजट के वाद-विवाद के दौरान उपस्थित रहे। आज वैसे भी उनकी तबीयत

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

खराब थी और वैसे हम लिख रहे हैं। एक-एक पाइंट जो वे बोल रहे हैं, माननीय सदस्य, वह लिख रहे हैं।

श्री सभापति : गृह मंत्रीजी हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आफिसर गैलरी के अन्दर आफिसर लिख रहे हैं और हम भी लिख रहे हैं।

श्री रामप्रताप कासनिया : नोट करने वाले बहुत बैठे हैं, आपको पता है। वह पढ़कर उत्तर देंगे न बाद में।

श्री वासुदेव देवनानी : आपकी सारी बातें हम नोट करेंगे।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि मुझे भी आज इस बजट के वाद-विवाद पर चर्चा के लिए समय दिया। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान : आपकी तरफ पीठ करके खड़े होकर बात करते हैं, बताइये।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, शुरू करिये।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर : सभापति महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदया ने हाल ही में जो बजट प्रस्तुत किया उसके बारे में कहना चाहूंगा कि प्रजातंत्र के अन्दर लोक कल्याणकारी सरकारें बनती हैं और यह प्रजातंत्र के अन्दर नियम है कि प्रतिवर्ष बजट प्रस्तुत किया जाये और उसी अनुरूप बजट प्रस्तुत हुआ और बजट के अन्दर लोक कल्याणकारी सरकार ने, जो जनता की सरकार है, उसका पहला कर्तव्य होता है कि आम आदमी की आवश्यक आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे की जाये, उसके बारे में सरकार को सोचना आवश्यक है। इस सरकार ने बजट प्रस्तुत किया उसमें 972 करोड़ रुपये का लाभ बताया। मेरे ख्याल से सरकार को गरीब के दुःख-दर्द की, उनकी क्या कमी है, उसके बारे में सरकार ने नहीं सोचा। सरकार ने बजट प्रस्तुत करते वक्त गरीब को अन्तिम व्यक्ति, समाज का जिसको कहते हैं, उसका चेहरा याद नहीं किया और इसीलिये यह लाभ का बजट प्रस्तुत किया गया। बजट पिछले वर्ष भी प्रस्तुत हुआ और कई घोषणाएं की गयीं वह इस वर्ष भी पूरी नहीं हो पायीं। और इस वर्ष भी काफी घोषणाएं बजट के माध्यम से रखी गयीं। मुझे नहीं लगता कि इस बजट के माध्यम से यह घोषणाएं पूरी होंगी। मैं मेरे क्षेत्र के बारे में ही कहना चाहूंगा कि अगर बजट के अन्दर 977 करोड़ रुपये का लाभ है तो सबसे पिछड़ा क्षेत्र मेरा है, वहां आज

(श्री खुशवीर सिंह जोजावर)

पानी की कमी है। वहां लोग भूखे मर रहे हैं। अकाल राहत कार्य प्रारम्भ नहीं हुए अकाल की स्थिति के होते हुए भी तो मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदया को अनुरोध करना चाहूंगा कि आपने यह जो लाभ का बजट प्रस्तुत किया है वह आप मेरे विधान सभा क्षेत्र खारची में ही क्यों नहीं लगा दें। मैं आपको बजट के बारे में...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : तारीफ कर दो।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर : मैं पहले तारीफ कर देता हूं। अभी मेरे से पूर्व माननीय सदस्य बोल रहे थे, उनसे पूर्व जो सदस्य बोल रहे थे, उन्होंने नालेज कोरिडोर की बात की। नालेज कोरिडोर से हम विकास करवायेंगे। मेरा तो इसमें इतना ही कहना है सरकार से, कि आप एक नालेज कोरिडोर की बात करके किसानों का गला घोट रहे हैं, उसके अलावा कुछ नहीं हो रहा है। आज जो यह जमीन 35-50 लाख रूपये बीघा है, वह जमीन आप एक्वायर करके किसानों को 3-4 लाख रूपये में किसान से लेकर उन उद्योगपतियों को आप देना चाह रहे हैं। यह विकास हो रहा है। आप एक तरफ तो किसान की सरकार, गरीब की सरकार की बात कर रहे हैं और दूसरे तरफ किसानों का गला घोटा जा रहा है। अभी पिछले सत्र के अन्दर, माननीय गृह मंत्री महोदय यहां विराजमान हैं, मैं धन्यवाद देऊंगा, आपने बहुत ही सही तरीके से अपना वक्तव्य दिया घड़साना के किसानों पर। वहां गोलियां चली थीं। उनकी जायज मांगों के लिये और उसके अन्दर गृह मंत्री महोदय ने इतना खूबसूरती से जवाब दिया है वह धन्यवाद के पात्र हैं कि उन्होंने तो +++ को भी पीछे रख दिया। जब जलियां वाला बाग में गोली चली थी और निहत्थे लोगों को गोली मार दिया गया था, लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा उस +++ को, उसने ब्रिटेन की संसद में जाकर उसने माफी मांगी कि मेरी गलती की वजह से यह इस तरह का कृत्य हुआ और वहां गोली से लोग मारे गये और गृह मंत्री ने यह बात इतनी खूबसूरती से रखी कि वह तो किसानों की गलती थी। सरकार की और सरकार के नुमाइंदों की गलती नहीं थी। उनको भी पीछे रख दिया। गलती वहां के अधिकारियों की थी। प्रशासन की गलती थी कि उन्होंने स्थिति को नहीं भांपा। जनरल डायर ने यही कहा था कि स्थिति का सही आंकलन नहीं करने की वजह से यह स्थिति पैदा हुई थी। लेकिन गृह मंत्रीजी ने तो यह भी नहीं कहा।

एक माननीय सदस्य : बजट पर बोलो।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर : मैं बजट पर ही बोल रहा हूं। बजट में सभी बातें होती हैं।

श्री बंशीलाल खटीक : जलिया वाला बाग में गोलियां चलीं। +++ को धन्यवाद दे रहे हो। कम से कम इस पवित्र सदन में +++ को धन्यवाद नहीं देना चाहिये। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : यह आपत्तिजनक है। (व्यवधान) माननीय सभापति महोदय, वह आपत्तिजनक है। यह बिलकुल आपत्तिजनक है (व्यवधान) यदि सोनियाजी की तुलना हम ऐरी-गैरी महिला से करेंगे तो क्या होगा?... (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : +++ के ही तो अनुयायी हैं। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : यह बिलकुल आपत्तिजनक है। (व्यवधान)

श्री नवरतन राजोरिया : यह अनुशासनहीनता है। (व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक : +++ को सम्मान दे रहे हैं। यह अंग्रेज... (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : अंग्रेजों की गुलामं...(व्यवधान)

श्री दाताराम गुर्जर : माननीय सदस्य ने बिलकुल +++ की तारीफ की है, उसको कार्यवाही से निकाला जाये।...(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : इसको कार्यवाही से निकाला जाये।...(व्यवधान)

श्री नवरतन राजोरिया : यह कार्यवाही से निकाला जाये। (व्यवधान)

श्री सभापति : राजसमन्द से आने वाले माननीय सदस्य, बिराजिये।

श्री बीरूसिंह राठौड़ : इस कांग्रेस सरकार ने 1984 के अन्दर दिल्ली में लाखों सरदारों को मरवा दिया। जब आपकी कांग्रेस चुप क्यों थी? 1984 के अन्दर सिक्खों को मरवा दिया आपने और...(व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक : +++ को धन्यवाद दे रहे हो। (व्यवधान)

श्री बीरूसिंह राठौड़ : 1947 में कांग्रेस ने पूरे हिन्दुस्तान में दंगे करवाये (व्यवधान) उसका जवाब कौन देगा? (व्यवधान) काफी दंगे करवाये। (व्यवधान)

श्री नवरतन राजोरिया : सभापति महोदय, +++ का जो नाम लिया उसको वापस लिया जाये। पहले यह कार्यवाही से निकाला जाये। (व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक : 1984 में कांग्रेस के लोगों ने दिल्ली में लाखों सरदार मरवा दिये, उसका जवाब देओ पहले।...(व्यवधान)

श्री सभापति : अंकित नहीं हो (व्यवधान)

श्री नवरतन राजोरिया : XXX

प्रो. बीरूसिंह राठौड़ : XXX

श्री बंशीलाल खटीक : XXX

श्री दाताराम गुर्जर : XXX

श्री सभापति : राजसमन्द से आने वाले माननीय सदस्य, निवेदन है अंकित नहीं हो रहा है। आप बिराजिये चुपचाप। माननीय सदस्य, बोलिये और बजट पर बोलिये। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : इसे कार्यवाही से निकलवाइये। बहुत आपत्तिजनक है।

श्री रामप्रताप कासनिया : +++ वाला शब्द तो एक्सपंज हो सभापति महोदय। धन्यवाद दिया है उसको। हां, यह बहुत खेदजनक वि .य है।

श्री मदन दिलावर : माननीय गृह मंत्रीजी की तुलना +++ से करना, घोर आपत्तिजनक है।

श्री सभापति : +++ का जो नाम आया है, वह एक्सपंज कर दें।

श्री रामप्रताप कासनिया : हटा ही दें। सफाया करो +++ का तो पूरा नाम ही।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर : सभापति महोदय, मैंने यह कहा कि +++ ने जो अपनी गलती का अहसास किया, उसके लिये धन्यवाद की बात कही। उसने जो कृत्य किया वह धन्यवाद का पात्र कभी नहीं हो सकता, लेकिन माननीय सदस्यों के समझ में थोड़ी...(व्यवधान) उसने कहा मेरी गलती हुई। उसने अपनी गलती का अहसास किया।

श्री बंशीलाल खटीक : आपकी गलती पर क्षमा मांगो आप। (व्यवधान)

श्री खुशवीर सिंह जोजावर : लेकिन हमारे गृह मंत्रीजी ने निहत्थे किसानों पर गोली चलाई और यह अहसास नहीं किया कि यह गलती सरकार की और सरकार के नुमाइंदों की गलती थी। उन्होंने बिलकुल स्वीकार नहीं किया और निहत्थें किसानों के ऊपर गोली चलाने की बात कही। मैं वह बात कहना चाहूंगा...(व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक : निहत्थे सिक्खों पर अत्याचार किया, जब उस समय आप लोग कहां चले गये थे?...(व्यवधान)

श्री हीरालाल : बजट पर बोलिये माननीय सदस्यजी।

श्री सभापति : आप माननीय सदस्य, बार-बार क्यों उठ रहे हैं। बैठिये।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर : सभापति महोदय, जब सभी सदस्य बोल रहे थे मैं पिछले सत्र में भी और इस सत्र में भी किसी माननीय सदस्य के लिये बीच में उठकर एक भी टिप्पणी नहीं की।

श्री जुबेर खान : सभापति महोदय, यह क्या तरीका है?

श्री खुशवीर सिंह जोजावर : इसलिए आपको समझना होगा आप जितने राष्ट्र भक्त हो उससे ज्यादा तो शायद मैं भी राष्ट्र भक्त हूं। हमारे पूर्वजों ने राष्ट्र के लिए एक दिन में सात-सात पीढ़ियों के सर कटवाये हैं, मैं वह राष्ट्र भक्त व्यक्ति हूं। इसलिए मैं वह तो दावे के साथ कह सकता हूं कि राष्ट्र भक्ति की भावना मेरे अन्दर रोम-रोम में भरी हुई है, यह कोई नहीं कह सकता है। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप आसन को सम्बोधित करें। आप बार-बार उधर नहीं देखें, इधर ही सम्बोधित करें।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर : सभापति महोदय, मैं बजट पर आ रहा हूं। मैं मेरे क्षेत्र की बात करूंगा। योजनाओं का आकार कितना होना चाहिए, वित्तीय प्रबन्धन कैसे होना चाहिए, हायर एजुकेशन, तकनीकी शिक्षा में क्या बदलाव लाना है, प्राथमिक शिक्षा के अन्दर किस तरह से और प्रभावी ढंग से लागू की जाए, यह हमारे सदन के सदस्य, जो मेरे से सीनियर हैं वह बतायेंगे, मैं तो नया सदस्य हूं, मैं मेरे क्षेत्र के बारे में ही अनुरोध करना चाहूंगा।

श्री ओ.पी. महेन्द्रा : सभापति महोदय, प्रोटोकाल कांग्रेस वालों पर लागू नहीं होता क्या वह उनके बीच में से गुजर रहे हैं।

श्री जुबेर खान : आप अपनी आंख ठीक करिये, बीच में कौनसा एरिया आता है।

एक माननीय सदस्य : नहीं, यह नहीं आता है।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर : सभापति महोदय, आज पानी की स्थिति क्या है, उसके बारे में अपने को विचार करना पड़ेगा। यह बहुत बड़ी समस्या है। माननीय मंत्री महोदय मेरी बात को गौर से सुन रहे हैं, आज इस प्रदेश की जो सबसे विकटतम समस्या है वह है पानी की। मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र में ही सीमित रहूंगा। मेरे विधान सभा क्षेत्र में अकाल की स्थिति होते हुए अकाल की घो .णा नहीं की गयी, अकाल राहत कार्य प्रारम्भ नहीं करवाये गये, क्यों? क्योंकि, साहब, हमने तो गिरदावरी की रिपोर्ट मंगवा ली, गिरदावरी की रिपोर्ट के आधार पर अकाल और सुकाल की स्थिति का आकलन होता है। मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर किसानों ने बुवाई जरूर की, उसकी गिरदावरी दर्ज हो गयी लेकिन उपज कितनी हुई उसका आंकलन नहीं किया गया। मेरे विधान सभा क्षेत्र में दो मण्डियां हैं, उन दोनों मण्डियां में अगर एक बोरी की भी खरीदारी हो गयी हो तो, सभापति महोदय, आप पता करवा लें। एक बोरी की भी उन मण्डियों में खरीदारी नहीं हुई है। मंत्रीजी यहां विराजमान हैं, पता करवा लें मारवाड़ जंक्शन और मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर, क्योंकि उपज ही नहीं हुई और वहां पर अकाल राहत कार्य पारम्भ नहीं हुए। कुदरत ने भी मेरे विधान सभा क्षेत्र को ही चुना और बारिश वहीं की बाकी क्षेत्र को छोड़ दिया। सभापति महोदय, मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि अकाल होते हुए और आंकलन गिरदावरी को नहीं मानते हुए वर्तमान में मौके की क्या स्थिति है उनका आंकलन करके अकाल राहत कार्य तुरन्त प्रारम्भ करवाये जाएं। यह मेरा सरकार से और मुख्य मंत्रीजी से अनुरोध है।

आज पीने के पानी की स्थिति क्या है, पिछले पचास व .ों से लोग कुओं पर निर्भर रह रहे हैं, अपने मवेशियों को साथ रख रहे हैं और आज उनको खुद को पीने का पानी उन कुओं से प्राप्त नहीं हो रहा है और वह कुएं छोड़-छोड़ कर दूसरे स्थान पर जा रहे हैं क्योंकि कुएं सुख चुके हैं। गांवों में जहां सरकार की थोड़ी बहुत व्यवस्था है हैण्ड पम्प द्वारा, जहां जैसी भी स्थिति

(श्री खुशवीर सिंह जोजावर)

है, वह अपने वहां जाकर के निर्वहन कर रहे हैं। मेरा निवेदन है कि आज आंकलन करवाया जाए, मात्र एक तहसील हैड क्वार्टर के रेन गेज को आधार नहीं मान कर पूरे विधान सभा क्षेत्र के हर पंचायत का रेन गेज के आंकड़े प्राप्त कर और उसके आधार पर अकाल की स्थिति का आकलन होना चाहिए।

सभापति महोदय, आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि आज वनों की स्थिति क्या है? आज हम सभी चिल्ला रहे हैं, पिछलें सत्र में भी कहा, और हम सब कह रहे हैं कि बाघों को बचाना है। सभी बात कर रहे हैं कि जंगली जानवरों को बचाव जाए। क्यों बचाने की आवश्यकता है बाघ को? हमारे क्षेत्र में तो लोग भूख और प्यास से मर रहे हैं और हम सभी एक आवाज में राग अलाप रहे हैं कि बाघों को बचाया जाए, जानवरों को बचाया जाए। क्या जरूरत पड़ गयी जानवरों को बचाने की? आज राज्य के वनों के अन्दर असीम सम्पदा है खनिज की, क्यों नहीं खनन के आदेश दे दिये जाएं ताकि लोगों को रोजी-रोटी मिल सके? क्या जरूरत है जंगलों की, क्या जरूरत है वृक्षों की? क्या जरूरत है इनको बचाने की? सभापति महोदय, इस सवाल का जवाब अपने आप में ढूंढना पड़ेगा। हम खनन करके, हम वृक्ष काट कर हमारी दो पीढ़ी को तो आगे बढ़ा सकेंगे लेकिन आने वाली दस पीढ़ियां समाप्त हो जायेंगी। इसलिए मेरा अनुरोध है सभी माननीय सदस्यों से कि पर्यावरण की दृष्टि से सबसे पहले अपने को सोचना होगा। वृक्ष से अपन जिंदा ही नहीं है वृक्ष अपने पूर्वज भी हैं। पहले इस धरती पर 40 करोड़ वर्ष पहले वृक्ष पैदा हुआ और मानव का जन्म तो मात्र दस लाख वर्ष पहले ही हुआ। इसलिए वृक्ष अपने पूर्वज भी हैं, यह मान कर वृक्षों और जंगल की रक्षा करनी पड़ेगी। आज मुख्य मंत्रीजी ने वन के लिए 50 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बजट रख दिया और घना, सरिस्का और रणथम्भौर को बचाने की आज आवश्यकता है टास्क फोर्स की रिपोर्ट के बाद में, आज से पहले कुम्मट आयोग बैठा, उससे पूर्व नोर्म्स कमेटी हुई, उनका रिजल्ट क्या हुआ, उन पर किसी ने गौर नहीं किया। वह पौथे के पौथे ठंडे बस्ते में रख दिये गये। आज तुरन्त आवश्यकता है कि वनों को कैसे बचाया जाए, वन्य जीवों को कैसे बचाया जाए और पर्यावरण को कैसे बचाया जाए।

सभापति महोदय, आज हम उद्योग लगा रहे हैं, आज मार्बल उद्योग है, पत्थर उद्योग लग रहा है, सभापति महोदय, पर्यावरण मंत्रीजी यहां नहीं हैं

(श्री खुशवीर सिंह जोजावर)

लेकिन मेरी बात सुन रहे होंगे आज यह जो पर्यावरण दूषित हो रहा है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन उद्योगों के अन्दर जो पत्थर की पिसाई का मलबा है उस मलबे के निस्तारण के लिए सोचना होगा, वह मलबा नदियों के अन्दर डाला जा रहा है, वह मलबा उन उपजाऊ भूमि पर डाला जा रहा है। उन नदियों के माध्यम से हमारे कुएं चार्ज होते हैं और वह चार्ज होने का जो छिद्र है वह भी इन मलबे के पत्थर से समाप्त हो जायेगा और हम सभी बात कर रहे हैं, पानी जमीन के अन्दर चार्ज होने वाला नहीं है। इस मलबे के निस्तारण के लिए तुरन्त हमें कोई न कोई योजना लागू करनी पड़ेगी।

सभापति महोदय, मैं शिक्षा के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। मेरा क्षेत्र पिछड़ा हुआ है, वहां कुछ समस्या है नयी स्कूल क्रमोन्नत करने की और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अध्यापकों की भर्ती तो हो रही है, अगर कोई धन्यवाद के काबिल बात है तो जरूर दूंगा धन्यवाद, मुझे संकोच नहीं है धन्यवाद देने में भी, सत्य के लिए धन्यवाद दे सकता हूं। आज जो शिक्षकों की भर्ती हो रही है, अनुसूचित जाति और जनजाति का बैकलाग भरने की बात कोई नहीं कह रहा है। हम सभी वोट मांगने जाते हैं, आप भी जाते हैं, आपको भी मिले होंगे। आपके भी कई माननीय सदस्य बैठे हैं लेकिन उसके ऊपर कोई नहीं सोच रहा है तो मेरा अनुरोध है कि पहले यह अनुसूचित जाति और जनजाति का बैकलाग भरा जाए।

सभापति महोदय, मैं महत्वपूर्ण बातों पर मेरी बातें कहना चाहूंगा इसलिए मैंने पहले मेरा नाम दिया है। पीछे वालों को पांच मिनट का वक्त नहीं दिया जाता है और पिछली बार मुझे बोलने ही नहीं दिया गया। अभी माननीय सदस्य ने एक-एक घंटा, डेढ़-डेढ़ घंटा लिया है, समय और बढ़ जाएगा। यहां पर मेरे क्षेत्र में जो पानी की सहभागिता की बात है और मेरे क्षेत्र में मैंने, जो गुजरात में आपकी पार्टी की सरकार है उन्होंने सुजलाम सुखलाम योजना लागू की है। बीस प्रतिशत राशि दो और कोई भी एनीकट बनवाओ वह योजना मैं चाहूंगा कि हमारे प्रदेश के अन्दर भी लागू होनी चाहिए। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारी नेता और उन महान राष्ट्र भक्त श्रीमती सोनियाजी गांधी को, जिन्होंने राजीव गांधी फाउण्डेशन के माध्यम से करोड़ों रुपए की इस क्षेत्र के लिए जलदाय योजनाएं बनाई हैं और पचास प्रतिशत की जन सहभागिता से कई एनीकटों का निर्माण करवाया है। उनको दुःख है,

(श्री खुशवीर सिंह जोजावर)

उनको दर्द है राजस्थान की गरीब जनता के लिए जो पानी के लिए तरस रहे हैं उसके लिए योजना उन्होंने फाउन्डेशन के माध्यम से बनवाई, उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा। (व्यवधान)

श्री सभापति : बीच-बीच में व्यवधान नहीं करें, बैठे-बैठे नहीं बोलें।

श्री मदन दिलावर : यह पूछना चाह रहे थे, माननीय सदस्य।

श्री सभापति : पूछ लेंगे बाद में।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर : मंत्री महोदय, आप सक्षम हैं। माननीय सदस्य आप कह रहे थे धन्यवाद की बात। मैं इस बिन्दु का स्वागत करता हूं। बजट के अन्दर आपकी स्कूलें खोलने की बात आयी, 250 स्कूलें खुलेंगी 500 स्कूलें खुलेंगी, सभी मेजें थपथपा रहे थे।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप आसन को सम्बोधित करें।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर : लेकिन सभापति महोदय, जब वह बात आयी, मैं बजट के इस बिन्दु का स्वागत करता हूं सरकार का और माननीय मुख्य मंत्रीजी का, जिन्होंने कृषि के लिए रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के बढ़ते उपयोग एवं इसके होने वाले दुष्परिणामों को रोकने की दृष्टि से जो कदम उठाया है वह वास्तव में स्वागत योग्य कदम है। उसको और प्रभावी ढंग से लागू किया जाए। जैविक खेती के बारे में और वर्मी कम्पोस्ट, सुपर कम्पोस्ट, बायो फर्टिलाइजर के बारे में जो बात कहीं है उसको और प्रभावित ढंग से लागू करने की बात है। आज बढ़ती हुई बंजर भूमि जो जंगल नष्ट होते जा रहे है और भूमि बंजर होती जा रही है इस अंग्रेजी बबूल से, जूली फ्लोरा से। उसके लिए उन्होंने एक बात और कही है वह भी स्वागत योग्य बात है। वह है रतनजोत से बायो डीजल प्राप्त करने की। इस चीज को और प्रभावी ढंग से मैं चाहूंगा लागू किया जाए तो इससे बढ़कर इस राज्य का कोई उद्धार नहीं हो सकता है।

श्री सभापति : धन्यवाद।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर : तुरन्त मैं मेरी बात, जब इन्होंने कह ही दिया माननीय सदस्य ने, धन्यवाद की बात तो मैं निश्चित रूप से करूंगा। किसानों के बारे में मेरा एक सुझाव है कि ओलावृष्टि से जो नुकसान हुआ है वह नुकसान चाहे हमारे छोटे किसान हों, सीमान्त हों और चाहे बड़े किसान हों

(श्री खुशवीर सिंह जोजावर)

उसका मुआवजा, फायदा जो भी सरकार देने जा रही है वह सभी को मिलना चाहिए क्यों बड़े काश्तकारों के यहां छोटे किसान जो गरीब मजदूर हैं वह खेती हिस्से में करते हैं इसके लिए यह मेरा अनुरोध है सरकार से।

एक मेरा अनुरोध साथ में यह भी है कि मिलावटी वस्तुएं आज बाजार में खूब मिल रही हैं। हर चीज में मिलावट है खाद्य पदार्थों में, मंत्री महोदय यहां बिराजे हैं। कोई भी दुकान कहीं भी, किसी भी वक्त जाकर आप चैक कर लें हर वस्तु में मिलावट है चाहे घी हो या कुछ भी हो इसके लिए सख्त से सख्त कानून बनाने की आवश्यकता है।

श्री सभापति : धन्यवाद। श्री जोगाराम पटेल।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर : सभापति महोदय, विकलांगों के लिए मेरा अनुरोध है, सुझाव है सरकार से कि विकलांगों का आरक्षित पदों पर बैकलाग भरा जाए साथ ही विकलांगों के लिए पंजीयन शुल्क माफ किया जाए उसके साथ-साथ खनन में भी उनको आरक्षण दिया जाए, खनन पट्टों के आबंटन में, यह मेरा सरकार से अनुरोध है।

अन्त में, माननीय पी.डब्ल्यू.डी. मंत्री यहां बिराजे हुए हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि पिछली बार भी मैंने बजट में मेरी बात कही थी मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर एक भी सड़क डब्ल्यू.बी.एम. टू बी.टी. में परिवर्तित नहीं हुई। मेरी पुरजोर आपसे अपील है कि जब आप शिक्षा मंत्री थे उस वक्त एक अनुरोध पर दस सब सैण्टर खोल दिए तो क्यों नहीं इस बार मेरे विधान सभा क्षेत्र में डब्ल्यू.बी.एम. टू बी.टी. सड़क जो भी वंचित रह गयी हैं उनको इस बार के बजट प्रावधान में लिया जाए। दूसरा मेरा अनुरोध है कि दो सड़कें जो रोजमर्रा घोषित करने हैं मात्र आपको सी.आर.एफ. से पैसा मिला जाएगा और आपको तो सिर्फ घोषित करनी है। एक तो है फलौदी-भीलवाड़ा जो सरदार समंद मारवाड़ जंक्शन गुढा मोकमसिंह होते हुए देवगढ़ जाती है, देवगढ़ से भीलवाड़ा और दूसरी बिलाड़ा-देसूरी सड़क है उसको राजमार्ग अगर आप घोषित करें तो मैं चाहूंगा उस पिछड़े हुए क्षेत्र को लाभ मिलेगा।

एक बात माननीय मंत्रीजी ने कही है मगरा क्षेत्र विकास की तो मेरा आधा विधान सभा क्षेत्र मगरे में स्थित है लोग गांव पहाड़ों में बसे हुए हैं तो उन पंचायतों को, मेरे विधान सभा क्षेत्र की करीब पन्द्रह पंचायतें मगरे के

(श्री खुशवीर सिंह जोजावर)

अन्दर हैं तो उनको उसमें सम्मिलित करके जो मगरा क्षेत्र के विकास की योजना बनाई गयी है उसमें हमारे इस क्षेत्र को जोड़कर विकास किया जाए तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सरकार को कि यह भी पिछड़ा क्षेत्र हमें मिल सके। मेरी अन्तिम बात...

श्री सभापति : धन्यवाद। माननीय श्री जोगारामजी।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर : सभापति महोदय, मैं समाप्त कर रहा हूं।

श्री सभापति : कनक्लूड करें। आधा घण्टे से ज्यादा हो गया है आपको।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर : मेरी अन्तिम बात यह है कि जो बजट प्रस्तुत किया गया है उस बजट के अन्दर जो घोषणाएं की गयी हैं, सरकार से अनुरोध है कि वह घोषणा बनकर नहीं रह जाए। उनका क्रियान्वयन होना चाहिए। यही कहना है। धन्यवाद।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी) : परम आदरणीय सभापति महोदय, बजट के इस भाषण पर मैं आपके माध्यम से दो विषय पर बोलना चाहूंगा। मेरे पूर्व के सभी वरिष्ठ माननीय सदस्यों ने अनेक विषय पर अपनी बात कही पर मैं अपनी बात को बहुत ही संक्षिप्त में और जैसा कि हमें कहा गया है बिन्दुवार आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा। मेरा यह पहला अनुभव है कि इस पवित्र सदन में। मैं आदरणीय मुख्य मंत्रीजी को बहुत-बहुत तहे दिल से धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने जो यह बजट प्रस्तुत किया है वह अत्यंत ही लोकप्रिय, जन-जन का हितैषी बजट है। उसमें सभी वर्गों को पूरा-पूरा सम्मान और उनके हितों की रक्षा की गयी है।

माननीय सभापतिजी, किसी भी देश या प्रदेश का विकास महिला विकास के सिवाय नहीं हो सकता और जिस प्रदेश में महिलाओं को पूरा सहयोग, आदर और सम्मान दिया गया है वह पदेश बहुत प्रगतिशील है चाहे वह केरल है या गुजरात है और इस तर्ज पर इस बजट में महिलाओं के विकास के सम्बन्ध में जो-जो बातें कही गयी हैं, महिलाओं के उत्थान के सम्बन्ध में जो-जो बातें कही गयी हैं वह विशेष उल्लेखनीय हैं जिनको मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा, राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात हो जाती है। सभापतिजी, हमारी आदरणीय महामहिम

(श्री जोगाराम पटेल)

राज्यपाल महिला हैं, हमारी आदरणीय अध्यक्षजी हैं वह भी महिला ही हैं, हमारी आदरणीय मुख्य मंत्री जो हैं वह महिला हैं इतना नहीं मेरे लिए विशेष कर जोधपुर सम्भाग के लिए, जोधपुर जिले के लिए जो महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि हमारी महापौर हैं वह महिला हैं और हमारी जिला प्रमुख हैं वह महिला है और इस परिप्रेक्ष्य में और इस परिप्रेक्ष्य में मैं यह बात आपके सामने रखना चाहूंगा कि जोधपुर में महापौर हो या जिला प्रमुख हो, दोनों ही महिला हैं। इतना ही नहीं हमारी ओर से राजस्थान की ओर से राज्य सभा की जो सदस्य मनोनीत हुई है आदरणीय नजमा हेपतुल्लाजी, वह भी महिला हैं।

इस परिप्रेक्ष्य में आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि हमारा महिला शिक्षा का जो प्रतिशत है वह राष्ट्रीय स्तर से इतना नहीं है जितना होना आवश्यक है...(व्यवधान) किसके लिये, मैं अकेला ही सबके लिये बहुत हूं।

जो महिलाओं के विकास की बात नहीं करते, वह इधर बैठते हैं और संख्या में घटते जाते हैं यह भी आपको ध्यान होना चाहिये...

श्री सभापति : बीच में टोकाटाकी नहीं करें।

श्री जोगाराम पटेल : जोधपुर पहला जिला है जिसमें जिला प्रमुख और महापौर दोनों पदों पर महिलाओं को बनाकर यह जता दिया है कि जोधपुर सम्भाग महिलाओं का मान और आदर करता है। दैवीय शक्ति का जो मान और आदर नहीं करता है उसके परिणाम भुगतने के लिये उसे तैयार रहना पड़ता है।

सभापति महोदय, महिला शिक्षा का राष्ट्रीय स्तर पर औसत लाने के लिये इस बजट में जो प्रावधान किये गये हैं उनका अगर ध्यानपूर्वक अवलोकन किया जाए, देखा जाए तो यह लगेगा कि वाकई इस बजट में प्रमुखता से ध्यान दिया गया है। 500 आवासीय ब्रिज कोर्स स्टार्ट किये गये हैं। 5000 महिला साक्षरता केन्द्र स्टार्ट किये जाने का प्रावधान किया गया है और इन दोनों पर पहली बार 13 करोड़ का प्रावधान किया गया है। यह प्रावधान सिर्फ इसलिये किया गया है कि महिलाओं का विकास हो सके।

इतना ही नहीं प्रारम्भिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा के अधीन जितने भी विद्यालय क्रमोन्नत होने वाले हैं उनमें तीस प्रतिशत बालिका विद्यालयों का प्रावधान किया गया है। मैं हमारी आदरणीय मुख्य मंत्रीजी और शिक्षा मंत्रीजी को बहुत-बहुत तहेदिल से धन्यवाद दूंगा कि महिलाओं और

(श्री जोगाराम पटेल)

बच्चियों के विकास के लिये स्कूल में आरक्षण में भी तीस प्रतिशत का प्रावधान किया गया है।

इतना ही नहीं माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ने वाली जो भी ग्रामीण छात्राएं हैं उनको बसों में निःशुल्क आने-जाने की व्यवस्था की गयी है और प्रोत्साहित किया गया है ताकि वे ग्रामीण क्षेत्र में माध्यमिक या उच्च माध्यमिक विद्यालयों में आसानी से आ जा सकें।

इतना ही नहीं प्रारम्भ से और पिछले बजट से जो निःशुल्क पुस्तक वितरण का कार्यक्रम चल रहा था उसे उसी रूप में लागू किया गया है और यह सब इसलिये किया गया है कि बालिका शिक्षा को बढ़ावा मिले। बालिका बालक के समान और स्त्री पुरूष के समान बराबर विकास में भागीदार बने।

सभापति महोदय, इसी परिप्रेक्ष्य में महिलाओं के विकास को ध्यान में रखते हुए एक दुलारी योजना प्रारम्भ की गयी है। इस दुलारी योजना में बालिकाओं के स्वास्थ्य, भोजन तथा जीवन कौशल की शिक्षा हेतु 72 खण्डों पर बांटकर 80 लाख रुपये खर्च करने की व्यवस्था की गयी है। एस.टी. व सहरिया क्षेत्रों की कक्षा 9 और 12 की छात्राओं को निःशुल्क पुस्तक, निःशुल्क साइकिलें और 17,300 साइकिलें वितरित करने का प्रावधान इस बजट में किया गया है। यह भी महिला शिक्षा, बालिका शिक्षा और स्कूली शिक्षा को बढ़ावा देने के लिहाज से किया गया है।

सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहूंगा सभी वरिष्ठ सदस्यों से, कि पहली बार महिला थानों व जिला मुख्यालयों पर 90 पुलिस थानों पर महिला सहायता केन्द्र खोलने का प्रावधान किया गया है। 570 ए.एन.एम. अतिरिक्त बाड़मेर और जैसलमेर जिले में लगाने का प्रावधान किया गया है। 1200 महिला कर्मियों की भर्ती का प्रावधान किया गया है। 35,000 सहयोगीनियों का चयन करने का प्रावधान किया गया है। यह सभी प्रावधान इसलिये किये गये हैं कि महिला और बालिकाओं का विकास हो सके।

इतना ही नहीं माइक्रो फाइनेंस के माध्यम से महिलाओं का आर्थिक विकास करने हेतु 9 लाख महिलाएं जो पहले से जुड़ चुकी हैं और 2 लाख को और इस बजट में जोड़ने का प्रावधान किया गया है।

(श्री जोगाराम पटेल)

इसके अलावा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, सहयोगनियों और साथिनों के कल्याण कोष के लिये राज्य सरकार ने बहुत बड़ी हिस्सेदारी तय की है। इसमें 25 परसेंट हिस्सेदारी राज्य सरकार की है और यह सभी योजनाएं इस बजट में हैं।

जो आलरेडी पेंशन योजना है उसमें विधवाओं को दी जा रही पेंशन में 10 प्रतिशत अतिरिक्त गेहूं दिये जाने का प्रावधान किया है। सहायता वास्तविक हर जन-जन तक पहुंचे, महिला तक पहुंचे, हर नागरिक तक पहुंचे, इस हेतु वास्तविक आडिटिंग की व्यवस्था की गयी है। आज से पहले कभी भी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गयी।

200 प्रसूति गृहों में सौर ऊर्जा संचालित हीटर लगाने की स्थापना करने का प्रावधान किया गया है। यह सभी इसलिये किया गया है कि महिलाओं और बालिकाओं का विकास हो। उनका विकास होगा तो देश और राष्ट्र का विकास होगा। शायद आपको यह बात पसन्द भी नहीं आये और शायद आप कमेंट्स भी करें पर यह मानकर चलिये जब तक महिलाओं और बालिकाओं का विकास नहीं होगा, देश या राष्ट्र का विकास नहीं हो सकता... (व्यवधान) यह शक्ति आपको भगवान ने नहीं दी है। अपने को बनाने की शक्ति जरूर आप अपने को दे सकते हैं पर यह शक्ति भगवान ने आपको नहीं दी है। यह शक्ति अगर आप लोग भगवान से छीनना चाहते हैं तो पहले खुद बनकर देख लीजिये कि महिला का आनन्द क्या है फिर आपको पता लगेगा कि महिला के बारे में जो कमेंट्स आप कर रहे हैं वह किस तरह से आप कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। सही तो मैं नहीं कह सकता पर जो आप महिलाओं के बारे में कह रहे हैं मेरे को महिला बना दें तो यह आपकी बहुत महानता होगी। मैं मानता हूं शायद आप भगवान होंगे। भगवान या बहुत बड़े डाक्टर होंगे, पर पहले एक बार बनकर इसका आनन्द ले लीजिये और मजा आए तो मेरे को बता दीजिये...

श्री हेमाराम चौधरी : आपका भाषण सुनने के लिये एक भी महिला उपस्थित नहीं है...

श्री जोगाराम पटेल : यह आपकी भावनाएं देख रही हैं। महिलाएं प्रतिपक्ष के नेताओं की, आदरणीय सदस्यों की भावनाएं देख रही हैं।

श्री हेमाराम चौधरी : आपको सुनने के लिये उनको हाजिर रहना चाहिये।

श्री जोगाराम पटेल : राजस्थान की पांच करोड़ जनता देख रही है कि महिलाओं के बारे में आपके क्या कमेंट्स हैं, महिलाओं के बारे में आपकी क्या भावनाएं हैं महिलाओं के बारे में आपके क्या विचार हैं और इसी का परिणाम आज आप देख रहे हैं।

इसके अलावा जिस विषय से मैं जुड़ा हुआ हूं उसके बारे में भी निवेदन करना चाहूंगा। आज से पहले जुडिशियरी के सम्बन्ध में जो बजट आए हैं अगर उनका आप कम्पेरिजन करें तो नगण्य बजट था। पर इस बजट में क्योंकि किसी भी प्रदेश में न्याय व्यवस्था कायम रखने के लिये जुडिशियरी एक आवश्यक तत्व है। उसके बिना न्याय व्यवस्था कायम नहीं रह सकती है और न्याय व्यवस्था कायम रखने के लिये आवश्यक है कि जुडिशियरी को बराबर प्रोटक्ट किया जावे, उसको पूरी सहायता दी जावे। इस बजट में पहली बार 17 करोड़ 50 लाख रुपये का जुडिशियरी को व्यय दिया गया है। हाईकोर्ट की बिल्डिंग बनाने के लिये दिया गया है और सतरह करोड़ पचास लाख का प्रावधान पहली बार किया गया है।

सभापति महोदय, इतना ही नहीं आठ करोड़ का बजट जुडिशियल आफिसर्स के क्वाटर्स के लिये दिया गया है। जुडिशियल आफिसर को जब तक आवासीय व्यवस्था नहीं मिले वह न्याय व्यवस्था करने में इतना अपना मन नहीं लगा सकता, अपना मस्तिष्क नहीं लगा सकता। उसको उसका परिवार याद आता है, उसके बच्चे याद आते हैं, उसकी शिक्षा आती है। अगर किसी जुडिशियल आफिसर को पूरा वेतन दिया जाए, आवासीय सुविधा दी जाए तो वह अपना मन लगाकर निष्पक्ष न्याय करने का विचार करता है क्योंकि वह भी इसी समाज का सदस्य है। इस व्यवस्था में जुडिशियल आफिसर्स के जो क्वार्टर्स बनेंगे उसमें उनको रहने की सुविधा उपलब्ध होगी और पहली बार इस बजट में ऐसा किया गया है।

इतना ही नहीं अलवर में जो औद्योगिक न्यायाधिकरण की स्थापना की गयी है वह महती आवश्यकता थी मजदूरों की समस्या को देखते हुए। इसका भी बजट में प्रावधान किया गया है।

(श्री जोगाराम पटेल)

सभापति महोदय, पहले जो अदालतों पर बजट खर्च होता था वह 509 करोड़ था और 1734 अदालतें जिनको हम फास्ट ट्रेक के नाम से पुकारते हैं, वह स्टार्ट की गयी थीं। 12वें आयोग द्वारा धन की व्यवस्था नहीं की गयी। यह केन्द्र सरकार की जिम्मेदारी थी। पूर्व में जब भारतीय जनता पार्टी. एन.डी.ए. की सरकार थी, आदरणीय अरूण जेटलीजी ने पूरे प्रदेश और पूरे भारत में अदालतें स्थापित करने का प्रावधान किया था जिसको फास्ट ट्रेक अदालत के नाम से पुकारते हैं। परन्तु इस बार कोई व्यवस्था नहीं की और यह अदालतें 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाली थीं, मैं धन्यवाद दूंगा हमारी मुख्य मंत्रीजी को, कि उन्होंने अपने स्तर पर व्यवस्था कर इन अदालतों को जारी रखा है। राजस्थान में 80 फास्ट ट्रेक अदालतें काम कर रही हैं, वह बराबर काम करती रहेंगी। अगर यह बजट नहीं मिलता तो 31 मार्च के बाद यह अदालतें बन्द हो जाती। वह अदालतें बन्द नहीं हुई हैं और कंटीन्यू जारी रहेंगी। अगर यह फास्ट ट्रेक अदालतें नहीं होती तो लोड आफ वर्क है, जो मुकदमों का अम्बार है वह दिनों दिन और बढ़ता। कई लाखों में मुकदमें पेंडिंग हैं परन्तु जब से यह फास्ट ट्रेक अदालतें आयी हैं जिला स्तर पर सेशन ट्रायल के केसेज और दीवानी अदालतों के केसेज बहुत कम आ गये और उसी का यह परिणाम है। इन अदालतों की बहुत आवश्यकता थी परन्तु केन्द्र सरकार ने जान-बूझकर उसका कोई फण्ड नहीं दिया। बारहवें वेतन आयोग में इसकी कोई व्यवस्था नहीं की, तब राज्य सरकार ने अपने स्तर पर व्यवस्था की। इसके लिए मैं उन्हें बहुत-बहुत धन्यवाद दूंगा, तहे दिल से आभार व्यक्त करूंगा।

सभापति महोदय, एक वि .य जो महत्वपूर्ण है, जोधपुर जिले से सम्बन्धित है, इसके लिए भी मैं निवेदन करूंगा कि जो जीरा पैदा होता है, जीरो जीव रो बैरी रे, मत बाओ परण्या म्हारे जीरो रे। यह जो जीरा पैदा होता है जोधपुर सम्भाग में होता है और ऊंझा मण्डी, जो गुजरात में है, वह जोधपुर संभाग के जीरे के ऊपर इतनी बड़ी मण्डी हो गयी है परन्तु पहली बार जीरा मण्डी स्थापित करने का जो प्रावधान किया गया है वह जोधपुर में किया गया है और जोधपुर में जब जीरा मण्डी स्थापित हो जायेगी ऊंझा मण्डी में कोई नहीं जायेगा और काश्तकारों को जीरा पैदा करने का जो वास्तविक मूल्य है

(श्री जोगाराम पटेल)

वह जोधपुरा में ही प्राप्त होगा क्योंकि जोधपुर के आसपास जीरा सबसे ज्यादा उत्पादित होता है।

सभापति महोदय, इतना ही नहीं जोधपुर में एग्रो पार्क का विस्तार का प्रावधान इस बजट में किया गया है और एग्रो पार्क का विस्तार होगा तो जो वहां सुविधाएं जोधपुर वासियों को मिलने वाली थी वह प्राप्त होगीं। मैं बहुत तहे दिल से हमारी आदरणीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद दूंगा कि एम्स की जमीन, मीरा बाई के नाम से जोधपुर में स्थापना होने वाली थी, वह जो विवाद था वह जमीन उपलब्ध कराकर इस विवाद को समाप्त किया गया है और जोधपुर सम्भाग के नहीं पश्चिमी राजस्थान के जितने भी मरीज उस अस्पताल में आयेंगे उनको दिल्ली या अन्यत्र जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी और एम्स की स्थापना हो जायेगी तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि जोधपुर को प्राप्त हो जायेगी। यह पिछले करीब साल भर से जो जमीन का विवाद था उसको सुलझाकर जो जमीन उपलब्ध कराई है उसके लिए मैं उनका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं।

सभापति महोदय, इतना ही नहीं खेलों के ऊपर भी इस बजट में पूरा-पूरा प्रावधान किया गया है। बरकतुल्ला स्टेडियम के लिए ढाई करोड़ रुपये की व्यवस्था इस बजट में की गयी है। जहां पर राष्ट्रीय स्तर के खेल हो चुके हैं और उस स्टेडियम को जो आदरणीय बरकतुल्ला खां के नाम से है उसके विस्तार करने के लिए, उसका विकास करने के लिए जो ढाई करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है उससे उसका विकास होगा और प्रदेश के ही नहीं राष्ट्रीय स्तर के खेल उसमें होंगे। उसके लिए भी मैं आदरणीय मुख्य मंत्रीजी का बहुत-बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूं।

सभापति महोदय, किसानों के लिए मेरे पूर्व वक्ताओं ने बहुत बातें बतायी, किसानों के विकास के सम्बन्ध में भी बहुत बातें बतायी और फसल बीमा योजना के सम्बन्ध में बताया, मौसम विभाग की योजना के सम्बन्ध में बताया परन्तु जो मौसम बीमा योजना में विशेषकर किन्नू, सौंफ, जीरा और मैथी को शामिल किया गया है, 64 लाख हैक्टेयर में बंजर भूमि को रतनजोत की खेती का जो किया गया है, उर्वरकों के सम्बन्ध में जो किया गया है वह सभी पहली बार इस बजट में किसानों के हितों के लिए किया गया है। किसानों के फायदे के लिए किया गया है, विकास के लिए किया गया है। इसके लिए भी मैं आदरणीय मुख्य मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

(श्री जोगाराम पटेल)

सभापति महोदय, अन्त में जो महत्वपूर्ण बिन्दु है वह है रोजगार, बिना रोजगार के जो बच्चे हैं, जो रोजगार का वर्षों से इन्तजार कर रहे हैं, पूर्ववर्ती सरकार ने अपने पूरे कार्यकाल में एक भी बेरोजगार को रोजगार नहीं दिया। जब कभी भी यह कहते थे तो कहते थे कि हमारा खजाना खाली है। मैं निवेदन करूंगा कि हमारी लोकप्रिय सरकार आते ही हमने एक दिन भी यह नहीं कहा कि हमारा खजाना खाली है। लोकप्रिय सरकार ने आते ही कहा कि विकास के लिए पूरा खजाना भरा हुआ है। जैसा कि हमारे सभी सदस्यों को जानकारी है कि शिक्षकों की भर्ती का कार्य चल रहा है और करीब 12-13 हजार की नियुक्तियां हो चुकी हैं और 38 हजार की नियुक्तियां होने वाली है जिसके लिए मैं शिक्षा मंत्रीजी को बहुत तहें दिल से धन्यवाद देता हूं। इतना ही नहीं इन 38 हजार के अलावा 7200 अध्यापकों की भर्ती इस बजट के माध्यम से इस वर्ष में होने वाली है। जिनके लिए रोजगार की व्यवस्था की गयी है। उसके लिए भी वह बहुत-बहुत धन्यवाद के पात्र हैं।

सभापति महोदय, अध्यापकों के अलांवा चार हजार कांस्टेबलों की भर्ती की जा रही है। 546 व्याख्याताओं की भर्ती की जा रही है। कानून-व्यवस्था के लिए जो कांस्टेबलों की कमी बताई जा रही है उनकी भर्ती के लिए 4 हजार कांस्टेबलों की व्यवस्था की गयी है और हायर एजुकेशन के लिए व्याख्याताओं की जो कमी बताई जा रही है। 546 व्याख्याताओं के लिए व्यवस्था की गयी है। 570 ए.एन.एम. की भर्ती की व्यवस्था की गयी है, 35 हजार साथिनों का चयन किया जायेगा और यह सब जो इस बजट में व्यवस्था की गयी है वह सारी के सारी की व्यवस्था रोजगार के लिहाज से की गयी है। इतना ही नहीं इस बजट में इसके अलावा संविदा स्तर पर भी अध्यापकों की नियुक्तियों का प्रावधान किया गया है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि रोजगार के लिए इतने अवसर उपलब्ध करवाये गये हैं वह पहली बार राजस्थान में जहां तक मेरा अनुभव है, इतने एक साथ नियुक्तियों की व्यवस्था की गयी है। जिसके लिए मैं आदरणीय शिक्षा मंत्रीजी, आदरणीय गृह मंत्रीजी और मुख्य मंत्रीजी का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं।

सभापति महोदय, लघु उद्योग व दस्तकारों के उत्पादनों को बढ़ावा देने के लिए केन्द्र स्थापित करने की व्यवस्था की गयी है ताकि लघु उद्योग व दस्तकार अपने उत्पादनों को सही मूल्यों पर, सही स्थान पर पूरी कीमत लेकर विक्रय करके इसके लिए व्यवस्था पहली बार बजट में की गयी है। कान फैसेलिटी स्टोर्स की

(श्री जोगाराम पटेल)

व्यवस्था की गयी है। लाडलीहुड मिशन में रोजगार के लिए व्यवस्था की गयी है। 25 जिलों में 50 से अधिक खराबा वाले जितने भी ओलावृष्टि से जो फसलें खराब हुई थी 8613 गांव अभावग्रस्त घोषित किये गये हैं, फरवरी, 2005 तक 2 करोड़ 50 लाख व्यक्तियों को रोजगार दिया गया है और यह जो अभावग्रस्त गांव हैं उनमें तहसीलों में और गांवों में रोजगार की व्यवस्था की गयी है। पूर्ववर्ती सरकार के जो माननीय सदस्य यहां बिराजमान है वह अपने भाषण में बतायें कि फरवरी तक इससे पिछले वर्ष भी अकाल था आपने कितने रोजगार की व्यवस्था की थी। वह यह दुहाई देंगे कि हमने रोजगार की बहुत बेहतर व्यवस्था की थी। अकाल राहत कार्यों का बहुत अच्छा प्रबन्ध किया था लेकिन मैं उनको चैलेंज करता हूं कि फरवरी तक उन्होंने कितने रोजगार खोले थे और इस सरकार ने दो करोड़ 50 लाख की व्यवस्था कर दी है और ज्यों-ज्यों आवश्यकता और होगी, मई-जून तक और रोजगार बढ़ाये जायेंगे। इसलिए भी यह सरकार और मुख्य मंत्रीजी बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। सभापति महोदय, आपने मुझे समय दिया इसके लिए भी मैं बहुत-बहुत आभारी हूं, धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री प्रहलाद गुंजल।

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी) : सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आपने मुझे बजट की इस चर्चा में भाग लेने का अवसर प्रदान किया। सभापति महोदय, 2005-2006 का वार्षिक बजट 24 मार्च को माननीय मुख्य मंत्रीजी ने इस पवित्र सदन में पेश किया। इस बजट पर चर्चा 28 तारीख से प्रारम्भ होनी थी। विधान सभा की कार्य सूची में बजट पर चर्चा 28 मार्च से निहित की थी।

सभापति महोदय, आज इस अवसर पर मैं कहना चाहता हूं कि राजस्थान का बजट कैसा है, राजस्थान के बजट में क्या छिपा है, क्या कमियां हैं, यह चर्चा आज सुबह से हो रही है। लेकिन अगर सही मायने में इसका मूल्यांकन करेंगे, जिस रोज सदन में इस बजट को पेश किया गया था, अगले दो-तीन दिनों तक सदन में अवकाश था। जिस प्रकार से राजस्थान की जनता की प्रतिक्रिया इस बजट के बारे में निकलकर आयी उससे कांग्रेस को निराशा हाथ लगी। कोई मुद्दा नहीं बचा कि इस बजट के बारे में क्या कुछ कहा जाना चाहिए। राजस्थान के हर वर्ग में इसकी चर्चा है, प्रशंसा है। मैं समझता हूं कि एक रणनीति के तहत 28 तारीख को कांग्रेस सदन में आई और सोजत को मुद्दा बनाकर चर्चा से भागने की कोशिश की। माननीय सभापति

(श्री प्रहलाद गुंजल)

महोदय, कांग्रेस के पास मुद्दे हैं, कांग्रेस के पास बजट के बारे में बताई जाने वाली खामियां भी थीं लेकिन इन तीन दिनों में राजस्थान की विधान सभा में इन पर चर्चा करती तो राजस्थान की जनता को ज्ञान होता। कांग्रेस ने इस अवसर को व्यर्थ गंवाने की कोशिश की।

सभापति महोदय, मैं इस दूसरे बजट पर चर्चा में भाग ले रहा हूं। मैं इस सदन में नया सदस्य हूं। मैंने दोनों बार देखा है कि राजस्थान की मुख्य मंत्रीजी ने जिस प्रकार का बजट पेश किया, राजस्थान की जनता के माथे पर कोई कर नहीं लगाया है और 2004-2005 में बजट में जनता के माथे पर कोई कर नहीं। करों के सरलीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है इस बजट में भी। लेकिन जब भी बजट पर चर्चा होती है तो राजनीतिक पार्टियों के लोग, इस सदन के माननीय सदस्य, तथ्यों से परे जाकर राजनीतिक धर्म निभाते हैं। इसका अगर सच्चा विश्लेषण किया जाए तो माननीय सभापति महोदय, अभी टोडारायसिंह से आने वाले माननीय सदस्य नाथूसिंहजी कह रहे थे, इस बजट को लेकर इस प्रान्त के जो अर्थशास्त्री हैं उनकी भिन्न-भिन्न टिप्पणियों का उल्लेख कर रहे थे।

सभापति महोदय, यह सच है कि इस सदन में जब बजट पेश होता है, बजट के रूप में वित्त मंत्रीजी या मुख्य मंत्रीजी इस दस्तावेज को पढ़ते हैं तो यह राजस्थान के आम आदमी की समझ से बाहर का प्रश्न होता है लेकिन उसकी तो समझ में जब आता है जब इस पर चर्चा होती है, परिचर्चा होती है, बजट के सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं पर या फिर उसके तब समझ में आता है जब व्यवहार में बजट उसको कड़वे और मीठे अनुभव कराता है। आप राजस्थान में जाकर इस बजट के बारे में जनमत का सर्वे करिए तो सारा राजस्थान आज इस बजट की प्रशंसा कर रहा है।

माननीय सी. पी. जोशी साहब कह रहे थे कि किस प्रकार का बजट पेश किया है, अच्छा होता कि वे इस बारे में कोई तथ्य देते लेकिन उन्होंने आंकड़ों के भ्रमजाल में उलझा कर इस बजट की विफलता को साबित करने की कोशिश की। कहने लगे कि टोकन प्रोग्राम से किसी का कल्याण सम्भव नहीं। अनुसूचित जाति और जनजाति की 17 हजार छात्राओं को साइकिलें वितरित कर दी जाएं, विधवाओं की बेटी के विवाह में 5 हजार रुपए दे दिए जाएं, इस प्रकार के टोकन प्रोग्राम से राजस्थान की जनता का कल्याण नहीं हो सकता, यह सब जोशीजी कह रहे थे। माननीय जोशीजी, हमारे इस बजट में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने स्पष्ट लिखा है कि अर्थशास्त्रियों के मत

(श्री प्रहलाद गुंजल)

में राज्य का सबसे महत्वपूर्ण दायित्व है अशक्त वर्ग की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करना, इसके साथ ही ऐसे वर्गों को उन सुविधाओं की उपलब्धता भी सुनिश्चित करवाना जिन्हें प्राप्त करने में उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अशक्त वर्ग की क्रय शक्ति को बढ़ाने हेतु उनके रोजगार के अवसरों को सृजित करना भी महत्वपूर्ण है। इन सारी बातों को देखकर, आम आदमी से चर्चा करके, व्यापारियों और अर्थशास्त्रियों से चर्चा करके, किसानों से चर्चा करके बजट का खाका तैयार किया है।

नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य जो पूर्व सरकार में मंत्री रह चुके हैं, उनके मन में इस बात की कल्पना होती कि आज राजस्थान में विधवाओं की क्या स्थिति है। सभापति महोदय, आज राजस्थान में लगभग 22 लाख 40 हजार विधवाएं हैं जिनमें लगभग 12 लाख-13 लाख ऐसी हैं जो गरीबी की रेखा से नीचे जीवन-यापन कर रही हैं, उनके सामने जीवन जीने का संकट है, समाज के ताने हैं, किस परिस्थिति में विधवा हुई यह समाज उसमें नहीं जाता, उसको ताने मारता है, अपशकुनी कहता है, ऐसा विधवा जीवन जीने वाली महिला के माथे पर बेटी के विवाह का बोझ, बेटी का विवाह कर उस बोझ को उतारने का संकट। इस बारे में सहृदयता दिखाकर राजस्थान की माननीय मुख्य मंत्री ने इस मूलभूत समस्या से जुड़ने का प्रयास किया तो आपको लग रहा है कि बजट में किस प्रकार का प्रावधान किया?

माननीय जोशीजी, अभी इस सदन में नहीं है, मैं उनको कहना चाहता हूं कि आप जब बोलते हैं तो हम सुनते हैं और सीखते हैं कि आप अपनी आत्मा से बोल रहे हैं लेकिन मुझे संशय हो रहा है कि आप जैसे आत्मा से बोलने वाले व्यक्ति विधवा की बेटी के विवाह पर पांच हजार रुपए के, 10 हजार रुपए के प्रावधान को इंगित करके बात करते हैं, इनके कल्याण की मंशा के विपरीत साबित करने की चेष्टा करते हैं।

माननीय सभापति महोदय, मुद्दे बहुत हैं जिन पर इस सदन में चर्चा हुई। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि अभी माननीय जोशीजी कह रहे थे कि आप राजकोषीय घाटे को कम करने के प्रयास की बात करते हैं, आपने करों में लगातार कटौती की है, आपने कर सरलीकरण का प्रयास किया है, समझ में नहीं आता कि किस प्रकार से आप राजकोषीय घाटे को कम करेंगे, आप नियोजित साजिश कर रहे हैं, केन्द्र से पैसा लेने का प्रावधान कर रहे हैं। माननीय जोशीजी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि राजकोषीय घाटे के लिए अगर टैक्स लगाया जाना आवश्यक है, राजकोषीय घाटे को अगर जनता पर करों का भार डालकर पूरा किया जा सकता है तो

(श्री प्रहलाद गुंजल)

आपको पता होगा, प्रतिपक्ष के माननीय नेता विराजमान हैं जो तत्कालीन सरकार में मंत्री थे, आपकी सरकार के पांच साल के कार्यकाल में राजस्थान की जनता के माथे पर 2500 करोड़ के कर बढ़ाए गए, क्या आपने राजकोषीय घाटा कम कर दिया? क्या आपने दावा करने की हिम्मत की कि हम राजकोषीय घाटे को कम करना चाहते हैं। हम आने वाले कुछ समय में राजस्व घाटे को बराबरी पर लाकर खड़ा करने की कोशिश करना चाहते हैं, यह आपकी सोच के विपरीत बात है। आपका प्रबन्धन ठीक नहीं था। माननीय जोशीजी, आप अगर इस बजट को पढ़ते तो आपको यह विश्वास हो जाता...(व्यवधान)

श्री सुरेश मीणा (करौली) : आपने विधवा महिलाओं की गिनती बता दी लेकिन आपने रण्डुओं की संख्या तो बताई ही नहीं राजस्थान के।

श्री प्रहलाद गुंजल : माननीय सदस्य, आप इस सदन में सवाल को किसी रीति-रीति में जाकर सम्बन्धित मंत्रीजी से पूछ लेना, वह जवाब दे देंगे।

इस बजट पुस्तिका के पैरा नम्बर 19 पर लिखा है। जब राजस्थान का पिछला बजट पेश कर रहे थे तो घाटे का अनुमान लगाया था 334 करोड़ 39 लाख रुपए लेकिन राजस्थान सरकार ने बेहतर और कुशल वित्तीय प्रबन्धन करके कर दिया 6 करोड़ 89 लाख। यह केवल आंकड़े नहीं है, यह दस्तावेजी सबूत हैं और इस सबूत पर विश्वास करके चलना पड़ेगा। इस अवसर पर मैं आज कहना चाहता हूं...। और धन्यवाद देना चाहता हूं राजस्थान की मुख्य मंत्री महोदया को कि करों में सरलीकरण करके राजस्थान की जनता के माथे पर से करों का बोझ कम करके व्यापारिक उत्पादन को बढ़ाने, कुशल प्रबन्धन के आधार पर राजस्व घाटे में कमी का संकल्प करके चल रही हैं और इस दिशा में हमारे कदम आगे बढ़े हैं। हमने पिछले एक साल के वित्तीय प्रबन्धन के आधार पर इस घाटे को अपेक्षा से ज्यादा कम करने की चेष्टा की है। मुझे विश्वास है कि इस बजट का हमारा संकल्प पूरा होगा और यह वर्तमान बजट पेश किया गया है इसमें 977.28 करोड़ रुपये के बजट आधिक्य का प्रावधान है। पहले भी हुआ है, मैंने पढ़ा है 2001-2002 का भी बजट आधिक्य का बजट प्रावधान किया है, लेकिन आपकी प्लान की योजनाओं का क्या हश्र हुआ? कल्पना नहीं की कभी आपने?

जब महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर वाद-विवाद हो रहा था तो आपने यह कहकर सरकार को कठघरे में खड़ा करने की कोशिश की कि आपने प्लान की कितनी राशि खर्च की है। बजट आधिक्य का 2001 में पेश किया, लेकिन

(श्री प्रहलाद गुंजल)

प्लान में कितनी कटौती हुई, 2002 में कितनी कटौती हुई, 2003 में कितनी कटौती हुई, लगातार बजट प्लान जो आपने इस पवित्र सदन में पेश किये और राजस्थान के विकास का संकल्प किया आपने राजस्थान की जनता के साथ अन्याय किया उसमें कटौती करके। कौन से वित्तीय वर्ष का बजट एनुअल प्लान है जिसमें कटौती नहीं की गई। आज दावा कर रहे हैं, सीख दे रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं एक तरफ तो हमारी माननीय मुख्य मंत्री महोदया ने पिछले एक साल में जिस प्रकार का कीर्तिमान राजस्थान की धरती पर स्थापित किया, जो बजट पेश होता है यह वो दस्तावेज है जिसमें सरकार की एक साल की उपलब्धियां, आने वाले चालू वर्ष के बारे में कर योजना का संकल्प और एक सपना होता है और यह सपना राजस्थान की जनता के विकास से जुड़ा हुआ होता है। जब बजट इस सदन में पेश किया जाता है तो सारा राजस्थान टकटकी लगाकर देखता है, इस एक साल में राजस्थान को किस दिशा में ले जाने वाला बजट सरकार पेश करने वाली है। इस दस्तावेज को एक साल के अपने प्रान्त के भविष्य से जोड़कर इस प्रान्त का नागरिक देखता है। जब हम मूल्यांकन करेंगे, एक साल पहले दो बजट पेश हुए थे एक केन्द्र का बजट पेश हुआ, एक प्रान्त का बजट पेश हुआ। बहुत चर्चा हो गई, टोकन प्रावधानों पर तो जोरदार तरीके से हंगामा करके उस बात को हाइलाइट करने की कोशिश की गई, लेकिन माननीय सभापति महोदय, प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य इस बात का उल्लेख करने से क्यों कतरा रहे हैं। यह राजस्थान के इतिहास में पहला अवसर है जब अपने शासनकाल के पहले साल में किसी सरकार ने लाखों हाथों को काम देने की सरकारी नौकरियों में प्रयास किया हो। आज 38 हजार अध्यापकों की भर्ती का कार्यक्रम चल रहा है, 26521 साथिनों की भर्ती का कार्यक्रम चल रहा है।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महावीर प्रसाद जैन (सरकारी मुख्य सचेतक) : माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय 8 बजे तक के लिए बढ़ाया जाए।

श्री सभापति : क्या सदन का समय 8 बजे तक के लिए बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय 8 बजे तक बढ़ाया जाता है।

आय-व्ययक पर सामान्य वाद विवाद

श्री प्रह्लाद गुंजल : माननीय सभापति महोदय, पिछले एक साल में सरकार ने कीर्तिमान स्थापित किया है। पांच साल तक राजस्थान में कांग्रेस का राज रहा।

श्री सभापति : अब आप कंक्लूड करें, 20 मिनट हो गये हैं आपको।

श्री प्रह्लाद गुंजल : माननीय सभापति महोदय, 5 साल तक राजस्थान में कांग्रेस का राज रहा। किस मुंह से आज कांग्रेस के लोग दावा करते हैं। पांच साल तक आपने राजस्थान के हर वर्ग के साथ धोखा किया। मैं उस मुद्दे पर चर्चा करना चाहता, पिछले बजट सत्र से लेकर काफी चर्चा हुई चाहे वो राजस्थान के किसान के साथ बिजली की कीमतें बढ़ाकर अन्याय करने का प्रश्न हो, चाहे सरकारी नौकरियों पर लगे प्रतिबन्ध पर राजस्थान के नौजवान के भविष्य के दरवाजे पर ताला लगाने का प्रश्न हो, हर क्षेत्र में राजस्थान की जनता की पिछली सरकार ने उपेक्षा की है। चाहे वो कर्मचारी के बोनस, भत्ते बन्द करने का प्रश्न हो। मैंने महामहिम के भाषण की चर्चा के दौरान भी सभापति महोदय, कहा था कि एक अंतर महसूस किया राजस्थान की जनता ने, पहली बार इस बजट के प्रावधानों में पिछले प्रावधानों की तुलना में राजस्थान की जनता को राहत प्रदान की है माननीय मुख्य मंत्रीजी ने। पिछले पांच सालों में दीवाली के मौके पर कोई बधाई का संदेश लेकर डाकिया आता था तो राजस्थान का कर्मचारी हाथ में लेने से डरता था कि कहीं मेरा वालेंटरी रिटायरमेंट का संदेश तो नहीं आ गया है। पहली बार दीवाली का तोहफा बोनस-भत्तों के रूप में राजस्थान की मुख्य मंत्रीजी ने देकर राजस्थान के कर्मचारी को राहत प्रदान की है।

बिजली के क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित किया है। अभी कई माननीय सदस्य कहना चाह रहे थे मूल भावनाओं को नहीं कह सके। मैंने अभिभाषण के समय कहा था कि इसमें वास्तविकता जितनी मैं जानता हूं शायद राजस्थान का और कोई सदस्य जानता होगा निश्चित रूप से, लेकिन इस गहराई को मैं जानता हूं। मेरे क्षेत्र में खेत की एक मेड़ पर किसान ट्यूबवैल लगाता है दूसरी ओर इंडस्ट्री लगती है। पत्थर की पालिश फैक्ट्री लगती है। क्या हश्र था पिछले राज में ? (व्यवधान) वे बताएंगे आपको, पूछ लेना आप। आपने कितना किया, पहले वो बता देना फिर हम बता देंगे। हाथ में दो व्यक्ति फाइल लेकर जाते थे। किसान को 10 साल इंतजार करना पड़ता था, व्यापारी को 10 दिन में कनेक्शन मिल जाता था। उसके साथ सौतेलेपन का

(श्री प्रहलाद गुंजल)

व्यवहार तब महसूस होता था और आज राजस्थान के मुख्य मंत्री महोदय ने यह संकल्प पारित किया कि पिछले कई सालों से राजस्थान का किसान बिजली के कनेक्शन की कतार में खड़ा है, हम तीन साल में उस कतार को समाप्त करेंगे। हम राजस्थान के किसान के साथ हो रहे सौतेलेपन के व्यवहार को समाप्त करने के लिए आओ-पावो की नीति लागू करेंगे। यह पहली बार किसान के हित में ऐतिहासिक निर्णय हुआ है। बिजली के खम्भे की कीमतें। वो उस खम्भे की कीमत थी जो इस पार्टी को चुकानी पड़ गई जो उधर बैठे हैं। माननीय सभापति महोदय, केवल खम्भे की कीमत का प्रश्न नहीं है उस खम्भे की कीमत के नाम पर एस्टीमेट बनता था, एस्टीमेट के नाम पर भ्रष्टाचार होता था, हर स्तर पर किसान को लूटा जाता था, उसकी जेब को काटा जाता था। पहली बार राजस्थान की मुख्य मंत्रीजी ने यह तय किया कि राजस्थान के किसान को लूटा नहीं जाएगा, एस्टीमेट के नाम पर भ्रष्टाचार की चोट उसके माथे पर नहीं पहुंचायी जाएगी और तय कर दिया कि 2500 रुपये होर्स पावर के हिसाब से राजस्थान के किसान को कनेक्शन दिया जाएगा। एक साल का कीर्तिमान। किस क्षेत्र की चर्चा करना चाहते हैं ? दूसरी तरफ माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं मेरे पास यह बजट भाषण है जिसमें 2004-2005 का बजट भाषण पेश करते समय भारत के वित्त मंत्री माननीय पी. चिदम्बरमजी ने कहा था "राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम पर कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है। मुझे विश्वास है मेरे साथी श्रम मंत्रीजी इस विधेयक को शीघ्र ही संसद में प्रस्तुत करेंगे और राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कानून बनेगा और इस कानून में कह रहे थे इस देश के किसान के एक वयस्क बेटे को 100 दिन साल में रोजगार देंगे। कहां गया उनका रोजगार गारंटी कानून? इस देश के प्रत्येक किसान के बेटे को 100 दिन तक रोजगार देने का मतलब है 40 प्रतिशत गरीब परिवारों का, देश के 33 प्रतिशत परिवारों पर अगर एक गरीब व्यक्ति को रोजगार दिया जाता है तो 49300 करोड़ रुपये के बजट प्रावधान की आवश्यकता है और क्या किया इस बजट में? यह वर्तमान बजट है। मैं कहना चाहता हूं जहां एक तरफ इसके लिए 40 हजार करोड़ रुपये मूल्यांकन किया जा रहा है उसके लिए प्रावधान किया है वह मैं बताना चाहता हूं। राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कानून में 39,400 करोड़ के एवज में प्रावधान किया है 11 हजार करोड़ रुपये का, ऊंट के मुंह में जीरा, ऐसा रोजगार गारंटी कानून बनाना चाहते हैं ? इसके नाम पर चलना चाहते हैं हिन्दुस्तान के नौजवान ? एक तो बजट राजस्थान की वसुन्धराजी मुख्य मंत्री महोदया का जिसमें करों का सरलीकरण किया गया और इस बजट में, माननीय

(श्री प्रहलाद गुंजल)

सभापति महोदय, यह लिखा है 177वें पैरा नम्बर पर, मैं प्रथमत: बैंकों से किसी एकल दिवस में 10 हजार रुपया या उससे अधिक की नकद राशि के आहरण पर 0.1 प्रतिशत की दर से एक कर लगाने का प्रस्ताव रखता हूं। अत: 10 हजार रुपये नकद आहरित करने वाले किसी व्यक्ति को 10 रुपये की लघु राशि का भुगतान करना होगा कर के माध्यम से गांव के गरीब व्यक्ति की जेब पर अपना लुटेरा हाथ पहुंचाना चाहते हैं ? यह किस प्रकार के प्रावधान हैं ? गरीब व्यक्ति बैंक से 10 हजार रुपये जो अपनी गाढ़ी कमाई का जमा करवा रहा है एक मुश्त अगर किसी बेटी के ब्याह के नाम पर किसी कार्यक्रम के नाम पर निकाल कर ला रहा है, आपके कर की कैंची उसकी जेब तक पहुंच जाए, इस प्रकार का कानून बनाना चाह रहे हैं और चर्चा कर रहे हैं सदन में कि वसुन्धराजी का बजट दिखावा है। पहले अपने बजट का मूल्यांकन करें, माननीय सभापति महोदया, उसके बाद हमारा मूल्यांकन करें।

इस बजट में प्रावधान किये हैं, मैं आंकड़ों में नहीं जाना चाहता लेकिन जिस प्रकार के प्रावधान किये राजस्थान की जनता के सपने पूरे होंगे। (व्यवधान) वह तो आप देखें, देखते रहो।

श्री सभापति : कनक्लूड करें।

श्री प्रहलाद गुंजल : कनक्लूड करूंगा। मैं कहना चाहता हूं, माननीय सभापति महोदय, कि यह हमारी सरकार का कुशल वित्तीय प्रबन्धन है कि जिसने 2004-05 की तुलना में इस वर्ष लगभग 3 हजार करोड़ का ज्यादा राजस्व लक्ष्य प्राप्त करने का तय किया है। (व्यवधान) महीपालजी को प्रमाण मुझे देने की आवश्यकता नहीं है, बानसूर की जनता देगी आने वाले चुनाव में, हम 50 हजार लोगों से सवाल पूछेंगे कि आपकी बुद्धिमता पर इन्होंने प्रश्नचिन्ह लगाया, इसका निर्णय अब हो, हम जाकर बानसूर में कहेंगे।

श्री सभापति : आप आपस में बातें नहीं करें।

श्री प्रहलाद गुंजल : माननीय सभापति महोदय, आपने दो बार मुझे निर्देश दिया है, मैं कनक्लूड कर रहा हूं और आज यह कहना चाहता हूं कि इस बजट का मूल्यांकन करें, चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे सड़कों के क्षेत्र में हो, चाहे सिंचाई के क्षेत्र में हो, माननीय सभापति महोदय, यह पहली बार हुआ है, आप स्लैब उठाकर देखें देश के जी.डी.पी. का 21 प्रतिशत एग्रीकल्चर पर निर्भर है

(श्री प्रहलाद गुंजल)

और एग्रीकल्चर को बढ़ाने के लिए जल संसाधन बढ़ाने आवश्यक हैं। पिछली सरकारों ने कभी इस बारे में चिंता नहीं की। आप इस बजट को उठाकर देखें राजस्थान में जल संसाधन क्रिएट करने के लिए माननीय मुख्य मंत्री महोदया ने एक बड़ी राशि का प्रावधान किया है और इतना ही नहीं, माननीय सभापति महोदय, राजस्थान में छोटे बड़े उद्योग को संरक्षण प्रदान करने की योजनाएं हैं इस बजट के अन्दर निहित की हैं और राजस्थान के कृषि क्षेत्र में नया कीर्तिमान स्थापित करने के लिए मैं चर्चा करना चाहता हूं, माननीय सभापति महोदय, अभी हमारे लूणी से आने वाले माननीय सदस्य चर्चा कर रहे थे। वैसे तो इस बजट में माननीय मुख्य मंत्री महोदया ने सारे राजस्थान के साथ-साथ हाड़ौती का विशेष ध्यान रखा है और मेरे विधान सभा क्षेत्र में भी 149 करोड़ की योजना और आने वाले एक साल के अन्दर 52 करोड़ की लागत से बनने वाले ताखली बांध का काम प्रारम्भ करने की बात कही। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं, स्वागत करना चाहता हूं और इसमें मामूली राशि का प्रावधान भी किया है। माननीय सभापति महोदय, मैंने पिछली बार जब बजट पर अपनी बात कह रहा था तब कही थी कि चम्बल की नहरों के कारण कोटा-हाड़ौती की धरती ने राष्ट्रीय उत्पादकता का पुरस्कार प्राप्त करके उत्पादन में पंजाब को पीछे छोड़ा है।

श्री सुरेश मीणा : मैं पूछना चाहता हूं 149 करोड़ की योजना कौन सी है?

श्री प्रहलाद गुंजल : रावतभाटा से पेयजल की है, इसमें पढ़ लेना आपको पता लग जाएगा, आप बैठ जाओ, आप पढ़ो इसको, ठीक से पढ़ोगे तो पता चल जाएगा। यह सारा जिम्मा हमारा नहीं है कि आपको एक-एक बिन्दुवार बताएं।

श्री सभापति : आपस में बीच में टोका-टाकी नहीं करें, आप प्लीज कनक्लूड करें।

श्री प्रहलाद गुंजल : हां, मैं कनक्लूड कर रहा हूं। माननीय सभापति महोदय, पिछले राज में कई बार जिन कोटा की चम्बल की नहरों ने हाड़ौती को जीवन दान दिया है, वे नहरें नया जीवन मांग रही हैं और पिछले राज में तो लगातार उन नहरों के दो बार टूटने के कारण कृत्रिम अकाल का सामना हाड़ौती की जनता को करना पड़ा। मैं स्वागत करना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय मुख्य मंत्रीजी का उन्होंने इस बजट में कुछ पैसे का प्रावधान किया है लेकिन यह प्रावधान काफी नहीं है। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहता हूं इसको बढ़ाया जाना चाहिए। यह जरूरी है, यह हाड़ौती से जन जीवन से जुड़ा हुआ सवाल है।

(श्री प्रहलाद गुंजल)

जिन मानवीय भावनाओं को आपने इस बजट में परिलक्षित किया है, मैं समझता हूं मेरी भावनाओं को समझकर आप हाड़ौती की जनता के साथ न्याय करने की चेष्टा करेंगी।

माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्री महोदया ने एक और नया काम किया है कृषि जिन्सों पर आधारित विशिष्ट मण्डियां जैसे सोजत की मेहन्दी मण्डी, अजमेर फूल मण्डी, जोधपुर में जीरा मण्डी विकसित करने का प्रयास किया है स्वागत योग्य कदम है, इससे मेहन्दी के, जीरे के, फूल के व्यापार को बढ़ावा मिलेगा लेकिन माननीय सभापति महोदय, मैं आज ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं माननीय मुख्य मंत्री महोदय और कृषि मंत्री महोदय का मेरे विधान सभा क्षेत्र रामगंज मण्डी की मण्डी इस देश की धनिया की एक स्तर की नम्बर वन मण्डी के नाम से जानी जाती है धनिया मण्डी के रूप में देश में, उसका अपना एक स्थान है। आपने जो कुछ प्रावधान इस बजट में किये हैं, स्वागत योग्य हैं लेकिन मेरा अनुरोध है इन तीन मण्डियों के साथ धनिया मण्डी के रूप में एक नये रूप में विकसित करने का प्रावधान कर इस बजट में आप जब बजट का जवाब दें तो रामगंजमण्डी के बारे में तय कर दें तो इस पवित्र सदन में आपका स्वागत करना चाहता हूं, अभिनन्दन करना चाहता हूं।

श्री हरिमोहन शर्मा : अब तो दूसरी कांस्टीट्यूएंसी की करो बात।

श्री प्रहजाद गुंजल : जिस कांस्टीट्यूएंसी ने पांच साल का दायित्व दिया है उसको पूरा निभाएंगे, पहले पूरी सेवा करेंगे पूरे भाव से।

श्री हरिमोहन शर्मा : नहीं, नहीं, आप सेवा तो करो लेकिन वह तो अब रिजर्व हो गई इसलिए दूसरी कांस्टीट्यूएंसी भी साथ की साथ तैयार करो नहीं तो सदन के बाहर रह जाओगे।

श्री प्रहलाद गुंजल : सदन के बाहर रहकर भी जिन्होंने पांच साल इस सदन में आने का मौका दे दिया उनकी सेवा करके काम चला लेंगे, कोई बड़ा अहम मुद्दा नहीं है।

श्री सभापति : अब आप कनक्लूड करें।

श्री प्रहलाद गुंजल : हां, मैं कनक्लूड कर रहा हूं और माननीय सभापति महोदय मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं मुख्य मत्रीजी का कि फूड पार्क का जोधपुर के साथ कोटा में उसका विस्तार करने की घोषणा की है, संयोग से यह फूड पार्क क्षेत्र

(श्री प्रहलाद गुंजल)

मेरे विधान सभा क्षेत्र में आता है। माननीय सभापति महोदय, मैं उम्मीद करता हूं कि जिस प्रकार का बजट, अब मैं कनक्लूड कर रहा हूं, राजस्थान की माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने पेश किया है, यह बजट राजस्थान की जनता के सपने को पूरा करने वाला बजट होगा। लगातार दो बजट पेश करने के बाद राजस्थान की जनता पर कर का भार हटाकर करों में जों सरलीकरण की प्रक्रिया मुख्य मंत्रीजी ने अनवरत जारी रखी है वह अपने आप में सराहनीय कदम है। उससें न केवल राजस्थान की जनता, आम व्यापारी राहत महसूस कर रहा है बल्कि इस करों की सरलीकरण की प्रक्रिया से आम आदमी में कर देने का स्वभाव बनेगा। करों की मार के कारण नियमों के सरलीकरण के कारण व्यापार और उद्योग को बढ़ावा मिलेगा और इस कुशल वित्तीय प्रबन्धन के आधार पर सरकार इस बजट के लक्ष्यों को पूरा करते हुए इस राजस्थान को विकास के पथ पर आगे ले जाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। यह विकास का पहिया निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा, राजस्थान के आमजन का सपना पूरा होगा। इसी विश्वास के साथ मैं अपनी बात को विराम देते हुए इस बजट का स्वागत करता हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति : धन्यवाद। माननीय श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल।

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल (गंगापुर) : आदरणीय सभापति महोदय, इस सदन में बजट प्रस्तावों को लेकर जो बहस चल रही है इसमें मैं भी भाग लेते हुए यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि बजट प्रस्तावों को लेकर सरकार की आलोचना या प्रशंसा करने के विवाद में नहीं पड़ेगा, मैं रचनात्मक विचारों का हामी रहा हूं, मैं विरोध केवल विरोध के लिए किया जाए इन बातों का मैं समर्थक नहीं हूं।

सभापति महोदय, मैं कुछ ऐसी बातें इस सदन में कहना चाहूंगा जिनके कहने से इस राज्य की जनता को लाभ मिलेगा। मैं सत्ता पक्ष के लोग, विशेष रूप से जो सत्ता पक्ष के मंत्री लोग यहां बैठे हुए हैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे कृपया ध्यान से सुनें और इनकी पालना करने की कोशिश करें।

सभापति महोदय, अब तक जितने भी बजट राजस्थान में पिछले पांच दशकों से पेश किये गये हैं वो कमोवेश मध्यमवर्गीय जनता या इससे ऊपर की जनता के लिए प्रासांगिक रहे हैं। अब तक गरीबों का उद्धार करने वाला बजट कोई भी राज्य सरकार पेश नहीं कर सकी है। सभापति महोदय, इस सदन में जो अबकी बार भी बजट पेश किया गया है, कहने को तो इसमें गरीब लोगों के लिए काफी प्रोविजन

(श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल)

किये गये हैं, कई विकास की योजनाएं भी रखी गई हैं और यह भी दर्शाया गया है कि हम गरीब लोगों के लिए, विशेष तौर से विधवाओं के लिए, अपंग लोगों के लिए 10 किलो अनाज प्रति महीने देंगे। सभापति महोदय, घोषणाएं तो बहुत हो जाती हैं पर उनकी क्रियान्विति नहीं होती। वक्त-वक्त पर हमारे सभी नेताओं ने इस बात को स्वीकारा है कि जो पैसा दिया जाता है वह गरीब तक नहीं पहुंचता। यहां तक कहा जाता है कि यह पैसा 20 प्रतिशत तक ही पहुंचता है बाकी 80 प्रतिशत ऊपर भ्रष्टाचार में ही ख़तम हो जाता है। राजीव गांधी ने तो 15 प्रतिशत कहा था... (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा : कीर्तिमान राजीव गांधी के नहीं हैं, यह आपकी सरकार के समय में भी वास्तविकता है और वास्तविकता स्वीकार करनी चाहिए। भ्रष्टाचार की हालत सभी स्तरों पर ऐसी होती जा रही है उस बात से इन्कार करने से क्या फायदा। राजीव गांधी ने तो कड़वा सच बोला था। (व्यवधान)

श्री रामलाल शर्मा : आप दिल के मरीज हैं, कृपया अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा : मेरा ख्याल तो मैं कर लूंगा, आप तो सरकार का करो।

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल : सभापति महोदय, जिस प्रदेश में प्रचुर मात्रा में खनिज पदार्थ उपलब्ध हो, जिस प्रदेश में बहता हुआ सोना यानि पैट्रोलियम पदार्थ प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो, जिस प्रदेश में लिग्नाइट यानि काला सोना उपलब्ध हो, जिस प्रदेश में खनिज पदार्थ, हमारा सैण्ड स्टोन, मार्बल और उच्च श्रेणी का सोप स्टोन मिलता हो, विश्व में नम्बर एक का सोप स्टोन इस प्रदेश में मिलता है, दिल्ली में लाल किला और जामा मस्जिद बनी है वह इस प्रदेश के सैण्ड स्टोन से ही बनी है और विश्व की सबसे प्रसिद्ध धरोहर हमारा ताजमहल भी इस प्रदेश के मार्बल से बना है, जो प्रदेश पर्यटन की दृष्टि से न केवल भारत में बल्कि विश्व में अपना विशिष्ट स्थान रखता हो, जिस प्रदेश में चम्बल, बनास, कालीसिंध नदियों में प्रचुर मात्रा में पानी बहता हो, जिस प्रदेश के लोग कठिन परिश्रम करने वाले और शांतिप्रिय हों, इन सब विशेषताओं के होते हुए भी इस प्रदेश में गरीब लोग निवास करते हों, यह विचारणीय प्रश्न है।

सभापति महोदय, हमारी मुख्य मंत्री महोदया व वित्त मंत्री महोदया ने इस साल बजट में बड़ी शानदार घोषणाएं की हैं। बड़ी लोक-लुभावनी घोषणाएं की हैं और

(श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल)

मैं सोचता हूं पिछले साल जो बजट प्रस्तुत किया था उससे भी ज्यादा बढ़-चढ़कर के घोषणाएं की गई हैं परन्तु उन घोषणाओं की क्रियान्विति हुई या नहीं? सच मायने में बजट में घोषणाएं करना ही सचमुच में सब काम नहीं होता है, बजट की क्रियान्विति ही सच मायने में, वास्तविकता में बजट की सफलता है। आदरणीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पिछले साल हमारी मुख्य मंत्री महोदया ने घोषणा की थी कि खनिज और खनिज आधारित उद्योगों से जो कि इस प्रदेश में है, करीब 4 लाख 60 हजार लोग प्रत्यक्ष रूप से कार्यरत हैं, उनमें उनको रोजगार मिला हुआ है। इसी प्रकार उन्होंने यह घोषणा की थी कि अप्रत्यक्ष रूप से खनिज और खनिज आधारित उद्योग में 20 लाख लोग रोजगार में लगे हुए हैं और उन्होंने यह वायदा किया था कि ऐसी व्यवस्था की जाएगी कि प्रत्यक्ष रूप से पांच लाख लोग इसमें काम में लगने लगेंगे और 22 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। पर, सभापति महोदय, ऐसा नहीं हुआ बल्कि इनके कार्यकाल में पिछले साल पर्यावरण और वन विभाग के कारण करीब 9 हजार खानें एकदम से बन्द हुई और फिर बाद में वो धीरे-धीरे खुलीं और आज की तारीख में भी करीब 800 खानें बन्द हैं।

श्री सभापति : आप बीच-बीच में बैठे-बैठे बातें नहीं करें।

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल : मैं बजट से बाहर नहीं बोल रहा हूं और आज की तारीख में भी सभापति महोदय इस उद्योग की 800 खानें बन्द हैं जिनमें कार्यरत सैकड़ों हजारों लोग मजदूरी, रोजगार की तलाश में मारे-मारे भटक रहे हैं। यह डाक्यूमेंट्री प्रूफ है। हमारी मुख्य मंत्री महोदया ने इस बजट में उस उद्योग के बारे में कुछ भी नहीं कहा है, दो शब्द भी नहीं कहे और ऐसा दर्शाया जैसे कि इस उद्योग की सब समस्याएं खतम हो चुकी हैं, रोजगार भी उपलब्ध करा दिया गया है और यह उद्योग फल-फूल रहा है। सभापति महोदय, मैं सरकार की नीयत पर दोष नहीं दे रहा, सरकार की नीयत तो चाहती है कि रोजगार के अवसर भी उपलब्ध हों और रोजगार भी बढ़े, यह इण्डस्ट्री भी पनपे परन्तु देखा जाए तो सरकार की अपने ब्यूरोक्रेट्स पर, जो अफसर हैं, जो आफिसेज में काम करते हैं उन पर पकड़ नहीं है। ये लोग स्वेच्छाचारी हो गये हैं और सरकार की परवाह ही नहीं करते। ये लोग अपने एयर कंडीशंड आफिसेज में बैठकर के, विदेशों की यात्रा करके और विदेशों की नकल करके देश की जमीनी हकीकत से दूर ऐसे कानून कायदे बना देते हैं जिससे उद्योग पनपते नहीं हैं बल्कि उद्योगों का विकास अवरूद्ध हो जाता है। माननीय सभापति महोदय, उदाहरण के तौर पर खनिज उद्योग

(श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल)

को ही ले लीजिये, खनिज उद्योग इस प्रदेश में आर्थिक रूप से रीढ़ की हड्डी है। हमारे खनिज मंत्रीजी यहां पर विराजमान नहीं हैं, जो अन्य माननीय मंत्री बैठे हुए हैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे कृपया मेरी बात को नोट करें। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार को कम से कम जिन स्थानों पर मिनरल आइडेंटिफाई हो गया है, उसके लिए खनिज भूमि के नाम से एरिया को राजस्व विभाग में अंकित कराया जाना चाहिए, चिन्हित कराया जाना चाहिए। आज तक किसी भी ब्यूरोक्रेट्स ने, किसी भी राजनैतिक पार्टी के राजनेता ने यह नहीं सोचा कि जो उद्योग इतने लो... को रोजगार उपलब्ध कराता है, उसके लिए खनिज भूमि के नाम से आज तक कोई खनिज भूमि राजस्व रेकार्ड में नहीं है। आपने चारागाह भूमि राजस्व रिकार्ड में दे रखी है, वन भूमि दे रखी है, सिवाय चक भूमि दे रखी है, आबादी भूमि दे रखी है, अन्य प्रकार की भूमि दे रखी है परन्तु खनिज भूमि के नाम से कोई भी भूमि चिह्नित नहीं है जिसके कारण आये दिन इस खनिज के ऊपर हमेशा कुठाराघात होता है। कभी हाई कोर्ट, कभी सुप्रीम कोर्ट, कभी कलक्टर, कभी वन विभाग वाले खानों को बन्द कर देते हैं और नतीजा यह होता है कि हजारों लोग इसमें बेरोजगार हो गये हैं और आज की तारीख में खनन पट्टाधारी इस उद्योग में पैसा लगाने को तैयार नहीं है। वह सोचता है पता नहीं कब कौनसी गाज पड़ जाये और खानें बन्द हो जायें। यह उद्योग एक तरह से खतम होने के कगार पर आ गया है। मैं राज्य सरकार में बैठे हमारे माननीय सदस्यों से कहूंगा कि आप कम से कम इतना तो करा दें कि खनिज भूमि का जो आइडेंटिफाई एरियाज हैं उनको खनिज भूमि के नाम से अपने राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज करा दें और यह छूट दे दें कि जो लीगल पट्टाधारी हैं उनको यह अथोराइज कर दें कि आप अब इसमें काम करिये, खुलकर काम करिएगा, आपको वक्त-बेवक्त रोका नहीं जायेगा। इससे इस उद्योग का विकास भी होगा, इसमें ज्यादा रोजगार भी उपलब्ध होंगे और जनता को राहत भी मिलेगी।

पेड़ों की जहां तक बात है, पेड़ तो हर जगह, हर स्थान पर उगाये जा सकते हैं। आदरणीय सभापति महोदय, केवल इस बात को सोचना कि जहां मिनरल निकलता है, मिनरल तो वही निकलेगा जहां पर कि कुदरत ने उसको पैदा किया है। मिनरल हर जगह तो पैदा नहीं किया जा सकता कि पानी देकर के मिनरल पैदा कर लो परन्तु हो यह रहा है कि हर आदमी, हर सरकारी अधिकारी का और हमारी सरकार में बैठे हुए जन-प्रतिनिधियों का केवल खनिज के ऊपर ध्यान जाता है कि खनिज को बन्द करा दो। मतलब यह कैसा सोच है? आप इस खनिज को तो पनपाइयेगा, आप आल राउण्ड डवलपमेंट कीजियेगा पर जहां तक पेड़ों की बात है, आप खनिज के ऊपर प्रति टन के

(श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल)

हिसाब से कुछ सेस लगा दीजियेगा और उस सेस से जो पैसा प्राप्त हो, उससे आप पेड़ उगाइएगा। पेड़ तो हर जगह हो सकते हैं। मैं आपको हजारों बीघा जमीन बता दूंगा, वन क्षेत्र में बता दूंगा जहां पर एक पेड़ नहीं है और मैं उस जगह की भी बता दूंगा जहां वन भूमि में हजारों पेड़ थे और आज एक पेड़ नहीं है, जहां पर किसी मिनरल का नामो-निशान नहीं है, खानें नहीं हैं फिर भी पेड़ कट गये हैं। कभी इस बात के लिए सोचा है क्या हमारे जन-प्रतिनिधियों ने? दरअसल पेड़ कट इसलिए रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में जनता अब ज्यादा बढ़ गई है और उस जनता के लिए आपने कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की है, ईंधन के लिए उन्हें लकड़ी चाहिए तो वह पेड़ काटता है, आप वैकल्पिक व्यवस्था करिये ना और रहा सवाल पेड़ों का, तो जो पैसा मिलता है आपको रायल्टी के जरिये जो आप सेस लगाते हैं उससे आप वन क्षेत्र जहां पर पेड़ नहीं है वहां पर लगाइएगा पेड़। नहरों के किनारे लगाइएगा, खेतों की बांदी पर लगाइएगा, सड़क के किनारे लगा दीजिये और ठेकेदार को आप यह कह दीजिएगा कि आपको इतने पेड़ प्रतिवर्ष लगाने ही होंगे तो मैं सोचता हूं, इस तरह से पेड़ों का भी डवलपमेंट होगा और खनिज का भी डवलपमेंट होगा, आल राउंड डवलपमेंट होगा।

आदरणीय सभापति महोदय, जिस तरह से इन्होंने नीति बना ली है, तो खनिज तो नहीं रुका है, खनिज का तो अभी भी दोहन हो रहा है, वह लीगल नहीं होगा, वह इल्लीगल हो रहा है। पहले तो भू-माफिया होते थे, पहले शराब माफिया होते थे, अब खनिज माफिया पैदा हो गये हैं जो पैसा देकर के...(व्यवधान)

डा. दिगम्बर सिंह : आपने जब शुरूआत की तो हम लोग सोच रहे थे कि आप जोरदार बात कहेंगे परन्तु पेड़ काटने के अलावा कोई दूसरी बात नहीं की, कोई बढ़िया बात नहीं की।

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल : मैं दूसरी बात कह रहा हूं। मैं यह बात कह रहा हूं कि वह जरूरी नहीं है क्या?

श्री वीरेन्द्र मीणा : माननीय सदस्य, आपकी खानें तो चालू हैं ना, बन्द थोड़े ही हुई हैं?

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल : देखिये, मैं अपनी खानों की बात नहीं कह रहा हूं, आल राउण्ड डवलपमेंट की बात कह रहा हूं, मैं जनरल बात कह रहा हूं। आप इस बात को मेरे ऊपर और अपने ऊपर मत लीजिएगा। मैं उस जगह की बात कह रहा हूं. मैं उस क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूं और जो खनिज उद्योग हैं...

श्री हरिमोहन शर्मा : यह इनकी खानों का सवाल कैसे पैदा हो गया?

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल : सवाल ही हो गया। नहीं, खानें बहुत ही बन्द हो गई हैं, उसकी उनको चिन्ता नहीं है

श्री हरिमोहन शर्मा : ये जो सैद्धान्तिक बात कर रहे हैं, जो प्रोब्लम्स हैं उनको आपके सामने ला रहे हैं, आप इनको गम्भीरता से ले नहीं रहे हैं और उसको मजाक में ले रहे हैं और राजस्थान सरकार के मंत्री उसको गम्भीरता से नहीं ले रहे हैं, ये यही तो कह रहे हैं, राजस्थान सरकार को इनकी बातों को गम्भीरता से लेना चाहिए।

श्री सभापति : माननीय शर्माजी।

श्री हीरालाल (निवाई) : ये किसानों की बात नहीं कर रहे हैं, एस.सी. एस.टी. की बात नहीं कर रहे हैं, महिलाओं की नहीं कर रहे हैं, केवल खानों की बात कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री रामलाल शर्मा : आपकी खानें बन्द थोड़े ही हुई हैं।

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल : मैं जिस बात को कह रहा हूं, उस बात को पकडिएगा। मैं जो बात कह रहा हूं, मैं इस क्षेत्र की बात कह रहा हूं। चलिये, अब दूसरी बात ले लेते हैं। आदरणीय सभापति महोदय, पिछले बजट में हमारी माननीया मुख्य मंत्रीजी ने, जो कि वित्त मंत्री भी हैं, इन्होंने यह बताया था कि जो व्यवसायी हैं उनको हम प्रोत्साहन देंगे और उनको गोल्ड कार्ड देंगे। मतलब ऐसा कार्ड देंगे जिससे कि उस व्यापारी को जो गोल्ड कार्डधारी व्यापारी होगा, उसको हर जगह सम्मान मिलेगा और उसको इज्जत मिलेगी, उसके काम प्राथमिकता के आधार पर दफ्तरों में होंगे, पर महोदय, मैं ऐसा महसूस करता हूं कि पांच प्रतिशत व्यापारियों को भी गोल्ड कार्ड नहीं दिया गया है। हमारी मुख्य मंत्री महोदया ने यह कहा था कि जो व्यापारी, जो व्यवसायी 16 प्रतिशत ज्यादा कर देंगे पिछले साल से, उसको गोल्ड कार्ड दिया जाएगा। आपको ध्यान होगा तो यह पिछले बजट में बात थी पर इसमें इतनी औपचारिकताएं पैदा कर दीं कि आज तक किसी भी व्यापारी को गोल्ड कार्ड नहीं दिया गया है। आदरणीय सभापति महोदय, व्यवसायी, उद्यमी इस देश के आर्थिक रूप से रीढ़ की हड्डी होते हैं। आदरणीय सभापति महोदय, व्यवसायी खुद व्यवसाय लगाता है, दुकान लगाता है, उद्योग लगाता है, उसमें खुद रोजगार प्राप्त करता है और सैकड़ों लोगों को रोजगार उपलब्ध कराता है। बात को समझिएगा जो मैं कह रहा हूं, उसकी महत्ता को

(श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल)

समझिएगा। व्यवसायी इन्कम टैक्स देता है, सैल्स टैक्स देता है, सुपर टैक्स देता है, एक्साइज देता है रायल्टी देता है, डेड रेंट देता है और इस सरकार की आर्थिक रूप से मदद करता है। कभी कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेकर कानून व्यवस्था को भंग नहीं करता है। कभी आपने व्यवसायी को लट्ठ चलाते हुए, छीना-झपटी करते हुए नहीं देखा होगा। चोरी करते हुए, डकैती करते हुए नहीं देखा होगा। मैं अपवाद की बात नहीं करता।

डा. दिगम्बर सिंह : मगर सरकार को चलाता है तो किसान चलाता है। आर्थिक रूप से मजबूती की बात है, उसको देखिये।

श्री हरिमोहन शर्मा : लेकिन इस सरकार को व्यापारी चला रहा है तभी तो वैट का झगड़ा आया। व्यापारी चला रहा है इसलिए कह रहे हैं ये।

श्री सभापति : माननीय शर्माजी, बार-बार बोलना जरूरी है क्या?

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल : मैं उद्यमी की बात कर रहा हूं। आदरणीय सभापति महोदय, क्या व्यापारी को आप कोई तरजीह नहीं देना चाहते? देखिये, उद्योग भी जरूरी है तो कृषि भी जरूरी है। आल राउंड डवलपमेंट होगा, तब ही देश का विकास होगा। हम खिलाडियों को तरजीह देते हैं। हमारे यहां देश में खिलाड़ी होंगे तो हमारा एक प्रभुत्व बढ़ेगा। खिलाडियों से कोई पेट तो भरता नहीं है पर खेल-खिलाडियों के लिए भी सरकार बहुत प्रोत्साहन दे रही है तो इस बात को समझिएगा कि आल राउंड डवलपमेंट करिएगा, व्यापारी को आप तरजीह देंगे। उसको इस तरह से कोई लुभावना पैकेज देंगे कि वह बढ़कर इन्कम टैक्स, सैल्स टैक्स, ज्यादा से ज्यादा टैक्स दे तो वह आपके पास आएगा और गोल्ड कार्ड लेने के लिए एक होड़ सी बन जाएगी। जब इस बात की बात दूसरे स्टेट में पहुंचेगी तो वहां के व्यापारी भी यहां पर आएंगे और यहां पर उद्योग लगाने की कोशिश करेंगे। आजकल तो यह हो गया है कि व्यापारी के नाम पर राजनेता से लेकर के सरकारी अधिकारी और कर्मचारी तक सब गाली देते हैं एक तरह से कि ये समाज शोषक हैं, ये समाज भक्षक हैं, सूदखोर हैं, इस तरह की संज्ञाओं से उसे सम्बोधित किया जाता है और कभी उस पर कोई आक्रमण हो जाये, कोई उस पर ज्यादती हो जाये और वह पुलिस स्टेशन पर जाये तो थानेदार यह सोचेगा कि आ गई मुर्गी, रसगुल्ला आ गया, साले को दबाओ। कोई उसकी मदद नहीं करेगा। सेठजी आ गये चक्कर में। आप इस बात को समझिएगा। इनको आप सम्मान दीजिएगा। ये तो वे लोग हैं, यह वह गाय है जिन्हें जब पकड़ो दूध निकाल लो इनसे। जब भी कभी कोई वारदात होती है, कभी देश पर आक्रमण होता है या कोई भूचाल आ जाता है तो इन

(श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल)

लोगों को पकड़कर आप चंदा वसूल करते हैं। ये खुशी-खुशी दे देते हैं। कभी अस्पताल हुआ, धर्मशाला हुई या किसी और कार्य के लिए हुआ. ये आराम से चंदा देते हैं और ऐसी गाय को आप सम्भालकर रखिएगा, आप इनको पूरी सुविधा दीजिएगा, इनको गोल्ड कार्ड दीजिएगा और गोल्ड कार्ड की ऐसी व्यवस्था करिएगा कि जिसके पास गोल्ड कार्ड होगा, उसको हर जगह पर सम्मान मिलेगा। उसको वही सम्मान दिया जाएगा जो कि एक मंत्री को दिया जाता है। आप देखिये, किस तरह से लोग-बाग आते हैं बढ़ करके। आप जरा देखिये तो सही इस तरह से, मंत्री नहीं तो उसे कम से कम आई.ए.एस., आर.ए.एस. की सुविधा तो दीजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : एक ही सुझाव आपने बहुत सही दिया है। गोल्ड कार्ड होल्डर व्यापारी को मंत्री के बराबर सम्मान दिया जाये। क्या मौलिक सुझाव है? ऐसा सुझाव तो कोई भी दे नहीं सकता है।

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल : दे दोगे क्या? आप इस तरह की बात करिएगा ताकि लोग-बाग जाये ज्यादा से ज्यादा इन्कम टैक्स, सैल्स टैक्स देने के लिए मतलब वो उत्सुक होवे लोग-बाग बढ़-बढ़ कर देंगे। जो टैक्स की चोरी करते हैं, वह टैक्स की चोरी नहीं करेंगे, मतलब क्या सोचेंगे, आज गोल्ड कार्ड की लिमिट में आओ, परिधि में आओ ताकि गोल्ड कार्ड मिले और गोल्ड कार्ड अगर लगाकर चलो और उसको कोई पूछे ही. नहीं तो कौन उसकी तरफ ध्यान देगा। आप सुविधाएं दीजियेगा, उसे सम्मान दीजियेगा।

श्री सभापति : अब आप कनक्लूड करें, समय की सीमा है।

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल : सरकार, मैंने तो शुरू ही करी है, बहुत-सी बातें कहनी हैं। मुझे बड़ी मुश्किल से तो मौका मिला है, हमारे सचेतक साहब ही हमें मौका नहीं देते। बड़ा हाथ जोड़कर मैं...(व्यवधान)

श्री सभापति : वह तो दे रहे हैं आपको, पर समय की सीमा है।

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल : मैं पांच-दस मिनट और लूंगा आपके। चलिये, मैं बात को खतम करता हूं। अब तो कुछ छोटी-छोटी बातें कहना चाहता हूं। (व्यवधान) मैं अलाउड हूं, आई एम अलाउड। आदरणीय सभापति महोदय, अब मैं कुछ छोटी- छोटी बातें आपके सामने निवेदन करना चाहता हूं। हैं तो बातें छोटी-छोटी पर हैं बड़ी महत्वपूर्ण। अगर इन बातों की तरफ आपने ध्यान दिया तो सरकार की छवि आम जनता में सुधरेगी और आम जनता को राहत मिलेगी।

(श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल)

आदरणीय सभापति महोदय, अभी कुछ दिन पहले सरकार ने शहरों में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। अच्छा अभियान था, अतिक्रमण हटाये गये, जो सड़क के किनारे लगी थडियां थीं उनको हटाया गया। जो मकानों के चबूतरे बढ़ गये थे उनको भी तोड़ा गया। जो मकान निर्माण गैर कानूनी हो गये थे उनको तोड़ा गया। पर जो आम जनता में चर्चा है, यह चर्चा है कि उन लोगों के खिलाफ कोई कार्यवाही, आदरणीय मंत्री महोदय, मेरी तरफ ध्यान दीजियेगा, आप लोगों ने उन लोगों की तरफ ध्यान नहीं दिया, उन भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों की तरफ ध्यान नहीं दिया जिन्होंने अतिक्रमण कराये थे। पहले तो उनको सस्पैण्ड करते, उनके खिलाफ एक्शन लेते आप और फिर इनको हटा भी देते। अब क्या गारंटी है कि फिर अतिक्रमण नहीं होंगे। तो आम जनता में यह चर्चा है, इनको आप सुधारियेगा। पहले कर्मचारियों के खिलाफ एक्शन लीजियेगा और उनको सस्पैण्ड करियेगा, उनको टर्मिनेट करियेगा, अतिक्रमण होंगे ही नहीं।

एक माननीय सदस्य : वह आपने पहले करवा दिये तो हम क्या करें?

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल : हमने नहीं कराये, अब इनके जमाने में हो रहे हैं, फिर हो रहे हैं। आदरणीय सभापति महोदय, दूसरी बात मैं लेना चाहता हूं। आदरणीय पी.डब्ल्यू.डी. मिनिस्टर साहब, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना बनी, इसमें आपने और पूर्ववर्ती सरकार ने काफी सड़कें बनाई। मैं सोचता हूं कि देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया, पैसा तो केन्द्र सरकार से आया, कोई राज्य सरकार का पैसा तो नहीं था, आपने सड़कें बनाई, अच्छी बनाई, चलो अच्छी बात है परन्तु आपसे यह उम्मीद थी कि उन सड़कों को आप मेनटेन करोगे, उन पर अतिक्रमण नहीं होने दोगे। आपने कभी ग्रामीण क्षेत्र में जाकर देखा है कि उन सड़कों पर बाहुबली जो किसान हैं, उन्होंने ऐसे डोले लगा दिये हैं कि सड़कों पर आमने-सामने से व्हीकल निकल नहीं सकते। बड़ी मुश्किल से ऊपर-नीचे करने के बाद में व्हीकल निकलते हैं और किसानों ने हर दस कदम पर, इधर से उधर नाले खोद-खोद करके सब सड़कों को तहस-नहस कर दिया। आप कम से कम इनके खिलाफ भी एक्शन लीजियेगा।

डा. किरोड़ी लाल : इन सब सड़कों के जिन पर अतिक्रमण हो गये हैं, उनके एक्स-रे कराकर लाओ और मंत्रीजी को पेश करो।

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल : मंत्रीजी को सब पता है साहब।

डा. किरोड़ी लाल . जैसे आप पहले एक्स-रे लाये थे न।

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल : मंत्रीजी को सब पता है, मैं तो लापरवाही की तरफ इंगित कर रहा हूं, इशारा कर रहा हूं कि आप यदि जनता को वास्तव में इन सड़कों

(समय 19.03)

(डा. एन.एस. गुर्जर, सभापति, पदासीन)

से लाभ पहुंचाना चाहते हैं, कोई आदमी बीमार पड़ जाय गांव में और वह जीप से या व्हीकल से ले जाना चाहे तो वह आसानी से आ नहीं सकता, उसे बड़ी मुश्किल पड़ेगी क्योंकि सड़कें इतनी सकड़ी कर दी गई हैं। आप इसे मजाक में मत लीजियेगा, आप इसको सीरियसली लीजियेगा। सबसे बड़ी दु:ख की बात तो यह है कि कलक्टर को कहो, तहसीलदार को कहो, पटवारी को कहो, आपके ए.ईएन. को कहो, जे.ईएन. को कहो, कोई सुनता ही नहीं है। तीसरी बात मैं जो कहना चाहता हूं कि आपकी पकड़ सरकारी अधिकारियों पर कतई नहीं है, वह अपने स्वेच्छाचारी हो गये हैं कि आप पंच सरपंच की बात कहो, एम.एल.ए. के पत्रों का जवाब नहीं देते। मैं आपको ईमानदारी से कहता हूं कि कई मसलों पर मैंने पत्र दिये कलक्टर को परन्तु उसने कोई जवाब ही नहीं दिया।

डा. किरोड़ी लाल : आपके पास आ जाना, जवाब मिल जायेगा।

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल : अजी, आपके पत्रों का जवाब नहीं देंगे, देकर के तो देखो आप। मेरा निवेदन यह है कि आदरणीय सभापति महोदय, कि आप इन ब्यूरोक्रेट्स को, जो आफिसर्स हैं, इनकी लगाम कसियेगा और इनको आदेश दीजियेगा। हमारी मुख्य मंत्री महोदया जवाब दे देती हैं, मैं इनकी प्रशंसा करता हूं। चाहे वह जवाब कैसा भी हो कि आपका लैटर आया, उस पर हम कार्यवाही कर रहे हैं, उस पर हम इंक्वायरी कर रहे हैं, इसी से संतोष मिल जाता है परन्तु हमारे अफसर तो जवाब ही नहीं देते, इन पर पकड़ नहीं है। हमारे विपक्ष के माननीय सदस्य बैठे हुए हैं, शायद इस बात को वह भी समझते होंगे, मैं कोई आलोचना नहीं कर रहा हूं, आपके संग में भी हो रहा होगा, पता नहीं आपके संग में हो रहा है या नहीं हो रहा है, हमारे संग में तो हो रहा है।

श्री सभापति : समाप्त करिये, माननीय सदस्य।

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल : आदरणीय सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि आप सरकार को आदेश दें, आपके माध्यम से मैं सरकार तक इस बात को पहुंचाना चाहता हूं, इन सरकारी कर्मचारियों, कलक्टर को आदेश दें, एस.पी. को आदेश देवें। हम लोग उनसे मिलने जाते हैं तो पहले तो उनका पियोन हमें रोकता है, हम उन्हें पर्ची

(श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल)

देते हैं, पन्द्रह मिनट तक पर्ची का जवाब नहीं आता। पन्द्रह मिनट बाद जब बुलाया जाता है तो हमारे बड़े अधिकारी कलक्टर महोदय लिखते रहते हैं और लिखते-लिखते जब हम उनके सामने पहुंच जायं तो बोलते हैं, बोलो-बोलो, क्या बात है, तुम कैसे आये। अरे? भाई, एक जन-प्रतिनिधि, एम.एल.ए. रैंक का आदमी आया है, जिसे आचार संहिता के अन्दर चीफ सैक्रेटरी के बाद में दूसरा नम्बर दिया जाता है, उसके लिए आप सिर उठाकर भी बात नहीं करते। (व्यवधान)

श्री हीरालाल (निवाई) : चीफ सैक्रेटरी से ऊपर हैं साहब, एम.एल.ए.।

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल : माननीय सदस्य, माननीय मंत्री, मेरा निवेदन है कि यह किताबों में ही है परन्तु व्यावहारिकता में नहीं है और व्यावहारिकता में लाने की जिम्मेदारी सरकार की है, आप लोगों की है। मेरा निवेदन है कि आप लोग इस तरफ भी ध्यान दें।

श्री सभापति : समाप्त करें, प्लीज।

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल : नहीं साहब, प्लीज, मैं दो-चार बातें और कहूंगा। साहब, आप भी तो दो घंटे बोले हो, मैं मतलब की बात बोल रहा हूं, वैसे ही नहीं बोल रहा हूं, मैं बात खतम कर दूंगा।

श्री सभापति : आपका समय बहुत हो चुका है, पच्चीस मिनट ले चुके।

श्री हरिमोहन शर्मा : नहीं-नहीं, आपने तो कह दिया कि कलक्टर नहीं सुनते हैं, लेकिन मंत्रियों की कलक्टर नहीं सुनते हैं, यह कहां जाकर कहें, इनकी तो नहीं सुने जो नहीं सुने, मंत्रियो के आदेश की भी अनुपालना नहीं करते हैं।

एक माननीय सदस्य : ऐसी बात नहीं है।

श्री रामलाल शर्मा : वह आपके ही बिगाड़े हुए हैं।

एक माननीय सदस्य : यह आपका पुराना अनुभव गलत है, पुराना अनुभव गलत है।

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल : मैं दो-चार बातें और कहूंगा।

श्री हरिमोहन शर्मा : सोचना नहीं है। यहां के स्वायत्त शासन मंत्रीजी ने अतिक्रमण हटाने के मामले में जो डाइरेक्शन दिये थे उन डाइरेक्शन को डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने फालो नहीं किया और मैंने आपके मंत्रीजी को भी लिखा है और आइटमवाइज लिखा है, पूछ लेना आप।

एक माननीय सदस्य : शत-प्रतिशत पालना होती है, शत-प्रतिशत। पालना होती है, इफेक्टिव होती है। वह पुराना अनुभव है आपका।

श्री शांतिलाल चपलोत : हरिमोहनजी, कांग्रेस के मंत्रियों की नहीं सुनते, कि इधर के मंत्रियों की।

श्री महीपाल यादव : सभापतिजी, इसका कड़ा अनुभव माननीय पी.डब्ल्यू.डी. मिनिस्टर को उप चुनाव में हुआ है बहरोड़ में।

श्री शांतिलाल चपलोत : कांग्रेस के मंत्रियों की नहीं सुनते अफसर, कि इनके मंत्रियों की।

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल : आदरणीय सभापति महोदय, मैं खास तौर से, हमारे होम मिनिस्टर सामने बैठे हुए हैं...

श्री शांतिलाल चपलोत : आपके पास कौन से मंत्री हाजिर हुए कि हमारी नहीं सुन रहे हैं। आपके पास कौन से मंत्री आये कि हमारी बात नहीं सुनी जा रही है। कौन आपके पास निवेदन करने आया।

श्री हरिमोहन शर्मा : मेरे पास मंत्री तो नहीं आये लेकिन मंत्रीजी का पत्र आया था जिसमें उन्होंने यह लिखा था कि मैंने कलक्टर को यह-यह डाइरेक्शन दिये और जो कलक्टर ने उनके डाइरेक्शन के खिलाफ काम किया, उसकी हमारे प्रभारी संसदीय सचिव भी जानते हैं और आपके राज्य मंत्री जो हैं ग्रामीण विकास के, वह भी जानते हैं कि उनके पत्र में जो डाइरेक्शन थे उन डाइरेक्शंस को बूंदी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने कतई फालो नहीं किया। काहे के डाइरेक्शन थे।

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल : आदरणीय सभापति महोदय, आजकल आये दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं, जो हवाई जहाज से होते हैं, हैलीकाप्टर से होते हैं, उनके ऊपर तो हमारा वश नहीं है...(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा : मैं कह रहा हूं स्वायत्त शासन मंत्री के लिए।

श्री बाबूलाल वर्मा : ग्रामीण विकास मंत्री कहा है आपने।

श्री हरिमोहन शर्मा : आप बूंदी का प्रतिनिधित्व करते हैं और ओमजी...

श्री बाबूलाल वर्मा : मुझे बताओ आप...(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा : हमारे इंचार्ज हैं, इनको पता है, पूरी पार्टी ने आपसे कहा है और आपकी पार्टी के लोगों ने कहा है कि मिनिस्टर के आर्डर को फालो नहीं कर रहे हैं, आपके यहां तो बड़ा हंगामा हुआ इस बात का। स्वीकार करना चाहिए आपको।

श्री बाबूलाल वर्मा : पत्र की बात करो।

श्री हरिमोहन शर्मा : माफ करना जो सही बात कह रहा हूं।

श्री सुरेश मीणा : बीजेपी अलग नहीं है साहब। बाबूलालजी की नहीं चलती तो कांग्रेस में भी एस.सी., एस.टी. की तो नहीं चलती। चक्कर यह है। कोई सी पार्टी में नहीं चलती। (व्यवधान)

श्री महीपाल यादव : माननीय सभापतिजी और चपलोत साहब जब मंत्री थे, उन बातों को दस-बारह साल से ऊपर हो गये हैं। माननीय पी.डब्ल्यू.डी. मंत्रीजी को कड़ा अनुभव अभी उप चुनाव का है, एस.पी. कलक्टरों का क्या हाल है, पूछो आप।

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल : आदरणीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो निर्माण कार्य हुए हैं, बांध बनते हैं और दूसरी बड़ी-बड़ी योजनाएं बनती हैं, उनका पूरा सर्वे नहीं करवाया जाता। मिसाल के तौर पर मैं पांचना बांध की बात कर रहा हूं आपसे, कि पांचना बांध का जब निर्माण नहीं हुआ था तो गम्भीर नदी का पानी और करौली में जो पांच और नदियां बहती हैं उसका पानी बहकर के केवलादेव, जो घना गेम सेंक्चुरी है उसमें जाता था। उस वक्त कोई प्रोब्लम ऐसी पैदा नहीं हुई थी कि वह गेम सेंक्चुरी को कोई नुकसान रहा हो... पर बिना सोचे-समझे जनता की भावना को उकसा करके पांचना बांध का निर्माण हुआ। पांच साल से पानी नहीं पड़ा था पानी पिछले साल पड़ा तो पानी आया। जनता ने कहा कि हमारे दिन भी फिरे हैं हमने इस पांचना बांध के लिए भी जमीन दी है, अपना खून दिया, पसीना दिया और नहरों के लिए अपनी सैकड़ों बीघा की जमीन दी तो इस जमीन से इस पानी से हमें फायदा मिलेगा और वहां से आदेश आ गया अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी, सुनते हैं कि आदेश दिये हैं। हमारी मुख्य मंत्री महोदया भी चाहती थी कि पांचना बांध का पानी केवलादेव में जाए लोग आंदोलनरत हुए और लोगों का आंदोलित होना वाजिब भी था। वो यह कहते थे कि हमने खून-पसीना दिया है पांच साल से पानी नहीं पड़ा। हमारी नहरों के लिए हमने पानी दिया खून-पसीना दिया अब इस पानी को आप वहां पर ले जाना चाहते हैं हम तो इस पानी को नहीं ले जाने देंगे। मेरा कहना यह है कि क्यों नहीं सरकारी अधिकारियों ने इस बात को पहले सोचा कि अगर इस पानी का

(श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल)

अगर हम बांध बनायेंगे तो पानी वहां भरतपुर नहीं पहुंचेगा तो अब आज की तारीख में इस पानी को ले जाना बिलकुल गैर वाजिब है। मैं इसका विरोध करता हूं पांचना बांध का पानी नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा।

आदरणीय सभापति महोदय...

डा. दिगम्बर सिंह : भरतपुर पानी जाएगा निश्चित रूप से जाएगा पांचना से जाएगा।

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल : आदरणीय मंत्री महोदय, आपने मेरी भावना को नहीं समझा कि किस तरह से बांध बनाया गया, क्यों बनाया गया पहले क्यों नहीं सोचा गया। जब बांध बन गया हम लोगों ने सेक्रीफाइस कर दिया, जमीन दे दी, अपना खून दे दिया और अब कहते हैं कि पानी को ले जाएंगे, कैसे ले जाने देंगे? पहले यह सोचते आप, कि इसका प्रभाव क्या पड़ने वाला है। पहले तो आप सोचते नहीं है बिना सोचे-समझे कर दिया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अच्छा अगर हम पानी ले जाएंगे तो आप क्या करेंगे। हां बोलो, आप क्या करोगे?

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल : हम अपनी जान दे देंगे और क्या करेंगे। हमारी जान ले लो।

आदरणीय सभापति महोदय, एक बात मैं और मुख्य कहना चाहता हूं कि आये दिन सड़कों पर एक्सीडेंट होते हैं और ये एक्सीडेंट क्यों होते हैं इसकी तरफ सरकार ने कभी ध्यान नहीं दिया। आदरणीय पी.डब्ल्यू.डी. मिनिस्टर महोदय, आपने कभी देखा है, मेरा आपसे निवेदन है कि आप सड़कों पर से गुजरते होंगे आपने देखा है कि नेशनल हाइवेज पर स्टेट हाइवेज पर जिस प्रकार जीपें ऊपर-नीचे, अन्दर-भीतर सवारियां बैठा देते हैं। पहले तो सवारियों को अन्दर ही बैठाते थे, अब लटकती हुई रहती हैं, अब तो ऊपर छतों पर बैठाते हैं और वे सवारियां एक-एक जीप में, जिसमें सीट 6 होती हैं उसमें 30-30 होती हैं जब एक्सीडेंट होता है तो ये सुनते हैं कि ट्रक से जीप भिड़ी और 30 आदमी मारे गये। 30 आदमी कहां से आ गये, जीप में तो 6 ही आदमी होते हैं तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप...

श्री सभापति : कृपया आपको बहुत समय हो गया, आधा घंटे से ज्यादा हो गया।

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल : देखिये मैं महत्वपूर्ण बातें कह रहा हूं ये बातें ऐसी है जो कि खामख्वाह की नहीं हैं। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि...

श्री सभापति : आपकी पार्टी का समय ही समाप्त होगा आप आधा घंटा ले चुके हैं इसलिए।

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल : मैं सिर्फ एक बात और कहूंगा।

आदरणीय सभापति महोदय, मैं एक बात एम.एल.एज. की और कह दूं। एम.एल.एज. की तनख्वाह के लिए अक्सर विवाद होता है यह कहा जाता है कि हमारे जितने जनता में नेतां लोग हैं जो कोई हकीकत नहीं समझते वो अक्सर यह विरोध करते हैं कि एम.एल.ए. की तनख्वाह बहुत है। तीन हजार रुपये तनख्वाह मिलती है, बहुत है कहा जाता है। मैं यह नहीं कहता हूं कि मेरी तनख्वाह बढ़ाओ, मैं तो तनख्वाह आपने बढ़ाई तो भी नहीं लूंगा पर मेरी बात यह है कि तनख्वाह इस तरह की होनीं चाहिए कि जो कि वाजिव हो। आप दूसरी सुविधाएं जो देते हैं आपने जो टैलीफोन के लिए दिया, आपने बिजली के लिए पानी के लिए दिया, आपने अन्य काम के लिए दिया वो तो उससे ज्यादा खर्च हो जाता है। अब तीन हजार रुपये की तनख्वाह से एक एम.एल.ए. का गुजारा हो सकता है क्या यह बतायें और वो ईमानदारी से कांम कर सकता है क्या? माफ करना उसके पास में जो क्लर्क है उसको तो 6-7 हजार रुपये महीने के मिलते हैं जो कि 8 घंटे काम करता है और एक एम.एल.ए. जो कि 24 घंटे जनता की सेवा करता है उसे तीन हजार दिये जाते हैं तो मैं सरकार से कहूंगा कि आप यदि भ्रष्टाचार को खतम करना चाहते हैं और जो कि पूर्व...(व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक : ...जोशी साहब ने ही बिगाड़ दिया वरना बढ़ रही थी... (व्यवधान)

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल : मेरी अर्जी सुनियेगा इसके लिए भी आपको सोचना पड़ेगा अन्त में आप मुझे बार-बार कह चुके हैं कि बैठिये-बैठिये, अन्त में मैं भी एक शेर कहूंगा।

डा. दिगम्बर सिंह : दुर्गा जी एक बात बताइये अगर तनख्वाह नहीं बढ़ायेंगे तो आप क्या करेंगे?

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल : हम आपके घर पर आकर के आपसे ले लेंगे।

(श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल)

(व्यवधान)...आदरणीय सभापति महोदय, मैं भी एक शेर कहना चाहता हूं और शेर इस सरकार पर पूरा उतरता है। आपने भी काफी शेर-शायरी कही थी।

श्री कालूलाल गुर्जर : माननीय सदस्य, आप हड़ताल करेंगे या भूख हड़ताल करेंगे उनके घर पर? उनके घर पर जाकर भूख हड़ताल करोगे या हड़ताल करोगे?

श्री सभापति : हां, आप अब शेर सुनायें। उनका शेर सुनिये।

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल : शेर आप पर खरा उतरता है।

डा. किरोड़ी लाल मीणा : दुर्गाजी, वो चम्बल का पानी रह गया उसको तो बोलो थोड़ा दो मिनट, चम्बल के पानी पर। लिफ्ट इर्रिगेशन है न अपना।

श्री सभापति : आप तो शेर पढ़ो।

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल : आप वहां के मंत्री हो न हमारे जिले के।

डा. किरोड़ी लाल मीणा : ध्यान आकर्षित करो न एक बार आप। रिकार्ड पर आने दो इस बात को।

श्री सभापति : शेर बोलो आप तो।

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल :...(व्यवधान) चम्बल के पानी की बात है। मैं तो कह रहा हूं कि चम्बल के लिए जो पीने के पानी की योजना बन रही है वो प्राथमिकता से होनी चाहिए।

श्री सभापति : कहां उलझ रहे हैं, आप शेर बोलें। शेर बोलिये।

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल : उसके लिए ज्यादा से ज्यादा पैसा अलाट होना चाहिए। चम्बल का पानी अगर उपयोग में आ जाता है तो हमारे जिले में ही नहीं बल्कि आस-पास के जिलों में भी पानी की समस्या का निदान हो जाएगा।

श्री सभापति : ठीक है अब आप शेर बोलिये।

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल : आदरणीय सभापति महोदय, मेरा एक शेर सुनियेगा। शेर इस सरकार पर खरा उतरता है।

ये तो माना कि तगाफुल नहीं करोगे तुम, तगाफुल से मतलब हमारी उपेक्षा

(श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल)

नहीं करोगे हमारे लिए लापरवाही नहीं बरतोगे। "ये तो माना कि तगाफुल नहीं करोगे तुम, लेकिन हम खाक हो जाएंगे तुमको खबर होने तक।" हम तो मर जाएंगे तब खबर क्या होगी?

श्री सभापति : श्री मदन राठौड़।

श्री रामलाल शर्मा : माननीय सभापति महोदय, जब से सरिस्का में शेरों की कमी हुई है सदन में शेर ज्यादा आने लग गये।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर) : माननीय सभापति महोदय, हमारी श्रद्धेय मुख्य मंत्री श्रीमती वसुन्धराजी ने वित्त मंत्री के नाते जो बजट प्रस्तुत किया उसकी सर्वत्र प्रशंसा हुई है। आर्थिक विश्लेषकों ने भी प्रशंसा की यह बात सदन में कही गयी। एक बात नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य ने कही की आकड़े तो बहुत लुभावने हैं, बहुत अच्छी बातें कही हैं लेकिन एक्शन टेकन रिपोर्ट ठीक नहीं है। इस विषय पर मैं एक बात आपसे कहना चाहूंगा कि जब सदन में बजट पर चर्चा करने के लिए मैंने दो वर्ष के बजट प्रस्ताव जो कांग्रेस शासन के अन्तिम समय के जो थे राजाखेड़ा से आने वाले माननीय विधायक, जब वित्त मंत्री थे तो उन्होंने 2002-2003 और 2003 2004 में बजट प्रस्तुत किये। मैंने उनकी प्रतियां लाइब्रेरी से प्राप्त कीं, उसमें एक्शन टेकन रिपोर्ट के बारे में बताना चाहूंगा कि पेज-II पर जयपुर डिग्गी सड़क निर्माण की घोषणा की और वही 2003-04 में पेज-15 पर जयपुर डिग्गी सड़क निर्माण की घोषणा की। यही नहीं इसी प्रकार भरतपुर-अलवर की घोषणा भी इन्होंने की। भरतपुर-अलवर और अलवर-भरतपुर ये 2002-2003 में भी घोषणा की 2003-04 में भी घोषणा की। यही नहीं शाहपुरा-अलवर की भी घोषणा की दोनों में शाहपुरा-अलवर और अलवर-शाहपुरा यह पता नहीं समझ में नहीं आया कि इस पकार से यह घोषणा करके क्या जनता को धोखा देने का प्रयास किया। इन्होंने क्यों नहीं इस बात पर विचार किया कि जब हम बजट प्रस्तुत कर रहे हैं और उस पर कोई कार्यवाही या तो 2002-03 में नहीं हुई तो 2003-04 में फिर से प्रस्तुत कर दी यही नहीं इन्होंने इसके अलावा ऊर्जा के मामले में भी बिलकुल बजट 2002-03...(व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल मीणा : सभापतिजी, आप आसन पर विराजमान हैं एक मैं आपसे प्रार्थना कर सकता हूं कि जो बानसूर से आने वाले माननीय सदस्य ने यह कहा था कि कभी गुर्जर बुद्धिमान नहीं हुआ, न माली कभी पहलवान हुआ। क्या वो बात आज एक्सपंज हो सकती है?

श्री सभापति : ऐसा है वो रिकार्ड में रहना चाहिए ताकि उनके विधान सभा क्षेत्र में लोगों को पता लगे कि उनकी सोच क्या है इसलिए मैंने...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, आज जितना सारगर्भित आपका भाषण हुआ उससे राजस्थान में सब जगह यह बात चल रही है कि अब गुर्जर न केवल विद्वान बल्कि अति विद्वान हो सकते हैं इसलिए जो प्रसंगवश इन्होंने कहा है...

डा. किरोड़ी लाल मीणा : इसीलिए यह बात मैंने कही है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : इसलिए वो एक्सपंज हो जाए तो जरा ठीक रहेगा।

श्री सभापति : नहीं एक्सपंज नही करूंगा। बिलकुल एक्सपंज नहीं होगा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : विधान सभा में नियम है कि अपमानकारी शब्द या किसी के लिये आलोचनात्मक शब्द हो किसी जाति विशेष के लिये तो उनको नहीं रहना चाहिये।

श्री सभापति : नहीं अभी बीच में नहीं, अभी बजट भाषण चल रहा है इस पर कल चर्चा कर लीजिए।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : दूसरी बात यह है कि उसको आज आपने साबित भी कर दिया है। आज के आपके भाषण के बाद एक बात तो गलत साबित हो गई विद्वान तो आप हो ही गये और प्रभूलालजी सैनी कह रहे हैं कि इनके लिये तो मैं ही पर्याप्त हूं तो वह भी खतम हो गया। इसलिए इसको एक्सपंज कर दिया जाये।

श्री सभापति : देखिए मैं चाहता हूं कि कोई भी माननीय सदस्य इस तरह की बात बोले वह रिकार्ड में रहनी चाहिये ताकि उस सदस्य को आगे के लिये यह पता लगे, जनता को पता लगे कि उसने क्या बोला है किसी के बारे में और यह उन लोगों के बारे में क्या सोचते हैं इसलिए रिकार्ड में रहना बहुत जरूरी है इसलिए इसको एक्सपंज करने का कोई मतलब ही नहीं है। उन्होंने सोच समझ कर बोला है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, सदन की परम्परा रही है.. (व्यवधान)

श्री महीपाल यादव : सभापतिजी, यह आपको भड़का रहे हैं।

श्री सभापति : No. No. I won't allow because this question is not before the House. The debate is going on. So I won't allow discussion on the subject. I won't allow.

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, इस सदन में जो भी चर्चा होती है वह तथ्यों के आधार पर होती है। यह किन तथ्यों के आधार पर कहा स्पष्टीकरण दें वो। यह कोई छोटी बात थोड़े ही है। जिस तरह का गुर्जरों का इतिहास रहा है, जिस तरह का पन्नाधाय का इतिहास रहा है, यह तो इतिहास पर आक्षेप है और माली समाज के पहलवान...(व्यवधान)

श्री सभापति : देखिए इस समय यह चर्चा मैं अलाऊ नहीं करूंगा।

डा. किरोड़ी लाल : इनसे बढ़कर कोई पर्सनलटी है क्या।

श्री सभापति : प्लीज, आसन पैरों पर, श्री मदन राठौड़। इस पर चर्चा नहीं होगी।

श्री मदन राठौड़ : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से विपक्ष के नेता अभी नहीं है जो माननीय सदस्य हैं वह बता दें, जब राज़ाखेड़ा के विधायक यहां आयेंगे वह बहुत विद्वान हैं लेकिन उन्होंने पता नहीं अपने दो वर्षों के बजट में वैसी ही घोषणा क्यों की जो 2002-03 में कर रहे हैं वही घोषणा 2003-04 में कर रहे हैं। पूरी नहीं की लेकिन धोखा तो दिया जनता को। जैसे मैंने उदाहरण दिये हैं पेज नम्बर सहित दे रहा हूं और दोनों ही बजट की प्रतियां मेरे पांस हैं। 2002-03 में जयपुर-डिग्गी बताया और 2003-04 में भी जयपुर से डिग्गी की सड़क निर्माण की घोषणा की। 2002-03 में भरतपुर अलवर सड़क की घोषणा की वही 2003-04 में सेम बिलकुल वही नाम, कोई परिवर्तन नहीं। इसी प्रकार से शाहपुरा-अलवर की (व्यवधान) या तो दो बार आ गई कागजों में या हो सकता है इसके धन का दुरुपयोग हुआ हो या तो वही जानें जब अपना वक्तव्य प्रस्तुत करे तब इसमें इसका स्पष्टीकरण देना चाहे तो दे सकते हैं। ऊर्जा के मामले में उत्पादन मद में भी बराबर दोनों में इसी प्रकार से प्रसारण मद में, उप प्रसारण मद में, ग्रामीण विद्युतीकरण में, माही परियोजना में, रतनपुरा वितरिका में सभी में इस प्रकार की इनकी घोषणा है जो मैं सोचता हूं जनता के साथ विश्वासघात ही कहा जायेगा।

सभापित महोदय, अभी माननीय विपक्ष के सदस्य यहां विराजमान हैं।

(श्री मदन राठौड़)

पिछली बार जब हमारी दिल्ली में सरकार थी तो राजस्थान में जब पानी की कमी थी तो पेयजल परिवहन के लिये मुफ्त रेल सेवा उपलब्ध कराई थी। चारा परिवहन के लिये दिल्ली से मुफ्त रेल परिवहन दिया गया था। यह भेदभाव नहीं रखा कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। लेकिन अभी हमारे साथ में सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। हमें पहले चैक देना पड़ता है उसके बाद में हमको रैक्स मिल रहे हैं, यह स्थिति है, यह सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। यदि कांग्रेस के नेताओं में कहीं कोई श्वत है और यदि इनकी कोई चलती है, मैं नहीं मानता कि केन्द्र की सरकार इनकी बात मानती होगी लेकिन यदि मानती है तो थोड़े बहुत प्रयास करे, कोई सकारात्मक प्रयास करे, रचनात्मक सहयोग करे तो राजस्थान की जनता को यह व्यर्थ में परिवहन का व्यय वहन नहीं करना पड़ेगा।

राजस्थान में जो बजट प्रस्तुत किया गया मैं उसके आंकड़ों में फिर से नहीं जाना चाहूंगा। यह बात बिलकुल सही है कि वर्षा कम रही। 50 प्रतिशत से अधिक फसल का नुकसान हुआ फिर भी हमने 18613 गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया। यही नहीं नवम्बर माह में हमने 16613 गांवों में अकाल राहत काम प्रारम्भ कर दिये। गौशालाओं को अनुदान दिया और फरवरी, 2005 तक 2 करोड़ 50 लाख मानव दिवसों का राहत कार्यों में उनको लगा दिया। हम जानते हैं कि खरीफ की फसल सूखे से बरबाद हो गई। इसके लिये हमने राहत और सहायता की व्यवस्था की है। ऐसी आपदाएं, जो सी.आर.एफ. के नार्म्स में नहीं आती उनके लिये पहली बार 5 करोड़ रुपये की राहत का प्रावधान किया है।

सभापति महोदय, यह बात बिलकुल सही है कि 13 महीनों में 156 दिन आचार संहिता लगी रही। इसके बावजूद भी हमने इतने विकास के काम किये, यह सर्वविदित है। विपक्ष के पास कहने को कुछ है नहीं, बजट के खिलाफ बोलने के लिये भी कोई शब्द है नहीं, केवल व्यवधान उत्पन्न करने के लिये कोई न कोई मौका ढूंढते रहे यहीं इनका प्रयास रहा एक बात मैं और निवेदन करना चाहूंगा कि 1998 से 4 दिसम्बर, 2003 तक 704 दिन ओवर ड्राफ्ट की स्थिति रही। जब कांग्रेस का शासन था तो 704 दिन ओवर ड्राफ्ट इन्होंने लिया और जब हमारी सरकार आई तो प्रारम्भ के 8 दिन में तो ओवर ड्राफ्ट रहा लेकिन 13 महीनों में एक भी दिन ऐसा नहीं रहा जब हमने

(श्री मदन राठौड़)

ओवर ड्राफ्ट लिया हो। यह कोई कम बात नहीं है यह हमारा कुशल प्रबन्धन है और इसके लिये इनको प्रशंसा करनी चाहिये। पशुपालकों के लिये भी हमारी सरकार बहुत चिंतित है। मैं तो यह कहना चाहूंगा कि उनके लिये चल चिकित्सा, चल शिक्षा इसके अलावा हमारे जालौर, सिरोही और पाली तीन जिलों की सीमाएं जहां जुड़ती हैं वह मेरे सुमेरपुर में जुड़ती हैं वहां पर आवासीय विद्यालय स्थापित करने की घोषणा इस बार सदन में की गई और मैं इसके लिये माननीय मुख्य मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने 6 करोड़ रुपये की लागत से आवासीय विद्यालय इन पशुपालकों के बच्चों को शिक्षित करने की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण घोषणा उन्होंने की है। यहीं नहीं ऐसे बच्चे, जो अन्य परिवारों से हैं, नि:शक्त बालक हैं उनके लिये भी उन्होंने स्वयं सेवी संस्थाओं के सहयोग से आवासीय विद्यालय खोलने की घोषणा की है जिसमें अनुदान दिया जायेगा इस प्रकार की घोषणा भी सराहनीय है। मैं इसके लिये भी माननीय मुख्य मंत्रीजी का धन्यवाद देना चाहूंगा।

ओल्ड एज होम्स की स्थापना करने की घोषणा भी की गई। यह बात बिलकुल सही है हमारे यहां पर जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है इसमें बुजुर्गों का सम्मान निश्चित रूप से हमारे यहां किया जाता है। लेकिन पाश्चात्यता का प्रभाव बढ़ रहा है अब जो लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं वह बुजुर्गों का ख्याल नहीं रख पाते और ऐसे कई लोग जिनका कोई वारिस नहीं है और उन बुजुर्गों की कोई चिंता करने वाला नहीं है उनके लिये ओल्ड एज होम्स की स्थापना करना भी एक सराहनीय कार्य है। इसके अलावा पुलिस विभाग में जनसंख्या की तो वृद्धि हो रही है। एक प्रश्न के उत्तर में आया कि 1:828 का अनुपात है। एक पुलिसकर्मी और जनसंख्या 828 । अन्य प्रान्तों की तुलना में हमारे यहां पुलिस बल कम है। जिस प्रकार से जनसंख्या बढ़ रही है। उस हिसाब से अपराधों की रोकथाम के लिये पुलिस में नई भर्ती जरूरी हो गई है और इसका ध्यान में रखते हुए 4 हजार पुलिस कर्मियों की भर्ती की घोषणा की गई और जिसमें 1200 महिला पुलिस कर्मी की भर्ती होगी, यह भी सराहनीय कार्य है। विधवा और विकलांगों के लिये पेंशन और सहायता के अतिरिक्त 10 किलो गेहूं की घोषणा भी सराहनीय है, इसकी भी प्रशंसा की जानी चाहिये। शिक्षा के मामले में जो हमने कहा है वह किया है। ऐसा मेरे विपक्षी साथी कहते हैं कि पहले जो बजट राजस्थान में प्रस्तुत किया गया वह इतना लुभावना बजट था

(श्री मदन राठौड़)

इनमें से 1-2 ने तो मुझे यह भी कहा कि शुरू-शुरू में इतना सुर ऊंचा ले रहे हो, बाद में यह गीत किस प्रकार से पूरा होगा। लेकिन मैं उनको बताना चाहूंगा कि जो शुरू में सुर लिया गया उससे भी और ऊंचा सुर आता जा रहा है और निश्चित रूप से रोचक और आकर्षक गीत प्रस्तुत होगा और निश्चित रूप से बजट हर बार प्रतिवर्ष और आकर्षक ही रहेगा, जनहितकारी रहेगा।

(19.40 बजे)

(श्रीमती सुमित्रा सिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

अध्यक्ष महोदय मैं निवेदन कर रहा था कि शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान ने उल्लेखनीय प्रगति की है। सम्माननीय शिक्षा मंत्रीजी ने कई नई प्रारम्भिक, प्राथमिक स्कूलें प्रारम्भ कराई हैं। कई क्रमोन्नत करवाई और यही नहीं सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य सदन में जोर-जोर से बोलते हैं मैं उनसे यह पूछना चाहता हूं कि जब आपका शासन था राजस्थान में तो आपने अपने यहां एक महाविद्यालय के भवन का निर्माण नहीं करवा सके। एक महाविद्यालय के भवन का निर्माण नहीं करवा सके और किस ढंग से जोर-जोर से ढोल पीट रहे हो, जोर-जोर से चिल्ला रहे हो, आलोचना कर रहे हो वर्तमान सरकार की? हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी की उदारता देखिए जिनकी आप कभी भी आलोचना करने से नहीं थकते, व्यक्तिगत रूप से भी आप आलोचना करने से नहीं थकते लेकिन उन्होंने सबसे पहले सिरोही में महाविद्यालय के निर्माण की घोषणा की आपको तो उनका ऋणी होना चाहिए था। वहां के क्षेत्र की जनता का भी ख्याल रखा। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने किसी भी प्रकार से भेदभाव नहीं किया। पूर्व में भी हमने जो कहा वह किया। अभी 2000 वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों को प्राथमिक शाला में और 1000 नई...(व्यवधान) चैम्बर में शायद माफी मांगकर आए होंगे मुझे नहीं पता लेकिन सदन में जो कुछ भी हम देख रहे हैं, चैम्बर की बात की तो कोई देखता नहीं है, इनको धन्यवाद देना ही चाहिए था। यदि कृतज्ञ हैं तो कृतज्ञता प्रकट करनी ही चाहिए थी।

यही नहीं एक हजार नये प्राथमिक विद्यालय, 1600 प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक में, 500 उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक में और 250 माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत

(श्री मदन राठौड़)

करने की घोषणा और 209 करोड़ रुपये व्यय करने का अनुमान इस बजट में प्रस्तुत किया है।

माननीय शिक्षा मंत्रीजी ने 37,000 नये शिक्षकों की भर्ती की है और 7200 और शिक्षक भर्ती करेंगे। यही नहीं राज्य में पहली बार हिन्दी, ब्रज, संस्कृत और उर्दू एकेडमी के लिए 20-20 लाख रुपये की घोषणा की है। मैं यह कहना चाहूंगा कि आज उर्दू के लिए आंसू बहा रहे हैं उन्होंने अपने शासन काल में क्या किया? उन्होंने कुछ भी नहीं किया लेकिन यह जो भाषाएं हैं इनके विकास के लिए हमारी सरकार बहुत चिन्तित है और उन्होंने इस प्रकार से और घोषणाएं की हैं वह सराहनीय हैं।

मदरसों को विकसित करने के लिए 4 करोड़ की एडीशनल सहायता देने की घोषणा की है। 20 नये आई.टी.आई., 5 नये पोलोटेक्निकल कालेज खोलने की घोषणा की है यह भी सराहनीय है। अध्यक्ष महोदय, जोधपुर में बरकतुल्ला स्टेडियम पर 3 करोड़ की जो घोषणा की है, मैं आपके माध्यम से यह बताना चाहूंगा कि पहले साढ़े सात करोड़ रुपये किये गये जिम्बावे की टीम को और कांग्रेस के शासन में जोधपुर बुला दिया, स्टेडियम तैयार नहीं था।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य समाप्त कीजिए।

श्री मदन राठौड़ : उस निमित्त था ही नहीं लेकिन आवासन मंडल ने वहां खर्च कर दिया। साढ़े सात करोड़ रुपये कहां लगे, यह पता नहीं है। अभी फिर से 3 करोड़ रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं। मैं मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने घोषणा की इसकी जांच की। मेरे पास में इस प्रकार के आवासन मण्डल के कई अधिकारी भी मिले उन्होंने कहा कि साहब आपने बिलकुल ठीक बात की। उनके विरोधाभासी बयान भी हैं। इस प्रकार से इन्होंने धन का दुरुपयोग किया।

अध्यक्ष महोदय, जीरा के बीमा के बारे में पहली बार चिन्ता की गई। हमारे राजस्थान में एक कहावत है "जीरा जीव रो बैरी रे, मत बावे म्हारा परण्या जीरो" एक नव विवाहिता अपने पति को मना करती है कि आप जीरा मत बोवो लेकिन वह उसको आश्वासन देता है कि जीरा बोने से उपलब्धि होगी, मैं ट्रैक्टर ले आऊंगा, तुझे ट्रैक्टर में बिठाकर शहर में ले जाऊंगा और शहर में तेरे लिए जेवर और कपड़े भी सिलवाऊंगा। जेवर बनवाऊंगा। यह सारे

(श्री मदन राठौड़)

आश्वासन वह देता है लेकिन जब किसी प्रकार से दो-चार बूंद भी गिर जाता है तो उसको रोना पड़ता है। उसके घर में वह सारे सपने चूर हो जाते हैं। घर में रोटी भी बराबर नहीं बनती। राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुन्धराजी ने जीरे का बीमा करने की पहली बार घोषणा की है। मैं इसके लिए भी बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने जीरे का बीमा करने की घोषणा की है।

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें।

श्री मदन राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, यही नहीं आज डीजल के भाव बहुत बढ़ रहे हैं। मैंने जब पहले ट्रैक्टर लिया था तो उस समय 65 पैसे प्रति लीटर डीजल था, आज 29 रुपये, 30 रुपये का भाव आ गया है। इसके बारे में किसी ने चिन्ता नहीं की। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने सबसे पहले रतनजोत की खेती, जो बंजर भूमि है, उस भूमि को उपजाऊ करके रतनजोत की खेती जो भविष्य का ईंधन है रतनजोत, उसके बारे में चिन्ता की। मैं इसके लिए भी उनको धन्यवाद देना चाहूंगा कि रतनजोत की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए उन्होंने सहयोग, घोषणा की और निश्चित रूप से....

श्री अध्यक्ष : आप समाप्त करें।

श्री मदन राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, सहकारिता के बारे में विपक्ष के लोग घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। यह पांच साल शासन में रहे, सहकारिता के चुनाव इन्होंने कभी भी नहीं करवाये, हमेशा चुनाव से भागते रहे। चुनाव करवाना इन्होंने जरूरी नहीं समझा। यह जनता के साथ में धोखा है। आज विपक्ष में आ गए तो चुनाव-चुनाव की रट लगा रहे हैं। हम तैयार है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मुख्य मंत्रीजी को और हमारी सरकार को कि सहकारिता के चुनाव करने का इन्होंने निर्णय ले लिया। इस प्रकार से उन्होंने जनता के हितों की रक्षा करने का दायित्व निभाया है। यही नहीं दूध के बारे में, मैं बताना चाहूंगा...

श्री अध्यक्ष : अब आपने बहुत कुछ बता दिया, समय बहुत ले लिया आपने।

श्री मदन राठौड़ : राजस्थान में 27 वर्षों में पहली बार 20 लाख.. (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपने 22 मिनट ले लिए।

श्री मदन राठौड़ : 20 लाख 28 हजार लीटर दूध संकलित करने का पहली बार इतनी सफलता प्राप्त की है और आगामी लक्ष्य 25 लाख लीटर का रखा है। अध्यक्ष महोदय, मैं केवल एक बात कहकर अपनी बात को खतम करूंगा क्योंकि अब आपने निर्देश दे दिया है।

अध्यक्ष महोदय, उद्योग के मामले में एक छोटा सा निवेदन है, मेरा सुझाव है, राज्य के बाहर से कैमिकल कोई ट्रेडर खरीदता है तो उसको 4 प्रतिशत सीएसटी देना पड़ता है और 2 प्रतिशत आरएसटी देना पड़ता है अर्थात उसको 6 प्रतिशत टैक्स देना पड़ता है। यही नहीं कारखाने का मालिक यदि वही कैमिकल बाहर से खरीदता है तो उसको 4 प्रतिशत सीएसटी और 4 प्रतिशत प्रवेश कर देना पड़ता है यानि 8 प्रतिशत देना पड़ता है। मैं यह चाहूंगा कि उस पर प्रवेश कर भी 2 प्रतिशत किया जाए ताकि कारखाने का मालिक खरीदे या ट्रेडर खरीदे तो उसको बराबर का टैक्स चुकाना पड़े यह सुझाव मैं आपके माध्यम से देना चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय, निवेश को आकर्षित करने के लिए भी मैं कुछ सुझाव, आपके माध्यम से देना चाहूंगा। टी.यू.एफ. के लिए टैक्नोलाजी अपग्रेड फण्ड के माध्यम से जो इन्टरेस्ट सब्सिडी 5 प्रतिशत है रिएम्बर्समेंट की उसमें और ब्याज पर 5 प्रतिशत पुनर्भुगतान की व्यवस्था है तो राजस्थान सरकार 2 प्रतिशत सब्सिडी देती है लेकिन गैट समझौते के बाद प्रतिस्पर्धा में रहने के लिए कैपीटल सब्सिडी 10 प्रतिशत और इंटरेस्ट रिएम्बर्समेंट 5 प्रतिशत और स्टेट गवर्नमेंट भी इसमें 2 प्रतिशत दे तो निश्चित रूप से अप्रवासी राजस्थानियों को यहां निवेश के लिए आकर्षित करने में और सहायता मिलेगी।

अध्यक्ष महोदय, कुम्हारों द्वारा निर्मित ईंटों को कर मुक्त किया गया है इसके लिए निश्चित रूप से मैं साधुवाद देना चाहूंगा। बिलकुल कर मुक्त किया गया है। यही नहीं मृत व्यक्ति के परिवार, जिसने बीस हजार से कम कोई लोन लिया हुआ है, जिसने लोन लिया है वह मर गया और दस वर्ष पुराने उसके कर्जे को उसके परिवार वाले चुका नहीं सकते उसमें जो माफ करने की घोषणा की है निश्चित रूप से मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना

(श्री मदन राठोड़)

चाहूंगा के उन्होंने इस प्रकार से प्रयास किए हैं, जेसमें उन्होंने, आंसू पोछने के लिए भी प्रयास किए हैं। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों को जोड़ने के लिए..

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, समाप्त करें अपनी बात। अपना भाषण समाप्त करिए। आपने काफी समय ले लिया है।

श्री मदन राठौड़ : एक मिनट में अपनी बात को कहकर खतम करूंगा। अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के नेता धार्मिक भावनाओं को कभी मानते ही नहीं है। उनके परिवार वालों ने नाम तो बहुत अच्छे-अच्छे रखे हैं, किसी का बुलाकीदास रखा है किसी का चन्द्रप्रकाश रखा है। किसी का सी.पी. किसी का... लेकिन यह अपना नाम बी.डी., सी.डी., सी.पी. ऐसे-ऐसे नाम रखवाना ज्यादा पसंद करते हैं। यह कभी भी धार्मिक भावना को महत्व नहीं देना चाहते लेकिन हमारी मुख्य मंत्रीजी ने धार्मिक स्थलों को जोड़ने की जो घो .णा की है वह निश्चित रूप से सराहनीय है। (व्यवधान) तैयारी तो थी लेकिन अब आप नाराज न हो जाएं, नाराज नहीं हो तो एक-दो बातें..

श्री अध्यक्ष : नहीं, आप तो बस अब समाप्त करें। हो गया।

श्री मदन राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से और माननीय मुख्य मंत्रीजी का बहुत-बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा। इन्होंने बहुत अच्छा बजट प्रस्तुत किया है मैं इसका समर्थन करता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री जालम सिंह रावलोत।

डा. जालम सिंह रावलोत (शिव) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्रीजी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं राजस्थान की पांच करोड़ की जनता की तरफ से। इन्होंने इतना शानदार बजट दूसरे बजट के रूप में प्रस्तुत किया है। पहले बजट में जो घोषणाएं की गई थीं, उनका पूरी तरह से पालन हुआ। दूसरा बजट आज राजस्थान के कोने-कोने में प्रशंसा हो रही है। मैं उनको पुनः साधुवाद देना चाहता हूं। शिक्षा के क्षेत्र में हमने जो कहा, वह करके दिखाया। माननीय मुख्य मंत्रीजी और माननीय शिक्षा मंत्रीजी

(डा. जालम सिंह रावलोत)

वे शिक्षा के बारे में राजस्थान को उन ऊंचाइयों पर ले गये जहां कांग्रेस ने कभी कल्पना भी नहीं की। 12600 विद्यालयों को या तो खोला गया या क्रमोन्नत किया गया। इस नये सत्र में प्राथमिक विद्यालय जो नये खोले जाएंगे उनकी संख्या एक हजार, वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों को प्राथमिक केन्द्रों में बदला जाएगा, ऐसी संख्या-2 हजार, प्राथमिक से उच्च प्राथमिक-1600, उच्च प्राथमिक से माध्यमिक-500, माध्यमिक से सीनियर-250 और आई.टी.आई.-20 और नये पोलीटेक्निक कॉलेज-5, इसी तरह से तकनीकी विश्वविद्यालय, तथा मेडिकल विश्वविद्यालय के लिये 5-5 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जिसके लिये मैं उनको साधुवाद देना चाहता हूं। माननीय शिक्षा मंत्री का इस बात के लिये विशेष आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि माध्यमिक शिक्षा के सार्वजनिकीरण के लिये, यानि हर पंचायत केन्द्र पर 10वीं की स्कूल हो इसके लिये वह जो केन्द्रीय स्तर पर प्रत्यन कर रहे हैं, केन्द्रीय कमेटी के अध्यक्ष होने के नाते, मैं उनका पुनः आभार व्यक्त करता हूं, इस बात के लिये हमारे राज में रहते-रहते हर पंचायत में सैकण्डरी स्कूल बने तो वास्तव में हमें, राजस्थान की जनता वसुंधराजी को और घनश्यामजी को इस बात के लिये याद रखेगी।

चिकित्सा के क्षेत्र में हमने बहुत उपलब्धियां हासिल की हैं। मैं कांग्रेस की इस बात के लिये आलोचना करता हूं कि विशेषकर बाड़मेर और जैसलमेर जैसे पिछड़े क्षेत्रों में चिकित्सा के लिये उन्होंने कुछ नहीं किया। अभी चिकित्सा मंत्री ने कहा, जैसलमेर जिले का प्रयास था, जाकर उन्होंने समस्याओं को समझा। आते ही उन्होंने मुख्य मंत्रीजी को कहा कि बाड़मेर, जैसलमेर के लिये चिकित्सा का विशेष पैकेज मिलना चाहिए और मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं इस बात के लिये कि 570 ए.एन.एम. की घोषणा की बाड़मेर-जैसलमेर के लिये स्थाई पद के रूप में की है। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज बाड़मेर-जैसलमेर की जनता, मेरे क्षेत्र की जनता इस बात के लिये बहुत खुश है कि नये सामुदायिक केन्द्र, सी.एच.सी.-27, पी.एच.सी.-34, उप स्वास्थ्य केन्द्र-123, उसमें भी मेरे क्षेत्र को और आदिवासी क्षेत्र को जो प्राथमिकता दी इस नाते मैं उनका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं और नये आयुर्वेदिक-3, नये होम्योपैथिक-35, यूनानी-1, इस नाते भी मैं धन्यवाद देता हूं।

(डा. जालम सिंह रावलोत)

सड़क के क्षेत्र में, हमारे पी.डब्ल्यू.डी. मिनिस्टर साहब विराजमान हैं। पूर्व में आया है, कांग्रेस ने जो 5 साल में नहीं किया वह हमारे पी.डब्ल्यू.डी. मिनिस्टर साहब ने सवा साल में करके बताया। इस नाते मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूं। इस साल 1100 गांवों को जोड़ने के लिये 3500 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया जाएगा। सुदृढ़ीकरण और नवीनीकरण की दिशा में राष्ट्रीय उच्च मार्गों और मुख्य जिला सड़कों का 1500 किलोमीटर निर्माण होगा और ग्रामीण सड़कों का 3000 किलोमीटर का सुदृढ़ीकरण होगा और डब्ल्यू.बी.एम. को डामर से, एक हजार किलोमीटर जोड़ा जाएगा। इस नाते यह सरकार पुनः बधाई की पात्र है। मैं पुनः बधाई देना चाहता हूं, आपके माध्यम से। रोड इंफस्ट्रक्चर डवलपमेंट कम्पनी आफ राजस्थान के तहत 4 राज्य उच्च मार्गों को बी.ओ.टी. की पद्धति के माध्यम से जो 1019 किलोमीटर सड़कों का निर्माण होगा, वह पूरे देश में ही नहीं, विश्व में मानी हुई सड़कें बनेंगी। इस नाते यह सरकार बधाई की पात्र है, पुनः बधाई।

बिजली के क्षेत्र में हमारा बजट 2 हजार करोड़ का रखा गया है और बिजली उत्पादन की दिशा में निरन्तर प्रयत्न हो रहे रहे हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र की जो परियोजना है, वह 125 मेगावाट की है और उसमें 215 करोड़ रुपये खर्च किये जा चुके हैं और जून, 2006 तक उत्पादन चालू होगा और ऐसा लगता है कि हमारे विपक्ष के माननीय आडवानीजी और माननीय मुख्य मंत्रीजी शिव में पधारकर उसका उदघाटन और शिलान्यास कार्यक्रम करने वाले हैं और इसी क्रम में 600 करोड़ रुपये का इस बार बजट का प्रावधान रखा है। इस नाते भी हार्दिक आभार।

उपभोक्ताओं की समस्याओं के निराकरण के लिये जिला केन्द्र पर काल सेंटर और डिवीजन हैड-क्वार्टर पर कस्टमर केयर सेंटर के माध्यम से जनता की सेवा का जो प्रयत्न किया जा रहा है, इस नाते भी वह निश्चित रूप से बधाई की पात्र हैं।

जैसलमेर शहर के अस्पताल में वर्षों से रिक्त पदों को भरे जाने का जो प्रयास हुआ है। उस नाते भी मैं चिकित्सा मंत्रीजी का आभार व्यक्त करता हूं। हमने रोजगार के मामले में जो हमने कहा, वह करके दिखाया।

(डा. जालम सिंह रावलोत)

सरकारी क्षेत्र में हमारी सरकार ने आते ही, जो कांग्रेस ने वर्षों से जो प्रक्रिया बंद थी, एक चपरासी तक की इन्होंने भर्ती नहीं की, 38 हजार अध्यापकों को भर्ती करने की जो प्रक्रिया चल पड़ी है उसके नाते और 1119 ए.एन.एम. की जो संविदा के आधार पर नियुक्ति हो चुकी है और हैड मास्टर और हाई-स्कूल टीचर के 710 भरे गये पिछले सत्र में और इस सत्र में अध्यापकों के 7200 पुलिस कांस्टेबल के 4 हजार, कालेज व्याख्याता के 456, ए.एन.एम. 1570 बाड़मेर-जैसलमेर के लिये और सहयोगिनियों के लिये 15881 और रोजगार के लिये निश्चित रूप से प्रयत्न हो रहे हैं। नवयुवकों को रोजगार बढ़ाने के लिये पोली-टेक्निक और आई.टी.आई. के माध्यम से जो प्रयत्न हो रहे हैं, सुदृढ़ीकरण और नवीनीकरण हो रहा है, इस नाते भी मैं उनको हार्दिक बधाई देना चाहता हूं। कृषि क्षेत्र में हमारा बजट, सरकार ने ज्यादा किया है।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महावीर प्रसाद जैन (सरकारी मुख्य सचेतक) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय एक घंटे बढ़ाया जाए।

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है कि सदन का समय एक घंटे तक बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

मैं सोचती हूं कि आधा घंटे बढ़ा दें, ठीक रहेगा 1-2 ही तो बोलने वाले हैं।

सदन का समय आधे घंटे के लिये बढ़ाया जाता है।

आय-व्ययक पर सामान्य वाद विवाद

डा. जालम सिंह रावलोत : कृषि क्षेत्र का बजट 66 करोड़ से 136 करोड़ किया गया। फसल बीमा योजना हमारी सरकार ने पिछली बार सभी फसलों के लिये फसल बीमा योजना लागू की थी और 100 करोड़ रुपये का किसानों को मुआवजा इस बार दिया जाएगा। अगले बजट में जो प्रावधान

(डा. जालम सिंह रावलोत)

किया गया है कि फसल बीमा योजना सभी फसलों पर लागू होगी. इस नाते भी मैं मुख्य मंत्रीजी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। पशुधन में बजट को 3 करोड़ किया गया है। मैं इस सरकार का इस बात के लिये आभार करना चाहूंगा कि उन्होंने गौ-वंश के लिये विशेष ध्यान रखा और गौ-सेवा आयोग के माध्यम से प्रत्येक जिले में एक गौ-शाला को आदर्श गौ-शाला बनाने का प्रयत्न होगा जिसमें गौ-संवर्द्धन और गौ-विकास का कार्यक्रम हाथ में लिया जाएगा। इसी क्रम में भेड़पालकों को उनकी उनका वांछित मूल्य दिलाने के लिये तथा उनको आर्थिक दृष्टि से सुधार करने के लिये जो पैकेज की घोषणा की गयी उस नाते मैं उनका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं।

जल संसाधन के क्षेत्र में इन्दिरा गांधी नहर के प्रथम और द्वितीय चरण, भाखड़ा, गंगनहर, सिद्धमुख परियोजना के लिये तथा अन्य परियोजनाओं के लिये सुदृढ़ीकरण और नवीनीकरण के लिये जो 40 करोड़ का प्रावधान किया गया है। यह पहली बार प्रयत्न हुआ है और अन्तिम छोर के किसान तक यह पानी पहुंचेगा, यह सरकार इस बात के लिये भी हार्दिक साधुवाद की पात्रता रखती है। मैं कांग्रेस की इस बात के लिये आलोचना करूंगा कि नर्मदा परियोजना के लिये इन्होंने कभी प्रयत्न नहीं किया। हमारी सरकार ने आते ही 335 करोड़ रुपये नर्मदा परियोजना के लिये चुकाये। और इस बार बजट में 200 करोड़ का प्रावधान किया गया और जून, 2006 तक बाड़मेर और जालौर जिले में नर्मदा का पानी पहुंचेगा। सरकार इस बात के लिये बधाई की पात्र है। 9 हजार गांवों और ढाणियों में पिछली बार पेयजल पहुंचाया गया था और इस बार 10 हजार गांवों और ढाणियों में पानी पहुंचाने का प्रयत्न होगा। सेवाओं की गुणवत्ता में सरकार ने बहुत सारी घोषणाएं की हैं। विकास की योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिये अच्छा शासन आवश्यक है इसके लिये सरकारी संस्थाओं की कार्यकुशलता की वृद्धि होना तथा गुणवत्ता में सुधार होना आवश्यक है. सरकार के लगातार प्रयत्न हो रहे हैं।

भ्रष्टाचार किसी की देन है भ्रष्टाचार केवल कांग्रेस की देन है। इनका राज रहा, इन्होंने हमेशा भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया। इनके पूर्व प्रधान मंत्री को कहना पड़ा कि केवल 15 पैसे अन्तिम स्तर तक पहुंचता है। इनके 3-3 मंत्री रिश्वत लेते हुए, भ्रष्टाचार करते हुए पकड़े गये। बहुत शर्म की बात है और मैं इस बात के लिये सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि हमारे मंत्रिमंडल के

(डा. जालम सिंह रावलोत)

किसी भी सदस्य पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाने की किसी में हिम्मत नहीं हुई है। इससे साफ है कि हमने जो कहा, करके दिखाया। साफ सुथरी सरकार हम दे रहे हैं और भ्रष्टाचार पर प्रभावी नियंत्रण के लिये भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के सुदृढ़ीकरण का जो प्रयत्न हो रहा है तथा इसके लिये विशेष दलों का गठन होगा जो शिकायत प्राप्त होते ही हाथों-हाथ कार्यवाही करेंगे, यह निश्चित रूप से इस बात का प्रमाण है कि हम स्वच्छ शासन देना चाहते हैं।

सरकारी सेवाओं के विकास के लिये ई-मित्र परियोजनाओं को सभी जिलों में लागू किया जाएगा तथा इसकी सेवाओं की संख्या 28 से बढ़ाकर 60 करने का जो प्रयत्न है वह भी एक महत्वपूर्ण कदम है। जन अभाव अभियोग समितियों के पुनर्गठन का प्रयत्न हो रहा है। इंटरनेट पर एफ.आई.आर. जो केवल जयपुर में होती थी वह इस साल सभी सम्भागीय मुख्यालय पर भी होगी। जिला प्रशासन के सुदृढ़ीकरण और नवीनीकरण के लिये जो केन्द्र को योजना बनाकर भेजी गयी है, वह निश्चित रूप से उचित योजना है ताकि विकास योजनाओं का लाभ आम व्यक्ति तक पहुंचे और उसके लिये सरकार ने अपने 10 करोड़ का प्रावधान किया है। भूमि आबंटन में जो सरलीकरण किया है कानूनों में, ग्रामीण और शहरी, दोनों क्षेत्रों में हमारी जनता को बहुत सारी तकलीफ हो रही है, समय व बदलाव की आवश्यकताओं को देखते हुए कानूनों में सरलीकरण का जो प्रयत्न है, हमारी मुख्य मंत्रीजी का, निश्चित रूप से स्वागत योग्य कदम है। और इस दिशा में जो दूसरा प्रयत्न उपनिवेशन क्षेत्र में हो रहा है, जो मूल्य भूमि आबंटन में मुरब्बों का, जो आरक्षित मूल्य है उसमें जो 10 परसेंट की वृद्धि को समाप्त करने की घोषणा की गयी है, वह बहुत ही महत्वूपर्ण कदम है और विशेष आबंटन में जो किश्तों की संख्या आठ हुआ करती थी उसको बढ़ाकर 12 करने से नहरी क्षेत्र के लोग बहुत खुश हैं।

73वें संविधान संशोधन जो हमारा है, उसमें निश्चित रूप से पंचायती राज संस्थाओं को बढ़ावा देने का प्रयत्न पिछले वर्षों में कांग्रेस की सरकार ने चालू किया। हमारी सरकार ने उसको बढ़ावा दिया लेकिन विषय की जटिलता के कारण कई कठिनाइयां हो रही हैं इसलिए सरकार ने जो मंत्रिमंडलीय समिति का गठन किया है, वह समिति अध्ययन करके इस दिशा में आगे कदम उठाएगी और हमारी पंचायती राज संस्थाएं सुदृढ रूप से आगे बढ़ेगी।

(डा. जालम सिंह रावलोत)

अकाल राहत के क्षेत्र में प्रतिपक्ष के माननीय नेता महोदय हमेशा हमारी सरकार को कठघरे में खड़े करने का प्रयत्न करते हैं लेकिन अकाल का जो प्रबन्ध हुआ है, वह निश्चित रूप से बहुत अच्छा प्रबन्ध हुआ है और हमारी मुख्य मंत्रीजी ने चारा डिपो का संचालन शुरू किया है और बड़ी संख्या में आपके सामने विषय आया है कि मजदूरों की संख्या पर हर जिले में जबरदस्त है। जैसलमेर जैसे छोटे जिले में 75 हजार लोग काम कर रहे हैं। आज तीन महीने से बाड़मेर में एक लाख 10 हजार की संख्या हो गयी है। यह निश्चित रूप से हमारे मुख्य मंत्रीजी और अकाल राहत मंत्रीजी का प्रयत्न रहा है और अभी जो घोषणा हुई है, कुछ समय पहले और चालू हो गये हैं पशु शिविर, जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर में इतनी संख्या में पशु शिविर हो रहे हैं और एक बात के लिए मैं बहुत विशेष आभार व्यक्त करना चाहता हूं, वह यह है कि कांग्रेस के टाइम में जो 12 रुपये प्रति पशु प्रतिदिन के हिसाब से अनुदान मिलता था, हमारी मुख्य मंत्रीजी ने बड़े पशुओं के लिए 12 रुपये से बढ़ाकर 18 रुपये किया है और छोटे पशुओं के लिए 9 रुपये से बढ़ाकर 12 रुपये किया है। यह निश्चित रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। इस दिशा में गुरू गोलवलकर योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में परिसम्पत्तियों के निर्माण के लिए परम पूज्य सर-संचालक गोलवलकरजी की जैसी भावना थी ग्रामीण विकास की, उसको देखते हुए जो बजट इस बार बढ़ाकर 28 करोड़ रुपये किया है, उससे ग्रामीण जनता में जबरदस्त उत्साह है और इस नाते मैं सरकार को हार्दिक बधाई देना चाहता हूं और आभार व्यक्त करना चाहता हूं।

खादी और लघु उद्योगों के महत्व को देखते हुए उनका भी बजट बढ़ाने का जो प्रयत्न हुआ है, उसके लिए भी मैं निश्चित रूप से आभार व्यक्त करूंगा।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, समाप्त करें।

डा. जालमसिंह रावलोत : कन्क्लूड कर रहा हूं मैं।

कर प्रस्तावों के बारे में पिछले बजट में स्टाम्प डयूटी, विलासिता कर, मनोरंजन कर की दर को घटाया गया था। टर्न ओवर टैक्स, सरचार्ज, प्रोफेशन टैक्स को समाप्त किया गया था, जिससे कर ढांचा में सुधार हुआ, सरलीकरण

(डा. जालम सिंह रावलोत)

हुआ और सुसंगतीकरण हुआ। जिससे हमारे राजस्व में भारी वृद्धि हुई। इस नाते मैं सरकार का हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहता हूं। काश्तकारों के लिए विशेष छूट प्रदान की गयी है, इस बजट में महिलाओं और बच्चों के लिए भी विशेष छूट प्रदान की गयी और जो रूग्ण इकाइयां थीं उनको बढ़ावा देने के लिए पिछली बार बजट में घोषणा थी, इस बार उसको आगे बढ़ावा दिया गया है। इससे हमारी रूग्ण इकाइयां आगे बढ़ेगी और रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी। इस नाते भी हमारी मुख्य मंत्रीजी हार्दिक बधाई की पात्र हैं। मेरा ऐसा पूरा विश्वास है कि हमारे इस शानदार बजट से, इस अच्छे बजट से जिसकी सर्वत्र प्रशंसा हो रही है, जिन्होंने एक अनुकरणीय काम किया है, अच्छा बजट प्रस्तुत करके, इससे हमारी राज्य की आर्थिक वृद्धि दर बढ़ेगी, रोजगार के ज्यादा अवसरों का सृजन होगा, समाज के सभी वर्गों को लाभ मिलेगा, राज्य का राजस्व बढ़ेगा और हमारी पांच करोड़ जनता के सपने साकार होंगे। आपने समय दिया, माननीय अध्यक्ष महोदय, इसका हार्दिक आभार।

श्री अध्यक्ष : धन्यवाद। श्री वीरेन्द्र बेनीवाल।

डा. जालम सिंह रावलोत : पोंकरण-फालूस-बालोतरा पेयजल योजना के लिए विशेष प्रयत्न हो रहे हैं, उसके लिए मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष : आप तो समाप्त कर चुके हैं न?

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य की पांच करोड़ जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति के नाम पर जो बजट पेश किया गया है, वर्तमान अकाल के भयावह हालात और ऊपर से किसानों के ऊपर खड़ी फसल पर हुई ओलावृष्टि की मार, एक ओर यहां आमजन पीड़ित है, त्रस्त है वही दूसरी ओर गत 21 तारीख से 30 तारीख के बीच में राजस्थान दिवस के नाम पर करोड़ों रुपया खर्च करके जिस वैभवशाली तरीके से राजस्थान दिवस का आयोजन किया गया। इसके साथ-साथ वर्तमान बजट में जयपुर में परिवहन हेतु भविष्य में स्काई बस अथवा उससे मिलती-जुलती व्यवस्था, इकानोमिक वायविलिटीज ज्ञात करने के लिए सर्वे हेतु 50 लाख रुपये का प्रावधान, आमेर किले के विकास के नाम पर आगामी तीन वर्षों में 35 करोड़ रुपये व्यय किये जाने का प्रावधान, वर्तमान उदार आबकारी नीति

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

की बदौलत राज्य में हर गली और मौहल्ले में शराब की उपलब्धता यह दर्शाता है कि वर्तमान हालात में राज्य की त्रस्त जनता को राहत पहुंचाने के नाम पर जिस तरीके से इस बजट को पेश किया गया है, उसमें राहत की कितनी गुंजाइश है।

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राज्य में जो बजट पेश किया जाता है वह आंकड़ों का एक मायाजाल होता है। हो सकता है कि मेरी बात ज्यादा उचित नहीं हो लेकिन मैं अपने दृष्टिकोण से अवगत कराना चाहूंगा आपकी इजाजत से। इस बजट के अन्दर पूरे राज्य के हर विभाग की योजनाओं को समाहित करके पेश किया जाता है लेकिन चूंकि, हम सभी सदस्य अलग-अलग विधान सभा क्षेत्र से निर्वाचित होकर आते हैं। हमारे विधान सभा क्षेत्र की जनता को, ज्यादा स्पष्ट कहे तो हम सबको भी यह पता नहीं लग पाता कि हमारे विधान सभा क्षेत्र में विकास के नाम पर कौनसा विभाग क्या करने वाला है और वर्ष पूरा बीत जाता है और स्थिति वही की वही रहती है। मेरा निवेदन है कि यदि इस बजट में इस प्रकार के प्रावधान किये जाए कि जिलेवार बजट हो और जिलेवार से भी आगे बढ़कर विधान सभा क्षेत्रवार वहां की आवश्यकताओं को जानकर उनकी पूर्ति के नाम पर अगर बजट प्रावधान किये जाए तो निश्चित रूप से यह राज्य की जनता के साथ में सही रूप से न्याय होगा।

अध्यक्ष महोदय, आज वक्त है समस्याओं के समाधान का और उस पीडित आम-जन को राहत पहुंचाने का। हर वक्त यदि हम राजनैतिक दुर्भावना की भावना को देखते हुए काम करेंगे तो निश्चित रूप से यह आम जनता के साथ अन्याय होगा। मैं इस बात को इसलिए निवेदन करना चाह रहा हूं कि गत समय में जिस प्रकार से इस बजट में भी उल्लेख किया गया है, अलग अलग जिलों के अन्दर वहां की स्थिति का आंकलन किया गया, यह जाना गया कि वर्तमान में अकालग्रस्त या अभावग्रस्त कौन-कौन से क्षेत्र हैं, अध्यक्ष महोदय, मैं जिला बीकानेर का उदाहरण प्रस्तुत करना चाहूंगा कि जिला बीकानेर की 8 तहसील में से 7 तहसील में शत-प्रतिशत खराबा घोषित किया

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

गया। वहीं तहसील लूणकरणसर, जो कि मेरे विधान सभा क्षेत्र का एक हिस्सा है, उसके 137 गांवों में से 99 गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया गया है। यह दर्शाता है राजनैतिक दुर्भावना की भावना को। इसी के साथ आज बार-बार बात की जा रही है चारा डिपो की। पंचायत समिति लूणकरणसर जो कि 36 ग्राम पंचायतों में संमाहित है, उस पंचायत समिति लूणकरणसर में आज से 20 दिन पूर्व तक महज दो चारा डिपो खोले गये थे। वही जिले के अन्दर 170 चारा डिपो खोले गये हैं। वह भी हमारी एक राजनैतिक सोच को दर्शाता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हम एक ओर दु:खी और पीड़ित के आंसू पोंछने की बात करते हैं, हम राहत पहुंचाने की बात करते हैं, हम न्याय की बात करते हैं और हम परों से नहीं हौसलों से उड़ने की बात करते हैं वहीं दूसरी ओर हम प्रतिशोध की भावना को लेकर चलते हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि आज के हालात में जिला बीकानेर, जो कि निश्चित रूप से हर दृष्टि से पिछड़ा हुआ है, मरुस्थलीय प्रदेश का वह जिला जो कि सीमांत, पाकिस्तान की सीमा से जुड़ा हुआ है, यहां के हालात बदतर हैं। आज यहां पर राहत के नाम पर जो काम किये जा रहे हैं वे नाकाफी हैं। वर्तमान बजट के अन्दर जो प्रावधान किये गये हैं वह प्रावधान चाहे पशुधन के लिए हैं, वे नाकाफी हैं। आज जो पशु सेवा शिविर वहां पर शुरू किये गये हैं, जो गौ-शालाएं वहां पर कार्य कर रही हैं, वह दर्शाती है वहां की कार्यशैली को। मैं इस बारे में निवेदन करना चाहूंगा कि पशुधन ही वहां के गरीब तबके और काश्तकार का मुख्य आय का स्त्रोत है। उस पशुधन को, उत्तम नस्ल के पशुओं को बचाये रखने के लिये जो प्रावधान वर्तमान समय में किये गये हैं, वह नाकाफी हैं। उनके अंदर निश्चित रूप से बढ़ोतरी की जानी चाहिये।

इसके साथ-साथ पशुओं को राहत पहुंचाने के लिये जो पशु चिकित्सालय बीकानेर जिले में हैं, वह वर्तमान समय में नाकाफी हैं मैं यही निवेदन करूंगा कि इस बजट के अंदर जो नये पशु चिकित्सालय खोलने का प्रावधान किया जा रहा है उससे विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर में नये पशु चिकित्सालय और उप स्वास्थ्य केन्द्र खोले जायें।

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

इसके साथ-साथ जो हमारे पशुओं से दूध मिलता है, उस दूध का रेट वर्तमान में सरकार ने आने के बाद कम किया है जो कि पशुपालकों के साथ अन्याय है। वह दूध का रेट भी बढ़ना चाहिये।

मैं अध्यक्ष महोदय, कहना चाहता हूं घोषणा करना आसान है लेकिन जब तक किसी घोषणा की पूर्ति न हो जाये, तब तक उस घोषणा का कोई महत्व नहीं रहता। ठीक उसी प्रकार से यह बजट में जो प्रावधान किये गये हैं, यह प्रावधान जब तक कार्य रूप में परिणित नहीं हो जाये, तब तक इन प्रावधानों का कोई महत्व नहीं हैं।

मैं इस मौके पर याद दिलाना चाहूंगा आज जो प्रावधान है यह आश्वासन है हमारे लिये। इन आश्वासनों को किस कारगर रूप से आने वाले समय में लागू किया जायेगा, यह तो वक्त बतायेगा लेकिन गत समय में दिसम्बर, 2003 को सरकार के सत्ता में आने के बाद माननीय मुख्य मंत्री महोदया का विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर की तहसील छतरगढ़ के ग्राम घेघड़ा में जाना हुआ और इंदिरा गांधी मुख्य नहर जो टूट गयी थी विधान सभा मतदान दिवस के दिन, उन्होंने वहां पहुंचकर वहां के लोगों को सांत्वना देने का प्रयास किया, आश्वासन दिया। लेकिन उस आश्वासन से आज सवा साल बीतने के बाद उन पीड़ित काश्तकारों को आज तक सिंचाई की सुविधा नहीं मिल पाई है। अगर किसी प्रकार का आश्वासन या घोषणा करना तो बहुत आसान है अध्यक्ष महोदय, लेकिन अगर उस घोषणा की पूर्ति नहीं होती तो वह आम जन, जो राज्य के सर्वोच्च व्यक्ति से, मुख्य मंत्री से किसी चीज की गुहार करता है और उसकी पूर्ति नहीं होतीं तो यह उसकी भावनाओं के साथ कुठाराघात है। मैं यही निवेदन करूंगा जो वक्त गया, उसका हमारे पास जवाब नहीं, लेकिन आने वाले समय में उन काश्तकारों को, जिनको सीधी इस नहर के टूटने से पीड़ा पहुंची थी, जो आर्थिक नुकसान उन्होंने आज तक उठाया है, उसकी पूर्ति आज दिन तक की जाये और तात्कालिक प्रभाव से उनकी सिंचाई सुविधा को बहाल किया जायें।

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

इसी के साथ-साथ समय-समय पर तुष्टिकरण के नाम पर आम जन को परेशान करने का जो दौर चल रहा है, गत समय में भी जो यह आन्दोलन चला था और बार-बार यह बात चली कि यह घड़साना, रावला और खाजूवाला का आन्दोलन क्या था? मैंने पूर्व में भी इसमें दृष्टिकोण रखने का मौका चाहा, लेकिन मुझे मौका नहीं मिला। जिन परिस्थितियों में यह आन्दोलन शुरू हुआ, उसकी शुरूआत उसी मैन कैनाल के टूटने के दिन से शुरू हुई और उसके बाद उसके कुछ ही समय बाद जून, 2004 में एक नेता, महोदय के इशारे पर कंवरसेन लिफ्ट में जिन काश्तकारों को सिंचाई सुविधा मिली हुई थी, उसके बाद छेड़छाड की गयी और उनके मोर्गो की साइज में परिवर्तन किया गया। और उन नेता महोदय ने आम जन को बार-बार यह कहा कि मेरी शरण में आओ। मेरी शरण में आप आओगे तो मैं इन मोर्गो को पुनः बहाल करा दूंगा और महज 15 या 17 दिन बाद हमारे सिंचाई मंत्री महोदय आदेश जारी करते हैं उस आदेश के द्वारा वहां के मुख्य अभियन्ता (सिंचाई) को यह निर्देशित किया जाता है कि उन मोर्गो की स्थिति को पूर्ववर्ती कर दिया जाये। महज 17 दिन बाद जो प्रशासन की मशक्कत कराई जाती है, जो पानी मिल रहा होता है, उस पानी से उन किसानों को महरूम किया जाता है और 17 दिन बाद स्थिति का परिवर्तन वापस कर दिया जाता है। आज फिर वही परिस्थिति उत्पन्न हो गयी है और आज पुनः उन्हीं काश्तकारों को, जिनको पूर्व में आपने आश्वस्त करके उनके मोर्गो की साइज को बहाल किया था, आज फिर पुनः परिवर्तन किया जा रहा है। यह दर्शाता है राजनैतिक प्रतिशोध की भावना, राज्य के आम जन के साथ प्रताड़ित करने की कार्य शैली को।

मैं अध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहता हूं कि इसी प्रकार से चूंकि बजट के अंदर सभी विभागों की ओर से प्रावधान किये गये हैं, जिला बीकानेर का विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर, जो विशाल भू-भाग में फैला हुआ है, लगभग पांच तहसीले इस विधान सभा क्षेत्र का भाग हैं। इस विधान सभा क्षेत्र की अपनी समस्याएं है। उनमें से एक समस्या पेयजल से सम्बन्धित है। मैं, अध्यक्ष महोदय, आप व्यक्तिशः भी इस बात को जानते हैं कि इतिहास यह रहा है कि वहां पर पीने के पानी को लेकर ट्रेन के द्वारा पानी सप्लाई किया जात था और लोग कोसों दूर से पानी लेने के लिये आया करते थे और जब

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

ट्रेन स्टेशन पर पहुंचती थी पानी को लेकर तो रेलमपेल के अंदर, धक्का-मुक्की के अंदर लोगों के न सिर्फ मटके फूट जाते थे, बल्कि भाग-दौड़ में उनके सर भी फूट जाया करते थे। उस पेयजल की त्रासदी को झेलने के लिये यह क्षेत्र आज भी पेयजल की कमी से पीड़ित है। इस हेतु बजट के अंदर प्रावधान तो किये गये हैं लेकिन मैं फिर यही निवेदन करना चाहूंगा कि चूंकि इसमें विधान सभा क्षेत्रवार कोई घोषणा नहीं होती, इसलिये हम आशंकित हैं कि हमारे क्षेत्र की जो समस्याएं हैं उनकी पूर्ति इस बजट में होगी कि नहीं होगी। आज विधान सभा क्षेत्र की सीमा पर लगा हुआ अर्जुनसर, मीठडिया, जैतपुर, यह क्षेत्र लम्बे समय से पेयजल की समस्या से पीड़ित हैं और इस हेतु विभागीय स्तर पर योजना भी समर्पित की गयी थी, लेकिन इसकी पूर्ति कितनी हो पायेगी, यह तो आने वाला समय बतायेगा।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, ओलावृष्टि की मार झेल रहा है। आम काश्तकार आज इस राज्य के सर्वोच्च सदन का मुंह देख रहे हैं, राज्य सरकार का मुंह देख रहे हैं। पूर्व की नीतियों के अनुसार जब कभी भी इस प्रकार की चपेट के अंदर काश्तकार आता है तो उसको राहत के नाम पर सीमांत लघु कृषक की दो कैटेगरीज में उसको डिवाइड करके उनको राहत दी जाती है। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि कृषक चाहे कोई भी हो, जिसकी फसल का नुकसान हुआ है, उसको उसी अनुपात में उसका मुआवजा मिलना चाहिये। हम अगर यह कहें कि यह बड़ा काश्तकार है उसको मुआवजे की आवश्कता नहीं है या ओलावृष्टि की मार से इसका नुकसान वैसा नहीं हुआ जैसे छोटे काश्तकार का हुआ है तो यह गलत है। चूंकि बड़ा काश्तकार तो अपनी जमीन को हिस्से पर देकर रखता है और हिस्से पर लेने वाला एक काश्तकार छोटा काश्तकार होता है इसलिये मेरा निवेदन है कि इस बात के ऊपर भी जो हमारा इसके अंदर प्रावधान भी किया गया है बजट में 415 करोड़ का, उसमें से इस राशि का भी इसमें ध्यान देकर सभी काश्तकारों को इसका मुआवजा दिया जाना चाहिये।

मैं, अध्यक्ष महोदय, यह कहना चाहूंगा कि वर्तमान बजट के अंदर शहरी तबके को राहत देने के नाम पर काफी कुछ प्रावधान किये गये हैं। पूर्व के बजट में भी किये गये थे और वर्तमान बजट में भी किये गये हैं। लेकिन काश्तकार को सीधा लाभ देने के नाम पर जो योजना लागू की जानी चाहिये,

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

उसकी इसमें कमी है। चाहे हम सिंचित क्षेत्र के अंदर मरु भूमि में टिब्बों को काटकर जो माइनर और खाले बनाये गये हैं, उनकी कवरिंग की बात करें अगर उसका प्रावधान इसके अंदर किया जाता तो निश्चित रूप से यह काश्तकार को सीधा लाभ पहुंचाने वाला एक काम होता। इसी के साथ-साथ इस बजट में प्रावधान किया गया है कि ड्रिप इर्रिगेशन सिस्टम को प्रोत्साहन देने के लिये कुछ राशि इसमें दी जायेगी और काश्तकारों को प्रोत्साहन दिया जायेगा, लेकिन वह जो इसके अंदर प्रावधान किया गया है, वह बहुत कम है। ऐसे प्रावधान को बढ़ाया जाना चाहिये। इसी के साथ-साथ आज हम बात करते हैं स्वास्थ्य की।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब समाप्त करने की ओर चलें। आप 15 मिनट बोल लिये।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल : अध्यक्ष महोदय, 15 मिनट तो नहीं लेंगे। वैसे आप जो भी फरमायें, उचित है। मैं पांच मिनट में अपनी बात को समाप्त करूंगा।

वर्तमान में स्वास्थ्य सम्बन्धी जो इसमें घोषणाएं की गयी हैं कि नये स्वास्थ्य केन्द्र खोले जायेंगे, उप स्वास्थ्य केन्द्र खोले जायेंगे..(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : फिर तो दूसरे सदस्य के बोलने के लिए केवल पांच मिनट ही रहेंगे, वो फिर अपना कन्टीन्यू करेंगे।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं दस मिनट बोल लूंगा जिससे उनका बोलने का मौका नहीं आयेगा अगर आप इजाजत देंगे तो।

श्री अध्यक्ष : दस मिनट तक आप ही बोलते रहेंगे क्या?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, एक सदस्य और बोल लेंगे।

श्री अध्यक्ष : मैं तो खुद ही कह रही हूं कि आप समाप्त करें ताकि एक माननीय सदस्य और बोल सकें। (व्यवधान) ना, यह उनको सुनाने के लिए नहीं कह रहे, यह इधर सुनाने के लिए कह रहे हैं, गलतफहमी हो रही है आपको।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल : अध्यक्ष महोदय, वर्तमान समय में विधान सभा क्षेत्र की विशालता को देखते हुए और वहां की आवश्यकताओं को देखते हुए

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

कस्बा दंतोर, जो कि ग्राम पंचायत मुख्यालय भी है, लम्बे समय से यहां पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की मांग चली आ रही है. इसके साथ-साथ ग्राम पंचायत मुख्यालय रूणिया बड़ावास है, यहां पर भी लम्बे समय से प्राथमिक स्वास्थाय केन्द्र खोले जाने की मांग चली आ रही है। मैं निवेदन करूंगा कि बजट में जो प्रावधान किये गये हैं उन प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर के इन दोनों प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्वीकृति इसके अन्दर जोड़ी जाए। माननीय मंत्री महोदय भी यहां विराजमान हैं।

इसके साथ वर्तमान समय में बीकानेर विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा हुई और बीकानेर विश्वविद्यालय ने अपना आकार भी लेना शुरू किया है लेकिन पूर्व में भी मंत्री महोदय ने इस हेतु घोषणा की थी एक करोड़ की राशि का प्रावधान इसके लिए किया जा रहा है और आगे और राशि का प्रावधान किया जायेगा, उस घोषणा की पूर्ति भी नहीं हो पायी और वह एक करोड़ घट कर 50 लाख रुपया रह गया और ना ही उसके संघटक कालेजों की घोषणा की गयी। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह जिला बीकानेर की एक महत्वपूर्ण आवश्यता है, शिक्षा के नाम पर आज राज्य सरकार बहुत कुछ कर रही है तो इसके लिए विशेष रूप से प्रयास करके और शीघ्र उसकी घोषणा की जाए। बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देने के नाम पर बार-बार बातें की जाती है लेकिन...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब आप समाप्त करें ताकि कोई एक सदस्य और भी बोले सके।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल : अध्यक्ष महोदय, बालिका शिक्षा के नाम पर वहां पर विद्यालयों की आवश्यकता है, उनकी भी पूर्ति इसमें की जाए.

वर्तमान समय में मैं यही कहना चाहता हूं कि इस बजट के अन्दर जो घोषणाएं की गयी हैं पूर्व की भांति काश्तकारों को छूट देने के नाम पर जो बातें की जाती है। अगर वह प्लास्टिक पाइप की बात है तो पांच प्रतिशत से घटा कर चार प्रतिशत किया जा रहा है, सीमेंट पाइप को 14 प्रतिशत से 12 प्रतिशत किया जा रहा है और बी वैल्ट के पट्टों को पांच प्रतिशत से घटा कर चार प्रतिशत किया जा रहा है. यही पिछले समय में बात शहरी क्षेत्र की आयी थी तो भवनों के, फ्लेट के खरीद पर 11 प्रतिशत से घटा कर महिलाओं

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

को पांच प्रतिशत राशि कर दी गयी थी और पुरुषों को 8 प्रतिशत कर दी गयी थी तो जहां हम एक ओर शहरी क्षेत्र के अन्दर लाभ देने में बहुत ज्यादा हैं, किसी भी इसके अन्दर गिरावट करते हैं तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी की जानी चाहिए। मैं यही कहना चाहता हूं कि वर्तमान बजट में जो प्रावधान किये गये हैं यह ग्रामीण क्षेत्र के लिए, विशेष कर काश्तकार और पिछड़े तबके के लिये यह प्रावधान नाकाफी हैं इसलिए मैं इस बजट में किये गये प्रावधानों का विरोध करता हूं। आपने मुझे समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री सांगसिंह भाटी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, इनके भाषण पूरा होने तक समय बढ़ाया जाए, आप इनको थोड़ा समय देने की कोशिश करें, पांच मिनट ही बचे हैं।

श्री अध्यक्ष : यह तो मुख्य सचेतक की ओर से प्रस्ताव आना चाहिए। (व्यवधान) यह गलत बात है, सदन नियमों के मुताबिक चलेगा।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महावीर प्रसाद जैन (सरकारी मुख्य सचेतक) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि माननीय सदस्य के भाषण समाप्त होने तक समय बढ़ाया जाए।

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है कि माननीय सदस्य के भाषण की समाप्ति तक समय बढ़ा दिया जाए?

(स्वीकृत)

लेकिन समय की सीमा का ध्यान आपको भी रखना होगा, यह नहीं कि आप बोलते ही चले जाएं।

श्री सांगसिंह भाटी : बिलकुल नहीं बोलूंगा, समय का ध्यान रखूंगा।

श्री अध्यक्ष : 10 मिनट का समय है।

आय-व्ययक पर सामान्य वाद विवाद

श्री सांगसिंह भाटी (जैसलमेर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस बजट क बारे में सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय को बारम्बार धन्यवाद देता हूं। मैं निवेदन करूं कि राजस्थान के सीमान्त जिला जैसलमेर से लेकर पूरे राजस्थान के कोने-कोने से इस बजट की भूरि-भूरि प्रशंसा हुई है, सम्माननीय मुख्य मंत्रीजी की भूरि-भूरि प्रशंसा हुई है। मैं आपके माध्यम से धन्यवाद देता हूं कि हर गरीब के हित में, हर किसान के हित में यह इस ढंग का बजट पेश हुआ है। मैं क्या, यह बाहर जाते हैं तो कांग्रेस वाले यह कहते हैं कि यह तो चुनावी बजट में अपनी पार्टी ने कभी ऐसा बजट पेश नहीं किया जो आज मुख्य मंत्रीजी ने पेश किया है।

एक जो बच्चों के लिए पोषाहार है, खाने के रूप में जो सम्माननीय मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की है, उसकी की भी मैं बारम्बार भूरि-भूरि प्रशंसा करता हूं कि बच्चों को हमेशा घूघरी के नाम पर पोषाहार दिया जाता था और उसके स्थान पर आज मुख्य मंत्री महोदय ने पक्का भोजन, जो पोषाहार दिया। मैं उसकी भी प्रशंसा करता हूं (व्यवधान) दाल, बाटी, चूरमा भी दिया जायेगा, कोई दिक्कत नहीं है।

राजस्थान में पहली बार स्कूलों में हर स्कूल के अन्दर शौचालय और हर स्कूल में पानी की जो व्यवस्था की गयी है वह सराहनीय कदम है। इसके बारे में जो भी मैं सम्मानीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा।

जो स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र हैं उनको बसों में आने-जाने का किराया, परिवहन के लिए मुफ्त आने-जाने की व्यवस्था की है, इसके बारे में भी बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं और मैं प्रतिपक्ष के नेता महोदय से भी निवेदन करूंगा कि ऐसी चीजों के लिए आपको भी धन्यवाद देना चाहिए जो राजस्थान में पहली बार यह व्यवस्था हुई है।

श्री अध्यक्ष : नेता प्रतिपक्ष, सुन लिया आपने।

श्री सांगसिंह भाटी : राजस्थान में महिलाओं के लिए 1200 महिलाओं की पहली बार भर्ती के लिए जो मुख्य मंत्रीजी ने सोचा है और भर्ती के लिए कहा है वह एक उदाहरण पेश है कि 1200 महिलाओं को पुलिस में पहली बार भर्ती का यह उदाहरण है।

(श्री सांगसिंह भाटी)

बाड़मेर, जैसलमेर के लिए हैल्थ के बारे में, अध्यक्ष महोदय, मैं हकीकत कह रहा हूं, आपके माध्यम से कि जैसलमेर जिले में एक गांव से दूसरे गांव की दूरी 60 किलोमीटर, 70 किलोमीटर है और पंचायत मुख्यालयों पर भी कोई स्वास्थ्य केन्द्र नहीं था, आज की तारीख में हैल्थ मंत्रीजी ने और मुख्य मंत्रीजी ने जो पैकेज दिया है जैसलमेर और बाड़मेर के लिए, हर गांव में उप-स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की घोषणा की है। इस सम्बन्ध में भी मैं बारम्बार प्रशंसा करता हूं। (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी : हर गांव कितने हैं?

श्री अध्यक्ष : गुढामालानी से आने वाले माननीय सदस्य, बैठे-बैठे नहीं बोलें।

श्री सांगसिंह भाटी : वर्षा के पानी को संग्रहित करके काश्तकार को जो राहत पहुंचायी है उसके लिए भी मुख्य मंत्रीजी बारम्बार प्रशंसा की पात्र हैं।

राजस्थान सरकार ने पहली बार यह घोषणा की है कि आदमी तक, सरकार के बीच की दूरी कम कर राजस्थान के हर गरीब तक पहुंचाने की जो चेष्टा कर रही है इसके बारे में भी बारम्बार मैं प्रशंसा करता हूं।

इन्हीं शब्दों के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि जैसलमेर जिला एक सीमांत जिला है और जैसलमेर जिले का क्षेत्रफल बहुत ही बिखरा हुआ है, इसके लिए हमारे पी.डब्ल्यू.डी. मंत्रीजी बैठे हुए हैं, मैं राजेन्द्रजी राठौड़ साहब से निवेदन करूंगा कि आप रोड के बारे में विशेष रूप से जैसलमेर जिले के लिए ध्यान देवें।

अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि आय के स्रोत के लिए, इन्कम आफ सोर्स के लिए जैसलमेर जिले में ऐसे पौधे हैं जो पूरे राजस्थान में उनसे इन्कम कितनी ली जा सकती है, वह आप से कुछ भी नहीं मांगते हैं। जैसे कुमट से गोंद पैदा होता है, गोंद प्रति एक किलो तीन-तीन सौ, चार-चार सौ रुपये हैं। अपने गोंद से दो पैदावार होती है, हलारिये और गोंद। आज खेजड़ी है, आज सांगरी के क्या भाव हैं? एक किलो सूखी सिंगारी मोलाई जाए तो कम से कम 300 रुपये पर किलो और एक खेजड़ी पर कम से कम दस-दस, पन्द्रह-पन्द्रह किलो सांगरी उतरती है। कैरों की तरफ भी ध्यान दिया जाए, कैरिये क्या भाव हैं, मेरे कहने का मतलब यह है कि राजस्थान

(श्री सांगसिंह भाटी)

सरकार इन वृक्षों की खाली देखभाल करे और खरीदने की व्यवस्था करे तो मेरे ख्याल से जैसलमेर जिले से करोड़ों रुपये की आमदनी राजस्थान सरकार ले सकती है। इसमें कोई अन्तर नहीं है। जैसे गुग्गल है जैसलमेर जिले में, गूगल आपने आप में एक वृक्ष है और हजारों गरीब उस गूगल से अपने रोजगार का साधन जुटाते थे।

वह गूगल आज की तारीख में खतम हो चुका है लेकिन उसकी तरफ भी ध्यान दिया जाए। गूगल का धौप होता है उसको बोलते हैं गूगल। गूगल से लाखों रुपए की पैदा जैसलमेर जिले में हो सकती है।

इन्हीं शब्दों के साथ में मैं चार मिनट पहले मेरी बात को समाप्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष : वैरी गुड।

श्री सांगसिंह भाटी : मैं मेरे शब्दों में भूरि-भूरि प्रशंसा करता हूं मुख्य मंत्री महोदय की। बहुत-बहुत धन्यवाद। जयहिन्द।

श्री अध्यक्ष : सदन की बैठक शुक्रवार, दिनांक 1 अप्रैल, 2005 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 20.31 बजे दिनांक 1.4.2005 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

उप स्वास्थ्य केन्द्र जावरा, बूंदी का भवन निर्माण

145. श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि उप स्वास्थ्य केन्द्र जावरा तहसील एवं जिला बूंदी के भवन निर्माण हेतु राशि व्यय की गई है? यदि हां, तो कब तथा किस आदेश के तहत व किस विभाग के द्वारा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त उप स्वास्थ्य केन्द्र के लिये मौके पर सरकारी भवन की व्यवस्था नहीं है? यदि हां, तो भवन निर्माण कब तक करवा दिया जायेगा?

उत्तर

(1) जी हां। उप स्वास्थ्य केन्द्र जावरा, पंचायत समिति तालेड़ा, जिला बूंदी के भवन निर्माण कार्य हेतु वर्ष 1991-92 तथा वर्ष 1992-93 में राशि व्यय की गई है। उक्त निर्माण कार्य के लिये राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प.5 (11) चि./ग्रुप-5/यूएनएफपीए/89 दिनांक 7.8.1990 के द्वारा स्वीकृति जारी की गई। उक्त स्वीकृति के संदर्भ में जिला ग्रामीण विकास अभिकरण बूंदी के द्वारा भवन के निर्माण हेतु राशि व्यय की गई।

(2) जी हां। अगले वित्तीय वर्ष में निर्माण कराये जाने के प्रयास किये जायेंगे।

चक नम्बर-2 भरतपुर की पोखर भूमि पर अतिक्रमण

146. मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत कस्बा भरतपुर चक नं. 2 तहसील व जिला भरतपुर में पोखरों पर खातेदारी अधिकार दिये गये हैं? यदि हां, तो किन-किन नम्बरों पर दर्ज पोखरों पर व किस अधिकारी द्वारा?

(मोहम्मद माहिर आजाद)

(2) क्या उपरोक्त कस्बा भरतपुर चक नं. 2 स्थित खसरा नं. 1488 की कुछ भूमि बन्दोबस्त सम्वत् 1985 व उसके पश्चात भी गैर मुमकिन पोखर दर्ज थी? यदि हां, तो कितनी एवं क्या उस भूमि पर खातेदारी दे दी गई? यदि हां, तो किस नियम के अन्तर्गत?

(3) क्या सरकार उपरोक्त भूमि पर किये गये अतिक्रमण अथवा कब्जा करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी, नहीं।

(2) जी, नहीं।

(3) खण्ड 1 व 2 के अनुसार किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न एवं उनके उत्तर

पायलट प्रोजेक्ट के तहत विधान सभा क्षेत्र टिब्बी की सेम समस्या का निवारण

147. श्री धर्मेन्द कुमार मोची (टीबी) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र टिब्बी के रावतसर क्षेत्र में सेम समस्या के समाधान हेतु क्षेत्रीय विधायक द्वारा माननीय मुख्य मंत्री को पत्र प्रेषित किया गया है? यदि हां, तो उस पर अब तक सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई?

(2) क्या यह सही है कि रावतसर क्षेत्र से सेम निवारण हेतु पायलट प्रोजेक्ट के रूप में केन्द्र सरकार द्वारा राशि स्वीकृत की गई है? यदि हां, तो कब व कितनी तथा उनके तहत कौन-कौन से कार्य करवाये जा चुके हैं?

(3) क्या राज्य सरकार उक्त कार्य हेतु अपने हिस्से की राशि स्वीकृत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(4) क्या राज्य सरकार उक्त क्षेत्र में सेम नाले की डी-सिल्टिंग एवं सफाई और पम्प हाउस के रखरखाव हेतु कोई राशि स्वीकृत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और कितनी?

(5) क्या यह सही है कि इन्दिरा गांधी नहर क्षेत्र में भैरूसरी कलाला वाला ढाणी, मोधुनगर, खेदासरी, जाखड़ावाली एवं उसके आस-पास क्षेत्र में सेम का पानी भरा हुआ है? यदि हां, तो कब से?

(6) क्या सरकार उक्त क्षेत्र में सेम निवारण हेतु कोई योजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। पत्र में उल्लिखित सेम समस्या पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट-"अ" पर संलग्न है।

(2) जी हां। भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय भू-संसाधन विभाग के पत्रांक 30.3.2000 द्वारा 460.66 लाख रुपये की स्वीकृति दी है। जिसमें केन्द्र सरकार का हिस्सा 304.748 लाख रुपये था। इसके तहत रावतसर मुख्य ड्रेन 0 से 15 किमी का निर्माण, तथा इन्दिरा गांधी नहर परियोजना की बुर्जी संख्या 96.300 पर पम्प हाउस का निर्माण किया जा चुका है एवं नौ डीजल पम्प सैट 154 बी.एच.पी. के क्रय किये गये जिसमें से चार इंजनों को स्थापित कर चालू किया जा चुका है।

(3) जी हां। अंशदान स्वीकृति हेतु शीघ्र निर्णय लिया जाना प्रस्तावित है।

(4) जी हां। डिस्लिटिंग का कार्य आवश्यक वितीय संसाधन उपलब्धता अनुसार किया जाना प्रस्ताविल है।

(5) जी हां। इन्दिरा गांधी नहर क्षेत्र में भैरुसरी कलालावाला ढाणी, मोधुनगर, खेदासरी, जाखड़ावाली, एवं उसके आसपास क्षेत्र में सेम का पानी वर्ष 1985 से भरा हुआ है।

(6) जी हां। बड़ोपल-मानकथेड़ी क्षेत्र की सेम निवारण के लिए मानकथेडी के पास ड्रेन बनाकर सेम का दूषित पानी पम्पों द्वारा लिफ्ट कर घग्घर नाली प्रवाह के दौरान उसमें डालने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट बना हुआ है. जिसके अन्तर्गत घग्घर नाली में पर्याप्त पानी उपलब्ध होने पर चालू रखा जाता है। किन्तु पिछले 4 वर्षों में घग्घर नाली बेड में पर्याप्त पानी नहीं चलने के कारण सेम का पानी नहीं निकाला जा सका इसलिए अब बडोपल मानकथेडी के आसपास के क्षेत्र से सेम समस्या के निवारण के लिए क्षेत्र के पानी को पम्पों से लिफ्ट कर पाइप लाइन के माध्यम से इन्दिरा गांधी मुख्य नहर की सूरतगढ़ ब्रांच में ले जाकर डाले जाने का प्रस्ताव बनाया जा रहा है।

परिशिष्ट-'अ'

कार्यवाही विवरण

विषय :- माननीय श्री धर्मेन्द कुमार मोची, विधायक टिब्बी विधान सभा क्षेत्र (003) द्वारा रावतसर क्षेत्र में सेम निवारण परियोजना के सम्बन्ध में उठाये गये प्रश्न के सम्बन्ध में टिप्पणी

जी हां। यह सही है कि वर्ष 1990 के आसपास रावतसर क्षेत्र में सेम का भारी प्रकोप हो जाने से निचले क्षेत्रों में पानी भर गया था एवं रावतसर क्षेत्र की कृषि योग्य भूमि सेमग्रस्त हो गई थी।

सेमग्रस्त क्षेत्र का पुनः सुधार हेतु केन्द्र सरकार के ग्रामीण विकास विभाग, बंजर भूमि विकास, दिल्ली द्वारा उनके पत्र क्रमांक 5-22/99/टी.ई. दिनांक 30.3.2000 परिशिष्ट-"ब" द्वारा (प्रतिलिपि संलग्न) एक पायलट परियोजना रुपये 460.66 लाख की लागत की 5633 हैक्टेयर सेमग्रस्त कृषि भूमि को सेम मुक्त करने हेतु स्वीकृत की गई। इस परियोजना के अन्तर्गत केन्द्र सरकार का हिस्सा 304.748 लाख रुपये एवं राज्य सरकार/लाभान्वितों का अंश 155.912 लाख रुपये था। दिनांक 31.3.03 कि उक्त परियोजना पर कुल 305.46 लाख रुपये खर्च किये गये। इसमें से केन्द्र सरकार के हिस्से में से 205.39 लाख रूपये व राज्य संरकार/लाभाविन्तों के अंश के रूप में 100.07 लाख रूपये किये गये। राज्य सरकार/लाभाविन्तों की हिस्सा राशि 100.07 लाख रु. में लाभाविन्तों द्वारा 73.00 लाख रुपये श्रमदान के रूप में, कृषि उपज मण्डी समिति द्वारा 20.00 लाख रुपये एवं राज्य सरकार द्वारा 7.07 लाख रुपये पम्पों के संचालन एवं वाहन संधारण के रूप में वहन किये गये।

इसके तहत रावतसर मुख्य ड्रेन 15 किमी के निर्माण मिटटी खुदाई, पुलों का निर्माण एवं इन्दिरा गांधी नहर परियोजना की बुर्जी संख्या 96.300 पर पम्प हाऊस का निर्माण कर 154 बी.एच.पी. के पम्प सैट क्रय कर चार इंजनों को स्थापित कर चालू किया जाकर सेम के पानी को पम्प कर मुख्य नहर में प्रवाहित किया जा रहा है। दिनांक 31.3.2000 तक कुल स्वीकृत राशि 460.66 लाख के विरुद्ध 305.46 लाख रुपये व्यय कर 3000 हैक्टेयर सेमग्रस्त भूमि को सेम मुक्त किया जा चुका है। राज्य सरकार/लाभाविन्तों की शेष हिस्सा राशि प्राप्त करने एवं शेष सेमग्रस्त रकबा को सेम मुक्त करने हेतु प्रस्ताव रुपये 163.85 लाख के श्रीमान जिला कलक्टर, हनुमानगढ़ द्वारा अपने

पत्र क्रमांक 11741 दिनांक 5.3.2004 द्वारा उप सचिव (भू-संसाधन) ग्रामीण विकास विभाग, जयपुर को भिजवाए गये थे। उक्त प्रस्ताव अनुसार राज्य सरकार/लाभान्वितों द्वारा रूपये 64.612 लाख वहन किया जाना है एवं केन्द्र सरकार द्वारा परियोजना अवधि आगामी एक वर्ष तक बढ़ाया जाना आवश्यक है ताकि केन्द्र सरकार द्वारा प्राप्त राशि का उपयोग किया जा सके। प्रस्ताव की पूर्ति परिशिष्ट-"स" पर संलग्न है।

परियोजना का कार्य पूर्ण गुणवत्ता एवं तकनीकी आधार पर एवं परियोजना की समिति जिसमें लाभाविन्त भी पदाधिकारी थे की देखरेख में किया गया है, अतः कोई भी राशि अनावश्यक व्यय नहीं की गई है।

पायलट परियोजना के अन्तर्गत 18 कि.मी, मुख्य ड्रेन, 10 कि.मी. सीपेज ड्रेन एवं 8 कि.मी. लेटरल ड्रेन के प्रस्ताव के विरुद्ध 15 कि.मी. तक मुख्य ड्रेन का निर्माण कर उस पर पुल आदि के समस्त कार्य, पम्प हाउस का निर्माण कार्य एवं 151 बी.एच.पी. डीजल चालित 9 पम्प क्रय कर 4 पम्पों को स्थापित कर परियोजना क्षेत्र के 5600 हैकटेयर कृषि योग्य सेमग्रस्त रकबे में से 3600 हैक्टेयर भूमि को सेम मुक्त कर पिछले तीन वर्षों से फसलें ली जा रही हैं एवं शेष 1800 हैक्टेयर सेमग्रस्त रकबे में भी भूमिगत जलस्तर लगभग डेढ़ मीटर नीचे चला गया है।

उक्त प्रस्ताव अनुसार राज्य सरकार की हिस्सा राशि एवं परियोजना अवधि को आगे बढ़ाने की स्वीकृति प्राप्त होने पर परियोजना के शेष कार्य को पूरा कर क्षेत्र को सेम मुक्त करना सम्भव हो सकेगा।

परिशिष्ट-'ब'

No. 5-22/99-TE
Government of India
Ministry of Rural Development
Department of Land Resources
NBO Bldg. G-Wing. Nirman Bhawan,
New Delhi – 110011

To

The Pay & Accounts Officer, **Dated : 30.3.2000**
Ministry of Rural Development
Krishi Bhawan, New Delhi -110110.

Subject :- Grant of financial assistance to District Rural Development Agency (DRDA), Hanumangarh for implementation of a Pilot Project of Reclamation of Wastelands of waterlogged area in Rawatsar Hanumangarh District of Rajasthan under Technology Development Extension & Training Scheme of Deptt. of Land Resources (DOLR) regarding.

Sir,

1. I am directed to convey the approval and sanction of the President of India for the implementation of above cited project at a total outlay of Rs. 460.66 lakhs (Rs. Four Crores and Sixty Lakhs and Sixty Six Thousand only) with DOLR share of Rs. 304.748 lakhs (Rupees Three Crores Four Lakhs Seventy Four Thousand and Eight Hundred only) for development of 5633 ha. area of water logged Wastelands in Rawatsar, Hanumangarh, District of Rajasthan over a period of three years by DRDA, Hanumangarh, Rajasthan as per details given at Annexure-1 and subject to terms and conditions.

2. The Sanction of the President of India is also expected for the release of fund amount of Rs. 21.11 Lakhs (Rupees Twenty one lakhs and Eleven Thousand only) for implementation of the project during the financial year 1999-2000. However amount of first installment of Rs. 95.132 lakhs (Rupees Ninety Five Lakhs Thrirteen Thousand two Hundred only) will be released during next financial years.

3. The expenditure will be debitable to :-

Demeand No.	:	72
Major Head	:	2501
Sub Major Head	:	05.101 – National Wastelands Devt. Programme 03- Technology Development Extens on & Trg. 03.00.31 – Grant in aid (1999-2000 Plan)

4. The amount will be transferred to Chairman, DRDA, Hanunmangarh, Rajasthan (Transfer code no. 15 DRDA, Hanumangarh, Rajasthan.

5. This Sanction issues under the powers delegated to the Department of Lakhs Resources. Ministry of Rural Development with the concurrence of IFD vide U.O No. 406/ASF 2000 dated 23.3.2000

Yours faithfully,

Sd/-

(G.B. UPADHYAY)

Under Secy. to the Govt of india.

Year-wise Financial out lay (Rs. Lakhs)

Activity	1999-2000	2001-2002	2001-2002	Total
I- Land	1.00	-	-	1.00
II– Works (a) Civil Works including Machinery, Pumpset, bridges etc.	60.00	26.70	-	86.70
(b) Earth Work	50.00	140.00	34.63	224.63
(c) Maintenance of Pumpsets	12.62	12.62	12.62	37.86
(d) Reclamation of saline and alkaline land (Beneficiaries share)	-	-	34.20	34.20
(e) 310-drainage@3100/- Km. For 174 Km.	-	3.00	2.39	5.39
Total Works	123.62	182.32	83.84	389.78
DOLR Share	74.172	109.92	50.304	233.868
State Govt./Baneficiaries Share.	49.448	72.928	33.536	155.912
III- OVER HEADS				
(a) Setting up of Hydrological Station	3.0	4.0	1.0	8.00
(b) Setting up of monitoring cell for irrigation and salinity research	3.0	3.0	2.0	8.00
(c) Training of farmers and officials	-	1.5	1.5	3.00
(d) Visit of Officials to other projects Institutes in India and Abroad.	-	7.00	3.0	10.00
(e) Establishment and supervision charge	13.96	13.96	13.96	41.88
Total Over Head (DOLR Share)	20.96	28.46	21.46	70.88
Grand Total	144.58	210.78	106.30	460.66
DOLR Share	95.132	137.862	71.764	304.748
State Govt./Beneficiaries Share	49.448	72.928	33.536	155.912

Sd/-
(B.S. NEGI)
Assistant Commissioner (TE)

परिशिष्ट 'स'

कार्यालय जिला परिषद, (ग्रा.वि.प्र.) हनुमानगढ़

क्रमांक :- 11741 दिनांक:- 5-3-2004

उप सचिव (भू-संसाधन)
ग्रामीण विकास विभाग,
जयपुर।

विषय:- रावतसर सेम निवारण पायलट परियोजना की समयावधि बढ़ाने हेतु संशोधित प्रस्ताव।

सन्दर्भ:- इस कार्यालय का पत्र क्रमांक आईडब्ल्यूडीपी/2003-04 दिनांक 23-7-2003

महोदय,

उपरोक्त, विषयान्तर्गत निवेदन है कि रावतसर क्षेत्र में सेम निवारण हेतु पायलट परियोजना ग्रामीण विकास मंत्रालय भू-संसाधन भारत सरकार के पत्रांक 5-22/99 टीई दिनांक 30 मार्च, 2000 द्वारा 460.66 लाख रुपये की स्वीकृत की गई थी। जिसमें भू-संसाधन विभाग भारत सरकार का हिस्सा 304.748 लाख व राज्य सरकार/लाभार्थियों का हिस्सा 155.912 लाख था। परियोजना को पूर्ण करने की अवधि मार्च, 2002 तक (2 वर्ष) निर्धारित की गई थी। सहायक आयुक्त (टीई) ग्रामीण विकास मंत्रालय भू-संसाधन विभाग, भारत सरकार के पत्र क्रमाक 5-22/99 टीई दिनांक 13-3-2002 द्वारा परियोजना की अवधि एक वर्ष के लिये मार्च. 2003 तक बढ़ा दी गई थी। परियोजनान्तर्गत 5633 हैक्टेयर सेमग्रस्त क्षेत्र में सेम निवारण का लक्ष्य रखा गया था।

परियोजनान्तर्गत 18 किमी मेन ड्रेन 10 किमी सीपेज ड्रेन (इन्दिरा गांधी नहर के समानान्तर) 8 किमी. लेटरल ड्रेन बनाकर 5633 है सेमग्रस्त क्षेत्र में सेम निवारण किया जाना था। 31 मार्च, 2003 तक 15 किमी. मेन ड्रेन तथा सम्बन्धित पुल व पाइप कल्वर्ट इत्यादि निर्माण कर 3600 हैं सेमग्रस्त क्षेत्र में भूमि सुधार किया जा चुका है।

मेन ड्रेन निर्माण हेतु सेमग्रस्त क्षेत्र के काश्तकारों द्वारा भूमि समय पर उपलब्ध न कराये जाने तथा इस क्षेत्र के अकालग्रस्त होने के कारण लाभार्थियों द्वारा हिस्सा राशि का योगदान न करने के कारण यह परियोजना 31-3-2003 तक पूर्ण नहीं हो पाई। शेष सेमग्रस्त क्षेत्र में भूमि सुधार करने एवं परियोजना की अवधि 31-3-2004 तक बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में दिनांक 8 जुलाई, 2003 को श्री बी.एस. नेगी, सहायक कमीशनर (टीई) ग्रामीण विकास मंत्रालय नई दिल्ली से बैठक कर विस्तृत चर्चा पश्चात इस कार्यालय के पत्र क्रमांक आईडब्ल्यूडीपी दिनांक 23-7-2003 द्वारा परियोजनान्तर्गत संशोधित कार्य योजना मय परियोजना अवधि 31-3-2004 तक बढ़ाये जाने की अनुशंसा उप सचिव (भू-संसाधन) ग्रामीण विकास विभाग, जयपुर को प्रेषित की गई। परियोजना अवधि बढाये जाने की स्वीकृति आदिनांक प्राप्त नहीं होने के कारण पुनः प्रस्ताव भिजवाया जा रहा है।

क्षेत्र का समय-समय पर केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार व जिला स्तर के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया जाता रहा है।

सेमी से मुक्त इस क्षेत्र के काश्तकारों द्वारा वर्तमान में खेती की जा रही है, परन्तु भूमि सुधार किये जा चुके इस क्षेत्र के साथ सेमग्रस्त क्षेत्र के जुडा होने के कारण इस क्षेत्र में पुनः सेम का आक्रमण होने लगा है। यदि इस क्षेत्र से जुडा समस्त क्षेत्र सेम से मुक्त नहीं किया जाता है तो भूमि सुधार किये जा चुके क्षेत्र के पुनः सेमग्रस्त होने की सम्भावना है। शेष सेमग्रस्त क्षेत्र में पानी खडा रहने के कारण, यह कृषि योग्य नहीं है। लम्बे समय से कृषि उत्पादन न होने से इस सेमग्रस्त क्षेत्र में सम्बन्धित काश्तकार पलायन करने को मजबूर हो गये है।

शेष सेमग्रस्त क्षेत्र में भूमि सुधार के लिए संलग्न परिशिष्ट एक व दो के अनुसार 163.85 लाख रुपये की कार्य योजना तैयार की गई है। यदि उक्त परियोजना की अवधि 31 मार्च, 2005 तक बढ़ाई जाती है तो इस कार्य योजना के अनुरूप कार्य करवाकर शेष 2034 हैक्टेयर सेमग्रस्त क्षेत्र में भूमि सुधार करवाया जा सकता है।

उक्त परियोजना में 31 मार्च, 2003 तक स्वीकृत केन्द्रीय अंश 304.742 के विरुद्ध 232.984 लाख रुपये प्राप्त हुए है एवं स्वीकृत राज्य

सरकार/लाभार्थी अंशदान रुपये 155.912 लाख के विरुद्ध 100.07 लाख रुपये प्राप्त हुए हैं। जिसमें से केन्द्रिय आंश 205.39 लाख तथा राज्य सरकार अंश 100.07 लाख कुल 305.46 लाख का व्यय किया जा चुका है। वितीय स्थिति का विस्तृत ब्यौरा परिशिष्ट 3 पृष्ठ एक व दो पर संलग्न किया गया है। केन्द्रिय अंश की शेष राशि रुपये 27.594 लाख कार्यकारी एजेन्सी के पास अवशेष है तथा वर्क्स शीर्षक के अन्तर्गत व्यय राशि 273.63 लाख का 60 प्रतिशत हिस्सा 164.178 लाख के स्थान पर केन्द्रिय अंश से व्यय की गई राशि 173.60 लाख में अतिरिक्त व्यय 9.422 लाख राशि राज्य सरकार से प्राप्त की जानी शेष है। यदि परियोजना की अवधि 31-3-2005 तक बढ़ाई जाती है तो यह अवशेष राशि 27.594 लाख इन्दिरा गांधी मुख्य नहर के समानान्तर सीपेज ड्रेन की आंशिक खुदाई करने में व्यय की जा सकती है। परियोजना की वर्ष 2004-05 के लिए संशोधित कार्य योजना परिशिष्ट 4 पर संलग्न है, जिसके अनुसार परियोजना को पूर्ण करने हेतु केन्द्र अंश की 71.684 लाख तथा राज्य अंश की 64.612 लाख राशि वांछित हैं। परियोजना में लाभार्थियों द्वारा अब तक 73.00 लाख रुपये जन सहयोग से तथा राज्य सरकार के अंश से 27.03 लाख रुपये व्यय किये जा चुके हैं। लाभार्थियों द्वारा लगातार अकाल की स्थिति रहने के कारण जन सहयोग की और व्यवस्था किया जाना संभव नहीं है। अतः यह समस्त राशि 64.612 लाख रुपये राज्य सरकार द्वारा दिया जाना प्रस्तावित किया गया हैं। इस प्रकार संशोधित कार्य योजना के अनुसार परियोजना की कुल लागत 469.31 लाख होगी, जिसमें केन्द्रिय अंश 304.71 लाख जो कि मूल स्वीकृतिनुसार ही है तथा राज्य अंश 164.60 लाख रुपये रखा गया है।

अतः परियोजना की अवधि 31-3-2005 तक बढ़ाते हुए राशि 305.46 +163.85 योग 469.31 लाख की संशोधित जारी करने की कृपा करें।

जिला कलक्टर

हनुमानगढ़

ABSTRACT OF WORK PLAN 2004-05

NAME OF WORK:-RECLAMATION OF WASTE LAND OF WATER LOGGED AREA IN RAWATSAR, DISTRICT HANUMANGARH (RAJASTHAN)

S No.	Item	Sanctioned Amount			Expenditure upto 31.3.2003			Amount received upto 31.3.2003			Balance as on 31.3.2003			Amount proposed in 2004-2005			Revised Total amount to be sanctioned			Amount to be Received		
		DOLR Scheme	State Benefi-ciary Share	Total	DOLR Scheme	State Benefi-ciary Share	Total	DOLR Scheme	State Benefi-ciary Share	Total	DOLR Scheme	State Benefi-ciary Share	Total	DOLR Scheme	State Benefi-ciary Share	Total	DOLR Scheme	State Benefi-ciary Share	Total	DOLR Scheme	State Benefi-ciary Share	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.	Works	233.868	155.192	389.78	173.60	27.03 +73.00	273.63	232.984	27.03+ 73.00 =100.03	333.014	27.594	(-)0.04	27.554	82.72	55.15	137.87	246.90	164.60	411.50	71.684	64.612	136.296
2.	Over Heads	70.88	--	70.88	31.79	0.04	31.83	--	--	--	--	--	--	25.98	--	25.98	57.81	--	57.81	--	--	--
Total		304.748	155.912	460.66	205.39	100.07	305.46	232.984	100.03	333.014	27.594	(-)0.04	27.554	108.70	55.15	163.85	304.71	164.60	469.31	71.684	64.612	136.296

Sd/-
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद हनुमानगढ

Abstract of Cost

Name of Work :- Estimate for Silt & Weed clearance of main drain (Rawatstar water logged area) Km. 0.00 to Km. 15.00

S.No.	Particulars of items	Quantity	Unit	Rate (in Rs.)	Amount (in Rs.)
1.	Uprooting sarkanda or arrows up to 0.5 Mt. depth below ground level.	165750 Sqm.	100 Sqm.	150	248625
2.	E/W for send and sit clearance of Channels & berms unloading, basket work, undressed with combined lead up to 50 Mts. (five leads extra). (i) E/W of seepage earth	34275 Cum	10 cum	79	270772
	(ii) Extra for wet earth work from bottom of excavation up to level of sub soil water.	34275 Cum	10 cum	28	95970
	Total				**615367**
3.	Add 100% for tender premium as per prevailing market rate.				615367
	Total				**1230734**
4.	Add @3% for W/C estt. & Unseen contingencies				36922
	Grand Total				**1267656**
	Say Rs.				**1267700**

Assistant Engineer
Sub Division

निम्बाहेड़ा में सड़क निर्माण

148. श्री अशोक कुमार नवलखा (निम्बाहेड़ा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र निम्बाहेडा में वर्ष 2003-04 तथा वर्ष 2004-05 में अब तक सरकार द्वारा कौन-कौनसी सड़कें स्वीकृत की गई? स्वीकृत सड़कों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार की विधान सभा क्षेत्र निम्बाहेड़ा में इस वर्ष कौन-कौनसी नई सड़कें, मिसिंग लिंक सड़कें निर्माण तथा कौन-कौनसी क्षतिग्रस्त सड़कों के पुनर्निर्माण की योजना है?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र निम्बाहेड़ा में वर्ष 2003-04 में कुल 12 व 2004-2005 में 7 सड़क कार्यों की स्वीकृति प्राप्त हुई। स्वीकृत सड़कों की सूची परिशिष्ट "अ" तथा "ब" में संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र निम्बाहेड़ा में इस वर्ष 2004-05 में नई सड़कें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना तथा मिसिंग लिंक के अन्तर्गत कोई स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है तथा क्षतिग्रस्त सड़कों के पुनः निर्माण के अन्तर्गत दो सड़क कार्य की स्वीकृति प्राप्त हुई है तथा आर.आई.डी.एफ. के आर.यू.एम.पी. प्रथम चरण के अन्तर्गत कुल 7 सड़क कार्यों की स्वीकृति प्राप्त हुई है। जिसका विस्तृत विवरण परिशिष्ट "स" में संलग्न है।

परिशिष्ट -'अ'

विधान सभा क्षेत्र निम्बाहेड़ा के वर्ष 2003-04 के स्वीकृत कार्य

क्र. सं.	नाम सड़क	स्वीकृत राशि (लाखों में)	लम्बाई (कि.मी. में)	विशेष विवरण
5054 सड़क एवं पुल 04-मिसिंग लिंक				
1	मांगरोल से अरनौदा कि.मी 1 से 2 जोब नं. 149/5054/ आरआईडीएफ अष्टम एमएल प्लान/03-04	7.35	1.00	कार्य पूर्ण
2	मांगरोल से अरनिया जोशी बडोलीघाटा से अरनोदा सड़क कि.मी. 0/0 से 4/0 जोब नं. 150/5054/आरआईडीएफ/ अष्टम एमएल प्लान/03-04	41.68	4.00	कार्य पूर्ण
3	लसड़ावन से बड़ोलीमोधोसिंह रोड़ किमी. 0/0 से 4/0	38.68	4.00	कार्य पूर्ण
4	छोटी सादड़ी बरवाड़ा वाया अचलपुरा सड़क 0/0 से 6/0	55.02	6.00	कार्य पूर्ण
	योग :-	142.73	15.00	
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना				
5	बाडी से गुडाखेडा जोब नं. आर.जे. 10-21-01	80.75	6.00	कार्य पूर्ण
6	सम्पर्क सड़क साकरिया जोब नं. आर.जे. 10-21-03	26.64	1.00	कार्य पूर्ण
7	निर्माण कार्य कोटड़ी कलां से सरलाई जोब नं. आर.जे.डब्ल्यू.बी. 10-04-01	61.34	4.15	निविदा दिनांक 19.3.05 को प्राप्त की जा चुकी है। मूल्यांकन प्रगति पर है।

8	निर्माण कार्य सेमलिया से चांदखेड़ा जोब नं आर.जे.डब्ल्यू.बी. 10-04-02	22.39	1.25	निविदा दिनांक 19.3.05 को प्राप्त की जा चुकी है। मूल्यांकन प्रगति पर है।
9	सम्पर्क सड़क खेड़ा आर्य नगर जोब नं. आर.जे.डब्ल्यू.बी. 10-02-01	65.93	2.50	कार्यादेश दिनांक 19.3.05 को जारी
10	सम्पर्क सड़क सूबी से खेरमालिया जोब नं. आर.जे.डब्ल्यू.बी. 10-03-02	65.03	3.00	कार्य प्रगति पर
11	सम्पर्क सड़क बरखेड़ा आर.जे.डब्ल्यू.बी. जोब नं. 10-03-01	34.75	1.50	कार्य प्रगति पर
12	सम्पर्क सड़क नावनखेड़ी जोब नं. आर.जे.डब्ल्यू.बी. 10-03-03	31.50	2.00	कार्य प्रगति पर
	योग :-	388.83	21.40	
	कुल योग:-	531.06	36.40	

परिशिष्ट 'ब'

विधान सभा क्षेत्र निम्बाहेड़ा के व [illegible]2004-05 के स्वीकृत कार्य

क्र. सं.	नाम सड़क	स्वीकृत राशि (लाखों में)	लम्बाई (कि.मी. में)	विशेष विवरण
	5054 सड़क एवं सेतु आर.एम.यू.पी.फेज-I			
1	चरलिया से करेडिया सड़क जोब नं. 431/5054	6.00	2.00	कार्य प्रगति पर

2	माला से सालरमाला किमी. 0/0 से 7/0 जोब नं. 436/5054	22.00	7.00	कार्य प्रगति पर
3	सम्पर्क सड़क अरनिया माली किमी 1/0 से 2/400 जोब नं. 437/5054	7.20	2.40	कार्य प्रगति पर
4	धीनवा से कचरिया खेड़ी माइन्स रोड़ 0/0 से 3/0 जोब नं. 438	12.00	3.00	कार्य प्रगति पर
5	छोटी सादड़ी से गणेशपुरा सड़क किमी. 1 एवं 7	6.00	2.00	कार्य प्रगति पर
6	सम्पर्क सड़क चांदोली किमी. 1	3.00	1.00	कार्य प्रगति पर
7	सम्पर्क सड़क बसेरा किमी. 1 से 3	9.00	3.00	कार्य प्रगति पर
	योग :-	65.20	20.40	

परिशिष्ट 'स'

विधानसभा क्षेत्र निम्बाहेड़ा के वर्ष 2004-05 नई सड़कें, मिसिंग लिंक, क्षतिग्रस्त सड़क पुनः निर्माण सूची

क्र. सं.	कार्य का नाम	वर्ष 2004-05 स्वीकृत राशि (लाखों में)	लम्बाई (किमी. में)	विशेष विवरण
	क्षतिगस्त सड़कों के अन्तर्गत सड़क मरम्मत कार्य (बाढ़ क्षतिग्रस्त सड़कें)			
1	निम्बाहेड़ा केलीकनेरा सड़क किमी. 8	1.50	1.00	कार्य प्रगति पर है
2	सम्पर्क सड़क मरजीवी किमी. 3, 4	1.00	2.00	कार्य प्रगति पर है
	योग :-	2.50	3.00	
	आर.आई.डी.एफ. X के आर.यू.एम.पी. (प्रथम चरण) के तहत स्वीकृत कार्य			

1	माला से सालर माला किमी. 0/0 से 7/0	22.00	7.00	कार्य आदेश जारी कर दिया
2	सम्पर्क सड़क अरनिया माली किमी. 1/0 से 3/0	7.20	2.40	कार्य आदेश जारी कर दिया
3	धीनवा से कचरिया खेड़ी (माइन्स रोड) किमी. 0/0 से 3/0	12.00	3.00	कार्य आदेश जारी कर दिया
4	छोटी सादड़ी से गणेशपुरा सड़क किमी. 1 व 7	6.00	2.00	कार्य प्रगति पर है
5	सम्पर्क सड़क चांदोली किमी.1	3.00	1.00	कार्य प्रगति पर है
6	सम्पर्क सड़क बसेरा किमी. 1	9.00	3.00	कार्य प्रगति पर है
7	चरलिया से करेडिया सड़क	6.00	2.00	कार्य प्रगति पर है
	कुल योग :-	65.20	20.40	
	महा योग :-	67.70	23.40	
	डब्ल्यू. बी.एम. से बी.टी.	शून्य कार्य		

राज्य बीज निगम द्वारा बीज आपूर्ति

149. श्री राव राजेन्द्र सिंह (बैराठ) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य बीज निगम राज्य के किसानों को उनकी आवश्यकता के अनुरूप बीज उपलब्ध नहीं करा पा रहा है? यदि हां, तो राज्य बीज निगम द्वारा किन-किन बीजों को किस-किस मात्रा में तैयार किया जा रहा है और राज्य के किसानों की आवश्यकता क्या है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) राज्य बीज निगम द्वारा किसानों की आवश्यकताओं के अनुरूप बीज मुहैया नहीं कराने के क्या कारण रहे और सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में अब तक क्या-क्या कदम उठाये गये?

उत्तर

(1) राजस्थान राज्य बीज निगम के द्वारा राज्य में खरीफ की फसलों के लिए बीजों की कुल मांग का लगभग 30 प्रतिशत एवं रबी की फसलों के लिए बीजों की कुल मांग का लगभग 40 प्रतिशत बीज उपलब्ध कराया जाता है। शेष मांग की आपूर्ति राष्ट्रीय बीज निगम, एस.एफ.सी.आई. कृभकों एवं निजी क्षेत्र की कम्पनियों द्वारा की जाती है। गत 2 वर्षों की राज्य में बीजों की मांग, निगम द्वारा बीजों की उपलबधता एवं वितरण का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) राज्य बीज निगम द्वारा किसानों की आवश्यकता के अनुरूप शत-प्रतिशत बीज उपलब्ध कराना सम्भव नहीं है।

निगम के द्वारा बीजों की कुल मांग में अपनी हिस्सेदारी उत्तरोत्तर बढ़ाने के लिये अधिक मात्रा में प्रमाणित बीजों का उत्पादन, वर्तमान भण्डारण एवं विधायन क्षमता से वृद्धि, नई उन्नत किस्मों के विकास हेतु अनुसंधान कार्य करवाया जाना एवं सब्जी बीज, मसाला बीज एवं औषधि पौधों के उत्पादन कार्यक्रम एवं वितरण का भी कार्यक्रम लिया जाना प्रस्तावित है।

परिशिष्ट- 'अ'

विगत दो वर्षों से राज्य की अनुमानित मांग व निगम द्वारा उपलब्धता एवं वितरण का फसलवार विवरण निम्नानुसार है :-

(सूचना एवं दिनांक 31.1.2005 तक के आधार पर) (मात्रा क्विंटल में)

फसल खरीफ	वर्ष 2003-2004			वर्ष 2004-2005		
	राज्य की अनुमानित मांग	निगम द्वारा उपलब्धता	निगम द्वारा वितरण	राज्य की अनुमानित मांग	निगम द्वारा उपलब्धता	निगम द्वारा वितरण
कपास	50000	6542	5394	49000	7735	6416
बाजरा	66000	7555	7256	62000	7977	7632
मूंग	10000	2029	1394	9500	4164	1802
मोठ	2500	504	499	3700	1557	1203

सोयाबीन	20000	7686	7656	25000	19344	19344
उड़द	2300	2061	801	3500	1435	825
अहरहर	800	17	0	1600	107	107
चौला	600	29	29	6000	90	90
तिल	1300	8	8	800	107	95
मूंगफली	3100	1295	1226	3500	2510	1769
ग्वार	8000	1132	990	7500	2819	2202
ज्वार	21700	7353	7043	23000	6961	5833
मक्का	2000	323	323	3500	187	187
धान	1700	199	118	1000	335	259
अरण्डी	1800	1	1	1700	100	82
अन्य	0	5918	5913	0	7387	7199
कुल	**191800**	**42652**	**38651**	**201300**	**62815**	**55045**
फसल रबी						
गेहूं	280000	96414	85690	300000	141171	129687
जौ	22000	7885	6817	26335	6798	6656
चना	25000	14467	10689	40000	12866	9601
सरसों	33000	10775	10670	61000	19394	19350
अन्य	0	946	789	-	1713	1448
कुल	**360000**	**130487**	**114655**	**427335**	**181942**	**166742**
कुल योग खरीफ+रबी	**551800**	**173139**	**153306**	**628635**	**244757**	**221787**

शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र

150. श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सरकार को वर्ष 2004 में कितनी संस्थाओं से शिक्षक प्रशिक्षण (बी.एड.) महाविद्यालय खोलने के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु आवेदन पत्र प्राप्त हुए और इनमें से कितनी संस्थाओं को अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किये गये हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि इन संस्थाओं को अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने से पूर्व इनका निरीक्षण कराया गया? यदि हां, तो कौन-कौनसी संस्थाओं को किस कारण से अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी नहीं किये गये? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त संस्थाओं को अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने से पूर्व राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मानदण्डों का ध्यान रखा है? यदि हां, तो कैसे और यदि नहीं तो इसके लिए कौन अधिकारी/कर्मचारी जिम्मेदार हैं?

(4) क्या यह सही है कि शिक्षण प्रशिक्षण की गुणवत्ता हेतु उक्त संस्थाओं को अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने से पूर्व इनका क्षमता व शैक्षणिक स्तर का आंकलन नहीं किया गया? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) वर्ष 2004 में शैक्षिक सत्र 2005-06 के लिए शिक्षक प्रशिक्षण (बी.एड.) महाविद्यालय खोलने हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु 514 आवेदन पत्र प्राप्त हुए। इनमें से 383 बी.एड. संस्थाओं को अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किये गये है।

उक्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त संस्थाओं की सूची का परिशिष्ट 'क' विवरण सदन के पटल पर रख दी है।

(2) जी हां। उक्त संस्थाओं का निरीक्षण करवाये जाने के उपरान्त ही अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया है। जिन संस्थाओं को अनापत्ति प्रमाण

(शिक्षा मंत्री)

पत्र जारी नहीं किया गया है वे संस्थायें निर्धारित मानदण्डों की पूर्ति नहीं करती हैं। अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी नहीं किये जाने वाली संस्थाओं की सूची का परिशिष्ट 'ख' विवरण सदन के पटल पर रख दी है।

(3) जी हां। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मानदण्डों का ध्यान रखते हुए जांच अधिकारियों को जांच कराने हेतु आदेश जारी करे उचित निर्देश प्रदान किये गये थे।

(4) जी नहीं। शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाओं की क्षमताओं एवं शैक्षणिक स्तर का पूर्णतया आकलन विभाग के अधिकारियों से करवाये जाने के पश्चात ही अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किये गये हैं।

(सूची आदि विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)

दवा निर्माता कम्पनियों पर नियन्त्रण

151. श्री सुरेश मीणा एवं श्री रामनारायण मीणा (करौली एवं नैनवां) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में औषधि निर्माण करने वाली कितनी कम्पनियां कार्यरत हैं तथा ये इकाइयां कहां-कहां स्थापित हैं? नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) इन कम्पनियों को लाइसेंस जारी करने की सरकार की क्या नीति है ?

(3) दवा निर्माता कम्पनियों द्वारा दवाइयों की कीमत निर्धारण में सरकारी नियंत्रण की क्या व्यवस्था है? विभिन्न दवा कम्पनियों द्वारा बनायी जा रही दवाइयों की कुल निर्माण लागत एवं अन्य खर्चों तथा वसूल की जा रही दवाइयों की राशि का अनुपातिक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) गत पांच वर्षों में नियमों का उल्लंघन करने वाली कितनी दवा निर्माता कम्पनियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही कब-कब की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में औषधि निर्माण करने वाली कुल 193 कम्पनियां कार्यरत है सूची नाम सहित परिशिष्ट 'अ' पर उपलब्ध है।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

(2) औ .धि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 एवं नियमावली 1945 के प्रावधानों के तहत वर्णित प्रावधानों की पूर्ति सुनिश्चित करने के उपरान्त अनुज्ञापन अधिकारी के द्वारा लाइसेन्स जारी किये जाते हैं

(3) दवा निर्माता कम्पनियों द्वारा निर्मित दवाइयों की कीमत का निर्धारण मूल्य नियंत्रण आदेश 1995 के तहत केन्द्र सरकार द्वारा गठित नेशनल फार्मास्यूटिकल्स प्राईजिंग आथोरिटी द्वारा किया जाता है। इस आदेश के पैरा 7 में औ .धियों के मूल्य निर्धारण हेतु फार्मूला दिया गया है। जिसकी प्रति परिशिष्ट 'ब' पर उपलब्ध है।

(4) गत पांच वर्षों में दवा निर्माताओं के विरूद्ध औ .धि एवं प्रसाधन सामग्री नियमावली 1945 के नियमों का उल्लंघन करने वाली निर्माता कम्पनियों पर की गई कार्यवाही का विवरण वर्षवार परिशिष्ट 'स' पर उपलब्ध है।

(सूची/विवरण आदि विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)

उपनिवेशन अधिनियम के तहत खातेदारी से वंचित कृषक

152. श्री बहादुर सिंह गोदारा (नोहर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य में कोलोनाइजेशन एक्ट की धारा 13 एएए के तहत एक ही श्रेणी के काश्तकारों में से आधे किसानों को खातेदारी मिल गई तथा आधे किसान को खातेदारी से वंचित रह गये? यदि हां, तो क्या सरकार वंचित रहे किसानों को खातेदारी देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकार सम्वत् 2012 के काश्तकारों को जो खातेदारी से वंचित रह गये हैं, को खातेदारी हक देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम, 1954 में धारा 13-एएए विद्यमान ही नहीं है।

(2) जी हां। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 15-एएए (2-ए) के प्रावधानों के समक्ष मामला प्रस्तुत कर खातेदारी अधिकार प्राप्त किये जा सकते हैं।

हिण्डौली की सिंचाई रहित सिंचित क्षेत्र घोषित भूमि

153. श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र हिण्डौली के अन्तर्गत आने वाली मध्यम/लघु सिंचाई परियोजनाओं के अन्तर्गत आने वाले सिंचित क्षेत्र की कितनी भूमि पर योजनाओं के निर्माण से अब तक पानी नहीं पहुंचाया जा सका है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त वर्णित भूमि को सिंचित क्षेत्र से असिंचित क्षेत्र में बदलने की योजना सरकार के विचाराधीन है? यदि नहीं, तो कब तक इस प्रकार की कृषि भूमि को सिंचित से असिंचित क्षेत्र में बदल दिया जावेगा?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र हिण्डौली से सिंचाई खण्ड बूंदी के अन्तर्गत लघु एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के अन्तर्गत प्रस्तावित सिंचित क्षेत्र की भूमि विगत वर्षों में सिंचित क्षेत्र की सूची एवं सिंचाई से शेष भूमि संलग्न प्रपत्र-'अ' पर दर्शाई गई है।

(2) जी नहीं। नहरों के सुदृणीकरण का कार्य पूर्ण होने पर जल की उपलब्धता के अनुरूप वंचित क्षेत्र को सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध करा दिया जायेगा।

प्रपत्र-'अ'

विभिन्न परियोजनाओं के अन्तर्गत प्रस्तावित सिंचित क्षेत्र व सिंचाई से वंचित क्षेत्र की सूचना

क्र. सं.	परियोजना का नाम	विधान सभा क्षेत्र	प्रस्तावित सिंचित क्षेत्र (हैक्टेयर) सी.सी.ए.	वित्त वर्ष में सिंचित क्षेत्र (हैक्टेयर)	सिंचाई से वंचित क्षेत्र (हैक्टेयर)
1	गुढा बांध	हिण्डौली	10704.00	8856	1848
2	बूंदी का गोठड़ा	हिण्डौली	2429.00	2621	0
3	भीमलत/अभयपुरा	हिण्डौली	1983.00	2550	0
4	पेच की बावड़ी	हिण्डौली	570.00	508	62
5	रोणीजा	हिण्डौली	688.00	564	124
6	[illegible] का खाल	हिण्डौली	330.00	263	66
7	मरडिया	हिण्डौली	421.00	246	175
8	मेण्डी	हिण्डौली	347.00	204	142
9	[illegible] रायपुरा	हिण्डौली	307.00	152	155
	योग:-		17779.00	15964.00	2572.00

बांदीकुई की क्षति ग्रस्त सड़कों का डामरीकरण

154. [illegible] मुरारी लाल [illegible] (बांदीकुई) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई के डामरीकृत सड़कों की कितनी लम्बाई है ?

(2) सड़कों के नवीनीकरण के लिए सरकार के मानदण्ड क्या हैं? प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) डामरीकृत सड़कों में से किन-किन सड़कों का नवीनीकरण कब-कब हुआ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री मुरारी लाल मीणा)

(4) सरकार शेष बची हुई सड़कों का नवीनीकरण कब तक करने का विचार रखती है?

(5) सरकार द्वारा ग्राम मोराई से ग्राम प्रतापपुर सड़क कि.मी. 3/0 से 4/500 का नवीनीकरण कब तक करवा दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में डामरीकरण (डामरीकृत) सड़कों की कुल लम्बाई 343.80 किलोमीटर है। विवरण परिशिष्ट 'अ' व 'ब' पर अंकित है।

(2) डामरीकृत सड़कों का नवीनीकरण विभाग की सड़क नीति के अनुसार निम्न प्रकार से है :-

1. शहरी सड़कें 4 से 5 वर्ष
2. राज्य राज मार्ग 6 से 8 वर्ष
3. मुख्य जिला सड़क 8 से 10 वर्ष
4. अन्य जिला सड़क व ग्रामीण सड़क 12 वर्ष

प्रति परिशिष्ट 'स' पर संलग्न है

(3) डामरीकृत सड़कों पर हुए नवीनीकरण का विवरण संलग्न परिशिष्ट 'अ' तथा 'ब' पर अंकित है।

(4) पानी की निकासी की व्यवस्था न होने पर सड़क के क्षतिग्रस्त हिस्सों को छोड़कर बांदीकुई विधान सभा क्षेत्र में उत्तर के भाग संख्या 2 में वर्णित अवधि के अनुसार सभी सड़कों का नवीनीकरण करा दिया गया है।

(5) ग्राम मोराड़ी से ग्राम प्रातपगढ़ सड़क, आस-पास की भूमि से नीचे होने के कारण पानी का निकास न होने से क्षतिग्रस्त होती रहती है। इस सड़क को ऊंचा उठा कर नये सिरे से निर्माण करना होगा। इसके निर्माण का कार्य राज्य के उपलब्धता वित्तीय संसाधनों व प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगा।

परिशिष्ट 'अ'

स र्वजनिक निर्माण विभाग के क्षेत्राधिकार में आने वाली बांदीकुई विधान सभा क्षेत्र की सड़कों का डामरीकरण (डामरीकृत) का विवरण

क्र.सं.	सड़क का नाम	लम्बाई (कि.मी. में)	.त नवीनीकरण का विवरण	
			लम्बाई (किमी. में)	वर्ष
1	.. पुर नादोती सिकंदरा बांदीकुई राज .ढ सड़क एस.एच. 25 ए	28.00	9 14 5	2002-2003 2003-2004 1999-2000
2	दौसा से कठूमर रोड वाया . दीकुई मण्डावर एम.डी.आर. 48	30.00	12 10 8	2002-2003 2003-2004 1997-1998
3	द सराणा जिला सीमा से रेहडिया जिला सीमा 54/0 से 58/0 ओ.डी. आर.	4.00	4	1997-1998
4	सैंथल एस.एच. 29 से पुन्दरपाड़ा . . कोलवा देलाड़ी आभानेरी ओ.डी.आर.	20.00	10 10	2002-2003 2004-2005
5	बडियाल से कोठीन मोड़ . .डी.आर. 8	2.00	2	2003-2004
6	बस.. से झाझीरामपुरा ग्रामीण	6.00	3 3	2002-2003 2003-2004
7	सम्पर्क सड़क रामजीवन की ढाणी	0.55	0.55	1997-1998
8	सम्पर्क सड़क बैरवा का वास	1.00	1	1997-1998
9	. दीकुई से बिवाई	12.500	4 8 0.5	2002-2003 2003-2004 2004-2005
10	सम्पर्क सड़क मूही	2.00	2	2003-2004
11	सम्पर्क सड़क चांदेरा	2.00	2	1997-1998
12	सम्पर्क सड़क थला की ढाणी	1.00	1	1997-1998
13	नन्देरा से अन्तवाड़ा	3.00	3	2003-2004

1	2	3	4	5
14	सम्पर्क सड़क बड़ियाल कलां	1.00	1	1997-1998
15	सम्पर्क सड़क तिगड्डा	2.50	2.50	1997-1998
16	एन.एच. 11 से बालाहेड़ा	5.00	2 2.5 0.5	2002-2003 2003-2004 2004-2005
17	बसवा से सबडावली	5.00	4 1	2003-2004 1992
18	सम्पर्क सड़क झांझा का बास	1.00	1	1997-1998
19	पिचूपाड़ा से प्रतापपुरा	4.50	2 2.5	2003-2004 1993-1994 (सड़क निर्माण 1993-94 के पश्चात् नवीनीकरण नहीं हुआ)
20	एस.एच. 25 से अगावली	1.50	1.50	2002-2003
21	सम्पर्क सड़क ढीगरिया भीम	4.00	4	1997-1998
22	सम्पर्क सड़क बड़ावास	1.70	1.70	2004-2005
23	सम्पर्क सड़क धांधोलाई	2.00	2	2001-2002
24	सम्पर्क सड़क मुकरपुरा	1.50	1.50	2001-2002
25	सम्पर्क सड़क कीरतपुरा	5.50	5.50	2002-2003
26	सम्पर्क सड़क भांडेड़ा	4.50	4.50	2002-2003
27	सम्पर्क सड़क केसरीसिंहपुरा	2.00	2	2003-2004
28	सम्पर्क सड़क महु खुर्द	2.50	2.50	2003-2004
29	सम्पर्क सड़क द्वारापुरा	2.00	2	2003-2004
30	सम्पर्क सड़क श्यामसिंहपुरा	1.00	1	2003-2004
31	सम्पर्क सड़क सोड़ाला	1.00	1	2003-2004
32	सम्पर्क सड़क बासड़ा	1.00	1	2003-2004
33	सम्पर्क सड़क सुधारनपाड़ा	1.00	1	2003-2004

1	2	3	4	5
34	सम्पर्क सड़क बड़ियाल खुर्द	2.00	2	2003-2004
35	सम्पर्क सड़क लोटवाड़ा से नांगल	2.00	2	2003-2004
36	आभानेरी से मूंड घिस्या	6.300	6.3	2003-2004
37	सम्पर्क सड़क काटरवाड़ा	2.00	2	2003-2004
38	सम्पर्क सड़क आनन्दपुरा	2.700	2.7	2003-2004
39	सम्पर्क सड़क नांगल झामरवाड़ा	2.50	2.5	2003-2004
40	सम्पर्क सड़क मीनापाड़ा	2.00	2	2003-2004
41	सम्पर्क सड़क भोजवाड़ा	2.00	2	2003-2004
42	सम्पर्क सड़क खूंटला	1.400	1.400	2003-2004
43	सम्पर्क सड़क ढीगरिया टप्पा	1.700	1.7	2003-2004
44	सम्पर्क सड़क नारायणपुरा	3.00	3	2003-2004
45	सम्पर्क सड़क जस्सापाड़ा	2.00	2	2003-2004
46	सम्पर्क सड़क दुब्बी	1.00	1	2003-2004
47	ढीगरिया मोड से महुखेड़ा	2.00	2	2003-2004
48	सम्पर्क सड़क पातरखेड़ा	1.50	1.50	2003-2004
49	देलाड़ी से मीतरवाड़ी	4.00	4	2003-2004
50	सम्पर्क सड़क चोरवाड़ा	2.70	2.70	2003-2004
51	सम्पर्क सड़क झूथाहेड़ा खुर्द	2.00	2	2003-2004
52	सम्पर्क सड़क किशनपुरा	1.50	1.50	2003-2004
53	सम्पर्क सड़क बगडेढा	2.50	2.5	2003-2004
54	सम्पर्क सड़क बासड़ा	3.250	3.250	2003-2004
55	सम्पर्क सड़क गिरधरपुरा	2.00	2	2003-2004
56	सम्पर्क सड़क गुढा आशिकपुरा	2.00	2	2003-2004
57	सम्पर्क सड़क भेदाड़ी गूजरान	1.00	1	2003-2004
58	भांवता से चोबड़ीवाला	6.40	6.40	2003-2004
59	सम्पर्क सड़क सोमाड़ा	1.00	1	2002-2003
	योग :-	224.20		

परिशिष्ट 'ब'

कृषि विपणन बोर्ड के क्षेत्राधिकार में आने वाली बांदीकुई विधान सभा क्षेत्र की सड़कों का डामरीकरण (डामरीकृत) का विवरण

क्र.सं.	सड़क का नाम	लम्बाई (कि.मी. में)	कृत नवीनीकरण का विवरण	
			लम्बाई (किमी. में)	वर्ष
1	दौसा से कठूमर रोड़ वाया बांदीकुई मण्डावर ए.डी.आर. 48	21.00	8 13	2004-2005 1997-1998
2	घोसराणा जिला सीमा से रेहडिया जिला सीमा ओ.डी.आर. 1	6.60	6.6	1997-1998
3	सैंथल पुन्दरपाड़ा वाया कोलवा देलाड़ी आभानेरी ओ.डी.आर. 2	12.00	12.0	1997-1998
4	दौसा-गुढाकटला फुलेला ओ.डी.आर. 3	9.00	7 2	2004-2005 1997-1998
5	बडियाल से कोठीन मोड़ वाया लोटवाड़ा ओ.डी.आर. 8	20.50	6.5 4.0 10.0	2002-2003 2004-2005 1995-1996
6	सम्पर्क सड़क गादरवाड़ा गुजरान	3.00	3	1999-2000
7	सम्पर्क सड़क एचेड़ी	4.00	4.0	1997-1998
8	एम.डी.आर. 48 से बास धुडलिया वाया अरनिया धुड़लिया	14.00	10 2 2	2004-2005 2000-2001 2003-2004
9	देलाड़ी से धनवाड़	3.50	3.5	1997-1998
10	सम्पर्क सड़क राणापाड़ा	2.00	2	1997-1998
11	सम्पर्क सड़क ऊनबड़ा गांव	2.00	2	1995-1996
12	सम्पर्क सड़क श्यालावास कलां	1.5	1.5	1995-1996
13	बांदीकुई से गुल्लाना	4.00	4	2004-2005
14	सम्पर्क सड़क पंडितपुरा हरनाथपुरा	2.00	2	1995-1996

क्र.सं.	सड़क का नाम	लम्बाई (कि. [illegible] में)	[illegible]त नवीनीकरण का विवरण	
			लम्बाई (किमी. में)	व[illegible]
15	सम्पर्क सड़क रूपवास रलावता	6.00	6	1995-1996
16	सम्पर्क सड़क मौटूका	3.50	3.5	1996-1997
17	पंचमुखी से पंडितपुरा	1.5	1.5	2004-2005
18	गुल्लाना से बसवा	4.00	4	2004-2005
	कुल [illegible] म :-	120.10		

परिशिष्ट-'स'

renewal cycle of 10 years. The desirable average cycle is between 7 to 8 years. In addition [illegible] requirements of special repa[illegible]s such as strengthening [illegible]d widening Three wherever required and repa[illegible]s to bridges [illegible]d culverts. Ordin[illegible]y repairs in which the wages of gangs are inc[illegible]ded have also to be [illegible]t out from the repairs grant. The increasing road lengths, escal[illegible]ion in cost [illegible] materials and wages all require a judicial mainten[illegible]ce str[illegible]egy to be drawn up.

8.3 Works [illegible]cl[illegible]ded i[illegible] road maintena[illegible]ce :

The work included in road maintenance generally [illegible]e :

(a) Ord[illegible]ary repairs :

This includes wages of workmen [illegible]d m[illegible]erial ch[illegible]ges for ordinary repair, u[illegible]eep of surface, repairing pot holes, ma[illegible]n[illegible]ce of berms, repair of road edges, culverts and bridges, white washing [illegible]d pai[illegible]ing culverts and road sign [illegible]d direction boards. Maintence [illegible] airstr[illegible]s [illegible]d helipads. railway level cross[illegible]gs and arboriculture is also included.

(b) Re[illegible]ewals :

Depending of traffic and weather, s[illegible]u[illegible]ional circumstances and the import[illegible]ce [illegible]d specifications of a road, renewal of [illegible]face is needed between 4 to 12 ye[illegible]s. A city road will require renewal in 4 ye[illegible]s whereas a village road having light traffic may [illegible]ast 12 years between renewals. Thereafter oxidation of b[illegible] [illegible]e results and road even without traffic st[illegible]ts bre[illegible]ing up needing

sealing and rejuvenating of surface by renewal which can be either with surface dressing, open graded bituminous carpet, SDC, SDBC in case of a B.T. surface, remetalling in case of WBM surface and regravelling in case of gravel surface. Generally to following minimum renewal cycle in maintained on B.T. roads.

i) Urban roads	4 to 5 years.
ii) Stage Highways	6 to 8 years.
iii) MDRs	8 to 10 years.
iv) ODRs and VRs	12 years

धनिया उपज हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य

155. श्री भरतसिंह (दीगोद) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि भारत मे धनिये उत्पादन का कुल 69 प्रतिशत हाड़ौती क्षेत्र से होता है तथा किसानों को उनकी उपज की लागत नहीं मिलने से इस वर्ष रबी में इसकी बुवाई गत वर्षों की तुलना में कम हुई है? गत तीन वर्षों में कुल कितने क्षेत्र में इसकी बुवाई की गई तथा बाजार भाव क्या रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा धनिये को न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना में शामिल करने हेतु भारत सरकार को लिखा गया है ? यदि हां, तो किस स्तर के अधिकारी द्वारा कब-कब तथा पत्रों पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया रही?

(3) वर्तमान में सरकार द्वारा धनिये पर कितना बिक्री कर लिया जाता है ? क्या यह सही है कि बिक्री कर मध्य प्रदेश से अधिक होने से भी बाजार भाव प्रभावित होता है? क्या किसान के हितों को ध्यान में रखकर सरकार बिक्री कर कम करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) देश के कुल धनिया उत्पादन का 69 प्रतिशत राज्य के हाड़ौती क्षेत्र से पैदा होता है। गत तीन वर्षों में हाड़ौती क्षेत्र में धनिये का बोया गया क्षेत्र एवं इस वर्ष रबी में विभागीय अनुमान से बोया गया क्षेत्रफल व औसत बाजार भाव निम्नानुसार है :-

(कृषि मंत्री)

मद	वर्ष 2001-2002	2002-2003	2003-2004	चालू वर्ष 2004-2005
क्षेत्रफल (हैक्टेयर)	201089	110022	237057	152400
औसत बाजार भाव रू. प्रति क्विं.	1997/-	2524/-	2047/-	

(2) जी हां। माननीय मुख्य मंत्री महोदया द्वारा 18 जून, 2004 को केन्द्रीय कृषि मंत्री महोदय को तथा प्रमुख शासन सचिव, कृषि के द्वारा दिनांक 17 अगस्त, 2004 को सचिव कृषि, भारत सरकार को इस क्रम में अर्द्ध शासकीय पत्र लिखे गये। भारत सरकार ने पत्र दिनांक 20 दिसम्बर, 2004 के द्वारा, इस आधार पर कि न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के अन्तर्गत केवल पूरे भारत के महत्व की तथा आम उपभोक्ता तथा खाद्य एवं पोषण सुरक्षा से सम्बन्धित फसलों को ही शामिल किया जाता है राज्य सरकार के प्रस्ताव को स्वीकार करना सम्भव नहीं बताया है।

(3) वर्तमान में राज्य में धनिये पर 4 प्रतिशत बिक्री कर लिया जाता है। मध्य प्रदेश में भी धनिये पर 4 प्रतिशत बिक्री कर लिया जा रहा है। इसीलिए कर में कोई अन्तर नहीं होने के कारण बाजार भावों पर इसका कोई प्रभाव नहीं है। धनिये पर बिक्री कर कम करने का वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

हाड़ा रानी महाविद्यालय, सलूम्बर मे रिक्त पद

156. श्री ..र्जुनलाल मीणा (सलूम्बर) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राजकीय हाड़ा रानी महाविद्यालय, सलूम्बर में वि..य अध्यापकों के पद रिक्त हैं ? यदि हां, तो कौन-कौन से विषयों के कितने पद? सरकार रिक्त पदों को कब तक भरने का विचार रखती है ?

(2) क्या यह भी सही है कि राजकीय हाड़ा रानी महाविद्यालय, सलूम्बर में पुस्तकालयाध्यक्ष का पद रिक्त है? यदि हां, तो कब से? सरकार उक्त पद को कल तक भरने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) राजकीय हाड़ी रानी महाविद्यालय, सलूम्बर में व्याख्याताओं के विषयवार स्वीकृत पद, कार्यरत व्याख्याताओं एवं रिक्त पदों की स्थिति निम्न प्रकार है-

विषय	स्वी. पद	कार्य. व्या.	रिक्त पद
अर्थशास्त्र	1	1	0
अंग्रेजी	2	0	2
हिन्दी	2	2	0
इतिहास	2	1	1
राज. शास्त्र	2	1	1
संस्कृत	2	1	1
समाजशास्त्र	2	2	0
एबीएसटी	1	0	1
व्या. प्रशासन	1	0	1

वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण भरा जाना सम्भव नहीं है।

(2) जी हां। राजकीय हाड़ी रानी महाविद्यालय, सलूम्बर में पुस्तकालायाध्यक्ष का पद माह अगस्त, 1998 से रिक्त है, लाइब्रेरियन पी.टी.ई.आई. रूल्स में प्रस्तावित संशोधन की कार्यवाही पूर्ण होने पर तदनुसार रिक्त पद को सीधी भर्ती होने के बाद भरने की कार्यवाही की जा सकेगी

राज्य मे एड्स रोग की रोकथाम हेतु कार्य-योजना

157. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(1) क्या यह सही है कि राज्य में एड्स के काफी रोगी हैं? यदि नहीं, तो क्या सरकार द्वारा अब तक एड्स की जांच के लिए सर्वे करवाया गया है ? यदि हां, तो सर्वे रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें। तथा नहीं, तो क्यों ?

(श्री नन्दलाल मीणा)

(2) सरकार एड्स की रोकथाम के लिये किस स्तर पर क्या कार्यवाही आगामी वित्तीय वर्ष में करने का विचार रखती हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राजस्थान में एड्स का पहला रोगी पुष्कर में सन् 1987 में पाया गया था। सोसायटी में वर्ष 2004 तक 1221 एड्स के रोगी चिन्हित हो चुके है। अब तक एड्स जांच के लिये कोई सर्वे नहीं कराया गया है। क्योंकि राज्य में एच.आई.वी./एड्स के फैलाव पर नजर रखने के लिये प्रतिवर्ष 1 अगस्त से 31 अक्टूबर तक सेन्टीनल सर्वेलैन्स किया जाता है।

(2) राज्य में एड्स की रोकथाम के लिये सभी जिलों में लोक कलाकारों व नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से एड्स की जानकारी व इससे बचाव के उपायों का प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। वर्तमान में राज्य के 2146 स्कूलों में एड्स सम्बन्धी शिक्षा दी जा रही है। वर्तमान में गैर-सरकारी संस्थाओं के माध्यम से अधिक जोखिम वर्ग को व्यवहार परिवर्तन, यौन रोग उपचार तथा परामर्श आदि की सुविधाएं उनके निवास/कार्यस्थल के आस-पास उपलब्ध कराई जा रही हैं। आगामी वित्तीय वर्ष में 10 नई परियोजनाएं प्रारम्भ की जायेंगी। जिनका विवरण परिशिष्ट 'अ' पर उपलब्ध है।

परिशिष्ट 'अ'

List of the Project which are to be implemented during next financial year that is 2005-06 through Rajasthan State AIDS Control Society ;

S. No.	Name of The Project	Composite Target Group	District
1	Targeted Intervention with Truckers & Street Childern	Truckers & Street Children	Alwar
2	Targeted Intervention with Sex Workers & MSM	Sex Workers & MSM	Sawai Madhopur
3	Targeted Intervention with Truckers, Sex Workers & MSM	Truckers, Sex Workers & MSM	Dausa
4	Targeted Intervention with Sex Workers & Migrants	Sex Workers & Migrants	Banswara

S. No.	Name of The Project	Composite Target Group	District
5	Targeted Intervention with Sex Workers & Truckers	Sex Workers & Truckers	Dungarpur
6	Targeted Intervention with Truckers, Migrants & MSM	Truckers, Migrants & MSM	Bharatpur
7	Targeted Intervention with Sex workers & MSM	Sex Workers & MSM	Sikar
8	Targeted Intervention with Migrants & Sex workers	Migrants & Sex Workers	Dholpur
9	Targeted Intervention with Street Children & Sex Workers	Street Children & Sex Workers	Jaipur
10	Targeted Intervention with Migrants & Sex Workers	Migrants & Sex Workers	Karauli

ब्यावर के पेयजल योजना से वंचित गांव

158. श्री देवीशंकर भूतड़ा (ब्यावर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र ब्यावर के कौन-कौनसे गांव पेयजल योजना से जुड़ने के मानदंडों को पूरा करते हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) ऐसे गांवों में से कौन से ऐसे गांव हैं जो अब तक पेयजल योजना से वंचित है? उनके नामों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) पेयजल योजना से जोड़ने के मानदंड को कौन से वर्ष की जनगणना के आधार पर निर्धारित किया जा रहा है।

(4) उक्त वंचित गांवों को सरकार अब कब तक पेयजल योजना से जोड़ने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र ब्यावर के समस्त 131 गांव विभिन्न पेयजल योजनाओं से लाभान्वित हैं। वांछित सूची संलग्न परिशिष्ट 'अ' पर उपलब्ध है।

(2) उक्त क्षेत्र का कोई भी गांव पेयजल योजना से वंचित नहीं है।

(3) वर्ष 2001 की जनगणना को।

(4) कोई भी गांव पेयजल योजना से वंचित नहीं है।

परिशिष्ट-'अ'

विधान सभा क्षेत्र ब्यावर के पेयजल योजना से लाभान्वित गांवों का विवरण

क्र. सं.	तहसील	ग्राम का नाम	कोड नं.	जनसंख्या		सर्विस लेवल	योजना का प्रकार	हैण्ड पम्पों की संख्या	
				2001	वर्तमान	(लीटर/ व्यक्ति/ दिन)		कुल	चालू
1	ब्यावर	रागरार बलाइयान	2518400	327	360	-	हैण्डपम्प	5	3
2	ब्यावर	बाडीया श्यामा	2518500	561	617	-	हैण्डपम्प	6	4
3	ब्यावर	बानेवाड़ी	2518600	317	349	-	हैण्डपम्प	4	3
4	ब्यावर	जालिया-प्रथम	2518700	1452	1597	-	हैण्डपम्प	10	6
5	ब्यावर	बाडिया जग्गा	2518800	393	432	-	हैण्डपम्प	7	4
6	ब्यावर	गोविन्दपुरा	2519000	1855	2041	-	हैण्डपम्प	9	9
7	ब्यावर	गणेशपुरा	2519100	1622	1784	-	हैण्डपम्प	13	10
8	ब्यावर	शिवनाथपुरा	2519200	686	755	-	हैण्डपम्प	7	5
9	ब्यावर	खेजडला	2519400	270	297	-	हैण्डपम्प	4	2
10	ब्यावर	मालीपुरा	2519500	533	586	-	हैण्डपम्प	6	4
11	ब्यावर	सोवनिया	2519600	526	579	-	हैण्डपम्प	5	3
12	ब्यावर	रामावास	2519700	943	1037	-	हैण्डपम्प	7	5
13	ब्यावर	बिच्छु चौडा	2519800	773	850	-	हैण्डपम्प	4	2
14	ब्यावर	दुर्गावास	2519900	1252	1377	-	हैण्डपम्प	18	13
15	ब्यावर	खड़िया खेड़ा	2520000	487	536	-	हैण्डपम्प	6	4
16	ब्यावर	धोलादांता प्रथम	2520100	792	871	-	हैण्डपम्प	8	6
17	ब्यावर	भैरूखेड़ा	2520400	261	287	-	हैण्डपम्प	5	3
18	ब्यावर	लालपुरा धगार	2520200	484	532	-	हैण्डपम्प	4	3
19	ब्यावर	कालीकांकर	2523200	413	454	-	हैण्डपम्प	4	3
20	ब्यावर	हिम्मतपुरा	2523300	252	277	-	हैण्डपम्प	3	2
21	ब्यावर	भैसापा	2523400	424	466	-	हैण्डपम्प	6	4
22	ब्यावर	राजेन्द्रा	2523500	77	85	-	हैण्डपम्प	4	2
23	ब्यावर	ठाकरावास	2523600	111	122	-	हैण्डपम्प	3	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24	ब्यावर	बस्सी	2523700	409	450	-	हैण्डपम्प	5	3
25	ब्यावर	बाड़िया लुम्बा	2523800	237	261	-	हैण्डपम्प	4	2
26	ब्यावर	बाड़िया मोटा	2523900	207	228	-	हैण्डपम्प	3	2
27	ब्यावर	बाड़िया अजबा	2524000	289	318	-	हैण्डपम्प	4	2
28	ब्यावर	बाड़िया गैना	2524100	424	466	-	हैण्डपम्प	4	3
29	ब्यावर	बाड़िया रौजा	2524200	55	61	-	हैण्डपम्प	2	1
30	ब्यावर	सेलीबेरी	2524300	231	254	-	हैण्डपम्प	7	4
31	ब्यावर	कोटड़ा	2425400	2548	2803	-	हैण्डपम्प	25	18
32	ब्यावर	रामपुरा दूद्दा	2524700	480	528	-	हैण्डपम्प	6	4
33	ब्यावर	गाजीपुरा	2524800	95	105	-	हैण्डपम्प	3	2
34	ब्यावर	किशनपुरा	2524900	772	849	-	हैण्डपम्प	12	8
35	ब्यावर	अमरपुरा	2523100	327	360	-	हैण्डपम्प	4	2
36	ब्यावर	खड़ादण्ड	2525000	414	455	-	हैण्डपम्प	4	3
37	ब्यावर	करला	2525200	547	602	-	हैण्डपम्प	4	4
38	ब्यावर	नोहरपुरा	2525500	589	648	-	हैण्डपम्प	4	4
39	ब्यावर	राजपुरा बोपांग	2525400	162	178	-	हैण्डपम्प	3	2
40	ब्यावर	खारला खेड़ा	2525300	270	297	-	हैण्डपम्प	4	3
41	ब्यावर	रोहिड़ा खेड़ा	2524600	708	779	-	हैण्डपम्प	7	6
42	ब्यावर	धोलादांता द्वितीय	2524500	290	319	-	हैण्डपम्प	5	3
43	ब्यावर	धवली	2527000	152	167	-	हैण्डपम्प	4	2
44	ब्यावर	काबरा	2526900	2487	2736	19	हैण्डपम्प	21	16
45	ब्यावर	थूनी थोक	2526800	567	624	-	हैण्डपम्प	4	4
46	ब्यावर	बियाखेड़ा	2527700	437	481	-	हैण्डपम्प	4	3
47	ब्यावर	नाईकलां	2527100	1309	1440	-	हैण्डपम्प	16	13
48	ब्यावर	खेड़ा निगड़ी	2527200	590	649	-	हैण्डपम्प	5	4
49	ब्यावर	नाई खुर्द	2527300	730	803	-	हैण्डपम्प	10	7
50	ब्यावर	कलाखेड़ा	2527500	32	35	-	हैण्डपम्प	2	2
51	ब्यावर	बरल	2527600	248	273	-	हैण्डपम्प	5	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	ब्यावर	पुनेरा	2527400	604	664	-	हैण्डपम्प	10	6
53	ब्यावर	रूपाना	2527900	452	497	-	हैण्डपम्प	7	5
54	ब्यावर	निलियाबड़	2527800	700	770	-	हैण्डपम्प	6	4
55	ब्यावर	किशनुपरा	2528600	258	284	-	हैण्डपम्प	5	3
56	ब्यावर	कलातखेड़ा	2528500	382	420	-	हैण्डपम्प	3	3
57	ब्यावर	भगवानपुरा	2528400	700	770	-	हैण्डपम्प	4	4
58	ब्यावर	जवाजा	2528300	2632	2895	19	पाइप्ड	37	30
59	ब्यावर	जालिया-द्वितीय	2528100	380	418	-	हैण्डपम्प	6	4
60	ब्यावर	जालिया द्वितीय	2528000	362	398	-	हैण्डपम्प	3	3
61	ब्यावर	बाडिया माऊ	2528200	850	935	-	हैण्डपम्प	9	8
62	ब्यावर	जाजिया द्वितीय	2530300	607	668	-	हैण्डपम्प	6	6
63	ब्यावर	सूरजपुरा	2530200	1155	1271	-	हैण्डपम्प	15	9
64	ब्यावर	जाजिया द्वितीय	2530400	335	369	-	हैण्डपम्प	4	3
65	ब्यावर	रावतमाल	2530500	786	865	-	हैण्डपम्प	11	8
66	ब्यावर	लसानी द्वितीय	2530600	587	646	-	हैण्डपम्प	6	4
67	ब्यावर	नयाखेड़ा	2530700	837	921	-	हैण्डपम्प	5	4
68	ब्यावर	दादोला	2531100	2508	2759	-	हैण्डपम्प	25	20
69	ब्यावर	अमरपुरा	2531200	804	884	-	हैण्डपम्प	4	4
70	ब्यावर	खोडमाल	2531900	1325	1458	-	हैण्डपम्प	13	10
71	ब्यावर	वरपला	2532000	1120	1232	-	हैण्डपम्प	7	6
72	ब्यावर	बागनहेड़ा	2532100	1155	1271	-	हैण्डपम्प	12	10
73	ब्यावर	देवल फतेहपुर	2532200	1318	1450	-	हैण्डपम्प	9	7
74	ब्यावर	बाधमाल	2532800	2019	2221	-	हैण्डपम्प	19	14
75	ब्यावर	देवलाता	2532700	188	207	-	हैण्डपम्प	2	2
76	ब्यावर	आसन	2532900	267	294	-	हैण्डपम्प	7	5
77	ब्यावर	गणेशपुरा	2533000	361	397	-	हैण्डपम्प	7	5
78	ब्यावर	सातुखेड़ा	2533100	991	1090	-	हैण्डपम्प	11	9
79	ब्यावर	बराखन	2533200	760	836	19	पी. एण्ड	12	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
80	ब्यावर	गोगेला	2533300	391	430	-	हैण्डपम्प	6	4
81	ब्यावर	धोलादाता	2533600	242	266	-	हैण्डपम्प	6	3
82	ब्यावर	रूडियाना	2533500	512	563	-	हैण्डपम्प	5	5
83	ब्यावर	गेडिया	2533700	779	857	-	हैण्डपम्प	10	7
84	ब्यावर	मालीतों की बैर	2533900	1999	2199	-	हैण्डपम्प	25	20
85	ब्यावर	माधुवाड़ा	2534000	2288	2517	-	हैण्डपम्प	22	14
86	ब्यावर	जूणेता	2534300	1310	1441	-	हैण्डपम्प	16	10
87	ब्यावर	टाटगढ़	2534100	2976	3274	18	पाइप्ड	24	18
88	ब्यावर	नेपड़िया	2533400	712	783	-	हैण्डपम्प	7	5
89	ब्यावर	राणाता भगवानपुरा	2532600	971	1068	-	हैण्डपम्प	9	7
90	ब्यावर	बनजारी	2532400	1363	1499	-	हैण्डपम्प	9	7
91	ब्यावर	बाला चाराहट	2531400	735	809	-	हैण्डपम्प	8	6
92	ब्यावर	पालड़ी	2531700	986	1085	-	हैण्डपम्प	11	8
93	ब्यावर	मेवासा	2531600	318	350	-	हैण्डपम्प	5	4
94	ब्यावर	खोडा कजां	2532300	1885	2074	18	पी. एण्ड	26	20
95	ब्यावर	रूपनगर अरनाली	2531800	1411	1552	-	हैण्डपम्प	22	16
96	ब्यावर	तारागढ़	2531000	198	218	-	हैण्डपम्प	9	6
97	ब्यावर	रूठाणा	2530900	1094	1203	-	हैण्डपम्प	14	10
98	ब्यावर	खेड़ादांती	2530800	1158	1274	-	हैण्डपम्प	16	12
99	ब्यावर	सोनियाना	2529900	1157	1603	-	हैण्डपम्प	14	10
100	ब्यावर	लोटियाना	2530100	1130	1243	-	हैण्डपम्प	10	7
101	ब्यावर	बिहार रतनपुरा	2529600	1347	1482	-	हैण्डपम्प	17	12
102	ब्यावर	भैरूखेड़ा	2529700	522	574	-	हैण्डपम्प	4	3
103	ब्यावर	बड़कोचरा	2529800	1935	2129	-	हैण्डपम्प	24	20
104	ब्यावर	भूडिया खेड़ा खुर्द	2529400	757	833	-	हैण्डपम्प	6	5
105	ब्यावर	बनार खेड़ा	2529500	178	196	-	हैण्डपम्प	5	3
106	ब्यावर	भूरियाखेड़ा कलां	2529300	614	675	-	हैण्डपम्प	8	6
107	ब्यावर	जगपुरा	2529200	316	348	-	हैण्डपम्प	2	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
108	ब्यावर	मालपुरा	2528900	265	292	-	हैण्डपम्प	3	3
109	ब्यावर	हथानखेड़ा	2529100	365	402	-	हैण्डपम्प	4	3
110	ब्यावर	अनाकर	2529000	998	1098	-	हैण्डपम्प	10	8
111	ब्यावर	शिवनगरी	2526200	667	734	-	हैण्डपम्प	4	4
112	ब्यावर	देवखेड़ा	2526100	685	754	-	हैण्डपम्प	8	6
113	ब्यावर	कालाबड़ा	2526000	218	240	-	हैण्डपम्प	3	2
114	ब्यावर	सांगवाड़ा	2526300	1107	1218	-	हैण्डपम्प	8	6
115	ब्यावर	कानपुरा	2526100	184	202	-	हैण्डपम्प	4	3
116	ब्यावर	देवाता	2528800	622	684	-	हैण्डपम्प	10	8
117	ब्यावर	भांभीपुरा	2528700	247	272	-	हैण्डपम्प	4	3
118	ब्यावर	बाडिया नग्गा	2526700	559	615	-	हैण्डपम्प	4	3
119	ब्यावर	सूरजपुरा	2526600	315	347	-	हैण्डपम्प	7	5
120	ब्यावर	जैतगढ़ बामनिया	2526500	1022	1124	-	हैण्डपम्प	12	10
121	ब्यावर	सूरडीया	2525900	1550	1705	-	हैण्डपम्प	18	15
122	ब्यावर	रारवीना	2525600	700	770	-	हैण्डपम्प	7	5
123	ब्यावर	कालिजर	2523000	1927	2120	-	हैण्डपम्प	17	14
124	ब्यावर	राजियावास	2522900	2639	2903	18	पी.एण्ड	18	15
125	ब्यावर	नून्दी गालदेव	2521100	1558	1714	-	हैण्डपम्प	13	10
126	ब्यावर	सोनियाना चौड़ा	253000	417	459	-	हैण्डपम्प	4	3
127	ब्यावर	पीपल बावड़ी	2531300	332	365	-	हैण्डपम्प	3	2
128	ब्यावर	समापा	2531500	300	330	-	हैण्डपम्प	3	2
129	ब्यावर	बीण	2532500	539	593	-	हैण्डपम्प	3	3
130	ब्यावर	बृजारेल	2533800	587	646	-	हैण्डपम्प	4	3
131	ब्यावर	गुजर गम्मा	2534200	371	108	-	हैण्डपम्प	2	2
		योग						1107	821

पाली जिले की सड़कों का डामरीकरण

159. श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा पाली-हेमावास-सोनाइमांत्री सड़क मार्ग की मरम्मत करवाई गई है ? यदि हां, तो किसके द्वारा व कब? क्या सरकार अब पुनः उक्त मार्ग की मरम्मत करवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक?

(2) क्या यह सही है कि जिला पाली की फालना-खिंदारा-पराखिया सुरमेरपुर के बीच की सड़क का कुछ भाग डामरीकरण से वंचित रह गया है ? यदि हां, तो अब कब तक उक्त सड़क का डामरीकरण कर दिया जावेगा?

उत्तर

(1) जी हां। विभाग द्वारा उक्त सड़क की मरम्मत वर्ष 1992-93 में करवाई गई थी। उक्त मार्ग की पुनः मरम्मत का कार्य वर्तमान में केन्द्रीय सड़क निधि योजनान्तर्गत कि.मी. 0/0 से 8/0 (वर्णित सड़क का भाग) व 19/0 से 20/0 तक स्वीकृत है, जिसकी निविदाएं आमंत्रित कर ली गई हैं।

(2) जी हां। नाबार्ड द्वारा वित पोषित आर.आई.डी.एफ. X में डब्ल्यू.बी.एम. से बी.टी. के द्वितीय चरण में 9 कि.मी. मेटल सड़क को डामरीकरण के लिये प्रस्तावित कर दिया गया है। नाबार्ड से स्वीकृति प्राप्त होते ही कार्य प्रारम्भ की कार्यवाही किया जाना संभव होगा।

बालिका शिक्षा हेतु पंचायत मुख्यालयों पर माध्यमिक विद्यालय

160. श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि सरकार शिक्षा के उन्नयनिकरण और बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक पंचायत मुख्यालय पर माध्यमिक विद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

विद्यालय क्रमोन्नति के समय उपलब्ध वित्तीय प्रावधान के अन्तर्गत गांव की जनसंख्या अन्तिम कक्षा की छात्र संख्या विद्यालय की कुल छात्र संख्या जनप्रतिनिधियों की मांग भौगोलिक स्थिति एवं गुणवगुण के आधार पर विद्यालय क्रमोन्नत किये जाते हैं। बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक पंचायत मुख्यालय पर माध्यमिक विद्यालय क्रमोन्नति के समय गुणावगुण के अधार पर प्राथमिकता से विचार किया जायेगा।

राज्यकर्मियों को निजी कैंसर चिकित्सालय के बिलों का पुनर्भरण

161. श्री नवरनत राजौरिया (फुलेरा) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सरकारी कर्मचारियों एवं उनके आश्रितों के लिए कैंसर चिकित्सा हेतु कौन-कौन से निजी अस्पतालों चिकित्सा व्यय के पुनर्भरण हेतु अधिकृत हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार जयपुर स्थित भगवान महावीर कैंसर चिकित्सालय जो राज्य का प्रमुख कैंसर चिकित्सालय है, को सरकारी कर्मचारियों एवं उनके आश्रितों के इलाज के खर्च के पुनर्भरण हेतु अधिकृत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) आयुर्विज्ञान महाविद्यालय के प्राचार्य, निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें अधिकृत सरकारी चिकित्सकों के बोर्ड की सलाह पर यह प्रमाणित करें कि उक्त मरीज कैंसर से पीड़ित है और इसका इलाज राज्य के किसी सरकारी चिकित्सालय में उपलब्ध नहीं है और बीमार के स्वास्थ्यवर्द्धन हेतु राज्य के बाहर किसी चिकित्सालय में इलाज कराना अनिवार्य है तब ही सरकारी कर्मचारियों एवं उनके आश्रितों के लिये कैंसर चिकित्सा हेतु निम्न निजी अस्पताल चिकित्सा व्यय के पुनर्भरण हेतु अधिकृत है।

. टाटा मेमोरियल अस्पताल, मुम्बई।

2. कैंसर इन्स्टीट्यूट, मद्रास।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

3. गुजरात राज्य कैंसर रिसर्च संस्थान (एम.पी.शाह, अस्पताल अहमदाबाद।

4. राजीव गांधी कैंसर संस्थान एवं अनुसंधान केन्द्र, दिल्ली।

5. कैंसर इन्स्टीट्यूट अडयार, चैन्नई।

6. क्रिश्चियन मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, बैल्लोर।

(2) भगवान महावीर कैंसर चिकित्सालय, जयपुर राज्य कर्मचारियों एवं उनके आश्रितों के लिये पुनर्भरण हेतु वर्तमान में अधिकृत नहीं है, लेकिन इसे अधिकृत करने के लिये प्रस्ताव विचाराधीन है।

कपासन के स्वीकृत तालाब/नहर निर्माण कार्य

162. श्री बद्रीलाल जाट (कपासन) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र कपासन जिला चित्तौड़गढ़ में वर्ष 2004-05 में कौन-कौन सी सिंचाई योजनाएं कहां-कहां चालू की गई ? इन योजनाओं को कब तक पूरा कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र कपासन में कुछ तालाब व नहरें बनाने की इस वित्तीय वर्ष में स्वीकृतियां हुई हैं? यदि हां, तो इन्हें कब तक पूरा कर दिया जायेगा व नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र में अधूरे पड़े तालाबों का कार्य पूरा कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक तथा कौन-कौन से तथा नहीं, तो क्यों ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र कपासन जिला चित्तौड़गढ़ में वर्ष 2004-05 में कोई भी नई सिंचाई योजनायें चालू नहीं की गई क्योंकि यह क्षेत्र बीसलपुर जल ग्रहण क्षेत्र में स्थित है।

(2) जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र कपासन में कोई भी तालाब व नहरें बनाने की वित्तीय वर्ष में स्वीकृतियां प्राप्त नहीं हुई हैं। कपासन विधान सभा क्षेत्र में वाकली सिंचाई परियोजना (गांव विरोली के पास) सर्वेक्षणाधीन है जिसकी स्वीकृति 30 अप्रैल, 2005 तक जारी कर दी जायेगी।

(सिंचाई मंत्री)

(3) विधान सभा क्षेत्र कपासन में जाशमा तालाब प्रथम फीडर का निर्माण कार्य वर्ष 2002-03 में प्रारम्भ हुआ जिसका लगभग 98 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है शेष कार्य मार्च, 2005 तक पूरा कर लिया जायेगा।

नागौर जिले की निर्माणाधीन सड़कें

163. श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला नागौर में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2004-05 के दौरान सरकार द्वारा कुल कितनी पक्की सड़कों के निर्माण की स्वीकृतिया किन-किन योजनाओं के अन्तर्गत जारी की गई ? सूची सड़कवार व राशिवार सदन की मेज पर रखें।

(2) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का शुभारम्भ प्रदेश में कब किया गया ? इस योजनान्तर्गत जिला नागौर में अब तक कुल कितनी सड़कों का निर्माण पूर्ण हो चुका है तथा कितनीं सड़कें वर्तमान में निर्माणाधीन है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला नागौर में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2004-05 में कुल 122 पक्की सड़कों के निर्माण की स्वीकृति प्राप्त हुई है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत नियमित प्रावधान के तहत 24 सड़कों व विश्व बैंक द्वारा प्रायोजित कार्यों के तहत 53 सड़कों की स्वीकृति प्राप्त हुई है। आर.आई.डी.एफ. X के अन्तर्गत 45 कार्यों की स्वीकृति डब्ल्यू.बी.एम. से बी.टी. हेतु प्राप्त हुई है। सड़कवार एवं राशिवार विवरण परिशिष्ट 'अ' एवं 'ब' पर संलग्न है।

(2) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का शुभारम्भ दिनांक 25.12.2000 को किया गया। इस योजना के अन्तर्गत जिला नागौर में अब तक कुल 152 सड़कों का निर्माण हो चुका है एवं वर्तमान में 12 सड़कें निर्माणाधीन है। विवरण क्रमशः परिशिष्ट 'स' एवं 'द' पर संलग्न है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

दीगोद के ग्रामों को पेयजल आपूर्ति हेतु आबंटित टंकिया तथा मोटर्स

225. श्री भरतसिंह (दीगोद) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जिला कोटा में गर्मी के मौसम में पीने के पांनी की व्यवस्था करने हेतु जिला प्रशासन स्थानीय उद्योगों से सहायता प्राप्त कर जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के माध्यम से कुछ गांवों में सिंगल फेस की मोटर व पी.वी.सी. की पानी की टंकियों की व्यवस्था करवाता है ? यदि हां, तो गत 2 वर्ष में कुल कितनी पानी की टंकियां तथा मोटर किस-किस गांव में लगाई गई? सहयोग प्रदान करने वाले उद्योगों की सूची सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि एक बार मोटर स्थापित करने के बाद सरकार द्वारा इनकी मरम्मत व सुधार नहीं किया जाता है व कुछ स्थानों पर तो यह मोटर स्थापित करने के बाद से ही बन्द है? यदि हां, तो क्यों व क्या सरकार इनको चालू करवाने की व्यवस्था करने का विचार रखती है?

(3) विधान सभा क्षेत्र दीगोद की पंचायत समिति सांगोद व सुल्तानपुर में क्या उन सभी स्थानों पर मोटर व टंकी लगा दी गई है जहां के लिए उनको इस वर्ष आबंटन किया गया है ?

(4) क्या यह भी सही है कि कुछ ऐसे भी गांव हैं-जहां के लिए मोटर व टंकी आबंटित तो कर दी गई है मगर मौके पर उनको आज तक भी नहीं लगाया जा सका है ? मोटर व टंकी नहीं लगाने के कारण क्या रहे तथा इनका उपयोग कौन कर रहा है ? ग्रामों के नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। वर्ष 2003-04 तथा 2004-05 में जिला कोटा में स्थानीय उद्योगों से सहायता प्राप्त कर 48 गांवों में 49 सिंगल फेस मोटर व एच.डी.पी.ई. टैंक स्थापित कर पेयजल उपलब्ध कराया गया। वांछित विवरण संलग्न परिशिष्ट 'अ' पर उपलब्ध है।

(2) जी हां। लिये गये निर्णय अनुसार ग्रीष्म की समाप्ति के पश्चात् सिंगल फेस पम्प प्रणाली सम्बन्धित ग्राम पंचायत को हस्तान्तरण की जा चुकी है तथा भविष्य में इसका संधारण सम्बन्धित ग्राम पंचायत को उनके संसाधनों से ही करना है। इनकी वर्तमान स्थिति का विवरण परिशिष्ट 'अ' में समाहित है।

(3) जी हां।

(4) जी नहीं। मात्र एक ग्राम खेड़ली तंवरान पंचायत समिति, सुल्तानपुर में स्थापित मोटर से टैंक को जोड़ा नहीं जा सका है, परन्तु ग्रामवासी स्थापित मोटर से सार्वजनिक नल के माध्यम से पेयजल का उपयोग कर रहे हैं।

परिशिष्ट-'अ'

गत दो वर्षों में जिला कोटा के अन्तर्गत लगाई गई सिंगल फेस मोटर एवं पी.वी.सी. की टंकी का विवरण

क्र. सं.	ग्राम का नाम	कोड नं.	तहसील	पंचायत समिति	सहयोग प्रदान करने वाले उद्योग का नाम	पंचायत को संभलाने की तिथि	वर्तमान स्थिति चालू/बन्द	कब से बन्द	बन्द होने का कारण
1	काल्याखेड़ी	03817000	लाडपुरा	लाडपुरा	राजस्थान टेरीमेटिक्स लि.	27.8.2004	बन्द	20 अगस्त 2004	मोटर में खराबी
2	हनोतिया	03810600	लाडपुरा	लाडपुरा	राजस्थान टेरीमेटिक्स लि.	2.9.2004	चालू		
3	सोहनपुरा	03815300	लाडपुरा	लाडपुरा	राजस्थान टेरीमेटिक्स लि.	26.12.2003	बन्द	अक्टूबर, 2004	मोटर में खराबी
4	लाथेड़	03802200	लाडपुरा	लाडपुरा	राजस्थान टेरीमेटिक्स लि.	8.12.2004	चालू		
5	गोपालपुरा	03769400	पीपल्दा	इटावा	राजस्थान टेरीमेटिक्स लि.	2.6.2004	चालू		
6	बंजारी	03772100	पीपल्दा	इटावा	राजस्थान टेरीमेटिक्स लि.	3.6.2004	चालू		
7	जोरवरपुरा (सहनाहाली)	03773500	पीपल्दा	इटावा	राजस्थान टेरीमेटिक्स लि.	2.6.2004	चालू		
8	फतहपुर	03773900	पीपल्दा	इटावा	राजस्थान टेरीमेटिक्स लि.	2.6.2004	चालू		
9	डोबरा	03817600	लाडपुरा	लाडपुरा	भारत पेट्रोलियम लिमिटेड	27.8.2004	चालू		
10	कसार	03808100	लाडपुरा	लाडपुरा	भारत पेट्रोलियम लिमिटेड	24.12.2004	चालू		

क्र. सं.	ग्राम का नाम	कोड नं.	तहसील	पंचायत समिति	सहयोग प्रदान करने वाले उद्योग का नाम	पंचायत को संभलाने की तिथि	वर्तमान स्थिति चालू/बन्द	कब से बन्द	बन्द होने का कारण
11	नीमखेड़ी	03815700	लाडपुरा	लाडपुरा	भारत पेट्रोलियम लिमिटेड	26.12.2004	चालू		
12	आंवली	03806900	लाडपुरा	लाडपुरा	डी.सी.एम.श्रीराम कॉसिलिटेड लिमि.	20.12.2004	चालू		
13	रोजड़ी	03806800	लाडपुरा	लाडपुरा	डी.सी.एम.श्रीराम कॉसिलिटेड लिमि.	20.12.2004	चालू		
14	पीपलखेड़ी	03809300	लाडपुरा	लाडपुरा	डी.सी.एम.श्रीराम कॉसिलिटेड लिमि.	2.7.2004	चालू		
15	राजपुरा	03805200	लाडपुरा	लाडपुरा	डी.सी.एम.श्रीराम कॉसिलिटेड लिमि.	4.12.2004	चालू		
16	मण्डाना	03810400	लाडपुरा	लाडपुरा	डी.सी.एम.श्रीराम कॉसिलिटेड लिमि.	27.8.2004	बन्द	सितम्बर, 2004	मोटर फंस गयी
17	उम्मेदपुरा	03816000	लाडपुरा	लाडपुरा	डी.सी.एम.श्रीराम कॉसिलिटेड लिमि.	27.8.2004	बन्द	सितम्बर, 2004	मोटर फंस गयी
18	जामपुरा	03840600	लाडपुरा	लाडपुरा	डी.सी.एम.श्रीराम कॉसिलिटेड लिमि.	16.12.2004	चालू		
19	नयागांव (धुलेट)	03853700	सांगोद	सांगोद	डी.सी.एम.श्रीराम कॉसिलिटेड लिमि.	20.7.2004	बन्द	अक्टूबर, 2004	मोटर में खराबी
20	किशोर सागर मजरा काल्या कुई	03852300	सांगोद	सांगोद	डी.सी.एम.श्रीराम कॉसिलिटेड लिमि.	20.7.2004	चालू		

क्र. सं.	ग्राम का नाम	कोड नं.	तहसील	पंचायत समिति	सहयोग प्रदान करने वाले उद्योग का नाम	पंचायत को संभलाने की तिथि	वर्तमान स्थिति चालू/बन्द	कब से बन्द	बन्द होने का कारण
21	किशोरपुरा	03845900	सांगोद	सांगोद	डी.सी.एम.श्रीराम कॉसिलिटेड लिमि.	20.7.2004	चालू		
22	गन्दीफली	03805700	लाडपुरा	लाडपुरा	डी.सी.एम.श्रीराम कॉसिलिटेड लिमि.	30.11.2004	चालू		
23	जाखोड़ा	0385000	लाडपुर	लाडपुर	डी.सी.एम.श्रीराम कॉसिलिटेड लिमि.	9.10.2004	चालू		
24	अभयपुरा (झोपडिया)	03804800	लाडपुरा	लाडपुरा	डी.सी.एम.श्रीराम कॉसिलिटेड लिमि.	9.10.2004	बन्द	दिसम्बर, 2004	मोटर में खराबी
25	लाथेड़	03850220 0	लाडपुरा	लाडपुरा	डी.सी.एम.श्रीराम कॉसिलिटेड लिमि.	8.12.2004	चालू		
26	रानीपुरा	03805800	लाडपुरा	लाडपुरा	डी.सी.एम.श्रीराम कॉसिलिटेड लिमि.	30.11.2004	चालू		
27	चारनहेड़ी	03809700	लाडपुरा	लाडपुरा	हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि.	2.7.2004	चालू		
28	मानसगांव	03800800	लाडपुरा	लाडपुरा	हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि.	15.12.2004	चालू		
29	कासमपुरा	03794100	दीगोद	सुल्तानपुर	चम्बल फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लि.	22.6.2003	बन्द	जनवरी, 2004	मोटर फंस गयी
30	हनोतिया	0379600	दीगोद	सुल्तानपुर	चम्बल फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लि.	25.6.2003	चालू		
31	चोमाबीबू	[illegible]	[illegible]	[illegible]	चम्बल फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लि.	27.6.2003	चालू		
32	कुराड़ी	03795900	दीगोद	सुल्तानपुर	चम्बल फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लि.	30.6.2003	चालू		

क्र. सं.	ग्राम का नाम	कोड नं.	तहसील	पंचायत समिति	सहयोग प्रदान करने वाले उद्योग का नाम	पंचायत को संभलाने की तिथि	वर्तमान स्थिति चालू/बन्द	कब से बन्द	बन्द होने का कारण
33	गुमानुपरा	0375300	दीगोद	सुल्तानपुर	चम्बल फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लि.	1.7.2003	चालू		
34	बम्बूली	03798000	दीगोद	सुल्तानपुर	चम्बल फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लि.	3.7.2003	चालू		
35	चोमाकोट	03798100	दीगोद	सुल्तानपुर	चम्बल फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लि.	6.7.2003	बन्द	फरवरी, 2004	मोटर में खराबी
36	भगवानपुरा	03791700	दीगोद	सुल्तानपुर	चम्बल फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लि.	22.6.2003	चालू		
37	कल्याणपुरा	03794800	दीगोद	सुल्तानपुर	चम्बल फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लि.	28.7.2003	चालू		
38	खेड़ली तखरान	03787400	दीगोद	सुल्तानपुर	चम्बल फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लि.	20.6.2004	चालू		
39	सटेड़ी	03799000	दीगोद	सुल्तानपुर	चम्बल फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लि.	25.6.2004	चालू		
40	बूढ़ादीत	03785900	दीगोद	सुल्तानपुर	चम्बल फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लि.	28.6.2004	चालू		
41	बरगू	03796000	दीगोद	सुल्तानपुर	चम्बल फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लि.	30.6.2004	चालू		
42	कोटसुआ	03791800	दीगोद	सुल्तानपुर	चम्बल फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लि.	12.6.2004	चालू		
43	नोलाड़ा	03789100	दीगोद	सुल्तानपुर	चम्बल फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लि.	8.6.2004	चालू		
44	निमोदा	03789600	दीगोद	सुल्तानपुर	चम्बल फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लि.	14.6.2004	चालू		

क्र. सं.	ग्राम का नाम	कोड नं.	तहसील	पंचायत समिति	सहयोग प्रदान करने वाले उद्योग का नाम	पंचायत को संभलाने की तिथि	वर्तमान स्थिति चालू/बन्द	कब से बन्द	बन्द होने का कारण
45	भौंरा	03796400	दीगोद	सुल्तानपुर	चम्बल फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लि.	10.6.2004	चालू		
46	चौमा मालियान	03798900	दीगोद	सुल्तानपुर	चम्बल फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लि.	5.6.2004	बन्द	दिसम्बर, 2004	मोटर में खराबी
47	लाख सनीजा	03784100	दीगोद	सुल्तानपुर	चम्बल फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लि.	3.6.2004	चालू		
48	देवली खुर्द	03831500	रामगंजमण्डी	खैराबाद	मंगलम सीमेन्ट लिमिटेड	28.6.2003	चालू		
49	सोहनखेड़ा	03824300	रामगंजमण्डी	खैराबाद	मंगलम सीमेन्ट लिमिटेड	28.6.2003	चालू		

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी कर्मियों के स्थानान्तरणों में व्याप्त अनियमितताएं

226. श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सरकार द्वारा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी कर्मियों के वर्ष 2004 में किस-किस संवर्ग में कितने-कितने तबादले किए गए? संवर्गवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सरकार को विभिन्न कर्मचारी संगठनों एवं व्यक्तियों द्वारा तबादलों में भ्रष्टाचार व अनियमितताओं की शिकायत प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो उक्त शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई तथा नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में वर्ष 2004 में राज्य स्तर व मुख्यालय द्वारा संवर्गवार किये गये तबादलों की संख्या सूची का विवरण संलग्न परिशिष्ट-'अ' पर उपलब्ध है।

(2) जी नहीं।

परिशिष्ट-'अ'

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में व . 2004 में संवर्गवार किये गये तबादलों की सूची

क्रमांक	संवर्ग	पद	संख्या
1	अधिनियम सेवा-राजपत्रित संवर्ग	मुख्य अभियन्ता	4
2		अति. मुख्य अभियन्ता	4
3		अधीक्षण अभियन्ता	40
4		अधिशासी अभियन्ता	152
5		सहायक अभियन्ता	429

क्रमांक	संवर्ग	पद	संख्या
1	मंत्रालयिक संवर्ग	निजी सचिव	02
2		कार्यालय अधीक्षक	02
3		कार्यालय सहायक	64
4		निजी सहायक	3
5		शीघ्रलिपिक	17
6		वरिष्ठ लिपिक	154
7		कनिष्ठ लिपिक	122
8		च. श्रेणी कर्मचारी	23
9		प्रयोगशाला परिचायक	2
10		वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक	10
11		वरिष्ठ प्रारूपकार	02
12		कनिष्ठ प्रारूपकार	01
1	राजस्थान अधिनियम अभियांत्रिकी सेवा संवर्ग	कनिष्ठ अभियन्ता	444
2		फोरमेन-द्वितीय	03
3		ड्रिलिंग परिवेक्षक	02
4		बोरिंग आपरेटर	01
5		वाहन चालक	03
6		लाइनमैन	03
7		मीटर रीडर	01
8		फिटर प्रथम	01
9		सहायक ड्रिलिंग बोरिंग	02
10		फिटर द्वितीय	02

क्रमांक	संवर्ग	पद	संख्या
11		जे.एफ.ए.	01
12		विद्युतकार द्वितीय	02
13		स्टोर मुंशी	02
14		सहायक	74
15		पम्प चालक द्वितीय	06
16		बैलदार/चौंकिदार	29

मोडी पंचायत (उदयपुर) के काबिज काश्तकारों को कृषि भूमि का आवंटन

227. श्री मांगीलाल गरासिया (गोगुन्दा): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) पंचायत मोडी (गोगुन्दा) में वर्ष 2004 में कितने काश्तकारों को कितनी-कितनी भूमि किस-किस खसरा नम्बर में आबंटित की गई? काश्तकारों की नामजद सूची मय खसरा नम्बर के सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि आबंटन कमेटी द्वारा मगरी बीड, गैर काबिल काश्त, बिलानाम चरनोट एवं खेती लायक बनाई जमीन जो रिकार्ड में मगरी या गैर काबिज काश्त हैं को आबंटित की जा सकती है ?

(3) गोगुन्दा कोटड़ा में ऐसे कितने काश्तकार हैं जिनके द्वारा जमीन खेती लायक बना ली गई एवं लम्बे समय से वे पैनल्टी भरते हुए काबिज हैं किन्तु उन्हें अभी तक भू-आबंटन नहीं किया गया है ?

उत्तर

(1) पंचायत मोडी (गोगुन्दा) में वर्ष 2004 में कुल 25 काश्तकारों को भूमि आबंटित की गई। जिनकी सूची मय नाम, खसरा नम्बर एवं रकबा परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) जी नहीं।

(3) गोगुन्दा क्षेत्र में 392 काश्तकार तथ कोटड़ा में ऐसा कोई काश्तकार नहीं है।

परिशिष्ट 'अ'

प्रशासन आपके द्वार अभियान 2004

ग्राम पंचायत मोडी पर दिनांक 14.12.2004 को आबंटन

क्र. सं.	ग्राम का नाम	नाम आबंटी	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म
1	माडी	श्री देवीसिंह पिता उदा, भमरी पति देवा भील नि. मोडी	3142 3143	0.065C 0.0250	बा. II बा. II
2	मोडी	गणेशसिंह पिता देवीसिंह भंवरीबाई पति गणेशसिंह नवलसिंह पिता चन्दनसिंह पारीबाई पति नवलसिंह मनोहरसिंह पिता खेमसिंह नातीबाई पति मनोहरसिंह चुनसिंह पिता खंमसिंह भवानीबाई पति चुनसिंह हीरसिंह पिता भंवरसिंह राजपूत नि. मोड़ी	3806 3807 3808	0.0300 0.0200 0.0450	बा. II बा. II बा. II
3	मोडी	लालू पि. भेरा, लेरकी/पति लालू भील नि. मोडी	1448	0.0350	बा. II
4	मोडी	देवा पि. तख्ता दलुडी पति देवा कमलीया पि.तख्ता गलाबी पति कमलीया, माना पिता तख्ता चन्दनी पति माना भील नि. मोडी	3436	0.0600	बा. I

क्र. सं.	ग्राम का नाम	ह म उ बंटी	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म
5	मोडी	भीमा पि. सुरता, बरजु पति भीमा भील नि. मोडी	3331 3332 3333 3334	0.0350 0.0600 0.0100 0.0350	बा. III बा. III बा. III बा. III
6	वणी	चम्पा बाई पति उदयसिंह, राजपूत नि. वणी	151	0.2100	बा. I
7	वणी	बाबूसिंह पुत्र माना, सीता पति बाबूसिंह राजपूत नि. वणी	128	0.3000	बंजड़
8	वणी	नाथूसिंह पि. प्रथा, खमाणी बाई पति नाथूसिंह जरका राजपूत नि. वणी	132 2131	0.0850 0.0250	बा. I बंजड़
9	वणी	मोहनलाल पि. पृथ्वीराज ब्रा. नि. वणी लाली बाई पत्नी मोहनलाल	2151	0.0700 0.0100	बा. II बंजड़
10	वणी	चम्पालाल पि. नाथू भूरीबाई पत्नी चम्पालाल चुन्नीलाल पिता नाथु जवलीबाई पत्नी चुनीलाल मेघवाल नि. वणी	2649	0.0300	बंजड़
11	वणी	गणेश पिता रोडा भील दोली पत्नी गणेश नि. वणी	412 413	0.0700 0.0200	डी.पी. खा. II
12	वणी	रोड़ा पिता नाथु, देवली पति रोड़ा नोजीया पिता रूपा दोली पति नोजिया	462 463	0.0300 0.0500	बंजड़ बंजड़

क्र. सं.	ग्राम का नाम	नाम आबंटी	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म
	वणी	रोड़ा पिता रूपा हंसली पति रोड़ा भील नि. वणी			
13	वणी	तख्ता पिता भजा नवली पति तख्ता भील नि. वणी	366 367	0.1000 0.0650	बा. II बा. III
14	वणी	भेरा पिता माना धुलीबाई पति भेरू भील नि. वणी	350	0.0650	बा. II
15	वणी	तख्ता पिता भजा नवली पति तख्ता रूपा पिता भजा भील नि. वणी	464	0.1000	बंजड़
16	छिपाला	भाना पि. वगता भील नि. वणी	1597	0.0300	बा. III
17	छिपाला	देवा पिता चम्पा हीरकी पति देवा भील नि. छिपाला	1602 1874	0.0250 0.1100	बा. III बा. IX
18	छिपाला	गणेश पिता रोड़ा, नका पति गणेश भील नि. छिपाला	1875 4130 4131 4132 4133 4134 4135	0.0400 0.0100 0.0950 0.0500 0.0350 0.0550 0.0250	बंजड़ बा. III बा. I बंजड़ बा. III बा. III बा. III

क्र. सं.	ग्राम का नाम	नाम आवंटी	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म
19	छिपाला	अम्बावा पिता हरिंग धूला पिता हरिंग वालकी पति धुला नाना पिता हरिंग मगनी पति नाना भील नि. छिपाला	541 542	0.0900 0.0400	बा. III 00200 जा. III 00700 खा I
20	छिपाला	गमाना पिता नोजा नवली पति गमाना हका पिता नन्दा दोलकी पिता हका भील	2369	0.0200	खा. II
21	छिपाला	हमेरा पिता नंगा नोजकी पति हमेरा भील नि. छिपाला	2368	0.0150	खा. II
22	छिपाला	खमाणसिंह पिता नाथूसिंह मोवनी बाई पति खमाणसिंह खरवड़ नि. छिपाला	4222	0.0500	बंजड़
23	छिपाला	गणेशसिंह पिता जवानसिंह चम्पाबाई पति गणेशसिंह राजपूत नि. छिपाला	4222 4224	0.0300 0.0300	बंजड़ बंजड़
24	छिपाला	हरिसिंह पिता मोतीसिंह अणसीबाई पति हीरसिंह खरवड़ राजपूत नि. छिपाला	2592	0.0150	खा. II

उप जिला कलक्टर
गिर्वा, उदयपुर

राज्य में कृषि को उद्योग का दर्जा देने हेतु प्रस्ताव

228. श्री बहादुर सिंह गोदारा (नोहर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार कृषि पैदावार को लागत मूल्य निकलवाकर कृषि पैदावार की नीलामी का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या सरकार कृषि को उद्योग का दर्जा देकर समस्त उद्योगों को मिलने वाली सुविधाएं कृषि को भी देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) ऐसा कोई प्रस्ताव वर्तमान में राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(2) वर्तमान में ऐसा कोई विचाराधीन नहीं है।

लाइट ट्रेप आपूर्ति आदेश में अनियमितताएं

229. श्री राजकुमार रिणवा (रतनगढ़) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा लाइट ट्रेप खरीदने के लिये वर्ष 2004-05 में किसी फर्म विशेष को आपूर्ति आदेश दिया गया है ? यदि हां, तो आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि ये लाइट ट्रेप आई.पी.एम. प्रदर्शनों में दिये लाइट ट्रेप से भिन्न तथा सस्ते थे तथा क्या इस आपूर्ति हेतु लाइट ट्रेप की दरें भी आदेश में अंकित की गई थी ? यदि हां, तो इसकी दरें क्या निर्धारित की गई?

(3) क्या यह सही है कि उक्त आदेश विभागीय आयुक्त/निदेशक/सचिव से अनुमोदित था? यदि हां, तो अनुमोदन की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह आदेश सामान्य वित्त एवं लेखा नियमों के अनुरूप था ? यदि हां, तो किस नियम के तहत?

उत्तर

(1) जी हां, जारी किये गये आदेशों की प्रति परिशिष्ट 1, 2 व 3 पर संलग्न है।

(2) जी हां, परिशिष्ट 1 में लाइट ट्रेप की दर 948/- रुपये तथा परिशिष्ट 2 में नोन स्पेशीफिकेशन लाइट ट्रेप इकोनोमी माडल की दर 335/- रुपये अंकित की गई थी।

(3) परिशिष्ट-1 आयुक्त कृषि से अनुमोदित था। परिशिष्ट 2 व 3 अनुमोदित नहीं था। परिशिष्ट 1 के क्रम में क्रय समिति की बैठक दिनांक 7.6.2000 के कार्यवाही विवरण की आंशिक प्रति परिशिष्ट 4 संलग्न है।

(4) परिशिष्ट 1 सामान्य वित एवं लेखा नियमों के अनुरूप है।

परिशिष्ट-1

Gover e t ' Rajast' an

Directorate of Agric 't re, Rajast' a , Jaip r

No. F4(1)/PP/Acctt./Pur/2004-2005/6515-85 Dated : 9/08/2004

M/s ATOZ Agrico Pvt. Ltd.

B-37, Lal Kothi Shoppi g Ce tre

Durgesh Chambers, To k Ro d

Jaipur

Subect : Supply of Lig't Tr) nder ICDP Cotton & ISOPOM (Groundnut sche e for IPM demonstration during Kh if-2004.

Reference : Your Tender of r d d 21.04.2004

As per decision of the pu c'ase committee meeting dated 7.6.2004, You are required to kindly su pply following quantity of Light Tr) nder ICDP Cotton & ISOPOM (Grou n) scheme in the stipulated period mentioned below at various District Head Qu ter as per details enclosed here w h in the Statement.

S.No.	Name of Item	Rate (incl ding of all taxes)	Total Qty.	Total cost	S ly perio
1	Light Trap	948/-	1006	953688/-	14.5.2004

Supply and Payment Instructions

1. Material most reach at District Head Quarters & as per enclosed Statement on or before 14.09.04 preferably thourgh speed post of door delivery under intimation to this office.
2. Bills must be raised in Triplicate Copics Separatecly for General/ TSP.SCP/ area under each scheme in favour of concerned District Officers showing quantity sub districtwise. bearing batch number of supplied materials.
3. The above said bills should be dispatched or given directly to the concerned District officers.
4. Payment of Material be released after deducting the late delivery (LD) Charges as per GF & AR Rules, incase material is received late.
5. Supplies of required materials may be arranged & districtwise details be intimated of this office on completion of dispatches immediately.

Joint Director of Agriculture,
(Plant Protection) Raj. Jaipur.

परिशिष्ट-2

Government of Rajasthan

Directorate of Agriculture, Rajasthan, Jaipur

No: F4/PP/Tech.III/2004-05/2611-14 **Dated : 26.5.2004**

M/s ATOZ Agrico Pvt. Ltd.
Durgesh Chambers,
Behind Lakshmi Mandir Cinema,
Tonk Road, Jaipur,

Subject :- Supply of Light Traps

On the subject cited above it is to inform you that the "economy model" of light trap which was demonstrated by your representative in the State Level Kharif Workshop at Duragapura, Jaipur on 25th May, 2004 was appreciated by the officers of the department. The officers of the Cotton & Soybean growing districts are interested to use the light traps in these crops for post control and have submitted the demand which is as under:-

S.N.	Name of officer	Electric light trap
1.	A.D. Agri. (Ext) Sriganganagar	2000
2.	A.D. Agri. (Ext) Karanpur	2000
3.	A.D. Agri. (Ext) Raisingnag	1500
4.	A.D. Agri. (Ext) Anupgargh	1200
5.	A.D. Agri. (Ext) Padampur	2000
6.	A.D. Agri. (Ext) Sadulpur	2000
	A.D. Agri. (Ext) Hanumangarh	3000
	A.D. Agri. (Ext) Nohar	1200
	A.D. Agri. (Ext) Bhadra	1000
	Kota NCAD	500
	Baran NCAD	1500
12.	A.D. Agri. (Ext) Jhalawar	2100
13.	A.D. Agri. (Ext) Piparcity	200
14.	A.D. Agri. (Ext) Kuchamancity	100
	Total	**20300**

It is therefore you are requested to supply the light trap as per above demand as early as possible. For this model you have quoted your rate Rs. 335/- per place in the tender form submitted in this department during current year

so you will have to supply on the same rate. The supply is to be made upto sub direct level for which no extra charges will be given. Since this is not under any subsidy program so the cost is to be borne by the farmers themselves which would be collected by the concerned officer and would be paid to you by the demand draft after deduction of D.D. commission. If you are having Karosine oil light traps also you may please submit the sample of it to this office

Joint Director of Agriculture,

(Plant Protectio) Raj. Jaip r

परिशिष्ट-3

Government of Rajasthan

Directorate of Agriculture, Rajasthan, Jaipur

No.: F4( )/PP/Tech.II/2004-2005/4017-20 **Dated : 30.6.2004**

M/s ATOZ Agrico Pvt. Ltd.
Durgesh Chambers.
Behind Lakshmi Mandir Cinema,
Tonk Road, Jaipur

Subject :- Supply of light traps.

On the subject cited above please refer to this department letter of even on. 2611-14 dated 26.5.2004 vide which demand of light traps of v ious Districts was communicated to you and requested to supply the same to the concerned districts. In this connection it was also asked to you on telephone to depute district wise dealers for the light trap business instead of issuing bills in the name of district officers. You are also required to assist the farmers for installation of the Light Traps in the field as per requirement. We hope that you have made necessary arrangements and expected supply have been completed. There is also a demand of Kerosine Light Traps in the State for which it was brought in the notice of the undersigned on 26.6.2004 at Sriganganagar th your kerosine light trap model was appreciated but the cost is at higher side. So it is requested that the kerosine light traps may also be arranged to supply to your dealers in Sriganganagar & other districts at reasonable price as per their demand. The progress of weekly supply may kindly be conveyed to this office so that the same can be put up to the Commissioner for perusal.

Joint Director of Agriculture

(Pla t Protectio) Raj. Ja ur

परिशिष्ट-4

राजस्थान सरकार

निदेशालय कृषि विभाग, राजस्थान

बैठक कार्यवाही विवरण

आज दिनांक 7.6.2004 को प्रात: 11 बजे आयुक्त, कृषि विभाग की अध्यक्षता में संयुक्त निदेशक कृषि (पौध संरक्षण के लिये क्रय किये जाने वाले सामान के लिये राज्य स्तरीय क्रय समिति की बैठक का आयोजन किया गया।

बैठक में निम्नांकित अधिकारियों ने भाग लिया :-

1. श्री अनिल गुप्ता, उप शासन सचिव कृषि (ग्रुप-1) विभाग सदस्य
2. श्री आर.एस. मीणा, मुख्य लेखाधिकारी, कृषि विभाग सदस्य सचिव
3. श्री एम.एल. सालोदिया, संयुक्त निदेशक, कृषि (पौ.सं.) सदस्य
4. श्री के.एस. शर्मा, उप निदेशक कृषि, आई.पी.एम. प्रयोगशाला सदस्य दुर्गापुरा, जयपुर

प्रस्तुत एजेण्डा बिन्दुओं पर विचार-विमर्श के बाद समिति ने आईटमवार निम्नानुसार निर्णय लिये :-

3. लाइट ट्रेप :- Lig t Trap

इस आईटम के लिये प्राप्त तीन प्रस्तावों में न्यूनतम दर मै. एटोज एग्रीको जयपुर की राशि 948/-रुपये कर सहित है। तकनीकी समिति ने भी मय चैक के ट्रेप क्रय की सिफारिश की है समिति ने विचार विमर्श के बाद इस दर को अनुमोदित किया।

ह.
आयुक्त कृ
राजस्थान जयपुर।

ह.
(अनिल गुप्ता)
उप शासन सचिव कृषि

ह.
(आर. एस. मीणा)
मुख्य लेखाधिकारी, कृषि

ह.
(एम. एल. सालोदिया)
संयुक्त निदेशक कृषि पौ.सं.
निदेशालय कृषि विभाग, राज.।

ह.
(के. एस. शर्मा)
उप निदेशक कृषि आई.पी.एम. प्रयोगशाला
दुर्गापुरा, जयपुर।

चम्बल परियोजना की वितरिकाओं का नवीनीकरण

230. श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली) : क्या सिंचित क्षेत्र विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सरकार द्वारा चम्बल परियोजना के अन्तर्गत निर्मित दांई और बांई मुख्य नहर तथा उनकी वितरिकाओं के नवीनीकरण के प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भिजवाने हेतु इस वर्ष कब तैयार किये गये और उनकी लागत क्या थी ?

(2) क्या यह सही है कि केन्द्र सरकार द्वारा इन नहरों के नवीनीकरण हेतु 50 प्रतिशत राशि केन्द्रीय निधि से देने का प्रस्ताव भिजवाया गया है ? यदि हां, तो कब और क्या केन्द्र की योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा कोई योजना बनाई गई है और उसको केन्द्र सरकार के पास स्वीकृति हेतु भिजवाया गया है? यदि हां, तो कब और नहीं, तो क्यों ?

(3) इन नहरों के नवीनीकरण के अभाव में कितना क्यूसेक पानी व्यर्थ में बहता है एवं उससे कितनी बीघा भूमि सिंचित की जा सकती है।

उत्तर

(1) केन्द्र सरकार के नये दिशा-निर्देशों के अनुरूप चम्बल नहरों के नवीनीकरण व पुनरुद्धार हेतु प्रस्ताव माह जनवरी, 2005 में तैयार कर लिये गये हैं।

यह प्रस्ताव रुपये 534.64 करोड़ राशि के हैं।

(2) जी हां, रिस्ट्रक्चर्ड सीएडी डब्ल्यू एम कार्यक्रम के अन्तर्गत बराबर बराबर केन्द्रीय एवं राज्य अंश निर्धारित किया गया है। केन्द्र की योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वार प्रस्ताव तैयार कर लिये गये हैं, जिन्हें भारत सरकार को स्वीकृति हेतु दिनांक 28 मार्च, 2005 को भेजा जा चुका है।

(3) विभागीय आंकलन के अनुसार चम्बल की नहरों में पानी का रिसाव लगभग 764 क्यूसेक है। यह नहरों में जल प्रवाह के अनुसार क्यूबिक फीट प्रति सैकण्ड होता है। सिंचाई के निर्धारित मापदण्ड (नॉर्म) से गणना

(सिंचित क्षेत्र एवं विकास मंत्री)

करने पर रिसाव के पानी से लगभग 15280 बीघा भूमि सिंचित की जा सकती है-

अं.कालीन-वार्ड..य कर्मियों का बकाया भुगतान

231. श्री महादेव सिंह (खण्डेला) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि श्रम न्यायालय द्वारा पारित अवार्ड की पालना में राज्य के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधीन कार्यरत पार्ट-टाइम वार्डबाय कर्मचारियों को नौकरी में बहाल करने पर सेवा मुक्ति की अवधि के पिछले बकाया वेतन का भुगतान कई वर्ष व्यतीत हो जाने के बावजूद भी नहीं किया गया? यदि हां, तो क्यों व किन-किन को? कर्मचारियों के नाम, कार्यस्थल, अवार्ड जारी होने की तिथि सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

हां। यह सही है कि श्रम न्यायालय द्वारा पारित अवार्ड की पालना में राज्य के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधीन कार्यरत पार्ट टाईम 31 श्रमिकों को नौकरी में बहाल करने पर सेवानिवृत्ति की अवधि के पिछले बकाया वेतन का भु.तान नहीं हो सका। वर्तमान में इनमें से 10 श्रमिकों का भुगतान बकाया है उन्हें नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही की जा रही है तथा 21 श्रमिकों का श्रम न्यायालय के अवार्ड के विरुद्ध अपील कर दिये जाने के कारण भुग.न बकाया है। .मिकों का नाम, कार्यस्थल, अवार्ड दिनांक एवं विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

परिशिष्ट 'अ'

क्र.सं.	पार्ट टाईम कर्मचारी का नाम	कार्य स्थल	आवार्ड दिनांक	विवरण
1	श्रीमती मंजू देवी	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, रतनगढ़ (चुरू)	29.8.2000	भुगतान तिथि- 29.8.2000 एवं 31.5.2002 राशि रुपये 71000/- बकाया भुगतान की कार्यवाही की जा रही है।
2	श्री जगदीश प्रसाद जोशी	प्रा.स्वा.केन्द्र पूलासर जिला चुरू	29.5.1997	भुगतान की तिथि- 29.5.1997 से 31.5.2001 तक राशि रुपये 123318/- बकाया भुगतान की कार्यवाही की जा रही है।
3	श्री ओमप्रकाश	घुमड़वाली गंगानगर	22.11.2001	भुगातन बकाया है, भुगातन हेतु कार्यवाही की जा रही है।
4	श्री कृष्णगोपाल शर्मा	उच्चीकृत उपकेन्द्र भगवानपुरा जिला भीलवाड़ा	13.9.2004	प्रकरण में श्री कृष्णगोपाल शर्मा के प्रकरण संख्या 3/04 में बकाया वेतन 172342/- का भुगतान करने हेतु श्रम न्यायालय द्वारा निर्णय दिया गया है। बजट आबंटन एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु कार्यवाही जारी है।
5	श्री शंकरलाल रैगर	प्रा. स्वा. केन्द्र मान्दोलाई जिला टोंक	8.1.2001	प्रकरण में कर्मचारी को अवार्ड दिनांक 8.1.2001 की पालना में 1.6.1994 से 15.6.1994 का पिछला बकाया वेतन भुगतान कर दिया गया है एवं कर्मचारी को शेष बकाया भुगतान हेतु बजट आबंटन की कार्यवाही जारी है।

1	2	3	4	5
6	श्री राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री नारायण जाट	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कूदन जिला सीकर	20.3.2002	उक्त प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी.स्पे. अपील नं 1215/2003 में पारित निर्णय दिनांक 3.11.2004 के विरूद्ध एस.एल.पी. दायर नहीं करने का निर्णय दिनांक 2.3.2005 को लिया गया है। अतः कर्मचारी के बकाया भुगतान की कार्यवाही की जा रही है।
7	श्री शिवलाल पुत्र कानाराम माली	प्रा. स्वा. केन्द्र, धामली जिला पाली	18.4.2002 तथा 10.8.1999	श्रमिक को दिनांक 10.8.1999 से 31.12.2000 तक 25 प्रतिशत वेतन के हिसाब से राशि 3235/- का भुगतान बकाया है जिसकी वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति जारी करने हेतु कार्यवाही की जा रही है। बजट आवंटन होने पर भुगतान कर दिया जायेगा।
8	देवाराम पुत्र श्री किशनलाल माली	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बगड़ीनगर पाली	22.7.2002 एवं 18.4.2000	श्रमिक को दिनांक 9.4.2004 से 31.5.2005 तक की अवधि में 25 प्रतिशत वेतन के हिसाब से राशि 2898/- का भुगतान किया जाना है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पाली के पास बजट उपलब्ध होने के फलस्वरूप भुगतान किये जाने की स्वीकृति जारी कर दी गई है। अतः बकाया भुगतान शीघ्र ही कर दिया जायेगा।
9	महेन्द्र कुमार शर्मा	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, हिण्डौन जिला करौली	22.1.1990 7.7.2003 4.9.2004	श्रम न्यायालय भरतपुर द्वारा 22.1.1990 को अवार्ड पारित किया किन्तु पार्ट टाईम कर्मी ने ड्यूटी जोईन नहीं की व अवार्ड का भुगतान वर्ष 1993 में 47000/- व 72150/-

1	2	3	4	5
				रुपये की गई है। अवार्ड 7.7.2003 के अनुसार 40560/- रुपये व अवार्ड 4.9.2004 के अनुसार 56160/- रुपये का भुगतान करना शेष है। वितीय स्वीकृति एवं बजट आबंटन की कार्यवाही की जा रही है। श्रमिक कहीं कार्य नहीं कर रहे हैं।
10	मोह. सुलेमानअंसारी पुत्र श्री अब्दुल वहाब अंसारी	राज. चिकित्सालय बारां	एलसीआर 92/98 29.8.2002	माननीय श्रम न्यायालय कोटा के निर्णय दिनांक 13.3.2002 के विरूद्ध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ, जयपुर में रिट दायर की गई थी। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ, जयपुर के निर्णय के उपरान्त कार्मिक ने दिनांक 15.12.2004 को अपनी उपस्थिति राजकीय चिकित्सालय, बारां को दी है जिसकी सूचना सम्बन्धित अधिकारी द्वारा उनके पत्रांक 7-10 दिनांक 4.1.2005 के द्वारा निदेशालय को भिजवायी है। श्रमिक के बकाया भुगतान हेतु बजट स्वीकृति की कार्यवाही की जा रही है।
11	श्री बन्नेसिंह पुत्र मंगेज सिंह	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, रतननगर जिला चुरु	12.11.2003	श्रम न्यायालय, बीकानेर का अवार्ड दिनांक 12.11.2003 निर्णय के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय में अपील करने हेतु निर्णय लिये जाने के कारण भुगतान बकाया है।
12	श्री प्रतापसिंह पुत्र श्री अमरसिंह	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बीनासर जिला चुरु	15.7.2004	22.5.1997 से 31.5.1997 बकाया भुगतान की अवधि। अवार्ड की पारित राशि रुपये 25791/-

1	2	3	4	5
				दिनांक 4.12.2004 को सरकारी वकील को अपील हेतु न्यूनतम वेतन अधिकारी, चूरू के पारित अवार्ड के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर में वाद दायर करने निर्णय होने के फलस्वरूप भुगतान बकाया है।
13	श्री बलराम	घुमड़वाली गंगानगर	88/1 दिनांक 16.3.2002	अपील माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर में विचाराधीन होने के कारण भुगतान बकाया।
14	श्री दुलीचन्द	घुमड़वाली गंगानगर	207/98 दिनांक 6.3.2000	अपील माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर में विचाराधीन होने के कारण भुगतान बकाया।
15	श्रीमती गीता बाई पत्नी रामगोपाल सालवी निवासी प्रतापगढ़	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय प्रतापगढ़	24.11.2000	माननीय श्रम न्यायालय, भीलवाड़ा द्वारा पारित निर्णय/अवार्ड दिनांक 24.11.2000 के अन्तर्गत माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर में विभाग द्वारा अपील दायर करने का निर्णय विचाराधीन होने के फलस्वरूप भुगतान बकाया है।
16	श्रीमती मोहनबाई यन्द सत्यनारायण धाबाई निवासी प्रतापगढ़	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय प्रतापगढ़	24.11.2000	माननीय श्रम न्यायालय, भीलवाड़ा द्वारा पारित निर्णय/अवार्ड दिनांक 24.11.2000 के अन्तर्गत माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर में विभाग द्वारा अपील दायर करने का निर्णय विचाराधीन होने के फलस्वरूप भुगतान बकाया है।

1	2	3	4	5
17	श्री गिरिराज प्रसाद	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डूंगरपुर		प्रकरण में श्रम न्यायालय के फैसले में दिनांक 17.10.2002 द्वारा प्रार्थी श्री गिरीराज प्रसाद को च.श्रे. कर्म. के पद पर लेने के आदेश दिया गया एवं लिखा कि प्रार्थी को दिनांक 1.4.1999 से बहाली तक 50 प्रतिशत वेतन एवं अन्य सेवा लाभ दिया जावे। उक्त प्रकरण श्रम न्यायालय, उदयपुर एवं उच्च न्यायालय, जोधपुर में विचाराधीन चल रहा है। अतः पार्ट टाईम वार्ड बॉय की नियुक्ति देना एवं अवार्ड का भुगतान सम्बन्धी प्रक्रिया माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के उपरान्त की जा सकेगी।
18	श्री छोटूराम पुत्र शंकरलाल	सामु. स्वा. केन्द्र कूदन जिला सीकर	20.3.2002	उक्त निर्णय के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय जयपुर में अपील की हुई है जिसमें न्यायालय द्वारा बैंक वेजेज पर स्टे दिया गया जिसके कारण भुगतान बकाया है।
19	श्री रणधीर सिंह पुत्र मदनलाल टकनेत	सामु. स्वा. केन्द्र कूदन जिला सीकर	20.3.2002	उक्त प्रकरण में श्रम न्यायालय, जयपुर नं. 2 द्वारा 20.3.2003 को पारित अवार्ड के विरूद्ध की गई अपील दिनांक 27.4.2004 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निरस्त की जा चुकी है, जिसके विरूद्ध डीबी में अपील पेश की जा चुकी है। जिसके निर्णय के अभाव में भुगतान बकाया है।

1	2	3	4	5
20	श्री राजेन्द्र प्रसाद पुत्र केसाराम	सामु. स्वा. केन्द्र कूदन जिला सीकर	20.3.2002	श्रम न्यायालय, जयपुर द्वारा पारित अवार्ड के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन दे दिया गया है, अभी अन्तिम निर्णय नही हुआ है। निर्णय के अनुसार बकाया भुगतान की कार्यवाही की जावेगी।
21	श्री जीवनराम पुत्र मूलचन्द हरिजन	सामु. स्वा. केन्द्र कूदन जिला सीकर	20.3.2002	श्रम न्यायालय, जयपुर द्वारा पारित अवार्ड में बैंक वेजेज भुगतान पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 2.12.2004 को स्थगन confirm कर दिया गया है। जिसके कारण भुगतान बकाया है।
22	श्री नारायण पुत्र तुलछाराम	सामु. स्वा. केन्द्र खाटूश्यामजी जिला सीकर	17.3.2003	श्रम न्यायालय नं. 2 पुन सुनवाई हेतु स्वीकार किया गया है आगामी तारीख पेशी 24.3.2005 है। जिसके कारण भुगतान बकाया है।
23	श्रीमती कमला	पीएचसी, सूरोठ		माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय अनुसार पिछली मजदूरी का भुगतान पर स्टे लगा है। जिसके कारण भुगतान बकाया है।
24	श्री प्रवीण कुमार	संलग्न चिकि. समूह, कोटा	7.3.2001	केस में अवार्ड प्राप्त होने के कारण माननीय श्रम न्यायालय में एक तरफा निर्णय डिसाइड करने हेतु प्रार्थना पत्र दिनांक 16.1.2003 अधीक्षक, महाराव भीमसिंह चिकित्सालय, कोटा द्वारा प्रेषित कर दिया गया है जिसका निर्णय अभी श्रम न्यायालय द्वारा नहीं किया गया है जिसके कारण भुगतान बकाया है।

1	2	3	4	5
25	श्रीमती सुशीलाबाई	संलग्न चिकि. समूह, कोटा	15.2.2002	केस में अवार्ड प्राप्त होने के कारण माननीय श्रम न्यायालय में एक तरफा निर्णय डिसाइड करने हेतु प्रार्थना पत्र दिनांक 16.1.2003 अधीक्षक, महाराव भीमसिंह चिकित्सालय, कोटा द्वारा प्रेषित कर दिया गया है जिसका निर्णय अभी श्रम न्यायालय द्वारा नहीं किया गया है जिसके कारण भुगतान बकाया है।
26	राजू पुत्र छोटू	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कोटा	31.7.1995	एसबी सिविल रिट सं. 3441/01 द्वारा अवार्ड दिनांक 31.7.1995 के विरूद्ध अपील दायर कर रखी है। स्टे जारी नहीं होने का हवाला देते हुए उक्त कर्मी द्वारा अन्य वाद सं. 10/2001 में श्रम न्यायालय, कोटा द्वारा दिनांक 6.10.2003 को पुनः निर्णय पारित कि 3 माह में 1,10,587.00 का भुगतान करें अन्यथा 9 प्रतिशत ब्याज प्रति वर्ष की दर से भुगतान करना होगा। आदेश दिनांक 6.10.2003 के विरूद्ध पुनः रिट सं. 5814/04 उच्च न्यायालय में दायर की गई जो विचाराधीन है एवं आदेश दिनांक 6.10.2003 की पालना करने के सम्बन्ध में अति. श्रम आयुक्त एवं पदेन उपशासन सचिव, राज. जयपुर के यहां दिनांक 24.12.2004 एवं 19.2.2003 को तारीख पेशी है एवं अन्तिम अवसर दिनांक 29.4.2006 निश्चित की गई है। जिसके कारण भुगतान बकाया है।

1	2	3	4	5
27	निजामुद्दीन	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कोटा	31.7.1995	एसबी सिविल रिट सं. 3442/01 उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा 27.8.2002 स्टे पारित किया। प्रकरण विचाराधीन है। आगामी पेशी दिनांक 28.4.2005 है।
28	रामचरण	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, कोटा	4.7.1996	एसबी सिविल रिट सं. 2082/81 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 4.7.2001 को स्टे पारित।
29	सीताराम	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कोटा	3.5.2001	एसबी सिविल रिट सं. 167/2004 उच्च न्यायालय, जयपुर में अवार्ड दिनांक 3.5.2001 के विरूद्ध सिविल रिट सं. 167/2004 दायर कर रखी है। आगामी पेशी दिनांक 7.4.2005 है। स्टे पारित नहीं हुआ है।
30	श्री बृजराजसिंह	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कोटा	13.5.2002	फैसला दिनांक 5.12.2001 के विरूद्ध रिट पीटिशन सं. 823/2004 उच्च न्यायालय, जयपुर में पेश की गई है। निर्णय के अभाव में भुगतान बकाया है।
31	श्री रामचरण पुत्र कजोड़ीलाल	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कोटा	23.12.1998	श्रम न्यायालय द्वारा पारित अवार्ड के विरूद्ध रिट संख्या 2680/99 दायर की गई जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 17.7.2003 को निर्णय पारित कर आदेश दिये कि श्रमिक को च.श्रे. कर्मचारी के पद पर नियुक्त करें एवं पिछली सेवाओं का किसी प्रकार का लाभ नहीं दिया जावे उक्त फैसले के विरूद्ध रिट सं. विशेष अपील संख्या 4/2004 दिनांक 20.12.2003 को दायर की गई जिसका निर्णय नहीं होने के कारण भुगतान बकाया है।

सेठ छोटूलाल सेठिया राजकीय चिकित्सालय सरदारशहर में उपलब्ध सुविधाएं

232. श्री भंवरलाल शर्मा (सरदारशहर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सेठ छोटूलाल सेठिया राजकीय चिकित्सालय, सरदारशहर में कौन-कौनसे कितने-कितने पद स्वीकृत हैं और कितने-कितने पद कब-कब से रिक्त हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त चिकित्सालय में रिक्त पदों को कब तक भर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त चिकित्सालय में पदों में कटौती की गई है ? यदि हां, तो कौन-कौन से पदों की कब-कब ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या उक्त चिकित्सालय में रोगी वाहन (एम्बूलेंस) है? यदि हां, तो उक्त वाहन कब खरीदा गया और वर्तमान में वह किस हालत में है? क्या उक्त रोगी वाहन को मरीजों हेतु उपयोग में लाया जाता है? यदि हां तो वाहन खरीदने से अब तक मरीजों को लाने-ले जाने में कितने राजस्व की प्राप्ति हुई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि उक्त चिकित्सालय की प्रयोगशाला में बीमारियों की जांच होती है? यदि हां, तो किस-किस बीमारी की? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या यह सही है कि उक्त चिकित्सालय में गाज पट्टी की सप्लाई की जाती है? यदि हां तो गत दो वर्षों में क्रय की गई गाज पट्टी का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(7) क्या यह सही है कि उक्त चिकित्सालय में शल्य चिकित्सा के उपकरण मौजूद हैं? यदि हां, तो उक्त उपकरण कहां-कहां से कब-कब खरीदे गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(8) उक्त चिकित्सालय में गत दो वर्षों में कौन-कौनसी दवाइयों की आपूर्ति कब-कब की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सरदारशहर में स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण मय रिक्ति अविध के परिशिष्ट 'अ' पर उपलब्ध है।

(2) कनिष्ठ विशेषज्ञ एवं नर्स श्रेणी प्रथम के रिक्त पद पदोन्नति से भरे जाने हैं। विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित होने पर भरा जाना संभव होगा।

नर्स श्रेणी द्वितीय को रिक्त पदों को संविदा पर भरने के लिये माह फरवरी, 2004 में विज्ञप्ति जारी की गई थी जिस पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन दे रखा है। अब राज्य सरकार से 100 नर्स श्रेणी द्वितीय के रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति की स्वीकृति जारी की गई है जिसकी विज्ञप्ति शीघ्र ही जारी कर इन पदों को शीघ्र भरने की कार्यवाही की जायेगी तथा राजस्थान उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश निरस्त करने के प्रयास जारी है।

कनिष्ठ लिपिक एवं डेन्टल टेक्नीशियन को रिक्त पदों के वितीय संसाधन की उपलब्धता के अनुसार भरने की कार्यवाही की जायेगी।

(3) जी हां। राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सरदारशहर में समाप्त किये गये पदों का विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र.सं.	पद का नाम	पदों की समाप्ति की संख्या	पद समाप्ति की तिथि
1	चिकित्सा अधिकारी	1	9/04
2	वरिष्ठ लेब टेक्नीशियन	1	9/96
3	वार्ड ब्वाय/चुतेर्थ श्रेणी कर्मचारी	3	10/99 9/200 (दो पद)

(4) जी हां। रोगी वाहन दिनांक 24.4.1996 को क्रय किया गया और वर्तमान में चालू हालत में है। उक्त रोगी वाहन रोगियों को लाने-ले जाने के उपयोग में आता है। रोगी वाहन क्रय किये जाने से जनवरी, 2005 तक राशि रुपये 61669 का राजस्व प्राप्त हुआ।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

(5) जी हां, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सरदारशहर की प्रयोगशाला में सामान्य जांचें जैसे क्षय (बलगम की जांच), मलेरिया के लिये रक्त की जांच रक्त में हीमोग्लोबीन की जांच, मूत्र में शुगर आदि की जांचों की सुविधा उपलब्ध है।

(6) जी हां। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सरदारशहर में गत दो व: में क्रय की गई गॉज पट्टी का विवरण परिशिष्ट 'ब' पर उपलब्ध है।

(7) जी हां। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सरदारशहर में उपलब्ध शल्य चिकित्सा उपकरणों का विवरण परिशिष्ट 'स' पर उपलब्ध है।

(8) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सरदारशहर में गत दो वर्षों में उपलब्ध कराई गई दवाइयों का विवरण परिशिष्ट 'द' पर उपलब्ध है।

परिशिष्ट ':'

राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सरदारशहर में स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण मय रिक्ति अवधि सहित निम्न प्रकार है-

क्र. सं.	संस्थान का नाम	स्वीकृत पद का नाम	स्वीकृत पदों की संख्या	कार्यरत पदों की संख्या	रिक्त पदों की संख्या	रिक्ति : वधि
1	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सरदारशहर	कनिष्ठ विशेषज्ञ	5	4	1	12/04 (गायनी)
		वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	1	1	-	-
		चिकित्सा अधिकारी	4	4	-	-
		दन्त चिकित्सक	1	1	-	-
		नर्स श्रेणी प्रथम	7	-	7	6/86 5/84 8/98 7/96 5/94 3/84 1/87

		नर्स श्रेणी द्वितीय	13	11	2	7/2003 6/2000
		वरिष्ठ लेब	1	1	-	
		टैक्नीशियन				
		कनिष्ठ लेखाकार	1	1	-	
		वरिष्ठ लिपिक	1	1	-	
		कनिष्ठ लिपिक	3	2	1	5/2000
		डेन्टल टेक्नीशियन	1	-	1	4/86
		सहायक रेडियोग्राफर	1	1	-	
		वाहन चालक	1	1	-	
		वार्ड ब्वाय	10	10	-	

परिशिष्ट 'ब'

राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सरदारशहर में गत दो वर्षों में क्रय की गई गाज बैण्डेज का विवरण निम्न प्रकार है-

वित्तीय वर्ष	क्रय की गई गाज बैण्डेज का विवरण	मात्रा	क्रय की राशि का विवरण (रुपयों में)
2002-2003	बैण्डेज (4 ईंच)	200 दर्जन	12,850/-
2003-2004	गाज	300 थान	27,450/-
	बैण्डेज (4 ईंच)	200 दर्जन	12,850/-
	बैण्डेज (6 ईंच)	200 दर्जन	21,625/-

परिशिष्ट 'स'

राजकीय स्वास्थ्य केन्द्र, सरदारशहर में उपलब्ध शल्य चिकित्सा उपकरणों का विवरण

S. No.	Na e of Instrument	Quantity	Recived	Purc ase or Received fro
1	Autoclave Electric (Horizontal)	1	2004	Add/ CM&HO Churu
2	Autoclave Electric (Vertical)	1	1997	Purchased sri sarin & Sons. Jaipur
3	Autoclave Steam (Vertical)	1	1999	Purchased Inter. Surgical Com. Jaipu
4	Operation Table	2	1970, 1992	CM&HO Ra ang h Purchased Me os Surgical Co. Jaipur
5	Floor shado wise Lamp	2	2001, 2003	CM&HO Ratangarh Add. CM&HO Churu.
6	B.P. Instrument	2	1999	Dy. CM&HO Churu
7	Oxygen Cylinder	2	1996, 2004	Purchased Times Surgical Co. jaipur
8	D & C Set	2	1999	Purchased Inter. Surgical Co. jaipur
9	MTP Machine	1	1986	Dy. CM&HO Cl uru
10	Suction Machine	1	2002	Dy. CM&HO Churu
11	Laryno Scope	1	1982	CM&HO Ratangarh
12	Artery forceps	69	2000, 2004	PPC Sardarshar
13	Alis Tissue Foroep	27	1998, 2004	CM&HO Ratangarh Add. CM&HO Churu
14	Non Tooth forceps	3	1990, 1992	CM&HO Ratangarh
15	Non Tooth forceps	3	1990, 1992	CM&HO Ratangarh

S. No.	Name of Instrument	Quantity	Recived	Purchase or Received from
16	Needal Holder	6	1996, 2004	CM&HO Ratangarh Dy. CM&HO Churu
17	Right Angle Retractors	2	1977	CM&HO Ratangarh
18	Dogy Retractors	2	1976, 1982	CM&HO Ratangarh
19	Green Armitiage forceps	2	1984	CM&HO Ratangarh
20	Midwifery Forceps	1	1985	CM&HO Ratangarh
21	Others Retractors	9	1984	CM&HO Ratangarh
22	Spong Holding forceps	2	1992	CM&HO Ratangarh
23	Razer for skin carating	3	1976, 1978	CM&HO Ratangarh
24	Anterior Vaginal Wall Retractor	2	1993	CM&HO Ratangarh
25	S Gaper	1	1976	CM&HO Ratangarh
26	Scissors	20	1996, 2004	CM&HO Ratangarh Dy. CM&HO Churu
27	Tengue Holding forceps	1	1996	CM&HO Ratangarh
28	Drum S S	17	1994, 2004	CM&HO Ratangarh Add. CM&HO Churu
29	Chiled forceps	4	1995	CM&HO Ratangarh
30	Bad cook	5	1979, 1982	CM&HO Ratangarh
31	Hystrctomy clamp	4	1983	CM&HO Ratangarh
32	B.P. Handle	4	1977	CM&HO Ratangarh
33	Bone Holding forceps	1	1984, 1986	CM&HO Ratangarh

S. No.	Na t of Instru ent	Quantity	Recived	P rc' se or Received fro
34	Bone cutting forceps	1	1984, 1986	CM&HO R ang h
35	Bone cetouse	3	1984, 1986	CM&HO R g h
36	Bone Chiepeal	2	1984, 1986	CM&HO R angarh
37	Bone Ruppler	2	1984, 1986	CM&HO R g h
38	Periosteam elevator	2	1984, 1986	CM&HO R g h
39	Troobar canula	0	0	0
40	Amputation Saw	1	1980	CM&HO R ang h
41	Double Luncher L roscope	1	2004	Dy. CM&HO Churu

परिशिष्ट 'द'

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सरदारशहर में गत दो वर्षों में उपलब्ध कराई गई दवाइयों का विवरण निम्न प्रकार है-

S.No.	Na e of Madicine	Receiving Date	Q t'y
	Year 2002-2003		
1	Inj. Dexorange 5%	25.7.2002	750 Bottel
2	Inj. GNS 5%	25.7.2002	300 Bottel
3	Inj. Ampiciline 500mg	25.7.2002	1000 Vial
4	Inj. PPF 4 Lakh	25.7.2002	1000 Vial
5	Inj. Ampicllne 250 mg	25.11.2002	1000 Vial
6	Inj. Ampicilline 500 mg	25.11.2002	1000 Vial

S.No.	Na ie of Madicine	Receivi g Date	Q a tity
	Year 2002-2003		
7	Inj. Ciprotloxacin 100 ml	25.11.2002	100 Bottel
8	Inj. PPF 4 Lakh	25.11.2002	1000 Vial
9	Inj. Menitol 20%	25.11.2002	25 Bottel
10	Inj. Dextroj 5%	25.11.2002	750 Bottel
11	Inj. GNS 5%	25.11.2002	750 Bottel
12	Inj. Ringel Lacted	25.11.2002	200 Bottel
13	Inj. Metronidazol 100 ml	25.11.2002	100 Bottel
14	Phinyl	31.10.2002	20 Lt.
15	Inj. Pentajosine	31.10.2002	100 Amp.
16	Povidione Iodine oint.	31.10.2002	30 Jar.
17	Povidione Iodine Solution	31.10.2002	40 Bottel
18	Inj. Dyclophinyl	31.10.2002	150 Amp.
19	Inj. Matracloromide	31.10.2002	50 Amp.
20	Inj. Sifotaxism 1 mg	31.10.2002	500 Vial
21	Inj. Sifotaxism 250	31.10.2002	500 Vial
22	Inj. Sitrex 250 mg	31.10.2002	500 Vial
23	Inj. Dexomethacen	31.10.2002	100 Vial
24	Inj. Gentamysine 80 mg	31.10.2002	500 Vial
25	Inj. Ringer Lacted	9.12.2002	300 Bottel
26	Cotton Roll	19.3.2003	300 Roll.
27	IV set	27.3.2003	500 Nag.
28	Cap. Tetracyclne 250 mg	8.1.2003	2000
29	Tab. Sifotaxism 500 mg	8.1.2003	1000

S.No.	Name of Madicine	Receiving Date	Quantity
	Year 2002-2003		
30	Tab. Cotrimxazole DS	8.1.2003	1000
31	Cap. Ampicilline 250 mg	8.1.2003	2000
32	Cap. Amoxocyolen 250 mg	8.1.2003	2000
33	Cap. Amoxocyclen 500 mg	8.1.2003	2500
34	Tab. Ibreufon 400 mg	28.2.2003	4000
	Year 2003-2004		
1	Tab. Paracetamol	9.12.2003	20,000
2	Tab. C.T.M./S.S.	9.12.2003	10,000
3	Tab. C.T.M. D.S.	9.12.2003	10,000
4	Tab. Metronidazol 200 mg	9.12.2003	2,000
5	Tab. Metronidazol 400 mg	9.12.2003	3,000
6	Tab. Salbutamol 4 mg	9.12.2003	2,500
7	Tab. Metoclopromide 10 mg	9.12.2003	3,000
8	Cap. Amoxiciline 250 mg	9.12.2003	4,000
9	Cap. Amdicilline 500 mg	9.12.2003	5,000
10	Cap. Ampiciline 250 mg	9.12.2003	4,000
11	Inj. Diclofenic Sodium	23.10.2003	700
12	Inj. Cefataxime 500 mg	23.10.2003	1,000
13	Inj. Gentamycine 80 mg	23.10.2003	11,000
14	Black Disinfatant fluid	15.11.2003	10 Drum (20 Lts each)
15	Tab. Ibuprofen 400 mg	28.3.2004	10.000
16	Inj. Cefaaxime 500 mg	25.3.2004	500

S.No.	Name of Madicine	Receiving Date	Quantity
	Year 2003-2004		
17	IV Set	22.3.2004	1,000
18	Cotton Roll	26.3.2004	200
19	Tab. Ibuprofen 400 mg	26.3.2004	10,000
20	Cap. Tetracycling 250 mg	29.3.2004	5,000
21	Tab. Ciprofloxacin 250 mg	29.3.2004	5,000
22	Tab. Ciprofloxacin 500 mg	29.3.2004	5,000
23	Tab. Diclorenic Sodium 50 mg	29.3.2004	5,000
24	Inj. Dextors 5%	23.1.2004	500
25	Inj. G.N.S. 5%	23.1.2004	500
26	Inj. Ringer Lactate	23.1.2004	500
27	Inj. P.P.F. 4 Lac unit	23.1.2004	500
28	Inj. Ampicilline 250 mg.	23.1.2004	500
29	Inj. Metronidazol 100 mg.	23.1.2004	500
30	Inj. Ciprofloxacin 100 mg.	23.1.2004	500
31	Syp. Ampicilline	15.3.2004	300
32	Needle Disposable	18.3.2004	10,000
33	Disposable Syring 2 CC	18.3.2004	5,000
34	Disposable Syring 5 CC	18.3.2004	10,000
35	Disposable Syring 10 CC	18.3.2004	2,000
36	Inj. Cefatrioxon 250 mg.	18.3.2004	300
37	Inj. Cefatrioxon 1 mg.	26.12.2003	100
38	Inj. Cefatrioxon 250 mg.	26.12.2003	100
39	Inj. Metoolopromide	13.1.2004	700

S.No.	Name of Madicine	Receiving Date	Quantity
	Year 2003-2004		
40	Inj. Dexamethasone	13.1.2004	200
41	Inj. Insulin	2003-2004	50

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र साहवा (चूरू) में राजलक्ष्मी योजनान्तर्गत नसबन्दी आपरेशन

233. डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि दो बच्चों के उपरान्त नसबन्दी आपरेशन कराने पर नियमों में राजलक्ष्मी बाण्ड दिये जाने का प्रावधान है? यदि हां, तो उक्त योजना के अन्तर्गत वर्ष 1995 में विधान सभा क्षेत्र तारानगर के राजकीय चिकित्सालय में कितने व्यक्तियों की नसबन्दी की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि कार्यालय वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र साहवा (चूरू) के पत्र क्रमांक प.क./03/1998-99 दिनांक 8-2-2003 द्वारा अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी परिवार कल्याण, चूरू को राजलक्ष्मी बाण्ड स सम्बन्धित कोई सूचना भिजवाई गई थी ? यदि हां, तो उक्त सूचना पर अब तक क्या कार्यवाही की गई व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राज्य सरकार ने दिनांक 1.4.1992 से दो बच्चों के उपरान्त नसबन्दी आपरेशन करवाने पर राजलक्ष्मी योजना लागू की थी। उक्त योजना के अन्तर्गत नसबन्दी आपरेशन करवाने वाली महिला/पुरूष के दो बच्चों में से एक लड़की होने पर एक राजलक्ष्मी बाण्ड एवं दूसरी भी लड़की होने पर दो राजलक्ष्मी बाण्ड दिये जाने का प्रावधान था। राजलक्ष्मी बाण्ड भारतीय यूनिट ट्रस्ट के द्वारा जारी किया जाता था। भारतीय यूनिट ट्रस्ट के द्वारा दिनांक 26.6.2000 को राजलक्ष्मी योजना स्थगित कर दी है। उक्त योजना के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र तारानगर के राजकीय चिकित्सालय में वर्ष 1995 (दिनांक 1.1.1995 से 31.12.1995) तक 58 नसबन्दी आपरेशन किये गये। (सूची संलग्न है।)

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

(2) जी हां, परन्तु वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र साहवा (चूरू) का पत्र क्रमांक प.क./03/1998-99 दिनांक 8.2.2003 अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी परिवार कल्याण, चूरू को प्राप्त नहीं हुआ है। अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं स्वास्थ्य अधिकारी परिवार कल्याण, चूरू द्वारा उक्त पत्र की प्रति दिनांक 19.2.2005 को वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र साहवा चूरू से प्राप्त की है, जिसमें श्री काशीराम कुम्हार पुत्र श्री गोपालराम के दिनांक 10.1.1995 को नसबन्दी आपरेशन करवाने पर कुमारी चम्पा के नाम से राजलक्ष्मी बाण्ड से सम्बन्धित सभी सूचनाएं भिजवाने का उल्लेख था, जिस सम्बन्ध में यूटीआई द्वारा वर्ष 1994-95 में राजलक्ष्मी बाण्ड संख्या 403950070019857 जारी किया गया है, जो कि यूटीआई द्वारा सीधे ही लाभार्थी को भेजा गया है, लेकिन लाभार्थी को उक्त राजलक्ष्मी बाण्ड प्राप्त नहीं हुआ है। विभागीय अधिकारियों ने दिनांक 19.2.2005 को श्री काशीराम पुत्र श्री गोपालराम कुम्हार ग्राम पोस्ट रेवासी, तह. तारानगर जिला चुरू से व्यक्तिश: सम्पर्क स्थापित करके लेट आफ टेकिंग प्राप्त कर डुप्लीकेट बाण्ड जारी करने हेतु निदेशालय को भिजवाया है। उक्त लेटर आफ अण्डर टेकिंग निदेशालय के पत्र क्रमांक 15 दिनांक 21.2.2005 के द्वारा यूटीआई को डुप्लीकेट बाण्ड जारी करने के लिए प्रेषित की गई है।

दिनांक 1.1.1995 से 31.12.1995 तक विधान सभा क्षेत्र तारानगर में राजलक्ष्मी बाण्ड के अन्तर्गत किये गये नसबन्दी केसेज की सूची

क्र.सं.	नसबन्दी कैसेज का नाम	जाति	गांव का नाम	तिथि
1	श्रीमती सुमित्रा पत्नी श्री ओमप्रकाश	जाट	रेडी झालड़ा	10.1.1995
2	श्रीमती धापा पत्नी श्री बीरबल	जाट	झोथड़ा	10.1.1995
3	श्री काशीराम पुत्र रामगोपाल	कुम्हार	रेवासी	10.1.1995
4	श्रीमती रोशनी पत्नी श्री श्योराम	चमार	पंडरउ टीबा	10.1.1995
5	श्रीमती पारी पत्नी श्री मुन्नीराम	जाट	आशा की ढाणी	10.1.1995
6	श्रीमती गुड्डी पत्नी श्री गोपीराम	जाट	आशा की ढाणी	10.1.1995
7	श्रीमती लाली पत्नी श्री पूर्णाराम	जाट	धीरवास बडा	13.1.1995
8	श्रीमती सरबती पत्नी श्री मुनसीराम	नाई	पिषाणा	23.1.1995

क्र.सं.	नसबन्दी कैसेज का नाम	जाति	गांव का नाम	तिथि
9	श्रीमती भंवरी पत्नी श्री हीरालाल	जाट	चिमनपुरा	27.1.1995
10	श्रीमती सुमित्रा देवी पत्नी श्री किशनकुमार	जाट	सेउवा	27.1995
11	श्रीमती कमोड़ पत्नी श्री अमरसिंह	जाट	झाडसर छोटा	3.2.1995
12	श्रीमती किशना पत्नी श्री धर्मपाल	जाट	डाबड़ी छोटी	3.2.1995
13	श्रीमती खिनड़ी पत्नी श्री बुधाराम	जाट	कालोड़ा	8.2.1995
14	श्रीमती दमाकौर पत्नी श्री जयसिंह	जाट	चंगोई	8.2.1995
15	श्री पन्नालाल पुत्र श्री कानाराम	जाट	सेउवा	10.2.1995
16	श्रीमती भंवरी पत्नी श्री महावीर	जाट	भलाउ टीबा	10.2.1995
17	श्रीमती मोहरी पत्नी श्री बलवंतसिंह	जाट	भलेखड़ा	10.2.1995
18	श्रीमती कमला पत्नी श्री विनोद कुमार	जाट	बांय	16.2.1995
19	श्रीमती सरला पत्नी श्री बनवारीलाल	जांगिड़	तारानगर	26.2.1995
20	श्रीमती सुगनी पत्नी श्री दीपचन्द	जाट	आनंदसिंहपुरा	27.2.1995
21	श्रीमती गीता पत्नी श्री कैलाशचन्द	जाट	खानपुरा	27.2.1995
22	श्रीमती सरस्वती पत्नी श्री राजेन्द्र सिंह	जाट	भनीन	27.2.1995
23	श्रीमती गीता पत्नी श्री मदनसिंह	सुनार	भनीन	9.3.1995
24	श्रीमती बिमला पत्नी श्री प्रेमरतन	शर्मा	हन्नीबड़ा	10.3.1995
25	श्रीमती अमृता पत्नी श्री मदनसिंह मीणा	मीणा	सुलखनियां	23.3.1995
26	श्रीमती सुरेश पत्नी श्री त्रिलोकचन्द	गूजर	राजपुरा	10.4.1995
27	श्रीमती उच्छकंवर पत्नी श्री जयवीरसिंह	राजपूत	दुलेरी	10.4.1995
28	श्रीमती मोहनी पत्नी श्री हरिसिंह	जाट	महलाना किसनाड़ा	27.4.1995
29	श्रीमती भंवरी पत्नी श्री सीताराम	स्वामी	वार्ड 2 तारानगर	27.5.1995
30	श्रीमती ग्यारसी पत्नी श्री किशनलाल	नायक	यथा	27.5.1995
31	श्रीमती अचरज पत्नी श्री जीवराजसिंह	राजपूत	राजपुरा	27.5.1995
32	श्री फडसीराम पुत्र श्री धन्नाराम	जाट	भमीण	10.6.1995
33	श्रीमती भागवती नाई	नाई	वार्ड 16 तारानगर	10.6.1995

क्र.सं.	नसबन्दी कैसेज का नाम	जाति	गांव का नाम	तिथि
34	श्रीमती लाली पत्नी श्री प्रहलादसिंह	राजपूत	जिकसाना	10.6.1995
35	श्रीमती भंवरी पत्नी श्री रामपाल	जाट	गोड़ास	10.9.1995
36	श्रीमती बनारसी पत्नी श्री दौलतराम	जाट	धिरवास बड़ा	10.10.1995
37	श्रीमती कांता पत्नी श्री समुन्दर सिंह	राजूपत	गाजुवास	27.10.1995
38	श्रीमती जमना पत्नी श्री शिशपाल	जाट	गोडलिया बागावास	27.10.1995
39	श्रीमती ओमी पत्नी श्री जयसिंह	जाट	पन्डरेउ टीबा	10.11.1995
40	श्रीमती शारदा पत्नी श्री नन्दकिशोर	पांडिया	बुचावास	18.11.1995
41	श्रीमती नारायणी पत्नी श्री केसराराम	सुथार	बुचावास	18.11.1995
42	श्रीमती कृष्णा पत्नी श्री बलवीर	जाट	बीरमीखालसा	22.11.1995
43	श्रीमती सीरू कंवर पत्नी श्री रतनसिंह	चारण	दांतली	22.11.1995
44	श्रीमती इन्द्रा पत्नी श्री रामनिवास	-	भभभाड़ा	27.11.1995
45	श्रीमती पार्वती पत्नी श्री ताराचन्द	-	जाटान	27.11.1995
46	श्रीमती लिछमा पत्नी श्री ओमप्रकाश	-	रैड़याटुण्डा	27.11.1995
47	श्रीमती केसर पत्नी श्री भगवानसिंह	राजपूत	घोड़ीवास	10.12.1995
48	श्री शन्तलाल पुत्र श्री सुलतानाराम	जाट	ओजारियां	10.12.1995
49	श्रीमती कमला पत्नी श्री रूपराम	जाट	कालवास	10.12.1995
50	श्रीमती गुड्डी पत्नी श्री मनीराम	जाट	कालवास	10.12.1995
51	श्रीमती संतोष पत्नी श्री शीशराम	जाट	ढाणी आशा	10.12.1995
52	श्रीमती गुड्डी पत्ना श्री सुलतानसिंह	गुसांई	धिरवास छोटा	10.12.1995
53	श्रीमती शांति पत्नी श्री मनीराम	जाट	कैलाश	10.12.1995
54	श्रीमती कलावती पत्नी श्री मोहनलाल	जाट	कैलाश	10.12.1995
55	श्रीमती उच्छव कंवर पत्नी श्री विक्रमसिंह	राजपूत	भाडंग	13.12.1995
56	श्रीमती सुकमा पत्नी श्री तुलसराम	जाट	भमीण	13.12.1995
57	श्रीमती राजबाला पत्नी श्री कृष्णकुमार	जाट	धीरवास छोटा	13.12.1995
58	श्रीमती प्रमेश्वरी पत्नी श्री रामूराम	जाट	ढाणी माना	13.12.1995

ब्यावर के सड़क विहीन राजस्व ग्राम

234. श्री देवीशंकर भूतड़ा (ब्यावर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र ब्यावर में कितने राजस्व ग्राम हैं? इनमें से कितने राजस्व ग्राम अभी सड़कों से जोड़ने से वंचित रहे गये हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार इन गांवों को सड़क से जोड़ने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक एवं नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र ब्यावर में कुल 159 राजस्व गांव हैं। जिनमें से 106 गांव डामर सड़क, 18 गांव मेटल सड़क, 16 गांव ग्रेवल सड़क से जुड़े हैं तथा शेष 19 गांव किसी भी प्रकार की सड़क से जुड़े हुए नहीं है। सूची परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) वर्ष 2001 की जनसंख्या के अनुसार 500 से अधिक जनसंख्या के 4 गांव हैं।

1. गुजर गुम्मा (645)
2. पुनेरा (612)
3. जालिया-II (567)
   (बास पीथा)
4. शिवनगर (जवाजा) (516)

इन गांवों को जनसंख्या की प्राथमिकता के आधार पर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में प्रस्तावित किया जावेगा। शेष गांवों को सड़क से जोड़ने के लिये राज्य के उपलब्ध वित्तीय संसाधनों व प्राथमिकताओं के आधार पर कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

परिशिष्ट 'अ'

ब्यावर विधान सभा क्षेत्र में मेटल सड़क से जुड़े गांवों की सूची

क्र.सं.	गांव का नाम	व ़ 2001 के अनुसार जनसंख्या
1	भूरिया खेड़ा कला	557
2	बाडिया सामा	517
3	लसानी-द्वितीय	512
4	लाडपुरा दानेर	472
5	बाडिया जग्गा	449
6	बाडिया गैना	446
7	अमरपुरा खेडाकला	430
8	सरूपा	419
9	बियां खेड़ा	406
10	मवासा	376
11	हथानखेड़ा	368
12	बाली खेड़ा	360
13	सेलीबेरी	330
14	बाडिया अजूबा	319
15	बाडिया लूम्बा	391
16	बाडिया मोटा	276
17	भैरू खेड़ा (सनवा)	251
18	लाम्बा (राजियावास)	171

परिशिष्ट 'अ'

ब्यावर विधान सभा क्षेत्र में ग्रेवल सड़क से जुड़े गांवों की सूची

क्र.सं.	गांव का नाम	वर्ष 2001 के अनुसार जनसंख्या
1	जालिया-द्वितीय (बास दुर्गा)	309
2	खेजड़ला	299
3	जैतपुरा	264
4	भगवानपुरा (नया नगर)	260
5	बरल (जवाजा)	246
6	मालपुरा (देवाता)	204
7	डेल्टान	182
8	राजपुरा (बोयान)	153
9	जालिया-द्वितीय (बांसकला)	151
10	देवाली	144
11	बनाखेड़ा	142
12	सेमला (विजयनगर रोड़)	99
13	प्रतापपुरा (राजियावास)	96
14	ठाकरावास	92
15	राजेन्द्रा	87
16	रामसर (इन्द्रा)	4

परिशिष्ट 'अ'

किसी भी प्रकार की सड़क से नहीं जुडे गावों की सूची

क्र.सं.	गांव का नाम	वर्ष 2001 के अनुसार जनसंख्या
1	गूजरगम्मा	645
2	पुनेरा	612
3	जालिया-द्वितीय (बास पीथा)	567
4	शिवनगर (जवाजा)	516
5	बस्सी (जवाजा)	454
6	गणेशपुरा (साथुखेड़ा)	404
7	अडबेला	387
8	रामपुरा (गुढाबाला)	385
9	सागापा	361
10	बनवाडी	285
11	धोलादांता (बराखन)	253
12	बराल खेड़ा	244
13	नयासर	231
14	गाजीपुरा	87
15	बाडिया तैजा	68
16	शोभापुरा	35
17	भवानीखेड़ा (नया नगर)	9
18	देवपुरा (रूपनगर)	0
19	बूंटी (सलारी)	0

जखाना-रायथल (बूंदी) सम्पर्क सड़क हेतु अवाप्त भूमि का मुआवजा

235. श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जखाना से रायथल (बूंदी) सम्पर्क सड़क निर्माण में काम आई भूमि अवाप्ति हेतु 12.75 लाख रुपये की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति राज्य सरकार के पत्र क्रमांक एफ.2 (42) पी.डब्ल्यू./ए.एस./86/डी-683 दिनांक 18 अक्टूबर, 2004 द्वारा जारी की जा चुकी है? यदि हां, तो प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा उक्त भूमि की मुआवजा राशि का अवार्ड जारी किया जा चुका है? यदि हां, तो प्रति सहित सूची सदन की मेज पर रखें तथा नहीं, तो अब कब तक अवॉर्ड ज़ारी किया जावेगा ?

उत्तर

(1) जी हां। प्रति परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। भूमि अवाप्ति अधिनियम के तहत धारा 4(1) के प्रकाशन की कार्यवाही प्रगति पर है।

परिशिष्ट 'अ'

राजस्थान सरकार
सार्वजनिक निर्माण विभाग

प्रेषक-
अतिरिक्त सचिव
सार्वजनिक निर्माण विभाग
राजस्थान जयपुर।

प्रेषिति-
मुख्य अभियन्ता
सार्वजनिक निर्माण विभाग
राजस्थान जयपुर

क्रमांक : एफ-2(42)पीडब्ल्यू/ए.एस./डी-683 दिनांक : 14.10.2004

विषय : भूमि अवाप्ति मुआवजा भुगतान हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दिये जाने बाबत।

महोदय

निर्देशानुसार लेख है कि बजट मद 5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पंजीकृत परिव्यय – राज्य के राजमार्ग, 337 सड़क निर्माण कार्य, 03 भूमि अवाप्ति का भुगतान (आयोजना व्यय के अन्तर्गत 114) व्यय 3 विभाग के आई.डी. क्रमांक 2862 दिनांक 12.10.2004 के तहत राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से निम्नांकित निर्माण कार्यों के अन्तर्गत उनके सम्मुख अंकित राशि अनुसार भूमि अवाप्ति के मुआवजे भुगतान हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है :-

क्र.सं.	जिला	सड़क का नाम	राशि (लाखों में)	विशे. विवरण
		जिला खण्ड प्रथम-जयपुर		
1	जयपुर	आकोदा से नारायणा घाट प्रथम-द्वितीय	8.79	
2	जयपुर	खो नागोरिया से जगतपुरा	5.89	
3	जयपुर	फुलेरा बाईपास लेवल क्रासिंग	11.92	
4	जयपुर	रेनवाल बाईपास	50.46	
5	जयपुर	भोजपुरा से माधोराजपुरा	1.27	
6	जयपुर	जोन से बाईपास से कनकपुरा रेलवे वार्ड 44 सड़क का निर्माण	4.25	
		कुल योग	82.58	
		जिला खण्ड द्वितीय-जयपुर		
7	जयपुर	टोराडा से द्वारिकापुर	20.10	
8	जयपुर	पावटा से मानावा	14.94	
9	जयपुर	नांगल पंडितपुरा से राजनाटा	3.66	
10	चूरू	विजरागसर से जैतसीसर	0.10	
11	चूरू	गणासर से बनियासर	0.97	
		कुल योग	8.75	

क्र.सं.	जिला	सड़क का नाम	राशि (लाखों में)	विशे. विवरण
		खण्ड बून्दी		
12	बून्दी	निर्माण कार्य जरखाना से रायथल किमी. 0/0 से 6/0	12.75	
		कुल योग	12.75	
		खण्ड-शाहपुरा (भीलवाड़ा)		
13	भीलवाड़ा	अप्रोच रोड खजूरी वैनपुरा	7.51	
		कुल योग	7.51	
		खण्ड रतनगढ़		
14	चूरू	मिसिंग लिंग रतनगढ़ से सालासर वाया कुसुमदेसर, मैणासर, कनवारी, ढाकाली।	9.20	
		कुल योग	9.20	
		खण्ड-सवाई माधोपुर		
15	सवाई माधोपुर	स.स. पोलीटेक्निक कालेज सवाईमाधोपुर	2.40	
16	सवाई माधोपुर	स.स. धर्मपुरी (झर के बालाजी)	0.61	
		कुल योग	3.01	
		जिला खण्ड-करौली		
17	करौली	निर्माण सड़क अलवर राजगढ़ महुआ हिण्डौन मण्डरायल-करौली बाईपास	68.48	
18	करौली	निर्माण सड़क से कटरी से गांछोली	15.51	
		कुल योग	83.99	
		जिला खण्ड-चित्तौड़गढ़		
19	चित्तौड़गढ़	डबोक मंगलवाड़ डंगला थड़ी सादडी नीमच रोड एस.एच. 15	0.63	

क्र.सं.	जिला	सड़क का नाम	राशि (लाखों में)	विशेष विवरण	जोब नम्बर
20	चित्तौड़गढ़	अजमेर चित्तौड़ बांसवाड़ा जालौद रोड़ कि.मी. 225 चित्तौड़ जालौद रोड़ किमी. 39	3.53		
		खण्ड-खेतड़ी			
21	झुन्झुनु	बुहाना से भालोढ वाया खान्दवा	16.98		127/5054/ एस.एच.डब्ल्यू /एल.ए./प्लान/ 2004-05
22	झुन्झुनु	बख्तावरपुरा से नाथूराम काआश्रम	5.14		128/5054/ एस.एच.डब्ल्यू /एल.ए./प्लान/ 2004-05
23	झुन्झुनु	मेहरामपुरा से चनाना वाया गोकला	13.96		129/5054/ एस.एच.डब्ल्यू /एल.ए./प्लान/ 2004-05
24	झुन्झुनु	सम्पर्क सड़क सिहोड़	14.35		130/5054/ एस.एच.डब्ल्यू /एल.ए./प्लान/ 2004-05
25	झुन्झुनु	बबाई बाईपास रोड	4.71		131/5054/ एस.एच.डब्ल्यू /एल.ए./प्लान/ 2004-05
26	झुन्झुनु	सम्पर्क सड़क ककराना	52.25		132/5054/ एस.एच.डब्ल्यू /एल.ए./प्लान/ 2004-05
		कुल योग	107.39		
		महा योग	1856.67		

कूरणा-पादरला (पाली) सड़क का डामरीकरण

236. श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जिला पाली में कूरणा से पादरला सड़क मार्ग को डामरीकृत दर्शाया गया है? यदि हां, तो मौके पर कितने मीटर सड़क का डामरीकरण किया हुआ है ?

(2) पादरला से गुडा प्रतापसिंह सड़क किस विभाग द्वारा व कब बनाई गई? क्या इसका डामरीकरण किया गया है ?

उत्तर

(1) जी हां। कूरणा से पादरला तक सड़क की लम्बाई 5 कि.मी. तथा मौके पर 5.00 किमी. लम्बाई में डामरीकरण किया हुआ है।

(2) पादरला से गुडा प्रतापसिंह सड़क 4 कि.मी. वर्तमान में डब्ल्यू.बी.एम. सड़क है। इसका निर्माण सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा वर्ष 1995-96 में सुनिश्चित रोजगार के तहत किया गया था। वर्तमान में उक्त सड़क का डामरीकरण नहीं किया गया है।

कोटा जिले में सिंचाई हेतु बिना अनुमति के सड़कों की खुदाई

237. श्री भरत सिंह (दीगोद) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा सड़कों के सहारे हो रहे अतिक्रमण को हटाने तथा सड़कों को तोड़कर क्षति प्रदान करने वालों के विरूद्ध कार्यवाही की जाती है? यदि हां, तो गत तीन वर्षों में विधान सभा क्षेत्र दीगोद में सड़कों के सहारे किये गये अतिक्रमणों तथा सड़क को नष्ट करने वाले कितने व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही की गई ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि कोटा जिले के असिंचित क्षेत्र में किसानों द्वारा सिंचाई हेतु पानी पिलाने की अस्थाई व्यवस्था हेतु पाइप लाइन बिछाने के लिये बिना अनुमति के जगह-जगह पर सड़कों को काट दिया जाता है? यदि हां, तो सरकार द्वारा किसी व्यक्ति के विरूद्ध कोई कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों?

(श्री भरत सिंह)

(3) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र दीगोद में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना व अन्य योजना के तहत हाल ही में बनी अनेक सड़कों व उन पर हुए डामरीकरण को नष्ट कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। तीन वर्षों में विधान सभा क्षेत्र दीगोद में जिन सड़कों के सहारे अतिक्रमण को हटाया गया है उनका विवरण परिशिष्ट 'अ' में एवं जिन सड़कों को खोदकर व्यक्तियों ने नुकसान पहुंचाया है उनके खिलाफ की गयी कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट 'ब' में संलग्न है।

(2) जी हां। जिन किसानों द्वारा सिंचाई हेतु पानी पिलाने की अस्थायी व्यवस्था हेतु पाइप बिछाने के लिये बिना अनुमति से सड़कों को काट दिया गया है उनके खिलाफ सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी को कानूनन कार्यवाही करने हेतु रिपोर्ट प्रेषित कर दी गयी है, तथा उपखण्ड अधिकारी सांगोद द्वारा सी.आर.पी.सी. की धारा 133 के अन्तर्गत कार्यवाही जा रही है।

(3) जी हां। हालांकि विधानसभा क्षेत्र दीगोद में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना व अन्य योजना के तहत हाल ही में बनी सड़कों व उन पर हुए डामरीकरण को क्षतिग्रस्त नहीं किया गया है परन्तु कोटा-सांगोद सड़क एवं सांगोद-राजगढ़ सड़क पर आर.यू.पी. योजना के तहत किये गये डामरीकरण के कार्य के बाद कुछ काश्तकारों ने पानी पिलाने की अस्थायी व्यवस्था हेतु पाइप लाइन बिछाने में किये बिना अनुमति के सड़कों को काटकर डामरीकरण के कार्य क्षति पंहुचाई है। क्षति पहुंचाने वाले काश्तकारों के नाम की सूची परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है। इन दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध सी.आर.पी.सी. की धारा 133 के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है।

परिशिष्ट 'अ'

अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ की गयी कार्यवाही का विवरण-

क्र.सं.	सड़कों का नाम	अतिक्रमी का नाम	की गयी कार्यवाही
1	कोटा-सांगोद रोड़	श्री कृष्ण मीणा	अतिक्रमण हटा दिये गये हैं
2	कोटा-सांगोद रोड़	श्री चतुर्भुज	अतिक्रमण हटा दिये गये हैं
3	कोटा-सांगोद रोड़	श्री बजरंगलाल	अतिक्रमण हटा दिये गये हैं

क्र.सं.	सड़कों का नाम	अतिक्रमी का नाम	की गयी कार्यवाही
4	कोटा-सांगोद रोड़	श्री बाबूलाल	अतिक्रमण हटा दिये गये हैं
5	कोटा-सांगोद रोड़	श्री राधाकिशन	अतिक्रमण हटा दिये गये हैं
6	कोटा-सांगोद रोड़	श्री बबलू	अतिक्रमण हटा दिये गये हैं
7	कोटा-सांगोद रोड़	श्री भूमेश	अतिक्रमण हटा दिये गये हैं
8	कोटा-सांगोद रोड़	श्री सोहन	अतिक्रमण हटा दिये गये हैं
9	कोटा-सांगोद रोड़	श्री रामहेत	अतिक्रमण हटा दिये गये हैं
10	कोटा-सांगोद रोड़	श्री गिरराज	अतिक्रमण हटा दिये गये हैं
11	कोटा-सांगोद रोड़	श्री लेखराज	अतिक्रमण हटा दिये गये हैं
12	कोटा-सांगोद रोड़	श्री धन्नालाल	अतिक्रमण हटा दिये गये हैं
13	कोटा-सांगोद रोड़	श्री भंवरलाल	अतिक्रमण हटा दिये गये हैं

परिशिष्ट 'ब'

रोड कटिंग करने वाले काश्तकारों के नाम:-

क्र.सं.	सड़क का नाम	काश्तकार का नाम	की गयी कार्यवाही
1	कोटा-सांगोद रोड़	श्री प्रभुलाल पुत्र श्री बाबूलाल	उपखण्ड अधिकारी द्वारा सी.आर.पी.सी. की धारा 133 के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी
2	कोटा-सांगोद रोड़	श्री सेवाराम पुत्र श्री धन्नालाल	..."...
3	कोटा-सांगोद रोड़	श्री महावीर पुत्र श्री सत्यनारायण	..."...
4	कोटा-सांगोद रोड़	श्री गिरिराज पुत्र श्री जगन्नाथ	..."...
5	कोटा-सांगोद रोड़	श्री गोपाल पुत्र श्री जगन्नाथ	..."...
6	कोटा-सांगोद रोड़	श्री सत्यनारायण पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण	..."...
7	कोटा-सांगोद रोड़	श्री गोलू पुत्र श्री चतुर्भुज	..."...
8	कोटा-सांगोद रोड़	श्री भंवरलाल पुत्र श्री भैरूलाल	..."...
9	कोटा-सांगोद रोड़	श्री महावीर पुत्र श्री रामनाथ	..."...

क्र.सं.	सड़कों का नाम	काश्तकार का नाम	की गयी कार्यवाही
10	कोटा-सांगोद रोड़	श्री भैरूलाल पुत्र श्री केसरीलाल	...”...
11	कोटा-सांगोद रोड़	श्री रतनलाल पुत्र श्री कन्हैयालाल	...”...
12	कोटा-सांगोद रोड़	श्री भैरूलाल पुत्र श्री किशनलाल	...”...
13	कोटा-सांगोद रोड़	श्री मोडूलाल पुत्र श्री तुलसीराम	...”...
14	कोटा-सांगोद रोड़	श्री चौथमल पुत्र श्री रामचरण	...”...
15	सांगोद-राजगढ़ रोड़	श्री सांखला जी पुत्र श्री जगन्नाथ	...”...
16	सांगोद-राजगढ़ रोड़	रामकेदार बोहरा	...”...
17	सांगोद-राजगढ़ रोड़	श्री मांगीलाल मास्टर	...”...
18	सांगोद-राजगढ़ रोड़	श्री घनश्याम पुत्र श्री बाबूलाल	...”...
19	सांगोद-राजगढ़ रोड़	श्री बनवारी पुत्र श्री प्रभुलाल	...”...
20	सांगोद-राजगढ़ रोड़	श्री तोलाराम पुत्र श्री कस्तूरचन्द	...”...
21	सांगोद-राजगढ़ रोड़	श्री रमेश पुत्र श्री रामकल्याण	...”...
22	सांगोद-राजगढ़ रोड़	श्री प्रहलाद पुत्र श्री नारायण	...”...
23	सांगोद-राजगढ़ रोड़	श्री रामनिवास पुत्र श्री मथुरालाल	...”...
24	सांगोद-राजगढ़ रोड़	श्री गोविन्द पुत्र श्री सुखाजी	...”...
25	सांगोद-राजगढ़ रोड़	श्री रामनारायण पुत्र श्री प्रेमाजी	...”...
26	सांगोद-राजगढ़ रोड़	श्री राधेश्याम पुत्र श्री रतनलाल	...”...
27	सांगोद-राजगढ़ रोड़	श्री जगन्नाथ पुत्र श्री नारायण	...”...
28	सांगोद-राजगढ़ रोड़	श्री बनवारीलाल पुत्र श्री प्रहलाद	...”...
29	सांगोद-राजगढ़ रोड़	श्री किशनलाल पुत्र श्री जगन्नाथ	...”...
30	सांगोद-राजगढ़ रोड़	श्री देशराज पुत्र श्री प्रहलाद	...”...
31	सांगोद-राजगढ़ रोड़	श्री सूरजमल पुत्र श्री रामप्रताप	...”...
32	सांगोद-राजगढ़ रोड़	श्री हंसराज पुत्र श्री मोतीलाल	...”...
33	सांगोद-राजगढ़ रोड़	श्री खेमराज पुत्र श्री मोतीलाल	...”...
34	सांगोद-राजगढ़ रोड़	श्री बद्रीलाल पुत्र श्री नेनकीलाल	...”...

क्र.सं.	सड़कों का नाम	काश्तकार का नाम	की गयी कार्यवाही
35	सांगोद-राजगढ़ रोड़	श्री मोतीलाल पुत्र श्री शंकरलाल	..."...
36	सांगोद-राजगढ़ रोड़	श्री सुरेश पुत्र श्री बल्लभजी	..."...
37	सांगोद-राजगढ़ रोड़	श्री चन्द्रप्रकाश पुत्र श्री छीतरलाल	..."...
38	सांगोद-राजगढ़ रोड़	श्री प्रहलाद पुत्र श्री प्रभुलाल	..."...
39	सांगोद-राजगढ़ रोड़	श्री छीतरलाल पुत्र श्री किशनलाल	..."...
40	सांगोद-राजगढ़ रोड़	श्री कजोड़ीलाल पुत्र श्री रामनारायण	..."...
41	सांगोद-राजगढ़ रोड़	श्री प्रेम जैन पुत्र श्री रूपचन्द	..."...
42	सांगोद-राजगढ़ रोड़	श्री सत्यनारायण पुत्र श्री रामकल्याण	..."...

बांदीकुई की सड़कों का डामरीकरण

238. श्री मुरारी लाल मीणा (बांदीकुई) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) डब्ल्यू.बी.एम. सड़क को डामर सड़क करने के सरकार के क्या मानदण्ड हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि खेडी से मानुपर, खेडा से राणापाड व कांई मोड से बड़ावास बालाहेड़ा डब्ल्यू.बी.एम. सड़क डामरीकरण हेतु मानदण्ड अनुसार प्रस्तावित हैं? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) वर्तमान में ऐसे गांव जिनकी जनसंख्या 1000 (जनगणना व 2001 अनुमानित) से अधिक है व सार्वजनिक निर्माण विभाग की डब्ल्यू.बी.एम. सड़कों से जुड़े हुए हैं तथा जिन्हें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार इस योजना में प्रस्तावित नहीं किये जा सके हैं, उन्हें आर.आई.डी.एफ X के प्रथम चरण में डब्ल्यू.बी.एम. में डामरीकरण की स्वीकृति जारी की गई है विभाग की शेष बची डब्ल्यू.बी.एम. सड़कें जिनको प्रधानमंत्री सड़क योजना में प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है, उन्हें आर.आई.डी.एफ. X के द्वितीय चरण में डामरीकरण हेतु प्रस्तावित किया गया है।

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

(2) खेड़ी से मानपुर डब्ल्यू.बी.एम. सड़क जिसकी लम्बाई 4.0 किमी. है, को नाबार्ड द्वारा वित्त पोषित आर.आई.डी.एफ. X के डब्ल्यू.बी.एम. से बी.टी. द्वितीय चरण में प्रस्तावित किया गया है तथा अन्य दोनों सड़कें ग्रेवल सड़क होने के कारण वर्तमान में राज्य सरकार के उपलब्ध वित्तीय संसाधनों एवं पारस्परिक प्राथमिकताओं को मध्यनजर रखते हुए प्रस्तावित नहीं किया जा सका है।

निम्बाहेड़ा के विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पद

239. श्री अशोक कुमार नवलखा (निम्बाहेड़ा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र निम्बाहेड़ा के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों, राजकीय माध्यमिक विद्यालयों, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में मानदण्डों के अनुसार अध्यापक/अध्यापिकाओं, की कमी है? यदि हां, तो कितने पद रिक्त हैं? विद्यालयवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को शीघ्र भरने अथवा वैकल्पिक शिक्षण व्यवस्था का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक तथा नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र निम्बाहेड़ा के राजकीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों के रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट 'क' संलग्न है।

(2) जी हां। रिक्त पदों की पूर्ति राजस्थान लोक सेवा आयोग एवं विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा चयनित आशार्थी उपलब्ध होने पर ही की जानी सम्भव होगी। वैकल्पिक शिक्षण व्यवस्था हेतु वर्तमान में गैस्ट फेकल्टी के अन्तर्गत 25 व्याख्याता, 17 वरिष्ठ अध्यापक एवं 184 अध्यापकों की व्यवस्था की हुई है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

दौसा जिले के विद्यालयों का परीक्षा परिणाम

240. श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला दौसा में राजकीय माध्यमिक सीनियर माध्यमिक विद्यालयों में कौन-कौन अध्यापक कब-कब से कार्यरत हैं? कार्यरत अध्यापकों द्वारा परीक्षा परिणामों के प्रतिशत सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार निम्न परीक्षा परिणाम देने वाली संस्था प्रधान/अध्यापकों के विरूद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है।

उत्तर

(1) जिला दौसा में राजकीय माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत अध्यापकों एवं उनके बोर्ड परीक्षा परिणाम का परिशिष्ट 'क' संलग्न है।

(2) जी हां। परीक्षा परिणाम देने वाले संस्था प्रधानों एवं सम्बन्धित विषय अध्यापकों के विरूद्ध सी.सी.ए. नियमों के नियम 17 के तहत कार्यवाही किये जाने का प्रावधान है।

(परीक्षा परिणाम विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

शिक्षकों के पद निर्धारण हेतु मानदण्ड

241. डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि प्राथमिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, बीकानेर के द्वारा वर्ष 1997 में जारी शिक्षा विभाग की नियमावली में प्रकाशित शिक्षकों के पदों के निर्धारण हेतु मानदण्डों को शासन सचिवालय के पत्र क्रमांक प.22(6)शि.-1/2बी-2 दिनांक 30-12-2004 के तहत संशोधित शिक्षकों के पदों के निर्धारण हेतु मानदण्ड के औचित्यों, संशोधन किये जाने की आवश्यकता के कारणों, संशोधित प्रस्तावित-मानदण्डों के सम्बन्ध में शिक्षाविदों-विशेषज्ञों से कोई सुझाव आदि आमंत्रित किये गये ? यदि हां, तो शिक्षाविदों/विशेषज्ञों के प्रस्तावों एवं सुझावों सम्बन्धी विवरण सदन की मेज पर रखें।

(डा. श्रीगोपाल बाहेती)

(2) क्या संशोधित मानदण्डों को जारी किये जाने से पूर्व राज्य मंत्रिमण्डल की स्वीकृति ली गई है? यदि नहीं, तो क्या प्रशासनिक विभाग को ही सम्मत शक्तियां प्राप्त हैं ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) समानीकरण मानदण्डों में संशोधन नहीं किया है। लेकिन विभाग में शिक्षकों के अत्यधिक पद रिक्त होने के कारण शिक्षण व्यवस्था चलाने के लिए अस्थायी व्यवस्था के तहत प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश है।

बनीपार्क के विद्यालयों के प्रतिनियुक्त अध्यापक

242. प्रो. बीरूसिंह राठौड़ (बनीपार्क) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राजकीय विद्यालयों में गुणवत्ता बनाये रखने हेतु विद्यालयों में स्थित राजकीय सम्पत्ति का भौतिक सत्यापन किया जाता है? यदि हां, तो विधान सभा क्षेत्र बनीपार्क में स्थित समस्त शिक्षण संस्थाओं के भौतिक सत्यापन की वर्ष 2004-05 की निरीक्षण रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र बनीपार्क में कई राजकीय विद्यालय किराये के भवनों में चल रहे हैं? यदि हां, तो किराये पर लिये गये भवनों की सूची मय पता, किराया राशि व किराया अवधि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त विधान सभा क्षेत्र में स्थित विद्यालयों में नियुक्त शिक्षक व कर्मचारी विभिन्न कार्यालयों में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत हैं? यदि हां, तो प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत शिक्षक व कर्मचारियों की संख्या तथा कब से किस-किस कार्यालय में कार्यरत है व उन्हें किस आदेश से प्रतिनियुक्ति पर लगाया गया? क्या यह सही है कि इससे शैक्षिक गतिविधियों पर असर पड़ता है? यदि हां, तो इस विषय में सरकार द्वारा क्या उपाय किये गये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम भाग द्वितीय के नियम 12(1) के प्रावधान अनुसार प्रत्येक वित्तीय वर्ष में भण्डारों का भौतिक संस्थापन किये जाने का प्रावधान है। उक्त नियम के अन्तर्गत वर्ष 2004-05 का भौतिक सत्यापन वित्तीय वर्ष समाप्ति पर ही किया जाना सम्भव होगा।

(2) जी हां। विधान सभा क्षेत्र बनीपार्क में निम्न राजकीय विद्यालय किराये के भवन में चल रहे हैं :-

क्र.सं.	विद्यालय का नाम व पता	किराया राशि	कब से
1.	राउमावि, गणपति नगर रेलवे स्टेशन, जयपुर	5464/-	1957 से
2.	राउमावि, झोटवाड़ा	882/-	1944-45
3.	रा.बा.प्रा. विद्यालय, सी-स्कीम 22 गोदाम, जयपुर	300/-	10.4.1994
4.	रा.उ.प्रा. विद्यालय शेखावाटियों का घेरे आनंदपुरी, 20 दुकान के पास, मोती डूंगरी रोड़, जयपुर	2523/-	1.7.1970

क्र.सं.	नाम कार्मिक पदस्थापन स्थान	कार्यालय	कब से	आदेश क्रमांक
1.	श्री रामकिशोर, चतुर्थ श्रेणी कर्म. राबामावि, दुर्गापुरा	प्रमुख शासन सचिव शिक्षा	06/2000	जिशिअ (मा) प्रथम का आदेश जिशिअ/मा/जय/ 1 /संस्था-2/ फा-चश्रेक/समानीकरण/ 8 0 9 दि. 2.6.2000
2.	श्री रणजीतसिंह, चतुर्थ श्रेणी कर्म. राबाउमावि, झोटवाड़ा	प्रमुख शासन सचिव शिक्षा	24.10.2002 से	जिशिअ/मा/जय- 1 /संस्था-2/ फा-1 दि. 23.10.2002

(3) जी नहीं।

डेगाना (नागौर) के सेवानिवृत्त अध्यापक द्वारा दायर वाद

243. श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि डेगाना के सेवानिवृत्त अध्यापक द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में वाद सं. 3171/2000 दायर किया गया था? यदि हां, तो माननीय राज. उच्च न्यायालय द्वारा क्या निर्णय दिया गया है ? निर्णय की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त वाद का निर्णय परिवादी के पक्ष में माह सितम्बर, 2000 में होने के बावजूद न्यायालय के निर्णय की अनुपालना सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा अभी तक नहीं की गई है ? यदि हां, तो क्यों?

(3) माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय की अनुपालना नहीं करने एवं अवमानना वाद सं. 50/02 दायर होने के लिये जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 3171/2000 में दिनांक 14.9.2004 को दिये गये निर्णय की छाया प्रति का परिशिष्ट 'क' संलग्न है। निर्णय में माननीय उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता को निर्देश प्रदान किये कि वे सक्षम अधिकारी को प्रमाणों सहित अपना नया अभ्यावेदन प्रस्तुत करेगा तथा विभाग नियमों के परिपेक्ष में अभ्यावेदन दिये जाने के 2 माह में अभ्यावेदन का निस्तारण करें।

(2) जी नहीं। माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय की पालना में प्रस्तुत अभ्यावेदन का निस्तारण कर दिया गया है।

(3) याचिकार्थी द्वारा दायर अवमाननावाद को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा विभाग द्वारा की गई कार्यवाही के आधार पर तथा याचिकार्थी के अधिवक्ता की ओर से प्रत्याहरित करने के आधार 'डिसमिस' कर दिया गया। याचिकार्थी के 6/69 से 2/02 तक की अवधि में राज्य सरकार द्वारा समय-समय संशोधित वेतनमानों के आधार पर वेतन निर्धारण, चयनित वेतनमान, संशोधित वार्षिक वेतन वृद्धि दिये जाने में समय लगना स्वाभाविक था। अतः इस हेतु किसी भी अधिकारी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है।

परिशिष्ट 'क'

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT JODHPUR

S.B. CIVIL WRIT PETITION No. 3171/2000

PETITIONER

Ram Gopal Bhukar S/o Shri Govind Ramji, aged about 56 T-2218 1/2 Years, R/o Near Government Middle School, Degana, District Nagour (Rajasthan)

VERSUS

RESPONDENTS

(1) State of Rajasthan, through the Director, Secondary School of Education, Bikaner (Raj.)

(2) Deputy Director, Secondary School of Education, Jodhpur (Rajasthan)

(3) District Education Officer, Secondary Education Nagour (Rajasthan

WRIT PETITION UNDER ARTICLE 226 OF THE CONSTITUTION OF INDIA

S.B. Civil Writ Petition No. 3171/2000 Dated : 14.9.2000

HON'BLE DR. B.S. CHAUHAN.J

Mr. S.K. Malik for the petitioner

The instant wirt petition has been filed seeking a direction to the respondents for refixation of the pay and giving consequential benefits thereof.

The relief is to be granted by the competent authority and for the same relief the petitioner has moved various representations before the competent authority. The petition is disposed of finally with a request to respondent No. 1 that in case the petitioner makes a fresh representation ventilating all his grievances and adducing sufficient evidence in support of his claim, his same may be considered strictly in accordance with law and final order may be passed within a period of two months from the date of filing such representation along with a certified copy of this order and in case the claim of the petitioner is accepted he may be granted the relief.

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT JODHPUR

S.B. CIVIL CONTEMPT PETITION

IN

S.B. CIVIL WRIT PETITION. 3171/2000

PETITIONER

Ram Gopal Bhuker S/o Shri Govind Ramji, aged about 57½ Years R/o Near Government Middle School Degana, District Nagour (Raj.)

VERSUS

RESPONDENTS

(1) Shri P.K. Goyal, Director
Secondary Education, Bikaner (Rajasthan)

(2) Smt. Alis Elias, Deputy Director
Secondary Education, Ajmer (Rajasthan)

(3) Shri Mahesh Chandra Goyal,
District Education Officer Secondary (Ist) Nagour (Rajasthan)

CONTEMPT PETITION UNDER SECTION 12 OF THE CONTEMPT OF COURT ACT 1971 FOR COMPLIANCE OF ORDER DATED 14.9.2000 PASSED BY HON'BLE JUSTIC DR. B.S. CHOUHAN J. IN SBCWP 3171/2000

19/2/2003 **HON'BLE Dr. B.S. Chauhan– J.**

Mr S.K. Malik, For the Petitioner

Mr P.R. Singh, for the Respondents

The learned consel for the petitioner Mr Malik Prays and is permitted to withdraw the contempt petition.

The contempt petition is dismissed as withdrawn. The notices are discharged.

टोंक जिले में साक्षरता शिविरों में भोजन/स्वल्पाहार आपूर्ति हेतु निविदाएं

244. श्री हीरालाल (निवाई) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला साक्षरता एवं सतत् शिक्षा कार्यालय, टोंक द्वारा असाक्षर महिलाओं को साक्षर करने हेतु वर्ष 2004 में कितने शिविर कहां-कहां स्वीकृत किये गये तथा उनमें से कहां-कहां शिविर आयोजित किये गये? ग्राम पंचायत एवं ब्लाकवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या इन शिविरों के आयोजन की पूर्व सूचना ग्राम पंचायतों को दी गई? यदि हां, तो किस प्रकार और नहीं, तो इसके लिये कौन अधिकारी/कर्मचारी जिम्मेदार हैं तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी?

(श्री हीरालाल)

(3) क्या इन शिविरों में महिलाओं को भोजन एवं अल्पाहार उपलब्ध कराने का ठेका देने के सम्बन्ध में निविदाएं आमंत्रित की गई थीं? यदि हां, तो किन-किन ठेकेदारों से किस-किस दर पर निविदाएं प्राप्त हुई तथा किस ठेकेदार को यह ठेका स्वीकृत किया गया? तुलनात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) ठेकेदार द्वारा प्रेरकों के माध्यम से भोजन एवं चाय आदि पर कितना-कितना व्यय किन-किन प्रेरकों से कराया गया तथा इनको कितनी-कितनी राशि का भुगतान किया गया? ब्लाकवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या इन प्रेरकों को पूरा भुगतान ठेकेदारों द्वारा किया गया? यदि नहीं, तो ठेकेदारों द्वारा उठाई गई राशि का भुगतान किया गया?

(6) इन शिविरों के लिए उक्त वर्ष में कितनी-कितनी राशि किस-किस मद में दी गई। विवरण सदन की मेज पर रखें।

(7) क्या इन शिविरों के माध्यम से जिले में असाक्षर महिलाओं की निरीक्षरता की दर में कमी आई है? यदि हां, तो कितनी ?

उत्तर

(1) असाक्षर महिलाओं को साक्षर करने हेतु वर्ष 2004 में जिला साक्षरता एवं सतत् शिक्षा कार्यालय, टौंक के लिए कुल 327 असाक्षर महिला शिक्षण शिविर स्वीकृत किये गये हैं, जिनमें से 270 असाक्षर महिला शिक्षण शिविर आयोजित किये जा चुके है, जिनकी सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है तथा शेष 57 शिविर आगामी माह में आयोजित किये जावेंगे जिनकी सूची परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(2) इन शिविरों के आयोजन की सूचना जिला साक्षरता एवं सतत् शिक्षा अधिकारी, टौंक द्वारा जिले के समस्त ब्लाक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारियों को जरिए पत्र संख्या जिसास/टौंक/प्रशि/04/950-69 दिनांक 12.8.2004 द्वारा दी गई जिसकी प्रति जिले के समस्त विकास अधिकारियों एवं सम्बन्धित शिक्षा प्रसार अधिकारियों को दी गई है। इसके अतिरिक्त सम्बन्धित ग्राम पंचायतों के प्रेरकों एवं नोडल प्रेरकों को भी पत्र संख्या 970-1016 दिनांक 12.8.2004 द्वारा सूचना भेजी गई है। उल्लेखनीय है कि जिले

(शिक्षा मंत्री)

में संदर्भ व्यक्तियों एवं भोजन ठेकेदारों का भुगतान भी सरपंच एवं सम्बन्धित ग्राम पंचायत के प्रधानाध्यापक द्वारा उपस्थिति रजिस्टर पर प्रमाणीकरण के आधार पर ही किया जाता है। इस प्रकार ग्राम पंचायतों को इन शिविरों की पूरी जानकारी है।

(3) जी हां। कुल पांच ठेकेदारों से विभिन्न दरों पर निविदाएं प्राप्त हुईं, जिनके तुलनात्मक विवरण के आधार पर न्यूनतम दर वाली फर्म मैसर्स हरिमोहन एवं ब्रदर्स टोंक तथा सोलंकी भोजनालय टोंक की निविदा स्वीकृत की गई। तुलनात्मक विवरण की प्रति परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(4) सभी ब्लाक में सम्बन्धित प्रेरकों को शिविर व्यवस्थापक बनाया गया है, परन्तु जिला साक्षरता कार्यालय टोंक द्वारा प्रेरकों को अपने स्तर से किसी भी प्रकार के व्यय करने हेतु निर्देशित नहीं किया है। भोजन एवं चाय आदि की व्यवस्था एवं खर्चा ठेकेदार द्वारा ही निविदा शर्तों के आधार पर किया जाता है।

(5) जिला साक्षरता कार्यालय टोंक द्वारा केवल स्वीकृत ठेकेदारों को ही कोष कार्यालय से बिल पारित होने के उपरान्त पारित राशि का भुगतान जरिये बैंकर्स चैक/डी.डी. द्वारा किया जा रहा है। यहां यह उल्लेखनीय होगा कि बिलों को पारित कराने से पूर्व इनकी जांच सम्बन्धित ग्राम पंचायत साक्षरता समिति के सचिव (प्रधानाध्यापक) एवं सरपंच के द्वारा प्रमाणित उपस्थिति पंजिका के आधार पर की जाती है।

(6) जिले द्वारा निम्न प्रकार से ब्लाकवार भोजन मद में जिसमें चाय शामिल है, की न्यूनतम दर के आधार पर अभी तक 113 शिविरों का भुगतान किया गया है। शेष शिविरों का भुगतान बिल पारित होने पर किया जावेगा।

दिनांक	देवली	टोंक	टोडा	निवाई	मालपुरा	उनियारा
26.10.2004	47259	69071	51037	50566	—	—
9.12.2004	33933	36064	58086	14775	—	—
4.1.2005	27247	91452	84724	136695	—	6194
6.1.2005	—	—	—	—	41628 43061	5175
योग	108439	196587	193847	202036	84689	11369
					कुल योग	796967/-

(शिक्षा मंत्री)

(7) जी हां। माह जनवरी, 2005 तक 270 शिक्षण शिविर सम्पन्न हुए है, इनमें 6750 असाक्षर महिलाएं लाभान्वित हुई हैं जिससे निरक्षरता दर में निश्चित रूप से कमी आई हैं।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

राजकीय माध्यमिक विद्यालय पचार (सीकर) का क्रमोन्नयन

245. श्री नवरतन राजोरिया (फुलेरा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राजकीय माध्यमिक विद्यालय, पचार (सीकर) में वर्तमान में कितने छात्र-छात्राएं अध्ययनरत हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सीकर जिले में गत 5 वर्षों में कौन-कौन से राजकीय माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया गया? उन विद्यालयों के गांवों की वर्ष 2001 में जनसंख्या व सैकण्डरी स्तर के वर्तमान छात्र/छात्राओं की संख्या का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त क्रमोन्नत विद्यालयों में अनेक गांव ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या व छात्र संख्या पचार स्थित सैकण्डरी स्कूल से कम होते हुये भी उन गांवों के विद्यालयों को सीनियर सैकण्डरी स्तर पर क्रमोन्नत किया गया है? यदि हां, तो पचार स्थित सैकण्डरी स्कूल के साथ भेदभाव बरते जाने के क्या कारण रहे?

(4) क्या यह सही है कि माध्यमिक स्कूल पचार, सीनियर सैकण्डरी में क्रमोन्नत होने के सभी मानदण्ड पूरे करता है। यदि हां, तो इसे अब तक क्रमोन्नत करने के क्या कारण रहे?

(5) क्या सरकार अब पचार सैकण्डरी स्कूल को सीनियर सैकण्डरी में क्रमोन्नत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) रा.मा.वि. पचार (सीकर) में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं का विवरण इस प्रकार है :-

(शिक्षा मंत्री)

कक्षा	छात्र	छात्रा	योग
6	36	—	36
7	30	—	30
8	27	—	27
9	81	34	115
10	73	36	109
योग :-	247	70	317

(2) क्रमोन्नत विद्यालय एवं उनकी वर्तमान छात्र संख्या तथा गांवों की जनसंख्या के विवरण का परिशिष्ट 'क' सदन की पटल पर रख दिया गया है।

(3) जी हां। विद्यालय क्रमोन्नति हेतु केवल गांवों की जनसंख्या को ही आधार नहीं माना जाता है, अन्य महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर समग्र आंकलन के पश्चात गुणावगुण के आधार पर विद्यालय क्रमोन्नत करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(4) विद्यालय क्रमोन्नति के समय उपलब्ध वित्तीय प्रावधान के अन्तर्गत गांव की जनसंख्या अन्तिम कक्षा की छात्र संख्या विद्यालय की कुल छात्र संख्या जनप्रतिनिधियों की मांग भौगोलिक स्थिति एवं गुणावगुण के आधार पर विद्यालय क्रमोन्नत किये जाते हैं।

(5) चालू सत्र में बजट प्रावधान अनुसार विद्यालय क्रमोन्नत किये जा चुके है आगामी सत्र में विद्यालय क्रमोन्नति के लिए बजट प्रावधान उपलब्ध होने पर पचार सैकण्डरी स्कूल को क्रमोन्नत करने के प्रस्ताव प्राप्त होने पर विद्यालय क्रमोन्नति के समय गांव की जनसंख्या अन्तिम कक्षा की छात्र संख्या विद्यालय की कुल छात्र संख्या जनप्रतिनिधियों की मांग भौगोलिक स्थिति एवं गुणावगुण के आधार पर विद्यालय क्रमोन्नत करने पर विचार रखा जा सकेगा।

परिशिष्ट 'क'

क्र.सं.	विद्यालय का नाम	जनसंख्या	अध्ययनरत छात्र/छात्राओं की संख्या		
			छात्र	छात्रा	योग
	सत्र 1999-2000				
1	राबाउमावि, गाडिया	3000	18	66	84
2	राउमावि, पालडी	10000	122	133	255
3	राउमावि, ठीमोली	3142	78	97	175
4	राबाउमावि, बजाज रोड़	200000	-	556	556
5	राउमावि, रायपुरजागीर	6300	297	113	410
6	राउमावि, नयाबास	5000	216	136	352
7	राउमावि, गुर्रार	5200	148	38	166
8	राउमावि, दिवराला	15000	356	38	394
9	राउमावि, गढढामन्दनी	4100	420	331	751
	सत्र 2000-2001				
1	राउमावि, रोलसाढसर	4000	174	5	179
2	राउमावि, बिदासर	4449	91	102	193
3	राउमावि, पलासरा	1500	164	71	235
4	राउमावि, रहनावामाधेपुर	1651	81	107	187
5	राउमावि, मुण्डावाडा	5215	96	98	194
6	राउमावि, कासीकाबास	1133	115	115	230
7	राउमावि, टोडा	7500	261	26	267
8	राउमावि, चला	7200	252	192	444
9	राउमावि झाडली	10931	281	86	367
10	राउमावि, कोछोर	5350	224	186	410
11	राउमावि, रूपगढ़	2500	318	260	525

क्र.सं.	विद्यालय का नाम	जनसंख्या	अध्यनरत छात्र/छात्राओं की संख्या		
			छात्र	छात्रा	योग
	सत्र 2002-2003				
1	राउमावि, गागीयासर	3925	112	101	213
2	राउमावि, पाटोदा	3671	148	157	305
3	राउमावि, रघुनाथगढ़	7000	237	138	375
4	राउमावि, कटराथल	10119	251	157	408
5	राउमावि, नब्बीपुर	4125	91	121	213
6	राउमावि, कोटडा	5000	159	199	358
7	राउमावि, चिपलाटा	10000	293	86	379
8	राउमावि, लाखली	4200	240	216	456
9	राउमावि, सांगलिया	5000	231	136	367
10	राबाउमावि, नेघवा	12500	-	198	198
11	राबाउमावि, अलफसर	6000	-	129	129
12	राबाउमावि, कांवठ	20000	-	358	358
13	राबाउमावि, मऊ	8814	-	266	266
14	राबाउमावि, सहरोली	13500	-	307	307
15	राबाउमावि, दांता	14000	-	428	428
16	राबाउमावि, लोसर	25355	-	287	287
17	राबाउमावि, खंड	11500	-	196	196

नोट- वर्ष 2001-02 व 2003-04 में कोई भी विद्यालय क्रमोन्नत नहीं किया गया।

बोरिया लघु सिंचाई परियोजना चित्तौड़गढ़ की नहरों की मरम्मत

246. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत पण्डावा (चित्तौड़गढ़) के [illegible] में बोरिया लघु सिंचाई परियोजना से सिंचाई की जाती है? यदि हां, तो बांध की क्षमता के अनुसार कितने क्षेत्रफल में सिंचाई होनी चाहिए? वर्तमान में कितने क्षेत्रफल में सिंचाई की जा रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि बोरिया बांध के सिंचित क्षेत्र के लिये बनाई गई नहरें काफी समय से मरम्मत नहीं किये जाने के कारण क्षतिग्रस्त हो गई हैं? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षतिग्रस्त नहरों की मरम्मत करवाने पर विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। इस बांध की सिंचाई क्षमता 578 हक्टेयर है। वर्तमान में वर्ष 2003-04 एवं 2004-05 में उक्त बांध से क्रमशः 98 हक्टेयर एवं 195 हक्टेयर में सिंचाई की जा रही है, सिंचाई का विवरण प्रपत्र 'अ' पर संलग्न है।

(2) जी हां। बोरिया बांध की नहरों की मरम्मत हेतु 32.00 लाख रुपये का प्रस्ताव तैयार किया गया है। आगामी रबी फसल से पूर्व मरम्मत का कार्य कराया जा सकेगा।

प्रपत्र 'अ'

बोरिया बांध से पिछले 23 वर्षों के सिंचाई के आंकड़े

वर्ष	सिंचाई (हैक्टेयर में)
1982-1983	—
1983-1984	—
1984-1985	575
1985-1986	283
1986-1987	64

वर्ष	सिंचाई (हैक्टेयर में)
1987-1988	100
1988-1989	304
1989-1990	163
1990-1991	144
1991-1992	167
1992-1993	166
1993-1994	63
1994-1995	62
1995-1996	328
1996-1997	162
1997-1998	407
1998-1999	320
1999-2000	186
2000-2001	115
2001-2002	99
2002-2003	—
2003-2004	98
2004-2005	105

पांचना बांध से घना अभयारण्य (भरतपुर) को जल आपूर्ति

247. श्री सुरेश चन्द मीणा (करौली) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि करौली स्थित पांचना बांध से भरतपुर के घना अभयारण्य के लिए पानी देने की कार्य योजना सरकार के विचाराधीन है?

(श्री सुरेश चन्द मीणा)

(2) क्या यह भी सही है कि पांचना बांध के पानी से करौली जिले की हिण्डौन, टोडाभीम, नादोती तथा सवाई माधोपुर की गंगापुर सिटी तहसील के गांवों में सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध कराया जाता है? यदि हां, तो घना को पानी देने से उक्त जिलों के प्रभावित लाखों किसानों को पानी उपलब्ध कराने की क्या वैकल्पिक व्यवस्था होगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि सरकार का पांचना बांध की ऊंचाई बढ़ाने तथा बांध के पानी का सिंचित क्षेत्र विस्तृत करने का विचार है? यदि हां, तो इसका विस्तार किन-किन क्षेत्रों में किया जावेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी हां। घना को पांचना से पानी देने की योजना नहीं है।

(3) जी नहीं।

मान्यता प्राप्त डीम्ड यूनिवर्सिटीज

248. श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) गत तीन वर्षों में प्रदेश में किन-किन डीम्ड यूनिवर्सिटी खोलने की सरकार द्वारा अनुमति प्रदान की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त यूनिवर्सिटी खोलने हेतु क्या-क्या शर्तें रखी गई? क्या सभी डीम्ड यूनिवर्सिटी प्रशासन द्वारा निर्धारित शर्तों की पालना की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त विश्वविद्यालयों में से कितने वर्तमान में चालू हैं और कितनों में शैक्षणिक कार्य अभी तक प्रारम्भ नहीं हुआ है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य सरकार द्वारा किसी भी संस्था की डीम्ड यूनिवर्सिटी खोलने हेतु अनुमति नहीं दी गई है।

(2) डीम्ड यूनिवर्सिटी खोलना राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है एवं राज्य सरकार द्वारा कोई शर्त भी नहीं रखी जाती है।

(शिक्षा मंत्री)

(3) कोई डीम्ड यूनिवर्सिटी खोलने हेतु राज्य सरकार द्वारा अनुमति नहीं दी गई।

कपासन के संस्कृत विद्यालय

249. श्री बद्रीलाल जाट (कपासन) : क्या संस्कृत शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र कपासन में कितने संस्कृत प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय संचालित किये जा रहे हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उपरोक्त विद्यालयों में अध्यापकों के कितने पद रिक्त हैं? सरकार इनको कब तक भरने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) विधान सभा क्षेत्र कपासन में सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2004-05 में कितने संस्कृत विद्यालयों को प्राथमिक से उच्च प्राथमिक, उच्च प्राथमिक से माध्यमिक व माध्यमिक से उच्च माध्यमिक में क्रमोन्नत किया गया?

(4) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र कपासन में एक भी माध्यमिक संस्कृत विद्यालय नहीं है? यदि हां, तो क्या सरकार इस वित्तीय वर्ष में संस्कृत माध्यमिक विद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक तथा नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र कपासन में संस्कृत शिक्षा के निम्नांकित विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं :-

1. रा. उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय, भूपालखेड़ा, कपासन
2. रा. उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय, कांकरवा, भोपाल सागर
3. रा. प्राथमिक संस्कृत विद्यालय, धमाणा, कपासन

(2) संचालित विद्यालयों में द्वितीय श्रेणी अध्यापक का एक पद तथा तृतीय श्रेणी अध्यापक के 4 पद रिक्त हैं।

(शिक्षा मंत्री)

संस्कृत शिक्षा विभाग के नियुक्ति आदेश दिनांक 24.12.2004 द्वारा उपरोक्त विद्यालयों में तृतीय श्रेणी शिक्षकों के रिक्त 7 पदों में से 3 पर तथा द्वितीय श्रेणी शिक्षकों के रिक्त 2 पदों में से एक पर नियुक्ति आदेश जारी किए जा चुके हैं। शेष पदों पर नियुक्ति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(3) विधान सभा क्षेत्र कपासन में सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2004-2005 में एक भी विद्यालय क्रमोन्नत नहीं किया गया।

(4) जी हां। संस्कृत शिक्षा विभाग द्वारा राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय, भूपालखेड़ा, पं. स. कपासन को प्रवेशिका (माध्यमिक) में क्रमोन्नत किए जाने हेतु प्रस्ताव विचाराधीन है।

कृषि उपज मण्डी समितियों में रिक्त पदों पर नियुक्ति

250. श्री प्रमोद जैन "भाया" (बारां) : क्या कृषि विपणन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य की कृषि उपज मण्डियों में पदस्थापित/कार्यरत कृषि विपणन अधिकारी/मण्डी सचिव के पद किस वेतन श्रृंखला के हैं एवं नई भर्ती किस विभाग या संस्था के माध्यम से की जाती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) राज्य में दिनांक 1 जनवरी, 2005 को कितनी मण्डी समितियां किस किस जिले में कार्यरत हैं एवं इनमें से किस-किस जिले की किस मण्डी समिति में कृषि विपणन अधिकारी/मण्डी सचिव के पद भरे हुए हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) राज्य में दिनांक 1 जनवरी, 2005 को कृषि विपणन अधिकारियों के कितने पद स्वीकृत थे एवं उसके विपरीत कितने पद रिक्त चल रहे हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) राज्य में कृषि विपणन अधिकारियों/मण्डी सचिवों की अन्तिम भर्ती किस वर्ष में कितने अधिकारियों को भरने हेतु हुई थी एवं उसके बाद पदों के रिक्त रहते हुए भी नई भर्ती नहीं किये जाने के क्या कारण रहे हैं?

(5) क्या वर्तमान में एक मण्डी सचिव के पास 2 से 3 कृषि उपज मण्डियों का अतिरिक्त चार्ज होने से मण्डियों के नियमित कामकाज, वसूली, मण्डी शुल्क में कमी एवं कृषकों को उपज का उचित मूल्य नहीं मिल पाने जैसी समस्या एवं अवरोध

(श्री प्रमोद जैन 'भाया')

आये हैं? यदि हां, तो उक्त पदों पर कब तक नई भर्ती कर दी जायेगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य की कृषि उपज मण्डियों में पदस्थापित/कार्यरत सचिवों की वेतन श्रृंखला निम्न प्रकार है :-

पद नाम	वेतन श्रृंखला
सहायक निदेशक	9000-300-14400
विपणन अधिकारी	8000-275-13500
कनिष्ठ विप. अधिकारी	5500-175-9000

सहायक निदेशक के पद पदोन्नति से भरे जाते हैं।

विपणन अधिकारी के पद पर राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर के माध्यम से चयनित होने पर राज्य सरकार द्वारा नियुक्ति प्रदान की जाती है।

कनिष्ठ विपणन अधिकारी के पद पर राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर के माध्यम से चयनित होने पर निदेशक, कृषि विपणन विभाग द्वारा नियुक्ति प्रदान की जाती है।

(2) राज्य में दिनांक 1.1.2005 को जिलेवार कार्यरत मण्डी समितियां एवं उनमें कार्यरत मण्डी सचिवों का विवरण संलग्न परिशिष्ट "अ" के अनुसार है।

(3) राज्य में दिनांक 1 जनवरी, 2005 को निम्न अधिकारियों के पद सृजित, भरे एवं रिक्त पदों का ब्यौरा निम्न है :-

पद नाम	स्वीकृत पद	भरे पद	रिक्त पद
1. सहायक निदेशक	23	23	—
2. विपणन अधिकारी	77	41	36
3. कनिष्ठ विपणन अधिकारी	128	56	72

(कृषि विपणन मंत्री)

(4) विभाग में अन्तिम भर्ती राज. लोक सेवा आयोग के माध्यम से वर्ष 1996 में 19 कनिष्ठ विपणन अधिकारियों के पद भरने हेतु एवं वर्ष 1998-99 में विपणन अधिकारियों के 32 पद भरने हेतु हुई थी।

कनिष्ठ विपणन अधिकारी के 33 रिक्त पदों पर राजस्थान लोक सेवा आयोग के माध्यम से नियुक्ति हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, किन्तु इस हेतु वित्त विभाग द्वारा स्वीकृति प्रदान नहीं की गई।

(5) वर्तमान में रिक्त मण्डियों के सचिवों के पद का अतिरिक्त चार्ज दिये जाने से मण्डी समितियों के नियमित काम-काज में कोई समस्या अथवा अवरोध पैदा नहीं हुआ है अभी नई भर्ती का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

परिशिष्ट "अ"

जिले का नाम	मण्डी समिति का नाम	श्रेणी	कार्यरत अधिकारी	मूल पद
1	2	3	4	5
अजमेर	1. अजमेर अनाज	बी	श्री शिवसिंह भाटी	सहायक निदेशक
	2. अजमेर फ.स.	बी	श्री गोपीचन्द पारवानी	विपणन अधिकारी
	3. ब्यावर	ए	श्री बतूलाल मीना-अति चार्ज सहायक निदेशक	सहायक निदेशक
	4. विजयनगर	ए	श्री फूलचन्द मीना सहायक निदेशक	क. वि. अधिकारी
	5. केकड़ी	ए	श्री रामपाल कुमावत	विपणन अधिकारी
	6. मदनगंज किशनगढ़	ए	श्री भगवान सहाय जाटव	क. वि. अधिकारी
भीलवाड़ा	1. भीलवाड़ा	ए	श्री महीपाल सिंह	विपणन अधिकारी
	2. गंगापुर	ए	श्री महीपाल सिंह (अति. चार्ज)	विपणन अधिकारी
	3. माण्डलगढ़	सी	श्री प्रफुल्ल पारीक-अति. चार्ज	क. वि. अधिकारी
	4. बिजौलिया	डी	श्री गेन्दीलाल वर्मा-अति. चार्ज	विपणन अधिकारी
टोंक	1. देवली	सी	श्री प्रफुल्ल पारीक	क. वि. अधिकारी

1	2	3	4	5
	2. मालपुरा	बी	श्री ओमप्रकाश शर्मा	क. वि. अधिकारी
	3. निवाई	ए	श्री महेन्द्र सिंह	क.वि. अधिकारी
	4. टौंक	ए	श्री मोहम्मद ईशाक कुरैशी	क. वि. अधिकारी
	5. उनियारा	सी	श्री रामपाल शर्मा	क. वि. अधिकारी
अलवर	1. अलवर	एस.ए	श्री इश्याक हारून	सहायक निदेशक
	2. खैरथल	ए	श्री गोविन्द सिंह	विपणन अधिकारी
	3. खेरली	ए	श्री हरिनारायण यादव	विपणन अधिकारी
भरतपुर	1. बयाना	बी	श्री प्रमोद सत्या	विपणन अधिकारी
	2. भरतपुर	ए	श्री फरेबीलाल मीना	विपणन अधिकारी
	3. डीग	बी	श्री मनीराम सिंह	विपणन अधिकारी
	4. कामां	सी	श्री कैलाश चन्द सिंघल	क. वि. अधिकारी
	5. नदबई	बी	श्री हरि सिंह घाकड़	क. वि. अधिकारी
	6. नगर	सी	श्री पूरण चन्द	क. वि. अधिकारी

1	2	3	4	5
धौलपुर	1. धौलपुर	सी	श्री कैलाश चन्द मीना	क.वि. अधिकारी
बीकानेर	1. बीकानेर अनाज	एस ए	श्री दयानन्द सिंह	सहायक निदेशक
	2. बीकानेर फ.स.ऊ	ए	श्री हनुमानप्रसाद डागला-अति. चार्ज	सहाय निदेशक
	3. खाजूवाला	ए	श्री सत्यनारायण शर्मा	क. वि. अधिकारी
	4. लूणकरणसर	बी	श्री महेन्द्रराज मेहता	क.वि. अधिकारी
चूरू	1. नोखा	ए	श्री दयानन्द सिंह-अति. चार्ज	सहायक निदेशक
	2. चूरू	डी	श्री अशोक शर्मा	क. वि. अधिकारी
	3. रतनगढ़	सी	श्री अशोक शर्मा	क. वि. अधिकारी
	4. सादुलपुर	सी	श्री दिपेन्द्र कुमार शर्मा	क. वि. अधिकारी
	5. सरदारशहर	सी	श्री अशोक कुमार शर्मा-अति. चार्ज	क. वि. अधिकारी
	6. श्रीडूंगरगढ़	सी	सोहर सिं वर्मा	क.वि. अधिकारी
	7. सुजानगढ़	बी	श्री अशोक शर्मा-अति. चार्ज	क. वि. अधिकारी
हनुमानगढ़	1. भादरा	डी	श्री गोपाल शरण भार्गव	क. वि. अधिकारी

1	2	3	4	5
	2. गोलूवाला	बी	श्री ताराचन्द शर्मा-अति. चार्ज	विपणन अधिकारी
	3. हनुमानगढ़	एस.ए	श्री सुभाष चन्द	विपणन अधिकारी
	4. पीलीबंगा	ए	श्री ताराचन्द शर्मा	विपणन अधिकारी
	5. रावतसर	बी	श्री राम प्रताप कलवासिया	क.वि. अधिकारी
	6. सादुलशहर	ए	श्री सुभाष चन्द्र-अति. चार्ज	विपणन अधिकारी
	7. सांगरिया	ए	श्री दिनेश शर्मा-अति. चार्ज	क.वि. अधिकारी
	8. सूरतगढ़	बी	श्री नरेन्द्र पाल सिंह	क. वि. अधिकारी
	9. नोहर	बी	श्री रिछपाल सिंह	क. वि. अधिकारी
दौसा	1. बांदीकुई	बी	श्री रामहंस मीना-अति. चार्ज	विपणन अधिकारी
	2. दौसा	ए	श्री महेश मिश्रा	विपणन अधिकारी
	3. लालसोट	ए	श्री बाबूलाल मीना	विपणन अधिकारी

1	2	3	4	5
	4. महुवा मण्डावर	ए	श्री रामहंस मीना	विपणन अधिकारी
जयपुर	1. चाकसू	बी	श्री रामविलास यादव-अति. चार्ज	क.वि. अधिकारी
	2. चौमूं	ए	श्री अमरचन्द सैनी	क. वि. अधिकारी
	3. जयपुर अनाज	एस.ए.	श्री अशोक गर्ग	सहायक निदेशक
	4. जयपुर फ. स.	एस.ए.	श्री केसर सिंह	सहायक निदेशक
	5. किशनगढ़ रेनवाल	बी	श्री निर्मल कुमार शर्मा	क.वि. अधिकारी
	6. कोटपूतली	बी	श्री अमरचन्द सैनी-अति. चार्ज	क. वि. अधिकारी
बाड़मेर	1. बालोतरा	सी	श्री आनन्दीलाल माथुर	क. वि. अधिकारी
	2. बाड़मेर	ए	श्री घेवरराम चौधरी	विपणन अधिकारी
जैसलमेर	1. जैसलमेर	सी.	श्री घेवरराम चौधरी-अति. चार्ज	विपणन अधिकारी
जालौर	1. भीनमाल	बी.	श्री हरिराम जोशी	क.वि. अधिकारी

1	2	3	4	5
	2. जालौर	सी.	श्री रतेन्द्र सिंह	विपणन अधिकारी
करौली	1. हिण्डौन	बी	श्री नरेश छोड़ा	विपणन अधिकारी
झालावाड़	1. खानपुर	सी	श्री प्रेम दयाल टेलर	क.वि. अधिकारी
कोटा	1. इटावा	बी	श्री मांगीलाल जाटव-अति. चार्ज	विपणन अधिकारी
	2. कोटा	एस.ए.	श्री दशरथ सिंह	विपणन अधिकारी
	3. रामगंजमण्डी	एस.ए.	श्री देवी लाल कालवा	विपणन अधिकारी
स. माधोपुर	1. गंगापुरसिटी	ए.	श्री मोहन लाल मीना	विपणन अधिकारी
	2. स. माधोपुर	ए	श्री बलवीर सिंह मीना	विपणन अधिकारी
झुंझुनूं	1. चिडावा	सी	श्री महेन्द्र कुमार	क.वि. अधिकारी
	2. झुंझुनूं	सी	श्री रूपनारायण चौधरी	क. वि. अधिकारी
	3. नवलगढ़	सी.	श्री प्यारेलाल	क. वि. अधिकारी

1	2	3	4	5
	4. सूरजगढ़	सी	श्री महेन्द्र कुमार-अति चार्ज.	क. वि. अधिकारी
नागौर	1. डीडवाना	बी	श्री राजेन्द्र पुनिया	क. वि. अधिकारी
	2. डेगाना	बी	श्री जयसिंह चौधरी	विपणन अधिकारी
	3. कुचामन सिटी	बी	श्री सन्तोष कुमार डेहरू	क. वि. अधिकारी
	4. मेडतासिटी	एस.ए.	श्री मोहन लाल जाट	विपणन अधिकारी
	5. नागौर	एस.ए	श्री करण सिंह	सहायक निदेशक
जोधपुर	1. साचौर	डी	श्री अचल सिंह	क. वि. अधिकारी
	2. बिलाडा	बी	श्री सन्तोष कुमार मोदी	क. वि. अधिकारी
	3. जोधपुर अनाज	एस ए	श्री झब्बर सिंह	सहायक निदेशक
	4. जोधपुर फ. स.	ए	श्री बाल किशन शर्मा	विपणन अधिकारी
	5. पीपाड़सिटी	सी	श्री सन्तोष कुमार मोदी-अति. चार्ज	क. वि. अधिकारी

1	2	3	4	5
पाली	1. जैतारण	बी	श्री रामसिंह शिशोदिया	क. वि. अधिकारी
	2. पाली	बी	श्री सुरेश कुमार मंगल	क. वि. अधिकारी
	3. सोजतरोड़	बी	श्री राम सिंह-अति. चार्ज	क. वि. अधिकारी
	4. सुमेरपुर	एस ए	श्री पूरण सिंह जैतावत	विपणन अधिकारी
	5. रानी	बी	श्री भारत भूषण वशिष्ठ	विपणन अधिकारी
बारां	1. अटरू	बी	श्री जवाहरलाल नागर-अति. चार्ज	विपणन अधिकारी
	2. बारां	एस ए	श्री मांगीलाल जाटव	विपणन अधिकारी
	3. छबड़ा	बी	श्री जवाहर लाल नागर	विपणन अधिकारी
बूंदी	1. बूंदी	एस ए	श्री गेन्दीलाल वर्मा	विपणन अधिकारी
	2. के. पाटन	सी	श्री बृजेन्द्र सिंह मीना	क.वि. अधिकारी
	3. सुमेरगंज	सी	श्री अरूण कुमार मुखर्जी	क. वि. अधिकारी

1	2	3	4	5
झालावाड़	1. भवानीमण्डी	बी	श्री श्यामसुन्दर शर्मा	क. वि. अधिकारी
	2. इकलेरा	सी	श्री नरेन्द्र कुमार पाटौदिया	क. वि. अधिकारी
	3. झालरापाटन	बी	श्री नरेन्द्र कुमार स्वर्णकार	क. वि. अधिकारी
सीकर	1. फतेहपुर	सी	श्री प्यारेलाल-अति. चार्ज	क. वि. अधिकारी
	2. नीमकाथाना	सी	श्री बाबूलाल बुनकर	क. वि. अधिकारी
	3. श्रीमाधोपुर	ए	श्री चुन्नीलाल स्वामी-अति. चार्ज	विपणन अधिकारी
	4. सीकर	ए	श्री चुन्नीलाल स्वामी	विपणन अधिकारी
श्रीगंगानगर	1. अनूपगढ़	ए	श्री भजनलाल	सहायक निदेशक
	2. गजसिंहपुर	बी	श्री पवन भाष्कर-अति. चार्ज	विपणन अधिकारी
	3. घड़साना	एस ए	श्री कालूराम आर्य	सहायक निदेशक
	4. जैतसर	बी	श्री सुशील कुमार शर्मा	क. वि. अधिकारी

1	2	3	4	5
	5. केसरीसिंहपुर	बी	श्री सुभाष माथुर	विपणन अधिकारी
	6. पदमपुर	ए	श्री पवन भाष्कर	विपणन अधिकारी
	7. रायसिंहनगर	ए	श्री लक्ष्मण सिंह	विपणन अधिकारी
	8. रावला	ए	श्री कालूराम आर्य-अति. चार्ज	सहायक निदेशक
	9. रिडमलसर	सी	श्री सुशील शर्मा– अति. चार्ज	क. वि. अधिकारी
	10. श्रीगंगानगर अनाज	एस ए	श्री संजीव कुमार पण्डया	सहायक निदेशक
	11. श्रीगंगानगर फ. स.	बी	श्री लाजपतराय खुराना-अति. चार्ज	क. वि. अधिकारी
	12. श्रीकरणपुर	ए	श्री लाजपतराय खुराना	क. वि. अधिकारी
	13. श्रीविजयनगर	ए	श्री फतेह सिंह भाटी	विपणन अधिकारी
बांसवाड़ा	1. बांसवाड़ा	सी	श्री बनवारी लाल-अति. चार्ज	क. वि. अधिकारी
चित्तौड़गढ़	1. बड़ी सादड़ी	सी	श्री सूर्य प्रकाश परिहार-अति. चार्ज	विपणन अधिकारी

1	2	3	4	5
	2. बेगू	सी	श्री विष्णुदत्त शर्मा	क. वि. अधिकारी
	3. चित्तौड़गढ़	सी	श्री महेन्द्र सिंह राघव	क. वि. अधिकारी
	4. कपासन	सी	श्री रमेशचन्द्र शर्मा-अति. चार्ज	क. वि. अधिकारी
	5. निम्बाहेड़ा	बी	श्री सूर्य प्रकाश परिहार	क. वि. अधिकारी
	6. प्रतापगढ़	बी	श्री बनवारी लाल माथुर	क. वि. अधिकारी
डूंगरपुर	1. डूंगरपुर	डी	श्री गौरीशंकरपालीवाल-अति. चार्ज	विपणन अधिकारी
राजसमन्द	1. राजसमन्द	सी	श्री रमेश चन्द शर्मा	क. वि. अधिकारी
सिरोही	1. आबूरोड़	सी	श्री पूर्ण सिंह जैतावत-अति. चार्ज	विपणन अधिकारी
उदयपुर	1. फतहनगर	बी	श्री ठण्डीराम मीना-अति. चार्ज	सहायक निदेशक
	2. उदयपुर	ए	श्री गौरीशंकर पालीवाल	विपणन अधिकारी

परिशिष्ट-I

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

प्रदेश के 2 बड़े ताप बिजलीघरों के लिए अन्तर्राष्ट्रीय निविदा आमंत्रित किये बिना कोयला खरीद

मान्यवर, प्रदेश के दो बड़े बिजली घर सूरतगढ़ और कोटा के लिए केन्द्र के उपक्रम एम.एम.टी.सी. के मार्फत चीन से दो लाख टन कोयला बिना अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर निविदायें आमंत्रित कर एक निजी कम्पनी अडानी समूह को यह काम सरकार द्वारा सौप दिया गया जिससे प्रदेश को करीब 34 करोड़ रूपये का नुकसान उठाना पड़ा। जबकि वर्तमान में कोयले की खरीद दर लगभग 700 से 1500 प्रतिटन है इसके विपरीत लगभग 3200 रूपये प्रति टन के हिसाब से चीन से कोयला आयात किया गया। राज्य सरकार के पास ऐसी कौन सी आपात स्थित आ गई थी जिससे बिना निविदाएं आमंत्रित कर विदेश से कोयला मंगाना पड़ा जबकि केन्द्र सरकार द्वारा पूर्व में ही राज्य सरकार को 15 प्रतिशत कोयला आरक्षित रखने हेतु 4 माह पूर्व ही अपने स्त्रोंतो से व्यवस्था करने हेतु कहा था। उस समय राज्य सरकार द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई और स्टाक कमी का इन्तजार करती रही और स्टाक की कमी होते ही सरकार द्वारा करीबन 100 करोड़ का कोयला मेहगें भावों में खरीदा गया। जबकि इसके विपरीत तीन वर्ष पूर्व सूरतगढ़ ताप विद्युत घर में उर्जा उत्पादक निगम द्वारा कोयले में लिग्नाईट मिला कर काम में लिया गया था। जिसके परिणाम अच्छे रहे थे लेकिन राज्य में लिगनाईट के अथाह भण्डार होने के उपरान्त भी काम में नही लिया जा रहा है।

अत: आपके माध्यम से मैं यह सरकार से पुरजोर मांग करता हूं कि कोयला खरीद में लिप्त लोगों के विरुद्व जांच कर कठोर कार्यवाही करें।

डा. चन्द्रशेखर बैद
(तारानगर) :

जोधपुर के मोटर गैराज को 1992 के बाद एक भी वाहन उपलब्ध नहीं कराये जाने के सम्बन्ध में

मान्यवर, वर्तमान प्रतियोगिता के आधुनिक युग में ट्रांसपोर्ट का बहुत अत्यधिक महत्व है। ट्रांसपोर्ट में भी आधुनिक प्रकार के वाहनों का अत्यधिक महत्व

(श्री जोगाराम पटेल)

है। जोधपुर सभांग के सबसे महत्वपूर्ण मोटर गैरेज मुख्यालय जोधपुर में सन् 1992 के बाद एक भी वाहन जोधपुर मोटर गैरेज को उपलब्ध नहीं करवाया गया है। जो.मो.गे. में जो भी वाहन है वे करीब 20 साल पुराने अत्यधिक खस्ता हालात में है एक भी कार जीप सुव्यवस्थित रूप से तेज रफ्तार के साथ चलने योग्य नहीं है।

माननीय विधायकगण व माननीय सांसदगण को राज्य सरकार के नियमानुसार जिन वाहनों को उपलब्ध कराने का नियम है प्रथम तो वाहन नहीं होने से साधारणतया उपलब्ध करवाये ही नहीं जाते हैं यदि खुदा न खास्ता उपलब्ध करवा दिये जाते हैं तो वे एक तरह से अनुपयोगी है किसी भी वक्त किसी भी जगह उनके खराब होने की पूरी-पूरी सम्भावना रहती है।

वर्तमान में राज्य सरकार ने जो मो. गै. द्वारा वाहन किराये पर लेकर उपलब्ध करवाने हेतु निर्देश दिये है ऐसा प्रेक्टिकल रूप से सम्भव नहीं है। बल्कि इसके स्थान पर मा. वि. गण. मा. सांसदगण को हर महीने की निश्चित दिनों तक उपलब्ध कराने जाने वाले वाहनों की तुलना में जितना खर्चा राज्य सरकार को मो. गैर. के मार्फत उठाना पड़ता है उससे भी बहुत कम खर्चे में माननीय वि. गण व मा. सांसदगण वगैरह को वाहन भत्ता के रूप में एक निश्चित राशि उपलब्ध करवाकर वाहन उपलब्ध करवाया जा सकता है, इस स्थिति में मो. गैर. द्वारा मा. वि. गण के वाहन उपलब्ध करवाने इत्यादि का सारा झंझट ही समाप्त हो जायेगा व मा. वि. गण वगैरह प्रतियोगिता के इस युग में नई किस्म के वाहन किराये पर लेकर शीघ्रताशीघ्र अपने क्षेत्र का दौरा कर सकेंगे। बिजली टेलीफोन भत्ता पद्धति के अनुसार ही वाहन भत्ता भी उपलब्ध करवा देने से इस समस्या का समाधान हो जायेगा। राज्य सरकार का बहुत बढ़ा भार समाप्त हो जायेगा। वर्तमान परिस्थिति में एक मात्र यही सुविधाजनक विकल्प राज्य सरकार व मा. विधायकगण वगैरह दोनों के पक्ष में है। राज्य सरकार को बहुत भारी आर्थिक फायदा होगा प्रतिदिन प्रस्तावित परेशानियों से छुटकारा मिल जायेगा।

श्री जोगाराम पटेल

(लूणी)

नवलगढ़ नगरपालिका की सरकारी भूमि पर थानाधिकारी द्वारा अवैध निर्माण बाबत

मान्यवर, नगरपालिका नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं की सरकारी भूमि पर थानाधिकारी, पुलिस थाना नवलगढ़ (झुंझुनूं) द्वारा थाना परिसर से उत्तर दिशा में स्थित

(श्रीमती प्रतिभासिंह)

भूमि पर बगैर आबंटन/ट्टा एवं नगरपालिका मण्डल की स्वीकृति के बिना ही अवैध रूप से दिनांक 14.3.2005 से निर्माण कार्य करवाया जा रहा है।

इसके लिए अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका नवलगढ़ द्वारा अपने आदेश क्रमांक 298 दिनांक 14.3.2005 एवं 303 दिनांक 21.3.2005 द्वारा अतिक्रमित भूमि पर अवैध रूप से जबरन चलाये जा रहे निर्माण कार्य को रोकने हेतु पाबन्द भी किया जा चुका है।

प्रदेश में कानून एवं व्यवस्था को बनाये रखने वाले पुलिस प्रशासन की हठधर्मिता के कारण वह अवैध निर्माण चालू है, जिस कारण स्थानीय जनता में पुलिस प्रशासन के प्रति आक्रोश एवं भय बना हुआ है। पुलिस थाना के आस-पास कुछ बहुत ही गरीब लोग वर्षों से अपनी चाय-पानी की दुकानें चला रहे हैं, उन्हें भी भय है कि पुलिस वाले उनकी दुकानें कभी भी तोड़-फोड़ सकते हैं जिस कारण उनकी रोजी छिन सकती है। वे सभी दुकानदार भी भयभीत हैं।

मान्यवर एक तरफ सरकारी अधिकारी अतिक्रमण हटाने के नाम पर गरीबों के वर्षों पुराने घर तोड़ देते हैं, अपना घर टूटता देख रोते हुए गरीब महिलाओं एवं बच्चों की अखबारों में फोटो छपती हैं दूसरी तरफ सरकारी अधिकारी जबरन नियम विरूद्ध निर्माण करवा रहे हैं।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि उक्त अवैध निर्माण कार्य को तुरन्त रोककर नियम विरूद्ध निर्माण करवाने वाले अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जावे।

श्रीमती प्रतिभा सिंह

(नवलगढ़)

जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा आबंटित हार्डवेयर मण्डी में भूखण्डों का कब्जा दिलाने बाबत

महोदय, उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रस्ताव प्रस्तुत कर सदन का ध्यान निम्न बिन्दुओं की ओर आकर्षित है।

1. जयपुर विकास प्राधिकरण ने हार्डवेयर मण्डी के सदस्यों से कोर कमेटी के 9.6.2003 के निर्णय अनुसार (निर्णय नं. 5) सदस्यों से माचेडा योजना में आवेदन पत्र 100 वर्ग मीटर व 200 वर्ग मीटर जमीन के लिए मांगे।
2. हार्डवेयर मण्डी के एसोसिएशन के सदस्यों के आवेदन पत्रों पर दिनांक 26.3.2003

(श्री वीरूसिंह राठौड़)

को जयपुर विकास प्राधिकरण ने तत्कालीन स्वायत्त शासन मंत्री द्वारा कम्प्यूटर से लाटरी द्वारा भूखण्ड आबंटित किये। 100 वर्ग मीटर के 36 व 200 मीटर के 114 भूखण्ड आबंटित किये गये।

3. दिनांक 4.9.2003 को ज.वि.प्रा. ने पत्र लिखकर सम्पूर्ण राशि एक साथ 7 दिवस की अवधि जमा करवाने के निर्देश दिये।

4. संस्था पदाधिकारियों द्वारा तत्कालीन जयपुर विकास प्राधिकरण कमीश्नर श्रीमती उषा शर्मा से बातचीत करने पर उन्होंने सबको पूर्ण आश्वस्त किया कि समस्त राशि जमा करवा देने पर मण्डी का सम्पूर्ण विकास (पानी, बिजली, सड़क) एक महीने के भीतर करवा कर भूखण्ड का कब्जा दे दिया जावेगा। इस आश्वासन पर सदस्यों ने नवम्बर के प्रथम सप्ताह में जयपुर विकास प्राधिकरण को सम्पूर्ण भुगतान कर भूखण्ड का पट्टा प्राप्त कर लिया व भूखण्ड की रजिस्ट्री करवा ली।

5. तत्पश्चात् संस्था पदाधिकारी कई बार ज.वि.प्रा. आयुक्त, उपायुक्त व अन्य अधिकारियों से मिल चुके हैं, व उनसे भूखण्ड का कब्जा देने हेतु आग्रह कर चुके हैं व मण्डी के विकास हेतु निवेदन कर चुके हैं परन्तु अत्यन्त अफसोस है कि हमारे सदस्यों को आज एक साल चार महीने की अवधि बीत जाने पर भी भूखण्ड का कब्जा नहीं मिल गया है। अधिकारीगण मण्डी की जमीन के कुछ हिस्से पर कोर्ट का स्टे होने के बात कह कर टाल देते है।

6. सदस्यों द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण को (रुपये अक्षरे सवा चार करोड़) रु. का भुगतान व 50 लाख रु. रजिस्ट्री का भुगतान किया जा चुका है। व सदस्यों को बैंकों को 16 महीने का ब्याज का भुगतान लगभग 1 करोड़ रुपये करना पड़ता है।

7. विशेष उल्लेख प्रस्ताव के जरिये हार्डवेयर मर्चेन्ट एसोशिएशन के सदस्यों द्वारा किये गये आवेदन भूखण्ड बाबत कब्जा दिलाये जाने हेतु पुर जोर मांग करता हूं।

प्रो. बीरू सिंह राठौड़

(बनीपार्क)

खारची में पेयजल व अकाल की विकट स्थिति के सम्बन्ध में

महोदय, विधान सभा क्षेत्र खारची में पीने के पानी की इतनी कमी है कि सभी गांवों में पेयजल परिवहन द्वारा उपलब्ध कराने की स्थिति हो गई है। वहां पिछली बार

(श्री खुशवीर सिंह जोरावर)

खरीफ की फसल की बुआई हुई जिसके आधार पर सरकार ने अकाल घोषित नहीं किया जब कि हकीकत यह है कि फसल बुआई के बाद बरसात नहीं होने से तिलहन की फसल थी, वो थोड़े बहुत काश्तकारों को मिली थी, लेकिन अन्य फसल बाद में पूरी तरह से जल कर नष्ट हो गई, जिससे किसान और बरबाद हो गये। विधान सभा क्षेत्र खारची में दो स्थानों पर मण्डियां है उनमें खरीद मिल रही है। आज मौके की स्थिति देख कर नये सिरे से सर्वे करवाया जाये, जिससे विधान सभा क्षेत्र खारची में अकाल राहत कार्य तुरन्त प्रारम्भ किये जाये। वहां पर जो लोग वर्षों से अपने कुओं पर रह रहे हैं उनकी स्थिति यह है कि वो आज पीने के पानी के लिए लोग पलायन करके आसपास के गांवों में जा चुके हैं। तहसील हैड क्वार्टर के एक मात्र रेनगेज में आंकलन करना बिलकुल आधारहीन है जबकि तहसील मुख्यालय से 40 किमी. की परिधि तक तहसील की सीमा है वहां बरसात बहुत कम हुई है। सरकार के पास तहसील हैडक्वार्टर को छोड़ कर अन्य स्थान पर रैनगेज लगा हुआ नहीं है। मात्र एक रेनगेज के आधार पर आंकलन करना गलत है।

मेरी सरकार से पुरजोर अपील है कि विधान सभा क्षेत्र खारची व देसूरी में जहां 90% खेतीहर मजदूर है। आज पलायन कर रहे हैं। अतः तुरन्त राहत कार्य प्रारम्भ किये जाये जिससे लोगों का पलायन रोका जा सके साथ ही पेयजल हेतु तुरन्त नये हैण्डपम्प स्वीकृत करवाये जाये व भविष्य में जल संकट को समाप्त करने के लिए छोटे छोटे-एनीकट बनवाये जाये।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर
(खारची)

लक्ष्मणगढ़ में सरसों की खरीद का केन्द्र नहीं खोले जाने से किसानों को परेशानी

महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 295 के तहत सीकर जिले में सरसों की खरीद के बारे में विशेष उल्लेख प्रस्ताव के जरिये निवेदन करना चाहता हूं।

सीकर जिले में सरकार द्वारा सरसों की खरीद शुरू हो चुकी है और काश्तकार इसका फायदा भी उठा रहे हैं। परन्तु मेरे विधान सभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ पर सरसों खरीद का कोई केन्द्र नहीं खोले जाने से आस-पास के काश्तकारों को भारी समस्या का सामना करना पड़ता है एवं उनको सीकर आने-जाने में काफी पैसा व समय बरबाद

(श्री केसर देव बाबर)

होता है। अत: मेरा निवेदन है कि लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर में सरसों का खरीद केन्द्र शीघ्र शुरू किया जाय क्योंकि आस-पास के क्षेत्र में काफी मात्रा में सरसों का उत्पादन होता है।

इसी के साथ गम्भीर चिंता का विषय यह है कि सरकार द्वारा काली सरसों ही केन्द्रों पर खरीद की जा रही है जबकि सीकर जिले में पीली सरसों ही बहुतायत से पैदा होती है और पीली सरसों नहीं खरीद किये जाने से सरकार की नीति का काश्तकार वर्ग को कोई फायदा ही नहीं पहुंच पा रहा है। इसके अतिरिक्त मैं यह भी अनुरोध करना चाहूंगा कि सरसों में गीलापन मापने का जो दर है उसके अनुसार आठ प्रतिशत से ज्यादा गीलापन होने से उस सरसों की खरीद नहीं की जा रही है। इस कारण भी बहुत से काश्तकारों की सरसों की खरीद होने से वंचित रह गई है। गीलापन मापने का यंत्र तो ठीक काम कर रहा है परन्तु गीलेपन की न्यूनतम मात्रा कम होने की वजह से ही काश्तकार परेशान हैं एवं अपनी सरसों नहीं बेच पा रहे हैं। यदि गीलेपन की मात्रा में कुछ रियायत सीकर जिले में दी जाती है तो इससे गरीब किसान इस समस्या से निजात पा सकता है और दो जून की रोटी उसको नसीब हो सकती है।

अत: मैं इस विशेष उल्लेख के प्रस्ताव के जरिये माननीय कृषि मंत्रीजी एवं राज्य सरकार से पुरजोर शब्दों में मांग करता हूं कि (1) लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर में सरसों का खरीद केन्द्र शीघ्र शुरू किया जाय, (2) सीकर जिले में पीली सरसों की खरीद किये जाने के आदेश आज ही जारी किये जाएं, एवं (3) सरसों में गीलेपन की मात्रा में रियायत सीकर जिले में देते हुए काश्तकार एवं गरीब वर्ग को तुरन्त राहत पहुंचाई जाए।

जय हिन्द, जय भारत।

श्री केसर देव बाबर

(लक्ष्मणगढ़)

निवाई में मनमाने एवं पक्षपातपूर्ण तरीके से हटाये गये निर्माण कार्यों बाबत

महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियम 295 के अन्तर्गत मेरे विधान सभा क्षेत्र निवाई में उप खण्ड अधिकारी निवाई द्वारा मनमाने एवं पक्षपातपूर्ण तरीके से हटाये गये निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में मैं विशेष उल्लेख का प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहता हूं।

(श्री हीरालाल)

राज्य सरकार द्वारा राज्य में क्लीन एण्ड सेफ रोड अभियान चलाया गया जो एक प्रशंसनीय कार्य रहा एवं आम जनता में इस कार्यक्रम का अच्छा प्रभाव पड़ा। लेकिन मेरे विधान सभा क्षेत्र में नोडल अधिकारी उप खण्ड अधिकारी द्वारा जिस तरीके से निर्माण कार्य हटाये गये उससे आम जनता में इस अच्छे अभियान का भी गलत प्रभाव पड़ा।

इस अभियान के लिए मेरे क्षेत्र में न तो कोई समयसीमा तय की गई और न ही समाचार-पत्रों में अभियान के बारे में कोई जानकारी या सूचना प्रकाशित करायी गयी। अतिक्रमण हटाने से पूर्व कोई नोटिस भी नहीं दिये गये। जन-प्रतिनिधियों की बुलायी गयी बैठक भी मात्र औपचारिक ही रही और किसी प्रकार की कार्ययोजना बैठक में नहीं रखी गई। नोडल अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी, निवाई) द्वारा मनमाने तरीके से शहर में जिस प्रकार से तोड़फोड़ की गई उससे जनता में दशहत का माहौल पैदा हुआ। नगरपालिका द्वारा निर्मित झिलाय रोड के पक्के नालों को भी तोड़ दिया गया जिससे गन्दे पानी का निकास सड़कों पर फैल गया। इससे आसपास गन्दगी व्याप्त हो गई जिससे बीमारी फैलने की आशंका है। नगरपालिका द्वारा निर्मित झिलाय रोड पर प्याऊ एवं चुंगी नाका भी इस अभियान के दौरान उपखण्ड अधिकारी द्वारा तोड़ दिये गये जिससे नगरपालिका की लाखों रुपये की सम्पत्ति का नुकसान हुआ।

उक्त अभियान शहरी क्षेत्र तक ही सीमित था, लेकिन उपखंण्ड अधिकारी द्वारा ग्राम पंचायत ढ़ाणी जुगलपुरा में भी मनमाने तरीके से निर्माण हटाये। जिन लोगों के पास नगरपालिका या तहसील के पट्टे थे या रूपान्तरण (कन्वर्जन) की राशि जमा थी उनके भी कच्चे व पक्के निर्माणों को गिरा दिया गया।

उक्त अधिकारी द्वारा जिन अतिक्रमणों को हटाया गया उन स्थानों पर कोई पुनर्निर्माण या सड़क नहीं करायी गयी इससे वहां पर पुन: अतिक्रमण की गुंजाइश हो गई है।

उपखण्ड अधिकारी की इस पक्षपातपूर्ण कार्यवाही से आम जनता में गहरा रोष व्याप्त है। अत: इस प्रस्ताव के माध्यम से माननीय स्वायत्त शासन मंत्रीजी से निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में उक्त अभियान के तहत हटाये गये निर्माणों/ अतिक्रमणों की जांच की जाए एवं जो निर्माण गैर कानूनी तरीके से हटाये गये, पक्षपातपूर्ण तरीके से हटाये गये उनकी जांच कर दोषी अधिकारियों के खिलाफ

(हीरालाल)

कार्यवाही की जाए एवं दोषी उपखण्ड अधिकारी को तत्काल मेरे क्षेत्र से हटाया जाए ताकि आम जनता में व्याप्त रोष को दूर किया जा सके।

श्री हीरालाल
(निवाई)

सूरसागर विधान सभा क्षेत्र के 2 चिकित्सालयों को सैटेलाइट अस्पताल में क्रमोन्नत करने बाबत

महोदया, माननीया अध्यक्ष महोदया, मैं आपके मार्फत माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि सूरसागर विधान सभा क्षेत्र जनसंख्या एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से काफी लम्बा चौड़ा क्षेत्र है। इस विधान सभा क्षेत्र में लगभग 4.00 लाख मतदाता नगर निगम, जोधपुर के 22 वार्ड एवं 29 ग्राम पंचायतों में निवास कर रहे हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र की आबादी लगभग 8 से 9 लाख की है। नगर निगम के 22 वार्डों में जो कि शहर के बाहर का एरिया है जिसमें गरीब, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं मजदूर वर्ग के नागरिकों की संख्या बहुत ज्यादा है। मजदूर वर्ग में ज्यादातर खनन कार्य करने वाले हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में पड़ने वाली ग्राम पंचायतें भी शहर से लगती हुई 25-30 कि.मी. के रेडियस में स्थित हैं। इतनी बड़ी आबादी के लिए एवं जिले की सम्पूर्ण आबादी के चिकित्सा हेतु जोधपुर शहर में 3 बड़े राजकीय चिकित्सालय स्थित है, जिसमें एक उम्मेद अस्पताल जो महिलाओं हेतु एवं शेष दो राजकीय महात्मा गांधी चिकित्सालय एवं मथुरादास माथुर चिकित्सालय स्थित है। ये चिकित्सालय 22 वार्डों एवं 29 ग्राम पंचायतों के निवासियों के लिए काफी दूर है। वर्तमान में मेरे क्षेत्र में प्रतापनगर, चौपासनी हाऊसिंग बोर्ड, सूरसागर एवं मधुबन हाऊसिंग बोर्ड में राजकीय चिकित्सालय स्थित है। जो उक्त दो बड़े चिकित्सालयों से काफी दूर रहते हैं।

अध्यक्ष महोदया, मैं आपके मार्फत माननीय मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूं कि इतनी बड़ी आबादी को इनके क्षेत्र में स्थित चिकित्सालयों को सेटेलाईट चिकित्सालय में क्रमोन्नत कर बढिया व सस्ती चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाई जा सकती है। मैं यहां यह भी उल्लेख करना चाहता हूं कि राजकीय चिकित्सालय, प्रतापनगर, चौपासनी हाउसिंग बोर्ड, सूरसागर एवं मधुबन हाउसिंग बोर्ड में सैटेलाइट अस्पताल हेतु पर्याप्त भूमि उपलब्ध है।

(श्री मोहन मेघवाल)

अत: पुन: निवेदन करना चाहता हूं कि राजकीय चिकित्सालय, प्रतापनगर, सूरसागर, चौपासनी हाऊसिंग बोर्ड एवं मधुबन हाउसिंग बोर्ड के अस्पतालों को प्राथमिकता के आधार पर सैटेलाइट चिकित्सालय में क्रमोन्नत किया जावे ताकि इन क्षेत्रों में निवास कर रही आम जनता को सस्ती व बढिया चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो सके। इसके अतिरिक्त महात्मा गांधी चिकित्सालय एवं मथुरादास माथुर चिकित्सालयों में मरीजों का दबाव भी काफी कम हो सके।

श्री मोहन मेघवाल

(सूरसागर)

बारां जिले में ओलावृष्टि से तबाह फसल के मुआवजा की मांग

महोदय, मैं कार्य संचालन के नियम 295 के तहत सरकार का ध्यानाकर्षण करते हुये निवेदन करता हूं कि बारां जिले में ओलावृष्टि से प्रभावित 51 ग्राम ऐसे है जिनमें 75% से 100% ओलावृष्टि से फसल तबाही हुई है। छबड़ा में 11 ग्राम, छिपाबड़ौद में 23 ग्राम, किशनगंज में-01 ग्राम बारां में 12 ग्राम, अंता में 4 ग्राम इसी प्रकार 85 ग्राम ऐसे हैं जिनमें 50% से कम फसल की तबाही बताई है। छिपाबड़ौद में 10, किशनगंज में 15, अंता में 18, बारां में 11, शाहाबाद में 31 ग्राम इस प्रकार पूरे जिले में 18678 किसान ओलावृष्टि से प्रभावित हुये हैं। जो लघु कृषक की सीमा में आते है। 7710 ऐसे किसान है जो सहायता राशि की श्रेणी में नहीं आते, सरकार के निर्देशानुसार असिंचित क्षेत्र में प्रति हेक्टर 1000 रुपये व सिंचित क्षेत्र में 2500 रुपये प्रति हेक्टर की सहायता राशि प्रदान की जानी है जो कि सबसे कम है इसमें किसान का लागत मूल्य भी नहीं मिल रहा है इसको बढ़ाकर असिंचित क्षेत्र में 2000 रुपये सिंचित में 4000 रुपये होनी चाहिये पूरे जिले में 24600 हेक्टर जमीन प्रभावित हुई है। जिसमें कुल नुकसान 461 लाख आंका गया है नुकसान किसानों का इसमें भी अधिक हुआ है। इसमें राजस्व कर्मचारियों ने लापरवाही से सर्वे किया है व राज्य सरकार द्वारा जो सहायता राशि प्रदान की जा रही है वह ऊंट के मुंह में जी के समान है। क्योंकि 50% से कम हुये नुकसान पर भी सहायता राशि किसानों को प्रदान की जानी चाहिये। राजस्व वसूलियां व सिंचाई वसूली व्यवसाईक बैंक, कापरेटिव बैंक, सहकारी बैंक आदि की वसूली स्थगित की जावे व ब्याज माफ किया जावे। किसानों से जिन व्यवसायिक बैंकों व सहकारी बैंकों ने किसान क्रेडिट कार्ड पर सलबीमे की राशि वसूल की है ऐसे सभी ओलावृष्टि प्रभावित किसानों को बीमे कम्पनी से बीमे राशि का भुगतान करवाया

जाना चाहिये, जिससे किसानों की माली हालात सुधरे। फसल बीये की जो तकनिकी कमियां है उनको दूर किया जावे सरकार व बीमा कम्पनी के बीच में जो समझौता हुआ है उसमें प्रत्येक किसान को भुगतान करने के लिये तहसील को यूनिट माना है जो कि गलत है इसमें प्रत्येक किसान व प्रत्येक ग्राम हो यूनिट माना जावे व जिनकी बीमे की राशि जमा है उनको तत्काल मुआवजा दिलवाया जावे। व प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य खोले जावें, मवेशियों के लिये चारा डिपो प्रारम्भ किये जावे प्रत्येक ग्राम पंचायत पर।

श्री हेमराज मीणा

(किशनगंज)

लूणकरणसर में रोडवेज बस स्टैण्ड स्थापित करने बाबत

महोदय, उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि कस्बा लूणकरणसर राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है तथा ग्राम पंचायत, तहसील एवं उपखण्ड मुख्यालय है। इस मार्ग पर न सिर्फ श्रीगंगानगर, सूरतगढ़, हनुमानगढ़ अपितु पंजाब और हरियाणा राज्यों के यांत्रियों को यात्रा के दौरान कस्बा लूणकरणसर से होकर गुजरना पड़ता है। इस कस्बे में विकसित मण्डी होने के कारण काश्तकारों और व्यापारियों का आवागमन भी लगातार बना रहता है। वर्तमान समय में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की अनेक बसें लूणकरणसर से होकर संचालित हो रही हैं जिनमें प्रतिदिन हजारों यात्री यात्रा कर रहे है, लेकिन राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम लि. जिसका उद्देश्य यात्रियों को स्थान स्थान पर स्थापित बस स्टैण्ड पर छायादार बैठने का स्थान, स्वच्छ पेयजल, स्वच्छ शौचालय, अल्पाहार गृह के साथ साथ सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराते हुए गतंव्य तक पहुंचाना है, अपने उद्देश्य से भटक रही है, जिसका उदाहरण लूणकरणसर में स्थित रोडवेज बसों का ठहराव स्थल है। वर्तमान में यहां पर महज एक बूथ में रोडवेज विभाग की गतिविधियों का संचालन हो रहा है तथा सड़क पर बसों का ठहराव किया जाता है। यात्रियों को सुरक्षित वातावरण तथा आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना तो दूर की बात है, सड़क किनारे बसों के ठहराव कराये जाने के कारण हर समय दुर्घटना का भय बना रहता है। इस हेतु पूर्व में भी अनेक बार निवेदन किया गया लेकिन अभी तक रोडवेज विभाग द्वारा बस स्टैण्ड स्थापित करने की कार्यवाही नहीं की गई है।

अत: अध्यक्ष महोदय मेरा आपके माध्यम से माननीय यातायात मंत्री से

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

निवेदन है कि जिला बीकानेर के इस प्रमुख कस्बे में यात्रियों को सुरक्षित एवं सुविधाजनक वातावरण उपलब्ध कराने की दृष्टि से रोडवेज बस स्टैण्ड स्थापित कराने के क्रम में तत्काल प्रभाव से भूमि चिन्हित कर उपलब्ध करायी जावे जिससे उसे विकसित करने हेतु स्थानीय लोगों का सहयोग भी लिया जा सके।

धन्यवाद।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल

(लूणकरणसर)

मकराना शहर की गन्दगी ग्राम मंगलाना में डाले जाने के कार्य को रोकने के सम्बन्ध में

मान्यवर, मैं सदन का ध्यान इस विशेष उल्लेख के माध्यम से आकर्षित कर निवेदन करना चाहूंगा कि ग्राम मंगलाना, तहसील परबतसर की सरहद में राज्य सरकार द्वारा नगरपालिका मकराना को मार्बल पत्थर के कचरे एवं मार्बल स्लेरी डालने हेतु रेल्वे फाटक एवं मंगलाना मकराना मुख्य सड़क से एक किलोमीटर दूरी उत्तरी तरफ पहाड़ों की तलहटी में आबंटित 55 बीघा भूमि पर अवैध रूप से उक्त भूमि के आबंटन शर्तों का खुल्लम खुला उल्लंघन कर मुख्य सड़क के किनारे पर मकराना शहर की गन्दगी का ढेर लगाने के सम्बन्ध में मेरे द्वारा लगाये गये ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जवाब में स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर के पत्र क्रमांक 348 दिनांक 23.3.2005 के द्वारा प्राप्त तथ्यात्मक विवरण में सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा गलत सूचनाएं देकर सदन को गुमराह करने का प्रयास किया गया है। विभाग द्वारा बताया गया है कि नगरपालिका एवं औद्योगिक इकाईयों के मालिकों द्वारा मार्बल कचरा/स्लेरी एवं दैनिक कचरा मुख्य सड़क पर नहीं डाला जाता है, अपितु जिला कलक्टर द्वारा आरक्षित उपरोक्त भूमि ही इस प्रयोजनार्थ काम में ली जाती है, यदि नगरपालिका एवं औद्योगिक इकाईयों के मालिकों द्वारा मार्बल कचरा/स्लेरी एवं दैनिक कचरा मुख्य सड़क पर नहीं डाला जाता है, अपितु जिला कलक्टर द्वारा आरक्षित उपरोक्त भूमि ही इस प्रयोजनार्थ काम में ली जाती है तो श्रीमान जिला कलक्टर द्वारा आरक्षित भूमि का नक्शा मय समस्त विवरण सदन के पटल पर रखवाने की कृपा करावे। उक्त भूमि के आस-पास कोई बस्ती/कच्ची बस्ती एवं सार्वजनिक स्थान नहीं होने के कारण पालिका द्वारा उक्त भूमि पर कचरा डालने से किसी प्रकार की कोई मौसमी एवं अन्य बीमारी होने की सम्भावना नहीं है जब की उक्त भूमि के आसपास ग्राम गुडा व कई छोटी बड़ी

(श्री राकेश मेघवाल)

ढाणियां हैं जिससे उक्त भूमि पर कचरा डालने से किसी प्रकार की कोई मौसमा एवं अन्य बीमारी होने की सम्भावना हमेशा बनी रहती है। विभाग के अनुसार एहतियात के तौर पर पालिका द्वारा कचरे पर कार्बोलिक पाउडर का समय-समय पर छिड़काव किया जाता है, यदि उस जमीन पर कभी कार्बोलिक पाउडर छिड़का गया है तो यह बताया जावे कि उक्त कार्बोलिक पाउडर कब-कब छिड़का गया है, तथा उस पर कितना -कितना व्यय किया गया है, व्यय पाउडर सहित विवरण सदन में रखें। विभाग द्वारा कहा गया है कि माननीय विधायक एवं जनप्रतिनिधियों से इस सम्बन्ध में शिकायतें प्राप्त होने पर नगरपालिका द्वारा जे.सी.बी. मशीन लगवा कर, उक्त भूमि पर डाले गये मलबे को साफ करने की कार्यवाही समय-समय पर की जाती है। जिस पर अब तक 1.11 लाख रु. का व्यय हुआ। इस जवाब से मैं संतुष्ट नहीं हूं क्यों न तो कभी उस स्थान पर कोई करवाई गई है तथा ना ही वहां से कभी मलब हटाया गया है तो यह बताया जावे कि मलबा हटाने हेतु कब-कब सफाई की कार्यवाही की गई व व किस प्रकार की गई व किस प्रकार सफाई की गई। सफाई हेतु व्यय राशि 1.11 लाख रुपये किस प्रकार व किस-किस समय खर्च किये गये। तथा इस राशि से किस-किस को कितना-कितना भुगतान किया गया, पूर्ण विवरण सदन में रखें।

पुन: सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित कर निवेदन है कि उक्त स्थान पर नगरपालिका मकराना द्वारा मकराना शहर की गन्दगी डालने के कार्य को तत्काल रुकवाया जावे तथा पूर्व में डाले गये कचरे एवं गन्दगी को अन्यत्र डलवाया जावे। साथ ही सदन को गलत सूचना देकर गुमराह करने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही करवाई जावे ताकि भविष्य में सदन को गुमराह करने की प्रवृत्ति पर रोक लगाई जा सके।

श्री राकेश मेघवाल

(परबतसर)

नदबई (भरतपुर) क्षेत्र में ओलावृष्टि के कारण बरबाद फसल का किसानों को मुआवजा देने के सम्बन्ध में

मैं आपका ध्यान मेरे विधान सभा क्षेत्र नदबई के किसानों की ओर दिलाना चाहूंगी जिनकी फसल अभी हाल में हुई ओलावृष्टि के कारण नष्ट हो गई हैं। प्रकृति के इस प्रकोप से सभी श्रेणी के किसानों को समान रूप से नुकसान हुआ है। राज्य सरकार द्वारा ओलावृष्टि से नष्ट हुई फसलों की मुआवजा राशि केवल उन लघु कृषकों को

(श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर)

जिनकी भूमि एक हैक्टेयर के अन्दर है को दिये जाने के आदेश जारी किये हैं जबकि नदबई क्षेत्र में वृहद एवं सीमान्त कृषकों की संख्या अधिक है। जिनकी फसलों का भी ओलावृष्टि से काफी नुकसान हुआ है। ऐसे संकट के समय में वृहद एवं सीमान्त किसानों को भी मुआवजा राशि दिलाई जाकर राहत पहुंचाने की आवश्यकता है।

अतः मैं माननीय अध्यक्ष महोदया से निवेदन करना चाहूंगी कि राज्य सरकार ओलावृष्टि से पीड़ित किसानों को समान रूप से मुआवजा राशि दिलाये जाने की कृपा करें ताकि सभी श्रेणी के कृषकों को राहत मिल सके, साथ ही मैं निवेदन करना चाहूंगी कि भविष्य में ऐसी प्राकृतिक आपदाओं हेतु अकाल राहत कोष की तरह अलग से ही प्राकृतिक आपदा राहत कोष की स्थापना की जावे।

श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर "दीपा"
(नदबई)

सदस्य सूची

गुरुवार, 31 मार्च, 2005

नाम	पृष्ठ संख्या
श्री अध्यक्ष	
अनुरोध एवं मांग	
-सदन में जारी गतिरोध दूर करने हेतु	12
श्री अर्जुन लाल मीणा (सलूम्बर)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
उच्च शिक्षा	
-हाड़ा रानी महाविद्यालय, सलूम्बर में रिक्त पद	204
श्री अशोक कुमार नवलखा (निम्बाहेड़ा)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
शिक्षा	
-निम्बाहेड़ा के विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पद	274
तारांकित प्रश्नोत्तर	
सार्वजनिक निर्माण	
-निम्बाहेड़ा में सड़क निर्माण	185
डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह)	
आय व्ययक	
-आय व्ययक पर सामान्य वाद विवाद	63
समिति प्रतिवेदन : प्राक्कलन "ख"	
-प्राक्कलन समिति 'ख' 2004-05 का प्रथम एवं द्वितीय प्रतिवेदन	26

नाम	पृष्ठ संख्या
श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर दी...ा (नद..ई)	
नियम 295 के तहत वि... उल्लेख	
-नदबई (भरतपुर) क्षेत्र ... लावृष्टि के कारण बरबाद फसल का किसानों को मुआवजा देने के संबंध में	316
श्री केसरदेव बा..र (लक्ष्म...ढ)	
नियम 295 के तहत वि... उल्ले..	
-लक्ष्मणगढ़ में सरर.. की ..रीद का केन्द्र नहीं खोले जाने से किसानों को परेशानी	309
श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा)	
स्थगन प्रस्ताव	
-कृषि यंत्रों, ... इप.. इन, फव्व ..रा संयं.. आदि का व.. 2004-2005 का अनुदान	23
श्री खुशवीर सिंह ...कर (खारची)	
आय व्ययक	
-आय व्ययक पर ... वाद विवाद	100
नियम 295 के तहत वि... उल्लेख	
-खारची में पेयजल व ...काल की विकट स्थिति के सम्बन्ध में	308
श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर), मंत्री	
अनुरोध एवं मां..	
-सोजत में हुई साम्प्रदायिक घटना की न्या..यिक जांच व पीड़ितों को मुआवजे की मां..	16
डा. चन्द्रशेखर ..द (तारान..र)	
अतारांकित प्रश्..त्तर	
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	
-प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र साहव.. (चूरू) में राजलक्ष्मी योजनान्तर्गत नसबन्दी ऑपरेशन	257

नाम — पृष्ठ संख्या

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

-प्रदेश के दो बड़े ताप बिजलीघरों के लिए अन्तर्राष्ट्रीय निविदा आमंत्रित किये बिना कोयला खरीद 305

डा. जालम सिंह रावलोत (शिव)

आय व्ययक

-आय व्ययक पर सामान्य वाद विवाद 153

श्री जोगाराम पटेल (लूणी)

आय व्ययक

-आय व्ययक पर सामान्य वाद विवाद 110

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

-जोधपुर के मोटर गैराज को 1992 के बाद एक भी वाहन उपलब्ध नहीं कराये जाने के सम्बन्ध में 305

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल (गंगापुर)

आय व्ययक

-आय व्ययक पर सामान्य वाद विवाद 128

श्री देवीशंकर भूतड़ा (ब्यावर)

अतारांकित प्रश्नोतर

सार्वजनिक निर्माण

-ब्यावर के सड़क विहीन राजस्व ग्राम 261

तारांकित प्रश्नोत्तर

जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी

-ब्यावर के पेयजल योजना से वंचित गांव 207

नाम	पृष्ठ संख्या

श्री धर्मेन्द्र कुमार मोची (टीबी)

तारांकित प्रश्नोतर

सिंचाई

-टीबी विधान सभा क्षेत्र में पायलट प्रोजेक्ट के तहत सेम समस्या का निवारण 174

-पायलेट प्रोजेक्ट के तहत विधान सभा क्षेत्र टीबी की सेम समस्या का निवारण 5

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़)

अतारांकित प्रश्नोतर

सिंचाई

-बोरिया लघु सिंचाई परियोजना चित्तौड़गढ़ की नहरों की मरम्मत 287

तारांकित प्रश्नोतर

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

-राज्य में एड्स रोग की रोकथाम हेतु कार्य-योजना 205

समिति प्रतिवेदन : अनुसूचित जनजाति कल्याण

-अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति, 2004-2005 का प्रथम प्रतिवेदन 26

श्री नवरतन राजोरिया (गुलेर)

अतारांकित प्रश्नोतर

शिक्षा

-राजकीय माध्यमिक विद्यालय पत्तर (सीकर) का क्रमोन्नयन 283

तारांकित प्रश्नोतर

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

-राज्यकर्मियों को निजी कैंसर चिकित्सालय के बिलों का पुनर्भरण 214

नाम	पृष्ठ संख्या
श्रीमती प्रतिभा सिंह (नवलगढ़)	
नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख	
-नवलगढ़ नगरपालिका की सरकारी भूमि पर थानाधिकारी द्वारा अवैध निर्माण बाबत	306
श्री प्रमोद जैन 'भाया' (बारां)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
कृषि विपणन	
-कृषि उपज मण्डी समितियों में रिक्त पदों पर नियुक्ति	291
श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी)	
आय व्ययक	
-आय व्ययक पर सामान्य वाद विवाद	118
श्री बद्रीलाल जाट (कपासन)	
अतारांकित प्रश्नोतर	
संस्कृत शिक्षा	
-कपासन के संस्कृत विद्यालय	290
तारांकित प्रश्नोत्तर	
सिंचाई	
-कपासन के स्वीकृत तालाब/नहर निर्माण कार्य	215
श्री बहादुर सिंह गोदारा (नोहर)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
कृषि	
-राज्य में कृषि को उद्योग का दर्जा देने हेतु प्रस्ताव	231

नाम	पृष्ठ संख्या
तारांकित प्रश्नोत्तर	
राजस्व	
-उपनिवेशन अधिनियम के तहत ा तेदारी से वंचित कृषक	194
प्रो. बीरूसिंह राठौड़ (ीपार्क)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
शिक्षा	
-बनीपार्क के विद्यालय के प्रतिनियुक्त अध्यापक	276
नियम 295 के तहत वि. उल्लेख	
-जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा आबंटित हार्डवेयर मण्डी में भूखण्डों का कब्जा दिलाने बत	307
डा. बुलाकीदास कल्ला (ीकानेर), नेता, प्रतिपक्ष	
अनुरोध एवं मां.	
-सदन में जारी गतिरोध दूर करने हेतु	13
-सोजत में हुई साम्प्रदािक घटना की न्यायिक जांच व पीड़ितों को मुआवजे की मांग	15
समिति प्रतिवेदन : जन लेखा	
-जन लेखा समिति, 2004-05 के प्रतिवेदन (क्र.सं. 94 से 100)	25
श्री बृजकिशोर शर्मा (यपुर ामीण)	
स्थगन प्रस्ताव	
-राज्य में कानून व व्यवस्था की स्थिति	23
श्री भंवरलाल शर्मा (सरदारहर)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	
-सेठ छोटूलाल सेठिा राजकीय चिकित्सालय सरदारशहर में उपलब्ध सुविधाएं	247

नाम	पृष्ठ संख्या
श्री भरत सिंह (दीगोद)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी	
-दीगोद के ग्रामों को पेयजल आपूर्ति हेतु आबंटित टंकिया तथा मोटर्स	217
सार्वजनिक निर्माण	
-कोटा जिले में सिंचाई हेतु बिना अनुमति के सड़कों की खुदाई	269
तारांकित प्रश्नोत्तर	
कृषि	
-धनिया उपज हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य	203
श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
सार्वजनिक निर्माण	
-कूरणा-पादरला (पाली) सड़क का डामरीकरण	269
आय व्ययक	
-आय व्ययक पर सामान्य वाद विवाद	144
तारांकित प्रश्नोत्तर	
सार्वजनिक निर्माण	
-पाली जिले की सड़कों का डामरीकरण	213
श्री महादेव सिंह (खण्डेला)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	
-अंशकालीन वार्डबाय कर्मियों का बकाया भुगतान	238

नाम	पृष्ठ संख्या
श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक), मुख्य सचेतक	
सदन की कार्यवाही	
-विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि	87
-विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि	122
-विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि	156
-विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि	168
सदस्य का निलम्बन	
-श्री संयम लोढ़ा, सदस्य के निलम्बन की समाप्ति	27
श्री मांगीलाल गरासिया (गोगुन्दा)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
राजस्व	
-मोडी पंचायत (उदयपुर) के काबिज काश्तकारों को कृषि भूमि का आबंटन	226
श्री मुरारी लाल मीणा (बांदीकुई)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
सार्वजनिक निर्माण	
-बांदीकुई की सड़कों का डामरीकरण	273
तारांकित प्रश्नोत्तर	
सार्वजनिक निर्माण	
-बांदीकुई की क्षतिग्रस्त सड़कों का डामरीकरण	196
श्री मोहन मेघवाल (सूरसागर)	
नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख	
-सूरसागर के दो चिकित्सालयों को सैटेलाइट-अस्पताल में क्रमोन्नत करने बाबत	312

नाम	पृष्ठ संख्या
श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
उच्च शिक्षा	
-मान्यता प्राप्त डीम्ड यूनिवर्सिटीज	289
मोहम्मद माहिर आजाद (नगर)	
अनुरोध एवं मांग	
-सोजत में हुई साम्प्रदायिक घटना की न्यायिक जांच व पीड़ितों को मुआवजे की मांग	22
तारांकित प्रश्नोत्तर	
उच्च शिक्षा	
-राजस्थान विश्वविद्यालय के शिक्षकों/कर्मचारियों को मानदेय	4
राजस्व	
-भरतपुर की चक नम्बर-2 पोखर भूमि पर अतिक्रमण	172
श्री राकेश मेघवाल (परबतसर)	
नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख	
-मकराना शहर की गन्दगी ग्राम मंगलाना में डाले जाने के कार्य को रोकने के संबंध में	315
श्री राजकुमार रिणवा (रतनगढ़)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
कृषि	
-लाइट ट्रैप आपूर्ति आदेश में अनियमितताएं	231
श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
शिक्षा	
-दौसा जिले के विद्यालयों का परीक्षा परिणाम	275

क्रम	पृष्ठ संख्या
श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी	
-जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी कर्मियों के स्थानान्तरणों में व्याप्त अनियमितताएं	224
तारांकित प्रश्नोत्तर	
शिक्षा	
-शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालयों को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र	192
श्री रामनारायण मीणा (नैनवां)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
सार्वजनिक निर्माण	
-जर ना-रायथल (बूंदी) सम्पर्क सड़क हेतु अवाप्त भूमि का मुआवजा	265
तारांकित प्रश्नोत्तर	
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	
-दवा निर्माता कम्पनियों पर नियन्त्रण	193
-बूंदी जिले के उप स्वास्थ्य केन्द्र, जावरा का भवन निर्माण	172
श्री राव राजेन्द्र सिंह (बैराठ)	
आय व्ययक	
-आय व्ययक पर सामान्य वाद विवाद	91
तारांकित प्रश्नोत्तर	
कृषि	
-राज्य बीज निगम द्वारा बीज आपूर्ति	189

नाम	पृष्ठ संख्या

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

शिक्षा

-डेगाना (नागौर) के सेवानिवृत्त अध्यापक द्वारा दायर वाद 278

तारांकित प्रश्नोत्तर

सार्वजनिक निर्माण

-नागौर जिले की निर्माणाधीन सड़कें 216

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (सोजत), मंत्री

सदन पटल पर रखे गये पत्र

प्रतिवेदन एवं लेखे

-राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, जयपुर का प्रतिवेदन वर्ष 2003-04 24

श्रीमती वसुन्धरा राजे (झालरापाटन), मुख्य मंत्री

अनुरोध एवं मांग

-सदन में जारी गतिरोध दूर करने हेतु 14

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर पश्चिम), राज्य मंत्री

तारांकित प्रश्नोत्तर

उच्च शिक्षा

-राजस्थान विश्वविद्यालय के शिक्षकों/कर्मचारियों को मानदेय 3

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर)

आय व्ययक

-आय व्ययक पर सामान्य वाद विवाद 160

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

-लूणकरणसर में रोड़वेज बस स्टैण्ड स्थापित करने बाबत 314

क्रम	पृष्ठ संख्या
डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
शिक्षा	
-शिक्षकों के पद निर्धारण हेतु मानदण्ड	275
श्री सांगसिंह भाटी (जैसलमेर)	
आय व्ययक	
-आय व्ययक पर सामान्य वाद विवाद	169
श्री सांवर लाल (भिनाय), मंत्री	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
सिंचाई	
-पायलेट प्रोजेक्ट के तहत विधान सभा क्षेत्र टीबी की सेम समस्या का निवारण	6
डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा)	
आय व्ययक	
-आय व्ययक पर सामान्य वाद विवाद	31
श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
शिक्षा	
-बालिका शिक्षा हेतु पंचायत मुख्यालयों पर माध्यमिक विद्यालय	213
श्री सुरेश मीणा (करौली)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
सिंचाई	
-पांचना बांध से घना अभयारण्य (भरतपुर) को जल आपूर्ति	288

नाम	पृष्ठ संख्या
तारांकित प्रश्नोतर	
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	
-दवा निर्माता कम्पनियों पर नियन्त्रण	193
श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली)	
अतारांकित प्रश्नोतर	
सिंचित क्षेत्र विकास	
-चम्बल परियोजना की वितरिकाओं का नवीनीकरण	237
तारांकित प्रश्नोतर	
सिंचाई	
-हिण्डौली की सिंचाई रहित सिंचित क्षेत्र घोषित भूमि	195
श्री हीरालाल (निवाई)	
अतारांकित प्रश्नोतर	
शिक्षा	
-टोंक जिले में साक्षरता शिविरों में भोजन/स्वल्पाहार आपूर्ति हेतु निविदाएं	280
तारांकित प्रश्नोतर	
उच्च शिक्षा	
-राजस्थान विश्वविद्यालय के शिक्षकों/कर्मचारियों को मानदेय	3
नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख	
-निवाई में मनमाने एवं पक्षपातपूर्ण तरीके से हटाये गये निर्माण कार्यों बाबत	310
श्री हेमराज मीणा (किशनगंज)	
नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख	
-बारां जिले में ओलावृष्टि से तबाह फसल के मुआवजा की मांग	313

नाम	पृष्ठ संख्या
श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी)	
समिति प्रतिवेदन : याचिका	
-याचिका समिति, 2004-05 का द्वितीय प्रतिवेदन	26